खण्ड-340, अंक-4
मंगलवार, 15 ज्येष्ठ, शक संवत् 1901
(5 जून, 1979 ई0)

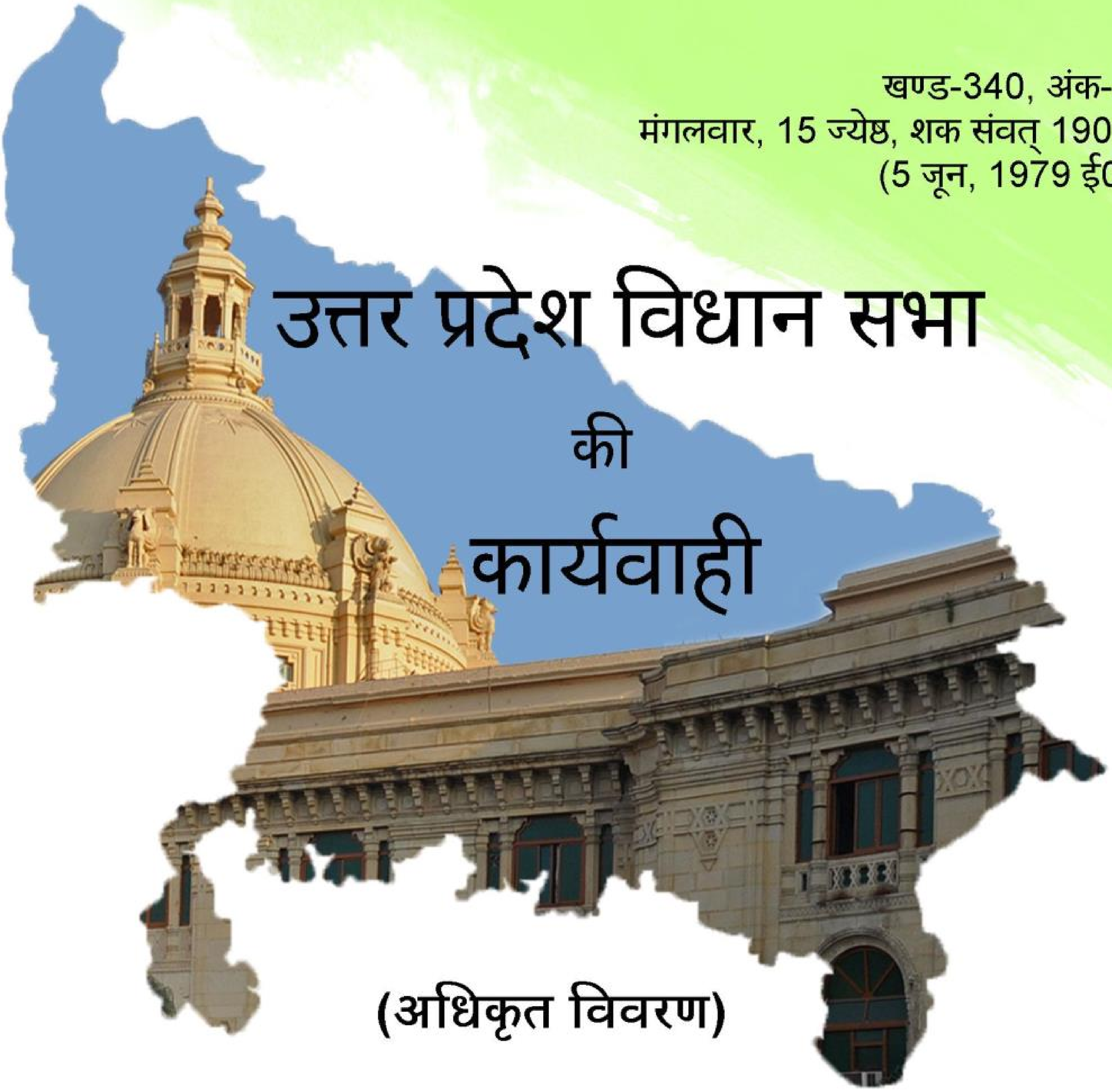

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 340 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९८०

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

## विषय–सूची


| विषय | पृष्ठ–संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. | 419–422 |
| आज की कार्य सूची सदस्यों को वितरित न होने की शिकायत .. | 423–425 |
| आज का प्रश्नोत्तर काल समाप्त किये जाने की मांग .. | 425–426 |
| प्रश्नोत्तर .. | 426–494 |
| प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न .. | 495 |
| भूमि संरक्षण अधिकारी, अकबरपुर, कानपुर द्वारा सार्वजनिक धन का दुरुपयोग तथा सीमेन्ट के ब्लैक के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना .. | 495–496 |
| फर्रुखाबाद जनपद के थाना शमशाबाद के ग्राम सुखनाखार में हरिजनों पर अत्याचार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना .. | 496–497 |
| सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश तथा विशेषकर देवरिया में सीमेन्ट, मिट्टी का तेल, डीजल तथा पेट्रोल के अभाव के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना .. | 497–498 |
| बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ तहसील के ग्राम रनापुर तथा गढ़ी गोसियामऊ में अग्निकान्ड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना .. | 498 |
| फर्रुखाबाद जनपद के ग्राम रुदाइन में भूतपूर्व जमींदारों द्वारा हरिजनों एवं निर्बल वर्ग पर अत्याचार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना .. | 499 |
| बांदा जिले के ग्राम आंगनी का पुरवा में बदमाशों द्वारा हरिजन बस्ती में आग लगा देने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना .. | 499–500 |
| लखनऊ के थाना चिनहट ग्राम बगुलिहा के श्री गुरूचरण हरिजन की सवर्णों द्वारा हत्या किये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना .. | 500 |
| ग्राम बिनौहा, विकास खन्ड के नेबुआ नौरंगिया जनपद देवरिया में अग्निकान्ड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना .. | 501 |
| श्री मन्जूर अहमद के निलम्बन की शेष अवधि को निरस्त करने का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. | 501–504 |
| युवा संघर्ष वाहिनी द्वारा श्री राज्यपाल को ज्ञापन देने पर रोक लगाए जाने पर आपत्ति .. | 504 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| सदन के चलते विद्युत् मंत्री द्वारा विद्युत् दर बढ़ाने की घोषणा सदन से बाहर किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न .. | 505–515 |
| सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा ग्राम कैथरमऊ, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के किसानों के उत्पीड़न एवं उनसे वसूली करने के सम्बन्ध में याचिका (प्रस्तुत की गयी) .. | 516 |
| उच्च शिक्षा मंत्री के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय .. | 516 |
| साथी प्रिंटिंग प्रेस, हीवेट रोड, लखनऊ पर अनधिकृत कब्जा करने की कोशिश करने तथा महत्वपूर्ण कागजात व सामान को नष्ट करने के सम्बन्ध में वक्तव्य .. | 516–518 |
| कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना .. | 518–519 |
| 1979–80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 58—ग्राम्य विकास विभाग, अनुदान संख्या 59—पंचायती राज्य विभाग, अनुदान संख्या 93—पंचायती राज विभाग—पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 98—ग्राम्य विकास विभाग—पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) .. | 519–574 |
| प्रदेश में गेहूं की खरीद में अनियमितता के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन .. | 574 |
| नस्थियां .. | 575–580 |


विधानसभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 5 जून, 1979

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—278

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदयनाथ, श्री
उदित नरायन, श्री
उमा कान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 प्राइस, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुञ्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री

जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जगन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मबीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह 'पुष्पवान', श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफया लाल जुबांठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बसंत, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल "सरोज", श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगौती सिंह, श्री
भारत सिंह, श्री
भरत सिंह चौहान, श्री
मंगल देव, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुहीमुर्रहमान, श्री

मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मूल चन्द्र, ठाकुर
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे वर्मा, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम वरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम संजीवन, श्री
राम सिंह, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लाल दास, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्यामदेव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायन तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री

सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सोहन बीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरन यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## आज की कार्य सूची सदस्यों को वितरित न होने की शिकायत

श्री श्याम देव (जिला वाराणसी)--

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक एजेंडा नहीं मिला ।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर एक साथ कहने लगे--"एजेंडा नहीं मिला ।")

श्री उपाध्यक्ष--

एजेंडा अभी आया है ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, अभी आया है, तो अभी आने से तो काम चलता नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष--

बिजली की दिक्कत की वजह से देर हो गयी होगी ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, जब तक एजेंडा ही नहीं मिला, तो सदन चलेगा कैसे ?

श्री उपाध्यक्ष--

अभी तो प्रश्नोत्तर चलेगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

जनता पार्टी का यह ग्राम्य विकास हो रहा है ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)--

मान्यवर, प्रश्नों का क्या क्रम है, हमको भी तो नहीं मालूम है । मान्यवर, वह एजेंडा मिल जाय, तो प्रश्नों का उत्तर तो देने में सुविधा हो जायगी ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

आप सदन को स्थगित कर दें, मान्यवर ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

एजेन्डा के बगैर सदन कैसे चलायेंगे, मान्यवर ?

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, सरकार को भी यह नहीं मालूम है कि प्रश्नों का क्रम क्या है और उसके लिए मंत्री भी तैयार नहीं है, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, इनके पास होगा । प्रश्नों का क्रम जो है, अल्प सूचित को छोड़ कर बाकी तारांकित भाग तो वितरित हो जाता है । अकेले 4–5 अल्प सूचित प्रश्नों को छोड़कर बाकी सब तो वितरित हो गया है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मेरा निवेदन यह है कि इसमें हमारे विधान सभा सचिवालय का कोई दोष नहीं है । एजेंडा गवर्नमेंट प्रेस से ही छप कर नहीं आया है । अब जब छप कर ही नहीं आया है, तो इसका जवाब उद्योग मंत्री जी देंगे । हमारे सचिवालय का हमेशा क्रम से काम चलता रहता है । लेकिन जब एजेंडा नहीं मालूम है, न क्रम मालूम है, तो कैसे सदन चलेगा ? कार्यवाही स्थगित करें, मान्यवर ।

श्री श्याम धर मिश्र—

मान्यवर, प्रेस वालों को सबको मालूम है, प्रेस के लोग भी कोई नहीं आये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी सबको बंटवा दिया जायगा ।

श्री राम असरे वर्मा—

मान्यवर, इसका तो कोई औचित्य नहीं रह गया है कि अब एजेंडा बंटवा कर कार्यवाही चलायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री सोहन बीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, आज प्रश्नों का कार्य स्थगित कर दें । प्रश्नों को स्थगित करके दूसरा एजेंडा आप ले सकते हैं । प्रश्न काल तो आज किसी तरह से चल नहीं पायेगा । इसलिए मैं आप से निवेदन करता हूं कि आज प्रश्नों का काल स्थगित कर दें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

वह अभी आप के पास पहुंच जाता है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, हमको पता ही नहीं है कि क्या प्रश्न है, क्या उत्तर मिलेगा ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

आप दूसरा आइटम ले लें । क्रम तो आप बदल सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, नहीं । यह ठीक नहीं रहेगा । क्रम बदलना मुनासिब नहीं है ।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, आप दूसरा आइटम ले लें ।

श्री राम आसरे वर्मा—

आप कह रहे हैं एजेंडा बंट रहा है । मैं नहीं देख रहा, आया भी है या नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इस संबंध में इस सचिवालय का कोई दोष नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी पूरा एजेंडा भी वितरित नहीं हुआ है । मैं एक घण्टे के लिये सदन स्थगित करता हूं । 12 बजे फिर सदन बैठेगा । प्रश्नों सहित कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे ।

(इस समय 11 बज कर 5 मिनिट पर सदन की कार्यवाही स्थगित हुई तथा 12 बजे श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

## आज के प्रश्नोत्तर काल को समाप्त किये जाने की मांग

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

श्रीमन् एक घंटा माननीय सदन का बहुत महत्वपूर्ण है और इस सरकार की बेवकूफी की वजह से बरबाद हुआ । अगर एजेंडा छप गया होता तो एक घंटा बचता । आप प्रश्नों का समय 12 बजे से शुरू कर रहे हैं तो प्रश्नों का समय जो निर्धारित है वह 11 से 12 बजे तक है । मैं चाहूंगा कि एजेंडा में प्रश्नों के बाद वाला कार्यक्रम लिया जाय ।

('नहीं' 'नहीं' की आवाजें)

श्री देव बहादुर सिंह—

हमारी बात सुन लें ।

श्री गनशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

आज का एजेंडा देर से मिला है और इस तरह से सरकार इस हाउस की अवहेलना करती है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठे, मैंने आपको इजाजत नहीं दी ।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान लीजिये किसी दिन बिजली 11 बजे चली जाय और तीन बजे आये तो क्या तीन बजे से प्रश्न शुरु होंगे तब एजेंडे का और काम चलेगा ? ऐसी स्थिति आ जाती है, तो मैं चाहता हूं कि आप व्यवस्था दें कि ऐसी स्थिति में क्या हो ?

श्री ऊबल (जिला वाराणसी)--

मैं, देव बहादुर सिंह ने जो प्रश्न उपस्थित किया है उससे सहमत नहीं हुं। आपको अधिकार है, आप नियमों को सस्पेंड कर सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, सरकार की अक्षमता से आज का एजेंडा बाद में मिला माननीय सदन को और आपको पूर्ण अधिकार है कि आप नियमों को सस्पेंड करके क्वेश्चन अवर शुरु कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें किसी को आपत्ति का सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 31 में है, "जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें"। अध्यक्ष को शक्ति है कि 11 बजे के बजाय 12 बजे करें।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, नियमों के अनुसार जो देव बहादुर जी ने बात कही है यह सही है। मान्यवर, आपको अधिकार है कि किसी भी विवशतावश या ऐसा कोई कारण पैदा हो जाता है जिससे संभव न हो सके तो आपको अधिकार है और सदन को अधिकार है कि नियमों को निलंबित करके क्वेश्चन अवर ले लें। क्वेश्चन आवर का महत्व इसलिए है कि इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से जनता के सामने, मेम्बर्स सरकार की गड़बड़ियों के बारे में प्रश्न करते हैं। अगर यह अधिकार छीन लेते हैं कि 11 से 12 बजे का समय बीत गया तो वह मुनासिब नहीं होगा। इसलिए नियमों को सस्पेंड करने के बाद प्रश्नों को लेना संभव होगा।

श्री उपाध्यक्ष--

नियमों को सस्पेंड करने की आवश्यकता नहीं है। आप नियम 31 पढ़े जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें, प्रत्येक उपवेशन का पहला घंटा प्रश्नों के पूछने और उनके उत्तर देने के लिये उपलब्ध होगा और अल्पसूचित प्रश्नों को अन्य प्रश्नों की अपेक्षा अग्रता मिलेगी। मैंने प्रारम्भ में कह दिया था कि 12 बजे से प्रश्न लेंगे।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, एक घंटे का समय हमे और मिले जिससे हम सारे कार्यक्रमों को पूरा कर सकें।

## प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 5 जून, 1979

### अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

### एच० बी० टी० आई०, कानपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच रिपोर्ट

**1--श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)--

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एच० बी० टी० आई०, कानपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितताओं एवं आर्थिक घोटालों की जांच हेतु दिनांक 20 अगस्त, 1978 को तत्कालीन शिक्षा मन्त्री ने श्री अविनाश चन्द्र चतुर्वेदी, सचिव, विज्ञान एवं पर्यावरण को जांच अधिकारी नियुक्त किया था; क्या उनको तीन माह के भीतर जांच करके रिपोर्ट शासन को देने का निर्देश दिया गया था? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है? यदि नहीं, तो रिपोर्ट कब तक प्राप्त होने की आशा है?

आवास मन्त्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)--

20-8-1978 को नहीं बल्कि 29 जुलाई, 1978 के आदेश को में अविनाश चन्द्र चतुर्वेदी, सचिव, विज्ञान एवं पर्यावरण को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। इसकी जांच रिपोर्ट अभी शासन को प्राप्त नहीं हुई है। आशा की जाती है उक्त जाँच रिपोर्ट शीघ्र ही शासन को प्राप्त हो जायगी।

नन्दादेवी पर लापता परमाणु उपकरण के संबंध में जांच रिपोर्ट

**2--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नन्दादेवी पर लापता परमाणु उपकरण के बारे में जांच हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित वैज्ञानिकों की समिति की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को अप्रैल, 1979 के अन्तिम सप्ताह अथवा मई, 1979 में 18 तारीख तक प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या है तथा उस बारे में राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)--

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेशीय सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों की निर्धारित आयु सीमा

**3--श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद) तथा श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि सम्मिलित प्रदेशीय सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष बढ़ा कर सम्मिलित सर्विस सेवा परीक्षा (केन्द्रीय) के समान 28 वर्ष करने के सन्दर्भ में विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में सरकार अन्तिम निर्णय कब तक ले लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)--

प्रश्न विचाराधीन है तथा इस मामले में शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की आशा है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसमें क्या कठिनाई है कि 27 की बजाय 28 कर दे जैसा केन्द्रीय परीक्षा में है, तो इसमें क्या कठिनाई है ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, कठिनाई का प्रश्न नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि इससे लाभ कितना पंहुचेगा। लोग कहते है कि बेरोजगारी को देखते हुये बढ़ाया जाना ठीक है, लेकिन अगर उम्र बढ़ाते हैं, तो इसका सेवा निवृत्ति, (रिटायरमेंट) पर प्रभाव पड़ेगा तो सारी चीजों पर विचार किया जा रहा है और आयोग से पूछा गया है और जो हमारे नजदीकी सूबे हैं उनसे इस मामले में पूछताछ की गयी कि इस संबंध में क्या कर रहे हैं ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मैं जानना चाहता हूं कि कितने महीनों के अंदर, इसके ऊपर निर्णय ले लेंगे ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि शीघ्र निर्णय लिया जायगा ।

## गोहाटी में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में बैग का वितरण

**4—श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि 1976 तत्कालीन राज्य शासन की ओर से लगभग एक लाख की कीमत का बैग व पोर्टफोलियो गोहाटी में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को बांटा गया ? यदि हां, तो क्यों ? यह किस अधिकारी के आदेश से बांटा गया और इस पर आया खर्च किस मद से किया गया ? उक्त अधिकारी के विरुद्ध शासन ने अभी तक क्या कार्यवाही की ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

जी हां । बैग व पोटफोलियो—दो नहीं थे । बैग या पोटफोलियो तत्कालीन मुख्य मन्त्री तथा राज्य सूचना मन्त्री के आदेश से, प्रचारार्थ बांटे गये थे। सम्बन्धित व्यय सूचना विभाग के आय-व्ययक में "प्रकाशन" की मद से, वित्त'-विभाग की सहमति लेकर, किया गया ।

इस प्रसंग में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठा ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने किस तारीख को आदेश दिया पोर्टफोलियो बांटने का और किस तारीख को वित्त विभाग ने स्वीकृति दी है ? दोनों की तारीख क्या हैं ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, गोहाटी का कांग्रेस अधिवेशन जब हो रहा था, तो उस समय 2 हजार पोटफोलियो बैग बनवाये गये थे । और उसमें जो खर्च निहित था, उसमें वित्त विभाग की सहमति ले ली गयी थी । जहां तक इस बात का प्रश्न है कि कौन सी तारीख थी, तो मैं माननीय सदस्य को जानकारी बाद में दे दूंगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन पोर्टफोलियो पर कितना रुपिया खर्च हुआ और उनका क्या हश्र हुआ ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

2 हजार पोटफोलियो पर 98 हजार मूल्य आया था । 3 हजार 320 रुपये बिक्री कर का लगा था । गोहाटी के कांग्रेस अधिवेशन में केवल 1 हजार 430 बांटे गये बाकी जो बचे थे, वह दूसरे लोगों को बांट गये, जिसमें संसद सदस्यों को बांटे गये । मुख्य मन्त्री द्वारा पोटफोलियो बांटे गये राज्य सूचना मन्त्री द्वारा बांटे गये, प्रधानमन्त्री द्वारा पोटफोलियो बांटे गये ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मन्त्री जी ने कहा कि मैं उत्तर माननीय सदस्य को दे दूंगा, तो यह सदन का मामला है, सदन में जवाब आना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

तारीख के बारे में माननीय मन्त्री जी को कहना चाहिये था कि जानकारी नहीं है, सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, मतलब यही था कि जानकारी उपलब्ध नहीं है।

श्री मोहन सिंह--

मैं जानना चाहता हूं कि पोर्टफोलियो बैग बंधवाने के लिये राज्य शासन के कोई अधिकारी गौहाटी अधिवेशन में गये थे, यदि गये थे, तो संख्या क्या है और कितना टी० ए० और डी० ए० खर्च हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह इससे नहीं उठता है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, गौहाटी अधिवेशन में यह बैग प्राप्त किये हुये कितने व्यक्ति आज जनता पार्टी में हैं।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष--

छोडिये इसे।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)--

मान्यवर, मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो बैग बने थे वह बाद में क्या मौजूदा विधायकों को बांटे गये हैं ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, दो हजार बैग्स में से कुछ बैग जो बच गये थे उनको विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्यों को पिछले वर्ष का बांटा गया था और जो इसमें 270 की कमी पड़ी तो 270 बैग्स वैसे ही बनाये गये और बांटे गये।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, हमारे प्रश्न का जवाब दिलवाइये।

श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी)--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि 1976 में गौहाटी कांग्रेस अधिवेशन में एक लाख रुपये के बैग बांटे गये, क्या इस प्रकार के बैग और किसी भी अखिल भारतीय पार्टियों के अधिवेशनों में बांटे गये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी सूचना इनके पास नहीं होगी।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मैं मान्यवर, जानना चाहता हूं कि इन बैंगों को आर्डर देकर बनवाया गया होगा, तो क्या इनको किसी निश्चित व्यक्ति द्वारा बनवाया गया या टेण्डर द्वारा बनवाया गया है। साथ ही साथ इन बैंगों पर एक-एक पर जो 50 रुपया व्यय हुआ, तो क्या उसकी स्वीकृति वित्त विभाग ने दिया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह भी अनावश्यक है।

श्री बिक्रमा राय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सूचना विभाग ने इसके पहले प्रचार हेतु इस तरह के बैंगों का निर्माण करके किसी को वितरित किया था ? यह परम्परागत था या पहली बार ऐसा हुआ है। तो क्या मुख्य मन्त्री जी इस पूरे मामले की जांच कराकर जिसने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जवाब मन्त्री जी दे चुके हैं।

श्री बाबू राम शुक्ल—

मान्यवर, मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं दो मिनट यहां देर से आया। इसलिये मेरा प्रश्न ले लें।

श्री उपाध्यक्ष—

बाद में यदि समय होगा, तो उसे ले लेंगे।

## तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

### फैजाबाद जिले के अयोध्या में नक्सलवादियों का कथित सम्मेलन

*1—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद), श्री अवधेश नारायण (जिला गाजीपुर) तथा श्री जय शंकर पांडेय (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार को जानकारी है कि इस वर्ष चैत रामनवमी के अवसर पर जनपद फैजाबाद के अयोध्या शहर में देश भर के नक्सलवादियों का एक गुप्त सम्मेलन हुआ है जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के पिछड़े जिलों में हिंसात्मक आन्दोलन छेड़ने के लिए जनमत बनाने और आन्दोलन को सुनियोजित ढंग से चलाने के लिये जिलों-जिलों में गुट कमेटियों के गठन का निश्चय किया गया है ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है और उक्त के निराकरण के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी नहीं। ऐसे किसी सम्मेलन का आयोजित किया जाना प्रकाश में नहीं आया।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि इस देश के तमाम समाचार-पत्रों में इस समाचार को प्रकाशित किया है और मैंने पढ़ा भी है। यह समाचार 13 अप्रैल और 27 अप्रैल के पायनियर, जो कि मेरे पास हैं, के पृष्ठ 5, कालम 4, पर सेक्रेट मीट आफ नेक्सलाइटस इन अयोध्या तथा 27 अप्रैल को इसी तरह पृष्ठ 2 कालम 6-7 पर "नेक्सलाइटस एन्ड पीजेन्टस" शीर्षक के अन्तर्गत उस समाचार का विवरण छपा है। क्या यह सारी जो सूचनायें छपी हैं इनकी जानकारी शासन को है ? यदि हां, तो इन प्रकाशित सामग्रियों के आधार पर इस बारे में शासन ने कोई जांच करवायी है या नहीं ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, यह सही है कि कई समाचार-पत्रों में इस प्रकार का समाचार छपा है और फैजाबाद के पी० टी० आई० के संवाददाता के हवाले से यह छापा गया है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा महानिरीक्षक, अभिसूचना के जरिये जो जांच कराई गयी उसमें ऐसी कोई भी बैठक आयोजित होने का समाचार प्रकाश में नहीं आया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि नक्सलपंथियों के ऊपर या उनसे सम्बन्धित संगठन के ऊपर इस प्रदेश में कोई प्रतिबन्ध है ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, हिंसक कार्यवाही करने पर तो प्रतिबन्ध है ही।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मैंने पूछा कि वे अपना सम्मेलन कर सकते हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मुख्य मन्त्री जी, आप साफ बता दें कि उन पर कोई प्रतिबन्ध है ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है लेकिन हिंसक कार्यवाहियों की योजना बनाना या कोई षड़यन्त्र करना, यह तो अपराध में आता ही है।

आचार्य धर्म दत्त वैद्य (जिला बरेली)—

मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसी परम्परा है कि समाचार-पत्रों में जो प्रकाशन होता है, उसकी कटिंग सम्बन्धित मन्त्रियों और मुख्य मन्त्री के पास आती है। जिस तरह इसका प्रकाशन हुआ समाचार-पत्रों में, उसकी कटिंग जिस समय मन्त्री जी के पास गई, उस समय उन्होंने इस सम्बन्ध में जानकारी की ? यदि की, तो किस व्यक्ति द्वारा जानकारी की और क्या जानकारी प्राप्त हुई ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

इसका उत्तर मैं दे चुका हूं कि महानिरीक्षक पुलिस (अभिसूचना) द्वारा इसकी जांच कराई गई जिससे पता चला कि इस प्रकार का कोई सम्मेलन नहीं हुआ ।

श्री मुख्तार अनीस (जिला सीतापुर)--

मैं मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि नक्सलवादी यदि शान्तिपूर्ण ढंग से अपनी बैठक करते हैं और समाज को बदलने के बारे में कोई बात करते हैं तो क्या उनको इसकी इजाजत देंगे ? अभी मन्त्री जी ने कहा कि किसी को हिंसक बात करने की आज्ञा नहीं होगी, तो जो लोग शाम को या सुबह लाठी चलाते हैं, परेड करते हैं, भाला चलाते हैं, क्या उन पर प्रतिबंध लगायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष --

मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

कुछ समय पूर्व प्रतापगढ़ से एक सूचना आई थी कि वहां कुछ नक्सलपंथी पकड़े गये थे । मैं जानना चाहता हूं कि नक्सलपंथी जैसा हिंसक आन्दोलन प्रदेश में न फैले, इसको रोकने के लिए क्या सरकार के पास कोई सक्षम, क्रान्तिकारी समाजार्थिक प्रोग्राम है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह सवाल प्रतापगढ़ के बारे में नहीं बल्कि फैजाबाद के बारे में है। आप के दूसरे प्रश्न के लिये उन्होंने कह दिया कि वैसे किसी संस्था के ऊपर कोई बन्दिश नहीं है । अगर कोई तोड़फोड़ करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

आर्थिक असमानता के धरातल पर ही नक्सलवादी आन्दोलन पनपता है । मैं मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि इस आर्थिक नाबराबरी को समाप्त करने के लिए सरकार क्या कर रही है जिससे प्रदेश के पूर्वांचल में नक्सलवादी हिंसक आन्दोलन के पनपने की कोई गुंजाइश न रह जाए ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

2--श्री शम्भू नाथ चौधरी--

[6ठें गुरुवार के 29(4) में तारांकित प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## उन्नाव जिले की जनता पार्टी के महामन्त्री, श्री गंगा प्रसाद वर्मा द्वारा ब्लाकों के विरुद्ध अनशन की सूचना

*3--श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को जानकारी है कि उन्नाव जिले के जनता पार्टी की जिला समिति के सदस्य, श्री हृदय नारायण दीक्षित, जिला जनता युवा महामन्त्री, श्री लक्ष्मीकान्त, एडवोकेट तथा महामन्त्री, श्री गंगा प्रसाद वर्मा द्वारा जनपद में ब्लाक स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में असोहा, हिलौली, नवाबगंज, मौरावां तथा पुरवा ब्लाकों पर संघर्ष का व्रत लेकर क्रमिक प्रतीक अनशन की सूचना जिला प्रशासन को 1 मई, 1979 से 7 मई, 1979 के बीच दी गई है ? यदि हां, तो भ्रष्टाचार की मुख्य-मुख्य क्या शिकायतें है ? तथा अनशनकारियों की मांग के सम्बन्ध में सरकार कौन-सी कारगर कार्यवाही के कदम उठाने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास--

उन्नाव जिले की जनता युवा के महामन्त्री श्री गंगा प्रसाद वर्मा ने केवल जनपद में ब्लाक स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार के विरोध में खण्ड विकास अधिकारी, असोहा द्वारा दिनांक 2 मई, 1979 को क्रमिक प्रतीक अनशन की सूचना जिला प्रशासन को दी थी। मुख्य-मुख्य शिकायतें व मांगे निम्न प्रकार हैं।

1--असोहा ब्लाक में सिंचाई हेतु सरकारी ट्यूब बेल लगाये जायं।

2--सीमेंट वितरण की धांधली को समाप्त किया जाय।

3--जनता पुलिस सम्बन्ध की निकटता स्थापित की जाय।

4--गांवों को मुख्य सड़कों से मिलाया जाय।

5--ब्लाक के सभी गांवों का विद्युतीकरण किया जाय।

6--कालूखेड़ा से पिपरी होते हुये पुरवा तक सम्पर्क मार्ग बनवाया जाय।

7--पिरी कला--पुरवा मार्ग का निर्माण कराया जाय।

8--कांथा कालूखेड़ा मार्ग बनवाया जाय। चन्दनखेड़ा के पास वाले नाले पर पुल का निर्माण शीघ्र कराया जाय।

9- अन्त्योदय कार्यक्रम फर्जी कागजी स्वरूप की जांच की जाय।

10--असोहा से झाऊमऊ के लिंक रोड का निर्माण कराया जाय।

उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में जिला प्रशासन द्वारा यथासम्भव कार्यवाही की जा रही है।

*4--श्री मन्जूर अहमद--

[सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटाया गया]

## पुलिस परिषद् के तत्वावधान में वाराणसी जिले में शहीद-दिवस का आयोजन

*5--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर), श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़), श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया), श्री बसन्त (जिला देवरिया) तथा

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस परिषद् के तत्वावधान में आगामी 22 मई, 1979 को वाराणसी में शहीद-दिवस आयोजित किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस आयोजन के विषय में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

उत्तर देना जनहित में नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा अखबार में निकला है 22 मई, 1979 को वाराणसी में शहीद दिवस मनाया गया या नहीं ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, यह भी जनहित में नहीं है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

जनहित में तब जायगा जब पंजाब की तरह, अहमदाबाद की तरह मन्त्रियों पर पुलिस वाले लाठी चलायेंगे ।

श्री रमाशंकर कौशिक--

इसीलिए तो जनहित में नहीं है ।

श्री विद्याशंकर--

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस परिषद् जो बनाया गया है, उसे मान्यता दी गई है या नहीं ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर इस प्रश्न के सम्बन्ध में कोई अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देना जनहित में नहीं होगा ?

श्री विद्याशंकर--

हमारा प्रश्न स्वीकार कर लिया है किसी मन्त्री को यह अधिकार नहीं है कि... ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो शासन को तय करना है कि कौन सी बात जनहित में नहीं है । यह नियमों में भी है और कई बार सदन में आ चुका है । अध्यक्ष के निर्देश भी इस सम्बन्ध में हुये हैं कि कोई चीज जनहित में है या नहीं यह शासन को तय करना है ।

एक सदस्य--

आप को अपने विवेक से भी काम लेना है। मन्त्री जी कह देंगे कि जनहित में नहीं है तब तो यह बहाना बन जायगा। आप को अपने विवेक से काम लेना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है। यह तो ऐसा विषय है जिस को देखने से ही मालूम होता है कि जनहित में कैसे होगा? यदि शासन की तरफ से किसी फाइल के बारे में बताना जनहित में नहीं है, कहा जाय तो माननीय सदस्य कहते हैं कि अध्यक्ष पत्रावली मंगा कर देख लें। वह मालूम कर सकते हैं यह मामला तो साफ है जनहित में नहीं है। पत्रावली देखने का सवाल नहीं है।

प्रश्न संख्या 6 श्री देव कुमार यादव...

श्री हरिकेवल प्रसाद--

मान्यवर, प्रश्न मेरा है...

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर अब प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं देता।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

मेरा नाम है, मैं पूछना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष--

हरिकेवल प्रसाद जी अब हम आगे बढ़ रहे हैं। उनको बुला लिया है।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

प्रश्न मेरा है। केवल एक प्रश्न पूछने की अनुमति दे दें। आपकी इजाजत से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि 22 मई को वाराणसी...

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने इजाजत नहीं दी है। आप बिना इजाजत के बोल रहे हैं। अब इस प्रश्न पर कोई अनुपूरक नहीं होगा।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मेरा है...

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने इजाजत नहीं दी...

श्री हरिकेवल प्रसाद--

अगर आज्ञा नहीं थी तो नियमावली के अन्दर प्रक्रिया है। माननीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार आपकी आज्ञा से है। श्रीमन्, मेरा प्रश्न है कि २२ मई को अर्जुन सिंह भदौरिया लोक सभा के सदस्य के नेतृत्व में कितने लोग वाराणसी में गिरफ्तार किये गये...

श्री उपाध्यक्ष--

यह सदन में आ चुका है । इसका उत्तर भी माननीय मुख्य मंत्री जी दे चुके हैं ।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

यह जनहित में कैसे होगा...

श्री उपाध्यक्ष--

यह देखिये अध्यक्ष पीठ से भी निर्णय हुआ है कि जिस प्रश्न का उत्तर देना जनहित के विरुद्ध हो उसके ऊपर अनुपूरक प्रश्न अथवा विवाद नहीं हो सकता...।

श्री श्यामधर मिश्र--

जनहित में सरकार ही नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष--

13 मार्च, 1958 को श्री राम चन्द्र विकल द्वारा अपने प्रश्नों के ऊपर विवाद की अनुमति देने की प्रार्थना पर श्री अध्यक्ष ने निम्न व्यवस्था दी--

यह तो कोई महत्व का प्रश्न आपका नहीं होगा इसलिए इजाजत नहीं दी होगी । जनहित में जवाब न देने के बारे में उन्होंने कहा था, तो उसके ऊपर आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते । उसको वे गोपनीय रखना चाहते हैं इसलिए उसके ऊपर विवाद नहीं हो सकता है ।

यह फैसला पहले का है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

क्या वह सही है इस प्रश्न में निहित जो मूल प्रश्न है इसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन आयोजित कर रही है ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी इजाजत नहीं दी है ।

बांदा जिले के राजापुर में मंगल दास के यहां डकैती

*6--श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

क्या यह सही है कि दिनांक 29/30 मार्च, 1979 की दरमियानी रात कस्बा राजापुर, थाना राजापुर, जिला बांदा में श्री मंगल दास पुत्र श्री भवानी दीन के घर सनसनीखेज सशस्त्र डकैती पड़ी है जिसकी सही रिपोर्ट तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा दर्ज करने से इन्कार करने पर वादी श्री मंगल दास ने 30 मार्च, 1979 को सी० ओ, कर्वी की मौजूदगी में लिखित तहरीर थाना राजापुर में देते हुए उक्त थानाध्यक्ष एवं स्थानीय पुलिस के विरुद्ध डकैती डलवाने में साजिश व शिरकत करने के गम्भीर आरोप लगाये हैं ? यदि हां, तो घटना एवं वादी द्वारा लगाए गए आरोपों का पूरा विवरण क्या है ? सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

प्राप्त सूचना के अनुसार कथित डकैती की घटना के समय थाना राजापुर के दो सिपाही कस्बे में गश्त पर थे जिन्होंने डकैती का मुकाबला किया। उसमें से एक सिपाही ने घटना की सूचना थाने पर दी जिस पर थाने पर धारा 395/397 भा० दं० वि० का अभियोग कायम किया गया व उपलब्ध फोर्स सहित थानाध्यक्ष घटना स्थल पर गये। चूंकि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज थी अतः श्री मंगलदास का 30 मार्च का प्रार्थना-पत्र विवेचना में शामिल कर लिया गया।

सम्पूर्ण मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई है।

श्री देव कुमार--

बांदा जनपद में जो सनसनीखेज डकैती का मामला है जिसमें ६ लाख रुपये की लूट की गयी और लूट जहां हुई, वह घर थाने से दो किलोमीटर पर था, उसमें अभियोग यह है कि थानाध्यक्ष मौके पर डकैतों से मिला हुआ था, डकैत समय मांगते रहे उनसे और मुद्दई की रिपोर्ट दर्ज नहीं की, उसे मार भगा दिया गया? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मंगल दास ने 30 तारीख को लिखित प्रार्थना-पत्र दिया, तो वह प्रार्थना-पत्र सी० ओ०, करवी को दिया गया?

श्री रमा शंकर कौशिक--

यह सही नहीं है कि लाखों रुपये की सम्पत्ति लूटी गयी। विवरण यह है कि 52,900 रुपये की सम्पत्ति लूटी गयी। मंगल दास द्वारा 30 तारीख को प्रार्थना-पत्र दिया गया। जहां तक रिपोर्ट करने का सवाल है वह तो 29 तारीख को रात्रि में डकैती पड़ने के 15 मिनट बाद ही दर्ज हो गयी थी। जो गश्त पर सिपाही था, उसने दर्ज कराई थी। मंगल दास ने जो रिपोर्ट लिखाई है, उसमें कई गंभीर आरोप लगाये गये हैं। विवेचनाधिकारी ने इस डकैती के मामले में काफी मेहनत करके अभियुक्तों की पकड़-धकड़ की है और कई अभियुक्त पकड़े गये हैं। क्योंकि मंगलदास ने गंभीर आरोप लगाये हैं इसलिये मामला सी० आई० डी० के सुपुर्द कर दिया गया?

श्री देव कुमार--

मंगलदास ने जब प्रार्थना-पत्र सी० ओ०, करवी को भेजा तब यह मामला लिया गया अथवा थानेदार ने इस डकैती की रिपोर्ट को अपने सिपाही से पहले दर्ज की?

श्री रमा शंकर कौशिक--

यह प्रार्थना-पत्र थाने पर दिया गया और सी० ओ० भी मौजूद थे, उस वक्त।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

मंगलदास जी के प्रार्थना-पत्र में क्या-क्या आरोप हैं?

श्री रमा शंकर कौशिक--

क्या पूरे आरोप पढ़ कर सुना दूं?

श्री उपाध्यक्ष--

मुख्य-मुख्य आरोप बतला दें।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, मुख्य शिकायत यह है कि जब वे थाने में आये, तो थानेदार ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और जब थानेदार वहां पर गये, तो जहां डकैती पड़ी थी, उसके बारे में वे टाल-मटोल करते रहे। उन्होंने फायर नहीं किया और बदमाश डाका डालते रहे जहां तक विवेचना का सम्बन्ध है और जो जांच करायी गई है, उससे यह बात अभी तक प्रकाश में नहीं आयी है कि पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा दूसरे अधिकारियों से जो जांच करायी गई है, उनसे यह सूचना मिली है कि जैसे ही पुलिस कांस्टेबिल ने सूचना दी थानाध्यक्ष पुलिस फोर्स लेकर वहां गये और वहां से उसी वक्त बदमाश भाग गये। वहां पर काफी लोग इकट्ठे हो गये थे, उनके घर वाले काफी परेशान थे, उसी शोर में उन्हीं लोगों को डकैत बताया। मान्यवर, चूंकि यह मामला गम्भीर किस्म का है इसलिये शासन ने इस मामले को सी० आई० डी० को दिया है।

श्री छोटे लाल (जिला फतेहपुर)—

मान्यवर, जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री के उत्तर से स्पष्ट है, डकैती थानाध्यक्ष ने करवायी तभी शासन ने इसकी जांच के आदेश सी० आई० डी० को दिये हैं ?

श्री देव बहादुर सिंह—

क्या यह प्रश्न सही है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह आक्षेप है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मंगलदास ने जो रिपोर्ट लिखायी है उसमें गम्भीर आरोप हैं। पुलिस वाले इसी तरीके से रोजनामचे रखते हैं यह आप जानते हैं। पुलिस ने डकैतों को मौका दिया और वे 20 मिनट तक लूट करते रहे। इसलिये क्या माननीय मुख्य मन्त्री जब तक सी० आई० डी० की जांच होती है, तब तक उस थानाध्यक्ष को स्थानांतरित कर देंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, जिस थानाध्यक्ष के खिलाफ आरोप हैं, वह इस समय वहां पर नहीं है यह मैं माननीय सदस्य को सूचना देना चाहता हूं। जो प्रार्थना-पत्र दिया है, उसके सम्बन्ध में सी० आई० डी० की जांच होगी क्योंकि वहां पर पार्टीबाजी है ऐसा मालूम हुआ है।

श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

मान्यवर, जिलाधिकारियों ने उस थानाध्यक्ष को तत्काल वहां से हटा दिया इससे साबित होता है कि उसका इसमें हाथ था। इसलिये क्या मुख्य मन्त्री उस थानाध्यक्ष को सस्पेंड करने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

कोई प्रश्न नहीं उठता।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य--

श्री मंगलदास ने जो लिखित रिपोर्ट दी है, उसमें क्या उन्होंने कुछ लोगों को नामजद किया है ? यदि किया है, तो अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं यदि गिरफ्तार नहीं किये गये हैं, तो उनकी गिरफ्तारी के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, उसमें कोई नामजद नहीं किया गया है । इसलिये प्रश्न के दूसरे भाग का सवाल नहीं उठता ।

## फैजाबाद जिले में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति

*7--श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)--

क्या मुख्य मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि फैजाबाद जनपद में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति इस समय अत्यन्त नाजुक हो गयी है ? यदि हां, तो इसे ठीक करने की सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

कानून एवं व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्रीराम द्विवेदी--

मैं जानना चाहता हूं कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष फैजाबाद जनपद में कतल, डकैती और जरायम में कितनी वृद्धि हुई है ? और क्या यह सही है कि फैजाबाद जनपद के साकेत महाविद्यालय में कई छात्र कट्टे लेकर आते हैं ? पिछले दिनों वहां पर एक विस्फोट हुआ था उसमें कई लोग घायल हो गये थे । इस तरह से वहां पर अराजकता की स्थिति फैली हुई है । उसे रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, जहां तक गम्भीर प्रवृत्ति के अपराधों का प्रश्न है उसमें निश्चित रूप से पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सुधार हुआ है । मान्यवर, पिछले वर्ष इस जनपद में 30 डकैती हुई थी और इस वर्ष 20 हुई हैं, लूट पिछले वर्ष 17 हुई थी इस वर्ष 15, नकबजनी पिछले वर्ष 22 हुई थी इस वर्ष 18 और राहजनी पिछले वर्ष 276 और इस वर्ष 225 हुई हैं ।

मान्यवर, गंभीर प्रवृत्ति की जो घटनायें हैं उनमें पिछले वर्ष की अपेक्षा सुधार हुआ है । लेकिन जहां तक साकेत महाविद्यालय का प्रश्न है यह सही है कि वहां अनेक छात्र बसों में बिना टिकट यात्रा करने की कोशिश करते हैं जिससे अव्यवस्था फैलती है । जो बसों के कर्मचारी हैं, उनसे झगड़ा वगैरह की आशंका रहती है, तो उस सम्बन्ध में इस विद्यालय के जो विद्यार्थी नेतागण हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है, उनसे बात की जा रही है और जो उचित कार्यवाही है, उस पर किसी प्रकार की ढील नहीं दी जायेगी ।

श्री जयशंकर पाण्डेय--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन के नेतृत्व में कोई बैठक बुलाई गई थी ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन सी चीजें तय की गई थीं और उन पर अभी तक क्या-क्या कार्यान्वयन हुआ है ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपका बैठक से मतलब त्रैमासिक या मासिक बैठकों से है ?

श्री जयशंकर पाण्डेय--

जी नहीं, मेरा मतलब है कि साकेत महाविद्यालय में ला एण्ड आर्डर की गिरती हुई स्थिति के सम्बन्ध में है । वहां पर सैकड़ों विद्यार्थी कट्टा लेकर घूमते हैं, इस प्रकार फैजाबाद, अयोध्या में जनजीवन असुरक्षित होने के वातावरण में जिलाधिकारी, फैजाबाद और पुलिस प्रशासन के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई गई थी, तो मैं जानना चाहता हूं कि उसमें कौन-कौन से मुद्दे तय किये गये थे और उन पर क्या-क्या कार्य अमल हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपने पहले साकेत महाविद्यालय का जिक्र किया है । इसलिए अगर कोई बैठक हुई है तो आप बता दें ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

जो बैठक हुई है, उसका पूरा विवरण मेरे पास उपलब्ध नहीं है । लेकिन जहां तक मैंने निवेदन किया कि विद्यार्थी नेताओं से इस सम्बन्ध में संपर्क किया गया है । जिलाधिकारियों के जरिये से विद्यार्थी नेताओं से वार्ता की बात हुई है । जो हस्तक्षेपीय अपराध हैं विद्यार्थियों के खिलाफ उनमें गिरफ्तारियां की जा रही हैं और जो ऐसे अपराध हैं, जिनकी रोकथाम करना अनिवार्य है, उसमें उचित कार्यवाही की जा रही है और पुलिस व्यवस्था वहां पर ठीक कर दी गई है ।

बलिया जिले के चितबड़ा गांव में श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल के मकान पर डकैती

*8-श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) (अनुपस्थित) तथा श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)--

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि 23 अप्रैल, 1979, 7-55 बजे बलिया जनपद के चितबड़ा गांव नगर में जनपद के सुप्रसिद्ध व्यवसायी श्री राम, राजेन्द्र कुमार के घर में घुसकर लगभग दो सौ आततायियों ने फर्म के स्वामी की निर्दयता पूर्वक हत्या कर भारी लूट-पाट की जिसकी प्रथम सूचना रपट सम्बद्ध थाने में दर्ज है ? क्या यह सही है कि आततायी परिवार के अन्य सदस्यों की भी हत्या करने के लिये सन्नद्ध हैं ? यदि हां, तो सरकार उच्चस्तरीय गुप्तचर जांच करायेगी ?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 23-4-79 को 20.45 बजे श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल ने थाना नरही (जनपद बलिया) पर सूचना दी कि उसी दिन लगभग 8 बजे रात्रि वे व उनके पिता श्रीराम अग्रवाल मुनीम के साथ बैठकर

हिसाब कर रहे थे, सामने का दरवाजा खुला था कि उसी समय 7–8 आदमी तमंचा, रिवाल्वर, चाकू से लैस होकर दरवाजे पर आये। उनमें से 3 आदमी अन्दर घुस आये व शेष दरवाजे पर खड़े हो गये तथा एक व्यक्ति ने चाकू से उनके पिता पर वार किया। इसी बीच बाकी पीछे वाले दरवाजे से अपने मकान में भाग गया व शोर किया तो डकैत फायर करने लगे। शोर व फायर की आवाज सुनकर कुछ लोग लाठी बन्दूक लेकर फायर करते हुए आ गये तो डकैत कैश बाक्स से तीन–चार हजार रुपया लेकर भाग गये। डकैतों के मारने से उनके पिता की मृत्यु हो गई।

उक्त सूचना पर थाना नरही पर एक अभियोग धारा 396 भा० द० वि० के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया और विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना से प्रकाश में आये एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है।

उक्त मामले की उच्चस्तरीय गुप्तचर जांच की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

श्री गुरु प्रसाद—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित अभी भी जिसके यहां डकैती पड़ी उसको मारने के लिये फिर साजिश में हैं तो क्या उनकी रक्षा की व्यवस्था की ओर शासन द्वारा प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, जहां तक वहां की स्थिति का सवाल है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जनता में वहां कोई आतंक या भय नहीं है। जहां तक इस परिवार की सुरक्षा का सवाल है उसके लिए पुलिस की व्यवस्था कर दी गई है।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां पर डकैतियां पड़ती हैं, वहां पर अतलहा इस्तेमाल होते हैं, उसमें लाइसेन्सधारी भी होते हैं और गैर–लाइसेन्सधारी भी होते हैं। जिनके नाम लाइसेन्स हैं उनके नाम कई डकैतियों में शामिल किये जा चुके हैं किन्तु गवाहियां न पेश होने के कारण वह अदालत से छूट जाते हैं....

श्री उपाध्यक्ष—

आप भाषण न करें, कृपया प्रश्न पूछें।

श्री नाथूराम शिक्षक—

तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिनके नाम अतलहे हैं किन्तु वे अदालतों से सजा नहीं पा सके तो उनके अतलहे कैंसिल करने की कोई व्यवस्था वह सोच रहे हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

जिसके यहां डकैती पड़ी है, उसको अब भी खतरा बना हुआ है, तो क्या इसको ध्यान में रखते हुए, उसके आश्रित परिवार के सदस्यों को शैडो देने की मंत्री जी कृपा करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री देवबहादुर सिंह--

मंत्री जी ने बताया कि एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है तो इस एफ० आई० आर० में कितने व्यक्तियों के नाम हैं और जो गिरफ्तार नहीं किये गये हैं, उनको गिरफ्तार न करने का कारण क्या है और कब तक गिरफ्तार कर लिये जायेंगे ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

प्रथम सूचना में कोई किसी का नाम नामांकित नहीं है । वह तो विवेचना के दौरान एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और उसे भेजा गया है और जांच जारी है । शेष लोगों के बारे में अभी क्या बताया जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप यह पूछते कि जो एफ० आई० आर० थी, उसमें कितने आदमी थे ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

उसमें सिर्फ संख्या दी है कि 7-8 व्यक्ति थे । उसमें यह भी लिखा है कि जो व्यक्ति आए थे, वो मेरे पिता का नाम लेकर उन्हें पूछ रहे थे । फिर भी रिपोर्टकर्त्ता ने रिपोर्ट में कोई नाम नहीं बताया है और न किसी पर शंका ही व्यक्त की है ।

श्री देव बहादुर सिंह--

विवेचना में किस-किस के नाम की जानकारी हुई है ? यदि हुई है, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

अभी तक की विवेचना में केवल एक नाम ओम प्रकाश सिंह सामने आया है । यह 19-5 को आया और 20-5 को उसकी गिरफ्तारी हो गयी ।

श्री हिम्मत सिंह--

जैसा कि अभी एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया, तो उनके सुरक्षा की दृष्टि से क्या सुरक्षा व्यवस्था कर दी गयी है ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

एक आर्म गार्ड की वहां व्यवस्था कर दी गई है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

## सिसवा बाजार, एन० ई० रेलवे के प्लेट फार्म पर पी० ए० सी० द्वारा चलाई गयी गोली एवं मृतकों के परिवार को दिया जाने वाला मुआवजा

*1--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 21 अप्रैल, 1977 को सिसवा बाजार, एन० ई० रेलवे के प्लेटफार्म पर रात्रि 9 बजे घटित घटना, जो पी० ए० सी० के जवानों द्वारा गोली चलाने पर श्री उमेश जायसवाल, नर्वदा सिंह,

जलधारी यादव की घटना-स्थल पर मृत्यु होने होने पर उनके परिवार को 5,000 रु० (पांच-पांच हजार रुपये) की धनराशि दिये जाने की सरकारी घोषणा की गयी थी, उक्त धनराशि अब तक उन मृतक परिवारों को न मिलने का क्या कारण है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रश्नकर्ता द्वारा भी इस सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार किये गये, किन्तु उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

इस सम्बन्ध में शासन की ओर से मृतकों के परिवार जनों को पांच-पांच हजार रुपये की धनराशि दिये जाने की कोई घोषणा नहीं की गयी थी वरन् यह कहा गया था "मुआवजा देने की बात है" । मृतकों के परिवार जनों को मुआवजा देने का प्रश्न अभी शासन के विचाराधीन है ।

इसी सम्बन्ध में माननीय सदस्य का एक पत्र दिनांक 27-7-1978 तत्कालीन गृह मंत्री जी को प्राप्त हुआ था और यह विषय अभी भी शासन के विचाराधीन है ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

सरकार ने पुलिस द्वारा गोली चलाने की बात को स्वीकार कर लिया है । इस बात को मानने के बावजूद भी यह कहा गया है कि घोषणा नहीं की गयी है, केवल मुआवजा देने की बात है, तो तत्कालीन सरकार के मुख्य मंत्री ने जनता के प्राण की कीमत केवल 5 हजार रुपया रखी है, तो यह रुपया कब तक उस परिवार को दे दिया जाएगा ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

ऐसा कोई नियम या कानून नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो गोली से मारा जाए, तो उसके आश्रित को 5 हजार रुपया दे दिया जाए । प्रश्न यह है कि जो व्यक्ति मरा है, क्या वह निर्दोष था और उसके साथ सहानुभूति की जा सकती है । चूंकि मामला सी० आई० डी० के विचाराधीन है, जो पी० ए० सी० की गोली से व्यक्ति मरे उनका दोष कितना था, कैसे झगड़ा हुआ, चूंकि पूरा मामला सी० आई० डी० की विवेचना के अधीन है। अगर सी० आई० डी० की रिपोर्ट में यह बात आती है कि निर्दोष व्यक्ति थे, लेकिन अगर यह बात आती है कि दोषी व्यक्ति थे और उन्होंने कोशिश की कि पी० ए० सी० की बन्दूकों को छीन लें, तो किसी प्रकार सहानुभूति के पात्र नहीं होते हैं । इसलिए कोई कानून या नियम का सवाल नहीं है । प्रश्न सिर्फ यह है कि जो लोग मरे हैं सहानुभूति के पात्र हैं या नहीं ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

मैं यह चीज साफ कर दूं कि इस घटना से सम्बन्धित नियम 51 की सूचना पिछले वर्ष आयी थी और माननीय मंत्री ने घोषणा की थी कि शासन द्वारा पांच-पांच हजार रुपया मृतक परिवार को दिया जायगा । नियम कानून की बात नहीं है । कार्यवाही भी देखेंगे । उसमें आश्वासन दिया गया था कि पांच-पांच हजार रुपया मृतक परिवारों को देंगे क्योंकि पुलिस की गोली से मारे गये ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसके बारे में...

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

क्या फिर से सदन को आश्वासन देंगे, इसको विचाराधीन रखा, उनको आर्थिक सहायता की आवश्यकता है इसकी घोषणा करेंगे कि पांच-पांच हजार रुपया दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें वह कह चुके हैं कि सी० आई० डी० के विचाराधीन यह मामला है ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

जो आर्थिक सहायता की बात है उसके बारे में स्पष्ट घोषणा कर दें, कब तक आश्वासन विचाराधीन रहेगा, सी० आई० डी० का मामला अलग है । मृतक परिवारों को सहायता देने की बात है । कब तक दे देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह पूछें, पत्रावली आपके पास होगी इस तरह की कोई घोषणा सरकार की तरफ से हुई कि पांच-पांच हजार रुपया दिया जायगा ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

न इस प्रकार का कोई आश्वासन दिया गया था और न इस प्रकार की घोषणा थी । सिर्फ यह कहा गया था कि मुआविजा देने की बात है । वह तो अभी यह नहीं है कि मुआविजा दे ही दिया जायगा । बात है, अभी विचाराधीन है ।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल (जिला आगरा)--

माननीय सदस्य ने बताया कि इस सदन में ही आश्वासन दिया जा चुका है नियम 51 के अन्तर्गत कि उसको मुआविजा पांच हजार दिया जायगा । क्या इसको दिखलवा देंगे कार्यवाही में आश्वासन है ? अगर आश्वासन दिया गया था तो दिलाने का कष्ट करेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

इसको दिखवा लिया गया है, आश्वासन के मामलों को जो यहां पर देखते हैं, उनसे भी इस सम्बन्ध में बात कर ली गयी है कि क्या इस प्रकार का आश्वासन देने की बात है, उन्होंने बताया कि वह आश्वासन में नहीं आता है । जहां तक घोषणा का सवाल है संबंधित अनुभाग से जानकारी ले ली थी । वह भी पता चला कि नियम 51 की तहत स्टेटमेंट दिया गया था । जो स्पष्टीकरण में उत्तर दिये गये न घोषणा थी न आश्वासन था ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस घटना की विवेचना सी० आई० डी० को कब सौंप दी गयी और कोई सी० आई० डी० की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आयी है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

17 मई, 1978 को अपराध अनुसंधान शाखा को मामला सौंप दिया गया था। अभी तक इसकी प्रथम अन्तरिम रिपोर्ट 4-8-78 को और दूसरी भी प्राप्त हो गयी है। लेकिन अभी कोई अन्तिम रिपोर्ट नहीं दी है। उन्होंने यह बताया कि मरने वालों में जो दो व्यक्ति ऐसे हैं जो पहले से अपराधी प्रवृत्ति के रहे हैं। जब अन्तिम निर्णय आ जायगा तब शासन विचार करेगा।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

मैं जानना चाहूंगा कि क्या जिला अधिकारी गोरखपुर ने पांच-पांच हजार रुपया उन सिपाहियों की गलती को देख कर देने की रिपोर्ट दी है ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

जी हां, यह बात सही है कि जिलाधिकारी ने इस प्रकार की संस्तुति की थी।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य--

मान्यवर, यह मामला बहुत ही गम्भीर है। अभी तक मंत्री जी कहते रहे हैं कि कोई इस प्रकार का आश्वासन नहीं दिया गया है। जिलाधिकारी की संस्तुति का मतलब है कि जब उन्होंने समझ लिया कि ज्यादती हुई है, तो उन्होंने 5-5 हजार रुपये देने की संस्तुति की। यह मामला 1977 का है और उसी समय जिलाधीश ने संस्तुति की है और शासन की ओर से उत्तर आ रहा है कि यह प्रश्न विचाराधीन है कि मुआवजा दिया जाय या न दिया जाये। यह बड़े अन्याय की बात है कि इस तरह से लोग सताये जायें और जिलाधिकारी की संस्तुति की जाये और फिर भी इस पर ध्यान न दिया जाय, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह स्पष्ट करें कि जिलाधिकारी ने क्या संस्तुति की है और किस तारीख को उनकी संस्तुति शासन को प्राप्त हुई है ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

यह जब शुरू में घटना हुई थी तभी जिलाधीश ने अपनी संस्तुति पूरी आख्या के साथ भेजी थी और उसके बाद सी0 आई0 डी0 में जांच चली गयी। जिलाधीश की संस्तुति थी और कुछ अन्य लोगों की संस्तुति थी लेकिन शासन तो उन्हीं लोगों को मुआवजा देता है जो सहानुभूति के पात्र होते हैं।

## एटा जिले के ईंट भट्ठे को कोयले का आवंटन

*2--श्री मानपाल सिंह एडवोकेट (जिला एटा) (अनुपस्थित)--

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा में वर्ष 1978-79 में कुल कितना टन कोयला आवंटन किया गया तथा आवंटित कोयले में से कितने कोयले की सप्लाई की गयी ? क्या यह सही है कि कोयले के अभाव में सरकारी कार्यों के हेतु समुचित मात्रा में ईंट उपलब्ध न होने के कारण निर्माण कार्य ठप्प है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या प्रभावशाली कदम उठाने जा रही है ?

उप मुख्य मंत्री ( श्रीराम नरेश यादव)--

औद्योगिक इकाइयों को स्टीम कोयले का आवंटन उद्योग निदेशक द्वारा कैलेन्डर इयर (जनवरी से दिसम्बर तक) के लिए किया जाता है। ईट भट्ठों को स्लैक कोयले की सप्लाई खाद्य एवं रसद विभाग (डी० एस० ओ०) द्वारा की जाती है।

जहां तक औद्योगिक इकाइयों को कोयले के आवंटन का सम्बन्ध है, एटा जनपद में वर्ष 1978 म 231 वैगन तथा वर्ष 1979 में 345 बैगन कोयले का आवंटन किया गया। वर्ष 1978 में 114 बगन तथा वर्ष 1979 में अप्रैल तक 41 वैगन प्राप्त हुये।

जहां तक ईट भट्ठों को कोयले की सप्लाई का सम्बन्ध है वर्ष 1978-79 में 31 रेक नियमित कोटे में तथा 6.2 अतिरिक्त कोटे म आवंटित की गई थी जिसके विपरीत 13 बाक्स 136 फोर-व्हीलर स्लेक कोल प्राप्त हुआ।

जनपद एटा में आवश्यकतानुसार कोयला प्राप्त न होने के कारण वहां ईटों का अभाव रहा है, परन्तु सरकारी निर्माण कार्य ठप होने का कोई दृष्टान्त सामने नहीं आया है।

## गोरखपुर के पत्रकार, श्री विनय कुमार शाही के विरुद्ध आर्म्स् ऐक्ट का अभियोग

*3--श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर के पत्रकारों ने पुलिस उत्पीड़न के विरोध में 29 जनवरी, 1979 के संघर्ष की सूचना जिलाधिकारी गोरखपुर को दी थी ? यदि हां, तो उनकी समस्यायें क्या हैं, उनके आरोप क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने में क्या कठिनाई है ? क्या सरकार शीघ्र कदम उठा कर तथा आरोपों की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास--

जी हां। पत्रकारों के एक दल ने जिलाधिकारी से मौखिक रूप से जनवरी, 1979 के प्रथम सप्ताह में राजघाट की पुलिस द्वारा श्री विनय कुमार शाही, पत्रकार को धारा 25 आर्म्स् ऐक्ट के अन्तर्गत द्वारा झूठा फंसाये जाने की एवं संघर्ष की बात कही थी। कार्यवाही करने में जिला प्रसाशन को कोई कठिनाई नहीं हुई और उन्हे जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से यह आश्वासन मिल गया कि उक्त मामले म किसी वरिष्ठ पुलिस अधकारी से जांच करायी जायेगी। जांच से धारा 25 आर्म्स् ऐक्ट के अन्तर्गत मामला प्रथम दृष्टया सही पाया गया। मामला अब न्यायालय में विचाराधीन है। चूंकि कोई पुलिस कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया अतः उन्हें दंडित करने का प्रश्न नहीं उठता।

## आपात स्थिति में अधिकारियों द्वारा अधिकार का दुरुपयोग किये जाने के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*4--श्री जयशंकर पांडेय तथा श्री केशरीनाथ त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आपात स्थिति के समय बिना किसी अपराध के बन्द करने तथा जनता को परेशान करने के आरोप में कितने आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है तथा कितने अधिकारी दोषी पाये गये हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

आपात् स्थिति के समय अधिकारियों द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग इत्यादि को शिकायत से सम्बन्धित बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त शिकायती पत्रों पर अभी जांच और छानबीन जारी है। इनके समाप्त होन के पश्चात् ही दोषी पाये गय आई० ए० एस० या आई० पी० एस० अधिकारियों की संख्या ज्ञात हो सकेगी और उनके विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करन का प्रश्न उठेगा।

श्री जय शंकर पाडेय--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों के खिलाफ कब तक जांच चलेगी और इसका प्रतिफल कब तक मालूम हो जायेगा ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

मान्यवर, इसमें तो समय लगेगा। एक अधिकारी तो हैं ही शाह कमीशन उनको जो दरख्वास्तें दी गयी हैं उन्होंने ऐसी दरख्वास्तें जिनकी शासन स्तर पर जांच हो सकती है, उसके लिए लिखा है। ऐसी दरख्वास्तें 10 हजार के लगभग बैठेगी और दूसरी ज्यादा बैठेंगे। तो इसमें समय लगेगा।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कि यह जो आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारी हैं, उनके खिलाफ इमरजेन्सी के दौरान ज्यादतियां करने के आरोप हैं और जांच चल रही है। पी० एस० पूनिया नाम के अधिकारी जिला जालौन में कलेक्टर थे और उनके खिलाफ सी० आई० डी० की जांच चल रही थी और जांच के दौरान ही उनको देवरिया भेज दिया गया और उसके बाद बुलन्दशहर भेज दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इसको इजाजत नहीं देता हूं।

श्री जयशंकर पाण्डेय--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिन अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है क्या उनको मुअत्तल करने पर शासन विचार कर रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष--

अभी तो कोई कार्यवाही करने का सवाल नहीं है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री श्रीराम द्विवेदी--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बरेली जिले के कलेक्टर माता प्रसाद जिन्होंने दो छात्र नेताओं के हाथ की उंगलियों के नाखून निकलवा लेने के आरोप में सस्पेंड कर दिए गये थे, तो उनको किस आधार पर बहाल किया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न इससे नहीं उठता है । यह प्रश्न आप अलग से कर लीजिए । जब वे तादाद नहीं बता पाये तो तफसील में कैसे जा सकते हैं ?

श्री देव कुमार--

माननीय मंत्री जी ने एक बड़ी तादाद बतायी और इससे भी ज्यादा हो सकती है । इनके शासन को 2 वर्ष से ज्यादा हो गये हैं, तो क्या अभी तक भी किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मैंने निवेदन किया कि अभी तो जांच चल ही रही है । ऐसी शिकायतें भारत सरकार के गृह मंत्री से जो प्राप्त हुई हैं, उनकी संख्या 35,000 है और शाह जांच आयोग द्वारा जो आयी हैं, उनकी संख्या 10,000 है । इस प्रकार से शाह जांच कमीशन ने जिस प्रकार के मापदंड निर्धारित किए हैं, उनका वर्गीकरण 5 श्रेणियों में किया गया है । (1) परिवार नियोजन सम्बन्धित ज्यादतियों, जबरन नसबन्दी उत्पीड़न आदि, (2) अधिकारों का दुरुपयोग, अनिवार्य सेवा निवृत्ति, निलंबन, सेवा समाप्ति, (3) मीसा । डिसिर तथा अन्य कानूनों के अन्तर्गत गिरफ्तारियां, (4) नगरों के सुन्दरीकरण अथवा अतिक्रमण के नाम पर भवनों की तोड़फोड़ की अवैध कार्यवाहियां, तथा (5) दुर्व्यवहार, जेल में उचित श्रेणी, चिकित्सा आदि की व्यवस्था न करना । और इसी आधार पर हमारा जो जांच अधिकरण है, उसके जरिये से और मंडल युक्तों के जरिये से और अन्य विभिन्न एजेन्सियों द्वारा जांच करायी जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

इनका जो प्रश्न है वह केवल आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० अधिकारियों के बारे में है, सारी ज्यादतियों के बारे में नहीं है । ऐसे कितने आई० पी० एस० और आई० ए० एस० अधिकारी हैं, जिन्होंने ज्यादतियां की हैं और जिनके विरुद्ध कार्यवाही हो रही है, उसकी संख्या इन्होंने पूछी है ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जो शिकायतें राज्य सरकार को सीधे प्राप्त हुई हैं, वे अधिकतर विभागीय सचिवों, मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री जी तथा अन्य मंत्रियों को सम्बोधित हैं । शिकायतें विभिन्न प्रकार की हैं और यह देखा गया है कि एक ही शिकायत में अनेक घटनाओं को तथा अनेक स्तर के अधिकारियों की शिकायत की गयी है । ऐसी स्थिति में यह बताना सम्भव नहीं है कि उनमें से कितनी और कौन-कौन शिकायतें किन-किन आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० अधिकारियों के खिलाफ की गयी हैं ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या यह सही है कि आपातकालीन स्थिति में आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों का स्थानान्तरण इस आधार पर किया है क्योंकि उन्होंने आपातकालीन स्थिति में ज्यादतियां की थीं और शिकायतें प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो वे कितने हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न नहीं उठता। उन्होंने साफ बता दिया है कि वे संख्या नहीं बता सकते हैं।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, प्रश्न साफ है कि कितने आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों के खिलाफ जांच हो रही है, तो उसका उत्तर माननीय मुख्य मंत्री के पास नहीं हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस सरकार को गद्दी नशीन हुए 2 वर्ष का समय हो गया है, लेकिन फिर भी इनको उनकी संख्या ज्ञात नहीं है कि कितने आई० पी० एस० और आई० ए० एस० अधिकारियों ने ज्यादतियां की हैं ?

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सब को बकवास समझ कर इस तरह की जांच खत्म करायेंगे ?

श्री रमाशंकर कौशिक--

जांच की जो शिकायतें हैं वे कई स्तर पर प्राप्त हुई हैं और उनमें कई तरह के आरोप हैं। अब यह पता लगाना कि कौन व्यक्ति दोषी है, यह कोई आसान काम नहीं है।

## कृष्णा गृह निर्माण योजना, यशोदानगर, कानपुर के विकास व्यय की दर

*5--श्री मोती राम (जिला कानपुर)--

क्या आवास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर शहर में मछरिया गांव के पास यशोदा नगर नामक कालोनी बनाने वाले व्यक्तियों को शासन ने दस लाख वर्ग मीटर खाली भूमि की लैन्ड सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत माफ दी है और अभी और भूमि को माफी देना विचाराधीन है ? यदि हां, तो किन कारणों से ? क्या यह सही है कि इस भूमि पर विकास कर केवल 4 रुपया प्रति वर्ग मीटर लगाया गया है, जब कि विकास प्राधिकरण की विकास दर इसके मिली भूमि पर 30 रुपये से 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी नहीं। कृष्णा गृह निर्माण योजना, यशोदानगर कानपुर कालोनाइजर को 12,58,881.84 वर्ग मीटर भूमि की छूट अधिनियम, 1976 की धारा 20 के अन्तर्गत 26 फरवरी, 1976 में प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त इनका कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न के दूसरे अंश का आशय सम्भवतः डेवलपमेन्ट चार्जेज से है। इस कालोनी के सम्बन्ध में वाह्य विकास की दर 20,000 रुपये प्रति एकड़ अर्थात् 3.45 रु० प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गई थी। इस कालोनी से मिले हुए क्षेत्र की वाह्य विकास व्यय की दरें 15000 रु० प्रति एकड़ अर्थात् लगभग समान ही रही है। वर्तमान में विकास व्यय की दर 30,000.00 रुपया प्रति एकड़ है।

नोट :--नियम 38 (2) के तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उपरान्त प्रश्नोत्तर काल का समय समाप्त हो गया।

## श्री प्रेम नारायण अहेरवार, विधायक का कानपुर की फर्जी औद्योगिक इकाइयों के संबंध में कथित पत्र

*6—श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर) तथा श्री प्रेम नारायण अहेरवार (जिला झांसी)—

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 15 दिसम्बर, 1978 को विधायक श्री प्रेम नारायण अहेरवार द्वारा कानपुर के फर्जी औद्योगिक इकाइयों एवं उप अधीक्षक आर्थिक अनुसंधान शाखा, लखनऊ के विरुद्ध एवं मेसर्स पी० के० रबर इन्डस्ट्रीज की कानपुर, बलिया, हरदोई एवं झांसी की फर्जी इकाइयों के विरुद्ध कोई प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो अभी तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो कब तक इन फर्जी इकाइयों से सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे ?

श्री राम नरेश यादव—

श्री प्रेमनारायण अहेरवार विधायक का दिनांक 15-12-78 का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अतः प्रश्न के शेष भाग में उल्लिखित कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के द्वितीय सत्र 1979 के तीसरे मंगलवार (29-5-79) को श्री शम्भूनाथ चौधरी के तारांकित प्रश्न संख्या 7 का संशोधित उत्तर :

| मूल प्रश्न | मूल उत्तर |
|---|---|
| 7—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि केन्द्र सरकार ने राज्यों को वर्ष 1979 में निदेशन किया है कि वे अपने अपने राज्यों में तेल (पेट्रोल) की खपत में कमी करें किन्तु उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रि परिषद् के सदस्यों ने अप्रैल सन् 1979 में विभिन्न जनपदों में सरकारी वाहनों और हेलीकाप्टर का प्रयोग अन्धाधुन्ध किया है जिससे तेल की खपत में काफी वृद्धि हो गयी है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या था ? | 7—जी नहीं। वाहनों एवं हेलीकाप्टर का प्रयोग आवश्यकतानुसार किया गया है। यह कहना सत्य नहीं है कि माह अप्रैल, 1979 में मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों द्वारा अन्धाधुन्ध सरकारी वाहनों का प्रयोग किया गया। अतः पेट्रोल की खपत में वृद्धि का प्रश्न नहीं उठता। |

बनारसी दास,
मुख्य मन्त्री।

संशोधित उत्तर

जी हां, पत्र प्राप्त हुआ है, परन्तु शासन के सदस्यों द्वारा वाहनों और हेलीकाप्टर का प्रयोग आवश्यकतानुसार ही किया गया है। इसका अन्धाधुन्ध प्रयोग नहीं किया गया। अतः अन्धाधुन्ध प्रयोग के कारण पेट्रोल की खपत में वृद्धि का प्रश्न नहीं उठता।

बनारसी दास,
मुख्य मन्त्री।

[दिनांक 5 जून, 1979 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

## राज्य सम्पत्ति विभाग, सचिवालय, के कर्मचारियों का कार्यकाल एवं मकानों का आवंटन

*1—श्री रणजीत सिंह (जिला देहरादून) तथा श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सम्पत्ति विभाग में कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो गत 10 वर्षों से अधिक समय से उसी अनुभाग में कार्यरत हैं और उनमें से कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो स्वयं रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट के अधीन आवंटित अथवा सरकारी मकानों में रह रहे हैं ? और उनके परिवार के निकट सम्बन्धियों (पत्नी एवं पुत्र) के नाम दूसरे सरकारी आवास भी आवंटित हैं ? क्या सरकार पूर्ण ब्योरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसी दास—

राज्य सम्पत्ति विभाग में सचिवालय संवर्ग के चार ऐसे कर्मचारी हैं जो एक ही अनुभाग में दस वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं। इनमें एक प्रवर वर्ग सहायक तथा दो सन्दर्भ लिपिक तथा एक लेखाकार हैं। इन चार कर्मचारियों में से दो कर्मचारी (एक प्रवर वर्ग सहायक तथा दूसरा सन्दर्भ लिपिक) रेन्ट कन्ट्रोल के मकान में रहते हैं। इन दोनों कर्मचारियों में से किसी के नाम इस समय सरकारी आवास आवंटित नहीं हैं।

## वाराणसी मण्डल के आयुक्त श्री कौशल किशोर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*2—श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

क्या मुख्य मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि वाराणसी मन्डल के आयुक्त, श्री कौशल किशोर के विरुद्ध वर्ष 1977 से अब तक भ्रष्टाचार, चरित्र हीनता, अनियमित कार्य करना तथा शराब पीकर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करना, घूस खोरी इत्यादि की अनेकों शिकायतें शासन को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो, इनको तत्काल मन्डल आयुक्त के पद से हटाकर जिस पर यह लगातार 6 वर्षों से कार्य कर रहे हैं शासन इनके आरोपों की जांच कराकर दन्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

श्री के० किशोर भूतपूर्व आयुक्त, वाराणसी मण्डल वाराणसी के विरुद्ध कुछ शिकायती पत्र प्राप्त हुये हैं। शिकायत कर्ताओं से पूर्ण विवरण मांगा गया है। तत्पश्चात् विवरण प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। श्री के० किशोर अब मण्डलायुक्त, वाराणसी के पद पर कार्य नहीं कर रहे हैं।

*3—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[8-5-79 को अतारांकित प्रश्न संख्या 28 द्वारा उत्तरित]

## नैनीताल झील में प्रोटोमेजितान पेकिन्तस नामक घास की उत्पत्ति की जांच रिपोर्ट

*4—श्री अशफाक अहमद खान (जिला बरेली)—

क्या शासन को इस बात की जानकारी है कि नगर प्रशासन द्वारा नैनीताल झील में प्रोटोमेजितान प्रेकिन्तस नामक खतरनाक घास के तेजी से बढ़ने की तथा इसके फलस्वरूप नगर एवं निकटवर्ती पर्वत श्रेणियो की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है ? यदि हां, तो इस खतरे से निपटने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

पर्वतीय विकास मन्त्री (श्री आबिद अली)—

नैनीताल झील में प्रोटोमेजितान पेकिन्तस नामक वनस्पति के उगने तथा अन्य समस्याओं की जांच करने हेतु शासन द्वारा एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन मई, 1976 में किया गया था। अपनी रिपोर्ट में इस घास के उगने के फलस्वरूप उत्पन्न भ्रान्तियों का खण्डन करते हुये इस समिति द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि इस वनस्पति के कारण भविष्य में भूचाल आदि की संभावना नहीं है।

*5—श्री गनेशी लाल चौधरी तथा बाबा लालदास—

[6ठें मंगलवार के लिए स्थगित]

6—श्री सोहनवीर सिंह तोमर, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्रीमती पुष्पा तलवार—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

## इलाहाबाद जिले के ग्राम हथिया भीटी के श्री सत्य नारायण एवं श्री छब्बू लाल द्वारा डाकुओं की हत्या

*7—श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा (जिला इलाहाबाद) तथा श्री दीनानाथ सेवक (जिला रायबरेली)—

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के थाना कोखराज के ग्राम हथियाभीटी में अगस्त, 1978 को चार डाकुओं को मार डालने तथा अन्य कई डाकुओं को घायल कर दिए जाने पर दो भाइयों, श्री सत्य नारायण एवं श्री छब्बू लाल को वीरता प्रमाण-पत्र तथा दो बन्दूकें देकर स्थानीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं भदरी नरेश ने एक सार्वजनिक सभा में पुरस्कृत किया था ? यदि हां, तो क्या उन दोनों भाइयों द्वारा दिया गया गन के लाइसेन्स के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया है ?

श्री बनारसीदास—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*8— श्री उदय नारायण सिंह—

[9-5-79 को वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त]

## शासन द्वारा किराए पर लिया गया हजरतगंज, लखनऊ का बहुखण्डी भवन एवं उसका किराया

* 9—श्री बाबूलाल वर्मा, श्री औसान सिंह (जिला इटावा) तथा श्री राम जी (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हजरतगंज में बहुखण्डी भवन किराये पर शासन ने अपने कार्यालय खोलने के लिए ले लिया है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि प्रतिवर्ष किराये के रूप में तथा बिजली, पानी, टेलीफोन, आदि अन्य मदों पर शासन को खर्च करना पड़ेगा ?

श्री बनारसी दास—

जी हां, प्रतिवर्ष किराये के रूप में 15,28,260 रुपये, जल सम्पूर्ति कर के रूप में 1,22,260 रुपये तथा जल निस्तारण कर के रूप में 30,565 रुपये खर्च करना पड़ेगा । साथ ही बिजली व्यवस्था पर 2,65,000 रुपये, टेलीफोन पर 1,36,000 रुपये तथा रूम कूलर्स एवं वाटर कूलर्स के रख रखाव-पर 35,000 रुपये वार्षिक व्यय अनुमानित है ।

* 10—श्री राम सिंह—

[5वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## प्रदेश की राजकीय सेवा के लिए आयु सीमा पर विचार

*11—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री गोकरन प्रसाद (जिला सीतापुर) तथा श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा राजकीय सेवा में प्रवेश अधिकतम आयु सीमा में कुछ वर्षों की वृद्धि करने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसपर निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री बनारसी दास—

प्रश्न विचाराधीन है तथा इस मामले में शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की आशा है ।

*12—श्री गुरु प्रसाद—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

## शाहजहांपुर के मुहल्ला बहादुरगंज के श्री नन्द किशोर खण्डेलवाल के मकान की नीलामी के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

*13—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार बतलायेगी कि दिसम्बर, 1975 में शाहजहांपुर जिले के जिलाधीश, हाकिम परगना सदर, तहसीलदार व नायब तहसीलदार सदर तहसील ने श्री नन्द किशोर खण्डेलवाल के मकान व केक मुहल्ला बहादुरगंज, शाहजहांपुर को किसी तीसरे आदमी पर बाकी सेल्स टैक्स के मुतालबे में नीलाम कर दिया था जिसकी शिकायत श्री नन्द किशोर खंडेलवाल ने प्रश्नकर्ता की मारफत जनवरी, 1976 में

उस वक्त के विजिलेन्स सेक्रेटरी को लिखित दी थी ? क्या उसकी जांच हुई थी ? यदि हां, तो उस जांच में क्या हुआ ? और इसी सम्बन्ध में फर्स्ट एडीशनल जज, शाहजहांपुर ने मुकदमा नम्बर 2/77 में जो रिस्ट्रक्चर इन अधिकारियों पर पास किये हैं उनके अनुसार इन अधिकारियों को निलम्बित न किये जाने का आधार क्या है ?

श्री बनारसी दास—

जी हां, इस सम्बन्ध में सतर्कता जांच जारी है। फर्स्ट एडीशनल जज, शाहजहांपुर द्वारा मुकदमा संख्या 2/77 में दिये गये निर्णय की अप्रमाणित प्रतिलिपि श्री खडेलवाल से हाल ही में प्राप्त हुई है। प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। उसके प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

* 14—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[6ठे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 36 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*15—श्री संगम लाल—

[7वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## अर्थ एवं संख्या प्रभाग के संख्या सहायकों की ज्येष्ठता सूची

*16—श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अर्थ एवं संख्या प्रभाग के अन्तर्गत अधीनस्थ सेवा नियमावली बने 5 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है परन्तु अधीनस्थ सेवाओं के अन्तर्गत संख्या सहायकों की ज्येष्ठता सूची अभी तक तैयार नहीं की गई है ? ज्येष्ठता सूची के अभाव में संख्या सहायक से उच्च (ज्येष्ठमेशक तथा संख्याधिकारी, अर्थ अधिकारी) पदों पर पदोन्नति तथा तदर्थ नियुक्ति अनियमित रूप से की जाती रही है, जिससे सीधी भर्ती तथा विभागीय पदोन्नति के अभ्यर्थियों में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है ? क्या यह सही है कि ज्येष्ठता सूची के अभाव में ही अक्तूबर, 1975 से लागू होने वाला सेलेक्शन ग्रेड का वेतनमान किसी भी संख्या सहायक को, अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बनारसी दास—

सेवा नियमावली के अनुसार मई, 1975 तक के नियमित संख्या सहायकों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 5-6-75 को प्रसारित की जा चुकी है। मई, 1975 के पश्चात् के नियमित किये गये संख्या सहायकों की नियमानुसार अन्तरिम ज्येष्ठता सूची प्रसारित की जा चुकी है और सम्बन्धित कर्मचारियों से आपत्तियां आमंत्रित की गई है।

ज्यष्ठान्वेषक, संख्याधिकारी तथा अर्थ अधिकारी के पदों पर तदर्थ रूप से पदोन्नति करने में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गयी है।

अक्टूबर, 1975 से लागू होने वाला संख्या सहायक पद को सेलेक्शन ग्रेड में दिया गया है।

श्री आर० एन० त्रिवेदी, जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी (जिला लखनऊ) तथा श्री राम रतन सिंह (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीश फर्रुखाबाद (श्री आर० एन० त्रिवेदी) के खिलाफ सन् 1978 व 1979 में कितने शिकायती पत्र जनपद फर्रुखाबाद से प्राप्त हुये ? क्या श्री गुलाब सेहरा उपनेता कांग्रेस (आई०) विधान मण्डल ने श्री० आर० एन० त्रिवेदी, जिलाधीश, फर्रुखाबाद व श्री आर० डी तिवारी, उप पुलिस अधीक्षक, फर्रुखाबाद के खिलाफ दिनांक 12 मार्च, 1979 को मुख्य मंत्री को उच्च स्तरीय जांच कराने हेतु तीन प्रार्थना-पत्र दिये थे ? यदि हां, तो उनके आधार पर सरकार ने इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

उपलब्ध सूचना के अनुसार सन् 1978 तथा 1979 में शासन को जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद (श्री आर० एन० त्रिवेदी) के विरुद्ध 12 शिकायती-पत्र प्राप्त हुये हैं। उनमें श्री गुलाब सेहरा द्वारा भेजे गये दो पत्र दिनांक 12-3-79 भी सम्मिलित है जिनमें छिबरामऊ (जिला फर्रुखाबाद) में दिनांक 6-3-79 को हुये कांड की जांच कराने की मांग की गई थी। शासन द्वारा इस मामले में मेजिस्टोरियल जांच कराये जाने के आदेश दिये गये थे तथा जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

*18—श्री संग्राम सिंह तथा श्री अवधेश नारायण—

[6ठे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बांदा जिले के गांव परसौजा के श्री ननक सिंह की हत्या

*19—श्री राम सजीवन—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले के पहाड़ी थाने के गांव परसौजा की श्रीमती बाई विधवा ननक सिंह ने दिनांक 15 नवम्बर, 1978 को पुलिस कप्तान व जिलाधिकारी, बांदा को प्रार्थना-पत्र भेजकर सूचना दी थी कि उनके पति ननक सिंह की हत्या करके लाश गायब कर दी गई है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह भी सही है कि श्रीमती बाई ने 12 दिसम्बर, 1978 को गृह मंत्री उत्तर प्रदेश व मुख्य मंत्री को शिकायत भेजकर मामले की जांच सी० आई० डी० से कराने की प्रार्थना की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बनारसी दास—

जी हां, शिकायती-पत्र के आधार पर थाना पहाड़ी पर मुकदमा दरयाफ्त हाल पर कायम किया गया और विवेचना की जा रही है।

जी हां, श्रीमती बाई के 12-12-78 के प्रार्थना-पत्र पर जांच पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी के माध्यम से कराई गई। अब तक की जांच से प्रार्थना-पत्र में अंकित बातों की पुष्टि में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ है।

## ग्राम मिठेवार, जिला जालौन के श्री सुरेश चन्द्र की हत्या

*20—श्री राज किशोर तिवारी (जिला जौनपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिला जौनपुर, थाना सिकरारा, ग्राम मिठेवार के सुरेश चन्द्र नामक युवक को दिनांक 17–18 सितम्बर, 1977 को गला दबाकर जान से मार डाला गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित घटना के बारे में मृतक के भाई द्वारा दिनांक 18–9–1977 को थाना सिकरारा, जिला जौनपुर में दी गई सूचना पर नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 147/302, भा० द० वि० का अपराध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई । विवेचारोपरान्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया । सत्र न्यायालय द्वारा 12–3–1979 को अभियोग निर्णीत किया गया ।

## अपराध अनुसंधान विभाग (सी० बी० सी० आई० डी०) के इन्सपेक्टरों का विशेष सेवा भत्ता

*21—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सरकार को जानकारी है कि अपराध अनुसंधान विभाग (सी० बी० सी० आई० डी) के लगभग चालीस इन्सपेक्टर विशेष कार्य भत्ता (स्पेशल वर्किंग एलाउन्स) नहीं पाते हैं तथा उन्हें व्यक्तिगत अर्दली (पी० ओ० पी०) दिये जाते हैं ? यदि हां, तो विशेष कार्य भत्ता कब तक दिया जायेगा ?

श्री बनारसी दास—

अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग (सी० बी०, सी० आई० डी०) में केवल 18 इन्सपेक्टरों को विशेष सेवा भत्ता नहीं मिल रहा है क्योंकि इनके साथ अर्दली प्यून नियुक्त हैं । इन अर्दली प्यून के अन्यत्र समायोजन पर ही उक्त 18 इन्सपेक्टरों को विशेष सेवा भत्ता मिल सकेगा ।

## मेरठ के ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, श्री महेश प्रसाद माथुर के विरुद्ध शिकायती पत्र

*22—श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें मेरठ के कुछ अभिभाषकों का ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, मेरठ के विरुद्ध एक आरोप–पत्र फरवरी, 1979 के दूसरे सप्ताह में मिला था जिसमें ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी (एस० पी० पी०) के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाए गए हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बनारसी दास—

मेरठ के कुछ अभिवक्ताओं का स्थानीय ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी श्री महेश प्रसाद माथुर तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारीगण के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप सम्बन्धी एक शिकायती पत्र दिनांक 7 फरवरी, 1979 को प्राप्त हुआ है । अब तक हुई जांच से इन शिकायतों की पुष्टि नहीं हुई है ।

सदस्य विधान सभा के पत्रों के उत्तर दिए जाने के सम्बन्ध में राजाज्ञा

*23—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री गोकरन प्रसाद—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य सचिव के द्वारा कोई प्रपत्र 17 फरवरी, 1978 को जारी किया गया है जिसमें यह व्यवस्था दी गई है कि विधान मन्डल के माननीय सदस्यों द्वारा मांगी गई सूचना उन्हें एक सप्ताह के भीतर दे दी जाय ? यदि हां, तो स्पष्ट राजाज्ञा क्या है तथा क्या उसका परिपालन किया जाता है ?

श्री बनारसी दास—

17 फरवरी, 1978 के परिपत्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ।

स्पष्ट राजाज्ञा प्रस्तुत है ।

परिपालन सुनिचित करने के आदेश हैं ।

(देखिए नत्थी के आगे पृष्ठ 575 पर)

आगरा शहर के मोहल्ला हसनपुर के मन्दिर की भूमि पर कथित अनधिकृत कब्जा

*24—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि आगरा शहर के हसनपुर मोहल्ले में भूमि नं० 19/17 में बने मन्दिरों को गिराकर अनधिकृत रूप से कब्जा किए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 29 जून, 1978 को थाना लोहा मन्डी में श्री राम लाल, पुत्र श्री मुन्ना लाल, 21/33, लोहा मन्डी, बलदेवगंज द्वारा तहरीर दी गई है ? यदि हां, तो पुलिस ने उस तहरीर के आधार पर क्या कार्यवाही की ?

श्री बनारसी दास—

जी हां ।

प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों की जांच स्थानीय पुलिस द्वारा की गई । जांच से किसी हस्तक्षेपीय अपराध का होना नहीं पाया गया, न ही मन्दिर को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना पाया गया । उक्त मन्दिर की भूमि नं० 19/17 के सम्बन्ध में मुकद्दमा दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है ।

कलकत्ते के सनी पार्क में उत्तर प्रदेश निवास की स्थापना

*25—श्री बाबूलाल वर्मा, श्री रामजी, श्री औसान सिंह तथा श्री बाबू लाल सरोज (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के ठहरने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य अतिथि गृह की स्थापना के लिए 'वेस्ट बंगाल हाउसिंग बोर्ड' से सनी पार्क, कलकत्ता में कितने-कितने वेड्स के, कितने-कितने कक्ष के फ्लैट्स शासन द्वारा क्रय किए गए हैं ? तथा योजनागत एवं आयोजनेत्तर किसी धनराशि की व्यवस्था बजट वर्ष 1978-79 में की गई है ?

श्री बनारसी दास—

कलकत्ता में उत्तर प्रदेश निवास की स्थापना हेतु वेस्ट बंगाल हाउसिंग बोर्ड के द्वारा सनी पार्क में निर्मित बहुखण्डी भवन के छः फ्लैट्स क्रय किए गए हैं। फ्लैट्स के विवरण संलग्न तालिका में दिए हैं।

वित्तीय वर्ष 1978-79 के आय-व्यय में आयोजनागत मद में अनुदान संख्या 71 व 24 के अन्तर्गत क्रमशः रुपए 1,39,409 तथा रुपए 59, 400 की धनराशियों की व्यवस्था की गई।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 580 पर)

*26—श्री गनेशी लाल चौधरी तथा बाबा लाल दास—

[6ठें मंगलवार के लिए स्थगित]

27—श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी तथा श्री रामरतन सिंह—

[25-5-79 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 द्वारा उत्तरित]

## फैजाबाद में अकबरपुर स्थित स्पिनिंग मिल में स्टेपिल धागे के उत्पादन की बन्दी

*28—श्री अब्दुल हफीज (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में अकबरपुर स्पिनिंग मिल केवल इस लिए स्थापित हुई थी कि इसमें केवल स्टेपिल तैयार करके टाण्डा व जनपद के अन्य बुनकरों में तकसीम किया जावे ? क्या यह सत्य है कि उक्त मिल में स्टेपिल को तैयार करना बन्द कर दिया गया है जिससे बुनकरों में असन्तोष है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मिल में केवल स्टेपिल तैयार कराने की व्यवस्था करेगी ?

श्री राम नरेश यादव—

यह सही है कि जनपद फैजाबाद में अकबरपुर स्पिनिंग मिल में स्टेपिल धागा तैयार करने का निर्णय वर्ष 1973 में लिया गया था परन्तु स्टेपिल फाइबर की अनुपलब्धता के कारण इस मिल में सूती धागे के उत्पादन हेतु मशीनें लगाई गई। वर्ष 1977-78 में विदेशों से स्टेपिल फाइबर प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप इस मिल में कुछ स्टेपिल धागे का उत्पादन किया गया था परन्तु कच्चे माल के उपलब्ध न होने के कारण अप्रल, 1978 से स्टेपिल धागे का उत्पादन नहीं किया जा रहा है। स्टेपिल फाइबर की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हो जाने पर ही इस मिल में स्टेपिल धागा तैयार करने की व्यवस्था संभव हो सकेगी।

## ग्राम दौला बलिया बेरोनाग, जिला पिथौरागढ़ के हरिजनों का पेयजल योजना हेतु प्रार्थना-पत्र

*29—श्री हाकिम लाल (जिला मैनपुरी)—

क्या यह सही है कि ग्राम दौला बलिया बेरोनाग, जिला पिथौरागढ़ के हरिजन निवासी पेयजल के लिए वर्ष 1977-78 से मांग कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनके पेयजल की कठिनाई को शीघ्र दूर करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है और उक्त ग्राम में सरकार कब तक पेयजल की व्यवस्था करेगी ?

श्री आबिद अली—

जी हां, ग्रामवासियों से एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है । उक्त ग्राम की एक पेयजल योजना है, जो अतिग्रस्त अवस्था में है । उसका मरम्मत करके ग्रामवासियों को पेयजल शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए जल निगम द्वारा सह प्रबन्धक, कुमायूं जल संस्थान को निर्देशित कर दिया गया है ।

डा० सरन, अधीक्षक हृदय रोग संस्थान, कानपुर द्वारा लिखाई गई कथित गबन की रिपोर्ट

*30—श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 29 सितम्बर, 1978 को डा० सरन, अधीक्षक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर ने पुलिस स्टेशन, स्वरूप नगर, कानपुर में एक एफ० आई० आर० इस आशय की दर्ज कराई है कि हृदय रोग संस्थान, कानपुर में गबन हो गया है ? यदि हां, तो इस मामले की जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आए हैं और क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार डा० सरन, अधीक्षक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर द्वारा दिनांक 29-9-1978 को प्रश्न में उल्लिखित आशय की थाना स्वरूपनगर, कानपुर में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई ।

*31—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

[ पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ]

*32—श्री हुक्म सिंह परिहार—

[ 5वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 28 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ]

सहकारिता बैंक, महोली, जिला सीतापुर में अग्निकाण्ड

*33—श्री राम नारायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में वर्ष 1978 में कौन सी सहकारी बैंक लूटी गई थी और उसमें कितने धन का नुकसान हुआ तथा आज तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 12-12-78 को सीतापुर जिले की सहकारिता बैंक की महोली शाखा के रिकार्ड जलाये जाने की रिपोर्ट की गई थी । कोई वस्तु लूटी नहीं गई । मामले में विवेचना जारी है ।

*34—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[17-5-79 को वक्तव्य होने के कारण निरस्त ]

## श्री फकीर राम, अवकाश प्राप्त नायब सूबेदार, ग्राम जवाहर ज्योति दमुआ ढमा, जिला नैनीताल का भूमि संबन्धी प्रार्थना-पत्र

*35-श्री देव बहादुर सिंह--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको एक आवेदन पत्र श्री फकीर राम, अवकाश प्राप्त नायब सूबेदार, निवासी ग्राम जवाहर ज्योति दमुआढमा, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल ने दिनांक 2 नवम्बर, 1977 को तथा दिनांक 27 फरवरी, 1978 एवं 17 मार्च, 1978 को बास्ते हरिजन भूमिहीन एवं भूत-पूर्व सैनिकों को कमालुआ गांजा, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल की जमीन कृषि हेतु दिए जाने हेतु मन्त्री महोदय को दिया था ? यदि हां, तो वन मन्त्री द्वारा दिए गए तीनों आदेशों में से किसी का परिपालन हुआ ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मन्त्री (श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन)--

जी हां । श्री फकीर राम की प्रार्थना को तत्कालीन वन मन्त्री जी द्वारा विचारोपरान्त अस्वीकृत कर दिया गया ।

## बदायूं जिले के थाना दातागंज द्वारा श्री कप्तान सिंह से बरामद की गई कथित रिवाल्वर

*36-श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बदायूं, थाना दातागंज के कप्तान सिंह नामक व्यक्ति के यहां से अक्तूबर सन् 1978 में कोई रिवाल्वर चोरी का पुलिस थाना दातागंज ने बरामद किया था जिसका मुकदमा भी दर्ज हुआ है ? क्या ऐसे मुल्जिम को जघन्य कृत्य के लिए थाने पर ही जमानत दे दी गई ? क्या रिवाल्वर बरामद करने वाले पुलिस कर्मचारियों को इनाम देने के बजाय दण्डित व स्थानान्तरित किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास--

प्रश्न में उल्लिखित आशय की अक्तूबर, 1978 में कोई घटना नहीं हुई । अन्य प्रश्न नहीं उठता है ।

## बुलन्दशहर नगर के श्री शंकर दास की हत्या

*37--श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 28 दिसम्बर, 1978 को बुलन्दशहर नगर के श्री शंकर दास की हत्या की गई एवं उनके यहां डकैती पड़ी थी ? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त डकैती एवं हत्या से सम्बन्धित तीन अभियुक्तों को पुलिस ने दिनांक 5 फरवरी, 1979 को चोरी की एक मोटर साइकिल एवं अवैध शस्त्रों सहित गिरफ्तार किया था ? उपरोक्त मामले में क्या हुआ ? क्या सरकार इस सारे मामले की जांच सी० आई० डी० द्वारा करायेगी और जांच के पूर्व उपरोक्त सभी अधिकारियों को स्थानान्तरित करेगी ?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 28-12-78 को रात्रि 11 बजे वादी श्री सुभाष चन्द्र ने थाना कोतवाली बुलन्दशहर पर अपने पिता श्री शंकर दास की हत्या की सूचना दी जिसके आधार पर धारा 302 भा० द० वि० का अभियोग कायम किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में डकती होने का उल्लेख नहीं था। विवेचना से भी डकैती होना नहीं पाया गया।

दिनांक 5-2-79 को बुलन्दशहर पुलिस द्वारा तीन अभियुक्त एक अन्य अभियोग में गिरफ्तार किये गये थे। जिनके पास से मोटर साइकिल तथा अवैध शस्त्र बरामद हुए थे। इनमें से एक अभियुक्त ऋषिपाल ने श्री शंकर दास की हत्या का इकबाल किया था तथा अपने साथ महेन्द्र नामक एक अन्य अभियुक्त का होना बताया। उक्त दोनों अभियुक्तों की शिनाख्त कराई गई तो किसी भी गवाह ने सही शिनाख्त नहीं किया। अभियोग की विवेचना प्रचलित है। सी० आई० डी० द्वारा जांच की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

## ग्राम नेवड़िया, जिला बरेली में हरिजनों के साथ मार-पीट की घटना सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*38--श्री राम नारायन वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नेवड़िया, थाना फतेहगंज पूर्वी, जिला बरेली के हरिजनों को सवर्णों द्वारा मारे-पीटे जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, एस० एस० पी० तथा डी० आई० जी० तथा सी० ओ० बरेली को प्रार्थना-पत्र दिनांक 17 जनवरी, 1979, 29 जनवरी, 1979 तथा 30 जनवरी, 1979 को दिये ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 17-1-79 को प्रश्नगत मामले में श्री गुलजारी, ग्राम नेवड़िया, थाना फतेहगंज पूर्वी, जिला बरेली ने एक प्रार्थना-पत्र ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली को दिया था। इस प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोप जांच से प्रमाणित नहीं हुये।

*39--श्री नाथू राम शिक्षक--

[22-8-78 को तारांकित प्रश्न संख्या 22 द्वारा उत्तरित]

## महोली गृह-संस्थान योजना, जिला मथुरा की जल निकासी योजना

*40--श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा नगर में बी० एस० ए० कालेज के पास जो आवास योजना महोली गृह संस्थान सं० 1 व 2 के नाम से जानी जा रही है उसका दैनिक प्रयोग का पानी निकालने के लिए शासन ने क्या व्यवस्था की है तथा यह पानी किस दिशा से किस दिशा को निकाला जायेगा और जो वर्षा के दिनों में पानी भरा रहता है उसके निकालने की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

महोली गृह संस्थान योजना संख्या 1, 2 मथुरा से वर्षा व दैनिक प्रयोग के पानी के निकासी की वास्तविक रूपरेखा से भूमि पर कब्जा प्राप्त होने के पश्चात् ही दी जा सकेगी। परन्तु अनुमानतः इस पानी की निकासी बी० एस० ए० कालेज के उत्तर दिशा की ओर एवं बी० एस० ए० कालेज की पूर्व दिशा की ओर रेलवे लाइन के नीचे से गुजरने वाले में किया जाना सम्भव है क्योंकि भूमि की ढाल इसी नाले की ओर है।

एटा जिले के तीर्थ स्थान सोरों की पर्यटन केन्द्र योजना पर विचार

*41--श्री मानपाल सिंह एडवोकेट--

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा में भारतवर्ष के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान सोरों (सूकर क्षेत्र) में सरकार द्वारा कोई पर्यटन केन्द्र बनाने का विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक उक्त धार्मिक नगर सोरों म पर्यटन केन्द्र की स्थापना कर दी जायेगी ?

श्री अबिद अली--

जी हां, किन्तु इस योजना के कार्यान्वित किए जाने के सम्बन्ध में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

मथुरा जिले के सब इन्सपेक्टर, पुलिस के विरुद्ध दर्ज मुकदमा

*42--श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में ऐसे कितने पुलिस सब इन्सपेक्टर हैं जिन पर इस समय भा० दं० सं० की धारा 161 व 5 (2) भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमें दर्ज हैं ? क्या यह सत्य है कि जिनके विरुद्ध मुकदमा विचाराधीन है उन्हें थानाध्यक्ष अथवा पुलिस चौकी अध्यक्ष बना दिया है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री बनारसी दास--

मथुरा जनपद में नियुक्त दो सब इन्सपेक्टरों के विरुद्ध भा० दं० वि० की धारा 161 व 5 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमें दर्ज हैं। इनमें से एक सब इन्सपेक्टर वृन्दावन के अन्तर्गत पुलिस चौकी जैत पर प्रभारी नियुक्त किये हैं। चौकी प्रभारी नियुक्त किए जाने के लिए कोई नियम निर्धारित नहीं है।

*43--श्री उदय नारायण सिंह--

[9-5-79 को वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त]

ज्वालापुर, जिला सहारनपुर में गणतन्त्र दिवस पर गुण्डों द्वारा थाने पर पथराव एवं गिरफ्तारी

*44--श्री राजकुमार शर्मा--

क्या मुख्य मंत्री को यह जानकारी है कि ज्वालापुर, जिला सहारनपुर में दिनांक 26 जनवरी, 1979 गणतन्त्र दिवस पर प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा राष्ट्र

ध्वजारोहण के समय गुन्डा तत्वों ने विघ्न डालकर राष्ट्रध्वज का अवमान किया और थाने पर पथराव करके 29 सिपाही और अधिकारी घायल कर दिये ? यदि हां, तो इन गुन्डा तत्वों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? और कौन-कौन गुन्डे किस धारा में गिरफ्तार किये गये ? क्या इन गुन्डों में वे गुन्डे भी शामिल हैं जिन पर गत दिनांक 26 जनवरी, 1978 के गणतन्त्र दिवस पर राष्ट्रध्वज का अपमान और गुन्डा गर्दी करने के खिलाफ मुकदमा चल रहा है ?

श्री बनारसी दास—

दिनांक 26 जनवरी, 1979 को गणतन्त्र दिवस पर प्रश्न कर्ता विधायक द्वारा ज्वालापुर, सहारनपुर में राष्ट्रीय ध्वजारोहण के समय कांग्रेस (आई०) के समुदाय ने विघ्न उत्पन्न किया था, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं किया था।

थाना ज्वालापुर पर पथराव करके 29 नहीं वरन् 34 अधिकारियों एवं पुलिस कर्मचारियों को आहत किया था।

इस घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 26 जनवरी, 1979 को मु० अ० सं० 25 धारा 147/148/149/332/333/452/427 भा० द० वि० पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 12 मार्च, 1979 को आरोप-पत्र संख्या 31, द्वारा 66 अभियुक्तों का तथा 25 मई, 1979 को तितम्भा आरोप-पत्र द्वारा एक अभियुक्त (अनिल कुमार) का चालान न्यायालय में किया गया। मुकदमें में उपरोक्त उल्लिखित धाराओं के अन्तर्गत 68 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे। उपरोक्त अभियुक्तों में से 6 अभियुक्त ऐसे भी हैं जिनके विरुद्ध दिनांक 26 जनवरी, 1978 को ध्वजा रोहण पर विघ्न उत्पन्न करने के सम्बन्ध में मुकदमा न्यायालय में चल रहा है।

## मेरठ जिले के कस्बा किठौर के श्री मोहम्मद उमर व श्री मोहम्मद जमा की हत्या

*45—श्री राजकिशोर तिवारी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 27 मार्च, 1978 को 8.30 बजे रात को श्री मो० उमर, कस्बा किठौर, थाना किठौर, जिला मेरठ का कत्ल कर दिया गया जिसकी रपट मृतक के पुत्र मो० जमा ने थाना किठौर में दर्ज कराई ? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त कत्ल के मुल्जिमान ने जमानत पर आकर दिनांक 24 अप्रैल, 1979 को सुबह के समय मृतक के लड़के मो० जमा को भी कत्ल कर दिया ? यदि हां, तो उपरोक्त मृतक के परिवार एवं गवाहान की सुरक्षा के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

जी हां। श्री मो० उमर की हत्या से सम्बन्धित अपराध अन्तर्गत धारा 302/201, भा० दं० वि० म अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 11-5-79 को आरोप-पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है। श्री मो० जमा की हत्या के सम्बन्ध में थाना किठौर, जिला मेरठ पर धारा 394/302, भा० दं० वि० के अन्तर्गत पंजीकृत अपराध के तीन अभियुक्तों को दिनांक 24-4-79 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और उनके कब्जे से लूटी गई बन्दूकें बरामद की गईं। एक अभियुक्त ने दिनांक 25-4-79 को न्यायालय में आत्म समर्पण किया, जिसे जेल भेजा गया। मृतकों के व उनके परिवार के लोगों तथा गवाहों के मकानों पर सुरक्षा हेतु सशस्त्र पुलिस लगा दी गई है।

*46—श्री बरफिया लाल जुवांठा 'अरविंद'—

[6ठें मंगलवार के लिए स्थगित]

*47—श्री बरफिया लाल जुवांठा 'अरविंद'

[6ठे मंगलवार के लिए स्थगित]

विधायक निवास कर्मचारी संघ का मांग-पत्र

*48—श्री मन्जूर अली खां (जिला रामपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवास कर्मचारी संघ, लखनऊ का दिनांक 16 अप्रैल, 1979 का 6 मांगों पर आधारित कोई मांग-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बनारसी दास—

जी हां । शासन द्वारा मांगों पर विचार किया जा रहा है ।

भूतपूर्व विधायक, श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी, दुर्गापुरवा, जिला सीतापुर के यहां चोरी

*49—श्री मन्जूर अली खां—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कांग्रेस (आई०) के भूतपूर्व विधायक श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी, निवासी दुर्गापुरवा, जनपद सीतापुर के यहां विगत दिनांक 30/31 जनवरी की मध्य रात्रि को सेंध लगा कर चोरी हुयी जिसमें रिवाल्वर, कपड़ा, जेवर तथा आवश्यकीय पत्रजात एवं नकदी रकम की लगभग 32,000 हजार से अधिक की चोरी हुयी, जिसकी रिपोर्ट स्थानीय कोतवाली सीतापुर में दिनांक 31 जनवरी को प्रातः 9.00 बजे की गयी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन की ओर से अब तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ? यदि कोई कार्यवाही की गई, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

श्री बनारसी दास—

जी हां ।

शासन द्वारा इस मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गयी है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में आशुलिपिकों की नियुक्ति एवं टेस्ट

*50—श्री डी० पी० बोरा (जिला लखनऊ)—

क्या आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में अभी हाल ही में चयन समिति द्वारा आशुलिपिक के पद पर नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हां, तो नव नियुक्त अशुलिपिकों का पुनः टेस्ट किसके आदेश से लिया जा रहा है एवं पुनः टेस्ट लिए जाने का औचित्य क्या है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी हां ।

चूंकि आशुलिपिकों के चयन में चयन समिति द्वारा घोषित परिणाम के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं, अतः उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पुनः टेस्ट लिए जाने के निर्देश दिये ।

*51--श्री मित्र सेन--

[17-5-79 को वक्तव्य होने के कारण निरस्त]

## सार्वजनिक स्थानों एवं पार्कों में लगने वाली आर० एस० एस० की शाखाएं

*52--श्री विष्णु प्रताप सिंह (जिला गोंडा) श्री फजलुलबारी (जिला गोंडा), श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री मोहम्मद खलीलुल्लाह कुरैशी (जिला गाजीपुर), श्री श्यामदत्त पालीवाल, श्री बाबू लाल वर्मा तथा श्री गिरधारी लाल (जिला बस्ती)--

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि सरकार के निश्चित आदेशों के बावजूद आर० एस० एस० की शाखाएं, सार्वजनिक स्थानों एवं पार्कों में पहले की भांति अब भी लग रही हैं ? यदि हां, तो भी शासन ने इसकी रोक-थाम हेतु क्या व्यवस्था की हैं ?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार कई जिलों में आर० एस० एस० की शाखाएं सार्वजनिक स्थानों एवं पार्कों में अब भी लग रही हैं । विधिक कार्यवाही के आदेश दे दिये गये हैं ।

## एस० डी० एम० धामपुर, जिला बिजनौर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*53--श्री अब्दुल वहीद (जिला बिजनौर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 31 जनवरी, 1979 को श्री गेंदा सिंह, ग्राम सलाराबाद, तहसील धामपुर, जनपद बिजनौर का कोई शिकायती-पत्र किसी विधायक द्वारा एस० डी० एम०, धामपुर, जनपद बिजनौर के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के विषय में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगे कि उनका इस जनपद में स्थानान्तरण कितनी बार किया गया और किन कारणों से रोका गया ?

श्री बनारसी दास--

श्री गेंदा सिंह, ग्राम सलाराबाद, तहसील धामपुर, जनपद बिजनौर का एक शिकायती-पत्र कुछ विधायकों के माध्यम से दिनांक 3 जनवरी, 1979 को शासन को प्राप्त हुआ था । वह पत्र मूलरूप में 5 फरवरी, 1979 को आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था और उनसे जांच आख्या एवं कृत कार्यवाही की प्रतीक्षा की जा रही है । एस० डी० एम०, धामपुर को बिजनौर जनपद से स्थानान्तरण करने के आदेश केवल एक बार फरवरी, 1979 में जारी किये गये थे । प्रशासकीय कारणों से यह आदेश स्थगित कर दिये गये थे । बाद में उन्हें 30 अप्रैल, 1979 के पश्चात् बिजनौर से कार्यमुक्त करने के आदेश जिलाधिकारी को दिये गये थे जिसके आधार पर 16-4-79 को उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया था ।

*54--श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा दिवाकर विक्रम सिंह--

[ स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ]

*55--श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री ईशदत्त यादव--

[5वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 72 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सचिवालय के भाषा विभाग के राजपत्रित पदों पर अनुसूचित जाति का आरक्षण

*56--श्री हरीराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के भाषा विभाग में कितने राजपत्रित पद हैं और उनमें से कितने पद अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से भरे गये हैं ? यदि उनमें से कोई पद अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से नहीं भरा गया है तो आरक्षण पूरा करने के लिए शासन क्या कार्यवाही कर रही है और आरक्षण कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

श्री बनारसी दास--

भाषा विभाग में 11 राजपत्रित पद हैं, जिनमें से किसी पर भी अनुसूचित जाति का अधिकारी नियुक्त नहीं है । अनुसूचित जाति का कोई अर्ह अभ्यर्थी इस समय उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु उपलब्ध न होने के कारण निर्धारित आरक्षण की पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

*57--श्री संगम लाल--

[ स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ]

विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के क्वार्टरों की मरम्मत

*58--श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कोठी नं० 4-5, विक्रमादित्य मार्ग, बन्दरियाबाग, लखनऊ में बीस क्वार्टरों की जिनमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आवासित हैं पिछले कई वर्षों से कोई मरम्मत आदि कराने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया ? यदि हां, तो उनकी मरम्मत आदि कराने का आदेश देने की मन्त्री जी कृपा करेंगे ?

श्री बनारसी दास--

जी नहीं । कोठी नं0 4-5, विक्रमादित्य मार्ग में बने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के क्वार्टरों की मरम्मत आदि करायी जाती रही है और इस समय भी की जा रही है ।

तदनुसार शासन द्वारा अलग से आदेश दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

तीर्थ स्थान अयोध्या का राम-परियोजना के अन्तर्गत विकास

*59--श्री जयशंकर पाण्डेय--

क्या पर्यटन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तीर्थ स्थान अयोध्या के विकास के लिए अयोध्या का नाम केन्द्रीय सरकार के पर्यटन विभाग की राम-परियोजना

के अन्तर्गत भेजा गया है ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही हुई और उक्त परियोजना का कार्यान्वयन कब तक शुरू हो जायगा ? और इसमें कितनी लागत आयेगी ?

श्री आबिद अली:—

जी हां। यह परियोजना भारत सरकार के विचाराधीन है। अयोध्या के विकास सम्बन्धी योजना पर 7 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है, पर इसके कार्यान्वयन के शुरू होने के सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

*60—श्री जय शंकर पाण्डेय—

[6ठें मंगलवार के लिए स्थगित]

*61—श्री बाबू राम शुक्ल—

[ 6ठे मंगलवार के लिए स्थगित ]

## उन्नाव नगर की मास्टर प्लान योजना

*62—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव नगर की मास्टर प्लान योजना ठप्प कर दी गई ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उन्नाव नगर की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जन संख्या को दृष्टि में रखते हुये शीघ्र ही उन्नाव नगर में मास्टर प्लान योजना बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

उन्नाव नगर की मास्टर प्लान योजना ठप्प नहीं की गई है। शासन द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में लखनऊ सम्भागीय नियोजन खण्ड की स्थापना की स्वीकृति जनवरी, 1979 में दी गई है, जो उन्नाव का मास्टर प्लान बनाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कर रहा है। महायोजना का प्रारूप वर्ष 1980-81 के अन्त तक बन जाने की आशा है।

## कानपुर के थाना भोगनीपुर के थानाध्यक्ष, श्री अमर सिंह चौहान के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*63—श्री मौजीलाल कुरील (जिला कानपुर) श्री भगवानदीन कुशवाहा (जिला कानपुर) श्री प्रभूदयाल यादव (जिला कानपुर) तथा श्री जौहरी लाल त्रिवेदी (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेगे कि जनपद कानपुर के थाना भोगनीपुर के पुलिस इन्स्पेक्टर (श्री अमर सिंह चौहान) के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों का प्रार्थना-पत्र दिनांक 12 मार्च, 1979 जिस पर सात विधायकों के हस्ताक्षर थे, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी से कराई गयी और उस जांच पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि सम्बन्धित इन्स्पेक्टर को दो बार इस जनपद से स्थानान्तरण किए जाने के बाद निरस्त किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि 24 अप्रैल, 1979 को सम्बन्धित इंस्पेक्टर की लापरवाही से ग्राम सेल्हूपुर में चार यादव परिवार के सगे भाइयों की निर्मम हत्या हुई ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना भोगनीपुर (कानपुर) के थानाध्यक्ष के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों विषयक माननीय सदस्यगण का पत्र दिनांक 12-3-79 प्राप्त हुआ जिसकी जांच उप पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्र कानपुर द्वारा कराई गई। जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए। यह सही नहीं है कि उक्त इंसपेक्टर का जिले से दो बार स्थानान्तरण किए जाने के बाद निरस्त किया गया।

यह सही नहीं है कि दिनांक 24-4-79 को ग्राम सेल्हूपुर थाना भोगनीपुर में एक ही यादव परिवार के चार व्यक्तियों की हुई हत्या संबंधित पुलिस इंसपेक्टर की लापरवाही के कारण घटित हुई।

पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद में चिकित्सा के आधार पर अयोग्य पाए गए प्रशिक्षणार्थी

*64—श्री गिरीशचन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री को यह जानकारी है कि नवम्बर, 1978 को पुलिस उप निरीक्षक बैच के 27 प्रशिक्षणार्थी मुरादाबाद प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा चिकित्सा परीक्षा के आधार पर हटा दिए गए थे जिनकी प्रदेश सरकार के आदेशानुसार पुनः चेलेन्ज मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच की गई और 27 में से 21 प्रशिक्षणार्थी उपयुक्त घोषित किए गए हैं? क्या उन्हें प्रशिक्षण के लिए उस सत्र में भेजा गया है? यदि नहीं, तो क्यों रोका गया?

श्री बनारसी दास—

वर्ष 1978 के पुलिस उप निरीक्षक बैच के 27 अभ्यर्थी पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में चिकित्सा परीक्षा में अयोग्य पाये जाने के आधार पर प्रशिक्षण में नहीं लिए गए थे। इन 27 अयोग्य घोषित अभ्यर्थियों में से 26 की दिनांक 18-4-79 को लखनऊ में गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा पुनः जांच की गई। एक अभ्यर्थी अनुपस्थित रहा। 26 अभ्यर्थियों में से 20 अभ्यर्थी योग्य घोषित किये गये हैं। इनमें से 16 अभ्यर्थी पहले से ही माननीय हाईकोर्ट के स्थगन आदेशानुसार पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद में सम्मिलित कर लिए गए हैं। शेष 4 अभ्यर्थियों का मामला विचाराधीन है।

श्री रोशन लाल, ग्राम इनायतपुर, जिला बरेली की हत्या

*65—श्री सियाराम सागर (जिला बरेली)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, 1977 में श्री रोशन लाल, निवासी ग्राम इनायतपुर, थाना फरीदपुर, जनपद बरेली की हत्या की गई थी और उसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है? इस सम्बन्ध में क्या पुलिस विभाग कोई जांच कर रही है? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 14-9-77 को प्रातः 6 बजे श्री रोशन लाल का शव उसके घर के पश्चिम वाले छप्पर में पाया गया। प्रश्नगत मामले में विशेष अनुसंधान दल तथा अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा भी जांच की गई। साक्ष्य के अभाव में दिनांक 2-1-79 को मामले में अंतिम रिपोर्ट की गई।

## प्रतापगढ़ जिले के ग्राम मसौली एवं पूरे गोसाई में डकैती

*66--श्री रामदेव दुबे (जिला प्रतापगढ़)--

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि दिनांक 18/19 अप्रैल, 1979 की रात में प्रतापगढ़ जनपद के रानी गंज थाने के अन्तर्गत ग्राम मसौली एवं पूरेगोसाई में क्रमशः एक कुर्मी एवं एक पासी परिवार को डकैतों ने लूट लिया और गृह स्वामियों को मार पीट कर घायल कर दिया ? यदि हां, तो डकैतियां वर्क-आउट हो गई हैं ? कितने अभियुक्त पकड़े गए हैं और कितने फरार हैं ?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 18/19 अप्रैल, 1979 को तो नहीं हां 20/21-4-79 की रात्रि को ग्राम मसौली के श्री जयराम सुत भगलू के यहां एवं ग्राम पूरे गोसाई में श्री रामबली सुत रामहरख के यहां डकैती पड़ी थी और प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार डकैतों ने मार पीट भी की थी। उक्त दोनों डकैतियों के सम्बन्ध में थाना रानीगंज में भा० दं० वि० की धारा 395/397 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत हुए हैं, जिनकी विवेचना की जा रही है। अभी कोई अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ है। प्रयास जारी है।

## प्रतापगढ़ जिले के ग्राम बारघाट सिधारी पट्टी में डकैती

*67--श्री रामदेव दुबे--

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि प्रतापगढ़ जनपद के कन्धई थाने के अन्तर्गत ग्राम बारघाट सिधारी पट्टी के सर्वश्री माताफेर, दातादीन, नन्हू, अमरपाल, छत्रपाल, गंगादीन उर्फ पोलई, मल्लू एवं नन्हकू आदि को 22/23 अप्रैल, 1979 ई० रात में डकैतों ने लूट लिया तथा गृह स्वामियों को अत्यन्त क्रूरतापूर्वक मार कर घायल कर दिया है ? (डकैती लगभग 50 हजार की बताई जाती है) यदि हां, तो आज तक प्रशासन ने ग्रामीणों की रक्षा एवं राहत के लिए क्या कार्यवाही किया ? कितने अभियुक्त गिरफ्तार हुए और कितने फरार हैं ?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ व्यक्तियों के घर में डकैतों ने डकैती डालकर लूटपाट की। डकैती लगभग 4,000 रु० की पड़ी। इस सम्बन्ध में थाना कंधई में एक अभियोग धारा 395/397 के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ है, जिसकी विवेचना की जा रही है। ग्रामीणों की रक्षा व राहत हेतु कांसटेबिलों को गश्त में लगा दिया गया है और वह बराबर देखभाल कर रहे हैं। थानाध्यक्ष व उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को विशेष रूप से ध्यान रखने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश दिए गए हैं। तीन अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं तथा तीन नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध 82/83 शा० कौ० की कार्यवाही की जा रही है।

*68--श्री ईश्वर प्रसाद--

[8-5-79 को तारांकित प्रश्न संख्या 3 द्वारा उत्तरित।]

## बस्ती जिले के कतिपय थानों के अन्तर्गत डकैती एवं राहजनी की घटनाएं

*69--श्री विश्वनाथ पाण्डेय--

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि बस्ती जिले के अन्तर्गत थाना इटवा, मिश्रौलिया तथा बांसी में माह अप्रैल, 1979 में अत्यधिक डकैती, राहजनी की

घटनाएं घटी हैं, बांसी--इटवा मार्ग पर भय तथा आतंक के कारण दिन डूबने के बाद आवागमन बन्द हो जाता है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार कौन सा कदम उठा रही है ?

श्री बनारसी दास--

केवल इटवा थाने के अन्तर्गत 1 डकैती व 2 लूट की घटनाएं हुई हैं। यह सही नहीं है कि बांसी--इटवा मार्ग पर दिन डूबने के बाद भय तथा आतंक के कारण आवागमन बन्द हो जाता है। फिर भी क्षेत्र की सड़कों पर गश्त की व्यवस्था सुदृढ़ कर दी गई है।

गोन्डा जिले के ग्राम पतिजिया खुर्द के श्री सेतु के साथ मार पीट की घटना

*70--श्री छेदी लाल (जिला गोंडा)--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि थाना छपिया, जनपद गोंडा के ग्राम पतिजिया खुर्द में दिनांक 26 मार्च, 1979 को सेतु नामक व्यक्ति के यहां डकैती पड़ी थी और जिनकी रिपोर्ट भी उसी दिन थाने में दर्ज की गई ? यदि हां, तो इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बनारसी दास--

दिनांक 26/27-3-79 की रात्रि को घर में घुसकर मारपीट किए जाने के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट धारा 452/323/504 के अन्तर्गत दिनांक 27-3-79 को लिखवाई गई थी। मुकदमा अभी विवेचनाधीन है।

गाजीपुर जिले की पुलिस चौकी गहमर के दीवान के विरुद्ध लिखाई गई रिपोर्ट

*71--श्री अवधेश नारायण--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का एक तार अप्रैल, 1979 के अन्तिम सप्ताह में प्राप्त हुआ है, जिसमें गाजीपुर जनपद के गहमर ग्राम के 71 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति पर गहमर चौकी के दीवान द्वारा उनके घर में घुसकर बुरी तरह पिटाई की सूचना थी तथा इस घटना की रिपोर्ट गाजीपुर कोतवाली में दर्ज है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बनारसी दास--

जी हां। कथित घटना के सम्बन्ध में दी गई सूचना पर थाना कोतवाली, जिला गाजीपुर में धारा 147/323/504/506 भा० द० वि० के अधीन अपराध पंजीकृत किया गया जो बाद में थाना गहमर पर स्थानांतरित किया गया।

इसी सम्बन्ध में दूसरे पक्ष की ओर से भी एक अपराध धारा 394 भा० द० वि० का पंजीकृत कराया गया।

पंजीकृत दोनों अपराधों की विवेचना प्रचलित है।

गाजीपुर जिले के ग्राम ब्राह्मणपुरा तथा बरिया गोदाम में डकैती

*72--श्री अवधेश नारायन--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के करण्डा थाना अन्तर्गत अप्रैल, 1979 के अन्तिम पखवारे में ग्राम ब्राह्मणपुरा तथा बरिया गोदाम (सबुआ) में एक ही रात में चार डकैतियां हुई ? यदि हां, तो डकैती का पता लगाने तथा अपराधियों को गिरफ्तार करने की ओर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री रामा मिश्र निवासी ग्राम बरिया, जिला गाजीपुर ने थाना करण्डा पर दिनांक 25-4-79 को इस आशय की लिखित सूचना दी कि बीती रात को प्रार्थी व प्रार्थी के चचेरे भाई श्री रामनाथ मिश्र व पड़ोसी श्री हरि नारायण सिंह तथा निकटवर्ती ग्राम ब्राह्मणपुरा के श्री नंगा साहू के घरों में 12-13 अज्ञात डकैतों ने डकैती डाली तथा जवर, कपड़ा व सामान लूट ले गए एवं कुछ लोगों को घायल किया। इस सूचना पर अभियोग अन्तर्गत धारा 395/397 भा० द० वि० पंजीकृत होकर विवेचनाधीन है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी हैं।

## आजमगढ़ जिले में विभिन्न अपराधों की घटनाएं

*73--श्री ईशदत्त यादव (जिला आजमगढ़)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में गत जनवरी, 1979 से अप्रैल, 1979 तक कत्ल, डकैती, राहजनी, चोरी की कितनी घटनाएं हुई हैं तथा क्या गत वर्ष की तुलना में उपरोक्त महीनों म अपराध बढ़े हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री बनारसी दास--

जनवरी से अप्रैल, 1979 तक कत्ल की 26, डकैती की 28, राहजनी की 12 तथा चोरी की 507 घटनाएं हुई। गत वर्ष की तुलना में अपराध बढ़े नहीं है प्रश्न नहीं उठता।

## आजमगढ़ जिले के ग्राम पट्टी भिखारी के श्री हरी यादव की हत्या

*74--श्री ईशदत्त यादव तथा श्री रामजी--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 9/10 नवम्बर सन् 1978 की रात्रि में ग्राम हट्टी भिखारी, थाना तरवा, जिला आजमगढ़ के हरी यादव की हत्या कर दी गई और इस सम्बन्ध में मृतक के भाई श्री फौजदार यादव ने मुख्य मन्त्री जी, उत्तर प्रदेश, आई० जी० पुलिस, उत्तर प्रदेश, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को दिनांक 9 नवम्बर, 1978 को तार द्वारा प्रथम सूचना (एफ० आई० आर०) देते हुए यह बताया कि यह हत्या वहां के तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री मेंहदी हसन के ललकारने पर अन्य अभियुक्तों ने किया तथा उस थानाध्यक्ष ने घटना की रिपोर्ट लेने से इंकार कर दिया था ? यदि हां, तो इस थानाध्यक्ष के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बनारसी दास--

जी हाँ। मृतक के भाई श्री फौजदार यादव का दिनांक 10-11-78 का तार प्राप्त हुआ। कथित हत्या तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री मेंहदी हसन के ललकारने पर अन्य अभियुक्तों द्वारा किया जाना तथा उक्त थानाध्यक्ष द्वारा घटना की रिपोर्ट लेने से इंकार किया जाना प्राप्त सूचना से सही प्रतीत होना नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

## वन विभाग के निकासी मुन्शियों के स्थायीकरण की मांग

*75--श्री बिन्दूलाल (जिला गोन्डा)--

क्या वन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वन विभाग में जो निकासी मुन्शी 5 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं, क्या सरकार उनको स्थायी करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन—

अस्थायी निकासी मुन्शियों चाहे वे पांच वर्ष से अधिक सेवा के हों अथवा अन्य, को स्थायी रिक्तियां उपलब्ध होन पर, वरिष्ठता योग्यता एवं उनके कार्य के आधार पर स्थायी किया जाता है ।

## मुजफ्फरनगर के श्री मनोज कुमार की हत्या

*76—श्रीमती मालती शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मुख्य मन्त्री को इसकी जानकारी है कि दिनांक 10 अप्रैल, 1979 को मुजफ्फरनगर मे जिला अधिकारी महोदय की कोठी के सामने एक 14–15 वर्षीय बालक का शव पाया गया ? यदि हां, तो उस बारे में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 10–4–79 को गन्ना फार्म मुजफ्फरनगर में श्री मनोज कुमार छात्र आयु लगभग 14 वर्ष पुत्र श्री सोहन लाल निवासी 69 बी, नई मंडी जिला मुजफ्फरनगर का शव पड़ा पाया गया है । इस सम्बन्ध में धारा 302 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत थाना कोतवाली जिला मुजफ्फरनगर पर पंजीकृत अपराध की विवेचना प्रचलित है ।

## आइजट नगर, बरेली में आवास विकास परिषद् द्वारा सिनेमा प्लाट की नीलामी

*77—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कपा करेंगे की आवास विकास परिषद् द्वारा नीलाम किए गए आइजट नगर, बरेली के सिनेमा प्लाट के विवाद के सम्बन्ध में वर्ष 1978–79 में शासन द्वारा क्या कोई आदेश पारित किए गए थे ? यदि हां, तो क्या इन आदेशों का आवास विकास परिषद् द्वारा पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी हां ।

चूंकि इस विषय में उच्च न्यायालय में प्रथम अपील आवास एवं विकास परिषद् बनाम श्री ओ0 पी0 शर्मा दायर की गई थी अतः उच्च न्यायालय के निर्णय होने तक उक्त आदेशों का परिपालन आवास परिषद के लिए संभव नहीं है ।

## सहायक लोक अभियोजकों की सेवा शर्तें एवं अभियोजन निदेशालय की स्थापना पर विचार

*78—श्री मोहन सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 में नवीनतम संशोधन हुए हैं ? यदि हां, तो नव संशोधित धारा की रोशनी में उत्तर प्रदेश में भी ए0 पी0 ओ0, पी0 ओ0 और एस0 पी0 ओ0 सरकारी अभियोजनकर्त्ताओं का अलग निदेशालय, अतिरिक्त कैडर और सेवा शर्तों एवं वेतन–मान में संशोधन करने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो यह कब तक लागू होगा ?

श्री बनारसी दास--

जी हां ।

दंड प्रक्रिया संहिता के वर्तमान प्राविधानों और महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियों के आधार पर सहायक लोक अभियोजकों की सेवा शर्तों, जिसमें अभियोजन निदेशालय की स्थापना का प्रश्न भी सम्मिलित है, पर विचार किया जा रहा है । इस मामले में जो भी निर्णय होगा, उसे लागू किया जायेगा ।

## श्री राज किशोर सिंह, तत्कालीन पुलिस सब इन्सपेक्टर, बरहलगंज थाना, जिला गोरखपुर के विरूद्ध शिकायती-पत्र

*79--श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार को मालूम है कि श्री राज किशोर सिंह, पुलिस सब-इन्सपेक्टर जब गोरखपुर जिले के बरहलगंज थाने पर तैनात थे तब उनके विरुद्ध श्री जिऊत प्रसाद गुप्त प्रधानाचार्य, महुवापार इण्टर कालेज ने आवेदन-पत्र दिये थ ? क्या उपरोक्त सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध आजमगढ़ के एस० पी० को दफा 7 की कार्य-वाही करने के लिए लिखा गया था ? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त सब इन्सपेक्टर को गत चुनाव में इन्सपेक्टर के पद पर चुना गया है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री बनारसी दास--

जी हां । सब इन्सपेक्टर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु कागजात पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को प्रेषित किए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कठोर चेतावनी दी गयी थी । विभागीय चयन समिति 1977 के अनुमोदन से, जिसका परिणाम 30 मार्च, 1978 को घोषित किया गया, उपरोक्त सब इन्सपेक्टर को स्थानापन्न इन्सपेक्टर के पद पर चुना गया ।

## देवरिया जिले में पुलिस उड़ाका दल की स्थापना की मांग

*80--श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जनपद में कोतवाली क्षेत्र के अन्तर्गत बढ़ रहे अपराधों को रोकने हेतु पुलिस उड़ाका दल की नियुक्ति सरकार करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बनारसी दास--

देवरिया शहर में पुलिस उड़ाका दल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है । अभी केवल बड़े बड़े नगरों और संवदनशील नगरों में यह व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सकी है ।

## अतारांकित प्रश्न

## थाना चौक, जिला लखनऊ के अन्तर्गत श्री पंचम हरिजन की ट्रक से कुचल कर मृत्यु

1--श्री गनेशी लाल चौधरी तथा श्री लाल दास (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 7 जुलाई, 1977 को थाना चौक जनपद लखनऊ के अन्तर्गत श्री पंचम हरिजन, ट्रक नं० यू० टी० ओ० 177 से

दुर्घटनाग्रस्त होकर अन्तिम दम तोड़ दिया जिसकी रिपोर्ट अपराध संख्या 577 आई0 पी0 सी0, थाना चौक में लिखी गयी ? यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार वादी श्री अंगनु निवासी खदरा, लखनऊ ने थाना चौक पर दिनांक 7-7-77 को ट्रक यू0 टी0 यू0 171 द्वारा तेज रफ्तार से ट्रक चलाकर रिक्शाचालक, पंचम को कुचलकर मार डालने की सूचना दी जिसके आधार पर धारा 279/304 भा0 दं0 वि0 को अभियोग पंजीकृत किया गया । विवेचना के बाद ट्रक ड्राइवर के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया । अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है ।

## प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़े वर्ग के जिलाधिकारी एवं परगनाधिकारी की संख्या

2--श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1978-79 में राज्य में कितने जिलाधिकारी, परगनाधिकारी, कार्यरत हैं, और उनमें हरिजन और पिछड़ी जाति के कितने-कितने व्यक्ति पदासीन रहे हैं और ऐसे पदासीन हरिजन तथा पिछड़ी जाति के अधिकारियों का प्रतिशत अलग-अलग कुल पदासीन अधिकारियों के अनुपात में कितना-कितना रहा है ।

श्री बनारसी दास--

वर्ष 1978-79 में प्रदेश के 56 जनपदों में तैनात 56 जिलाधिकारियों में से 13 अनुसूचित जाति/जनजाति के पदासीन थे । तदनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के जिलाधिकारियों का प्रतिशत 23.2 था । चूंकि आई0 ए0 एस0 में पिछड़ी जाति के लिए नियमों में आरक्षण का प्राविधान नहीं है, अतएव इस प्रसंग में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

प्रदेश के 242 परगनों के विरुद्ध परगनाधिकारियों के पदों पर समय-समय पर नियुक्ति के लिए 319 डिप्टी कलेक्टरों, आई0 ए0 एस0 (जूनियर स्केल) अधिकारियों की तैनातियां जिलों में की गई जिनमें 37 डिप्टी कलेक्टर तथा 3 आई0 ए0 एस0 (जूनियर स्केल) अर्थात 40 अनुसूचित जाति के तथा 7 पिछड़ी जाति के अधिकारी थे । तदनुसार इनमें अनुसूचित जाति का प्रतिशत 12.5 तथा पिछड़ी जाति का 2.2 के लगभग था ।

## प्रदेश में हरिजन एवं पिछड़ी जाति के पुलिस अधीक्षक एवं उप पुलिस अधीक्षक

3--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1978 में राज्य में जिला पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक तथा सीनियर पुलिस अधीक्षक कितनी संख्या में कार्यरत रहे हैं और इनमें कितने-कितने हरिजन और पिछड़ी जाति के रहे हैं और इनका अलग-अलग प्रतिशत कुल कार्यरत उक्त पुलिस अधिकारियों की कुल संख्या के अनुपात में कितना-कितना रहा है ?

श्री बनारसी दास--

वर्ष 1978 में राज्य के जनपदों में 10 ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, 59 पुलिस अधीक्षक एवं 206 पुलिस उपाधीक्षक कार्यरत थे। इनमें से ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद पर एक, पुलिस अधीक्षक के पद पर 19 और पुलिस उपाधीक्षक के पद पर 23 हरिजन अधिकारी थे। पिछड़ी जाति के अधिकारियों में से ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद पर एक, पुलिस अधीक्षक के पद पर तीन तथा पुलिस उपाधीक्षक के पद पर अठारह अधिकारी नियुक्त रहे।

कार्यरत अधिकारियों की संख्या के अनुपात में उनका प्रतिशत निम्नवत था :

हरिजन अधिकारी--

| | |
|---|---|
| ज्येष्ट पुलिस अधीक्षक | 10 प्रतिशत |
| पुलिस अधीक्षक | 32 प्रतिशत |
| पुलिस उपाधीक्षक | 11 प्रतिशत |

पिछड़ी जाति के अधिकारी--

| | |
|---|---|
| ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक | 10 प्रतिशत |
| पुलिस अधीक्षक | 5 प्रतिशत |
| पुलिस उपाधीक्षक | 9 प्रतिशत |

## जिलों में सूचना तथा जन सम्पर्क विभाग के प्रचार संगठन की स्थापना

4--श्री बाबू लाल वर्मा तथा श्री रामजी सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या सूचना तथा जन सम्पर्क विभाग का पुनः गठन किया जा रहा है ? यदि हां, तो प्रदेश के किन-किन जिलों में प्रचार संगठन की स्थापना की हुई है तथा इस पर प्रतिवर्ष कितना व्यय होने के अनुमान हैं ? क्या यह सही है कि शासन के सब विभागों प्रमाणिक लोकोपयोगी सूचनाएं ग्रामीण अंचलों में पहुंचाने हेतु किसी पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है ? यदि हां, तो उस पर कितनी धनराशि का व्यय अनुमानित है ?

श्री बनारसी दास--

निम्नांकित 19 जिलों में प्रचार संगठन की स्थापना की गयी है जिसके लिए 1979-80 में 13.16 लाख रुपये के व्यय का अनुमान है बाराबंकी जौनपुर, प्रतापगढ़, मैनपुरी, बुलन्दशहर, गाजीपुर, देवरिया, बिजनौर, पीलीभीत, खीरी, बहराइच, ऐटा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, हरदोई, ललितपुर, गाजियाबाद व टिहरी गढ़वाल।

जी हां। "उत्तर प्रदेश" पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है, जिसके लिए 1979-80 में 6.37 लाख रूपये के व्यय का अनुमान है।

5--श्री बाबू लाल वर्मा श्री रामजी तथा श्री औसान सिंह--

[7वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 27 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## अलीगंज आवास योजना लखनऊ द्वारा भूमि के अधिग्रहण में मन्दिर, मस्जिद, कब्रिस्तान की छूट

6--श्री बाबूलाल वर्मा तथा श्री कासिम हसन (जिला फतेहपुर)--

क्या आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में चल रही अलीगंज आवास योजना हेतु मन्दिर, मस्जिद, ईदगाह तथा कब्रिस्तान आदि धार्मिक

श्री बाबू लाल वर्मा तथा कासिम--

स्थानों का अधिग्रहण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन इस प्रकार के धार्मिक स्थानों को अधिग्रहण मुक्त करने हेतु सम्बन्धित अधिनियमों में संशोधन करने पर विचार करेगी ।

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी नहीं ।

यद्यपि एक रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने अलीगंज योजनान्तर्गत भूमि अर्जन की कार्यवाही को उचित ठहराया है लेकिन विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, नगर महापालिका विकास प्राधिकरण लखनऊ ने उन स्थानों पर जहां मस्जिद कब्रिस्तान आदि हैं का कब्जा विकास प्राधिकरण को नहीं दिया है क्योंकि राजस्व विभाग के यह निर्देश हैं कि ऐसे स्थानों का अधिग्रहण न किया जाय । इस प्रकार के धार्मिक स्थान एवं कब्रिस्तान आदि अलीगंज योजनान्तर्गत आते हैं वह अधिग्रहण की कार्यवाही से मुक्त हैं ।

## गोंडा जिले के थाना कटरा बाजार के तत्कालीन थानाध्यक्ष, श्री आर०एस० द्विवेदी के विरुद्ध हरे पेड़ कटवाने संबंधी शिकायती-पत्र

७--श्री दीप नरायन (जिला गोंडा)--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि गोन्डा जनपद के थानाध्यक्ष पचपेड़वा जब कटरा बाजार पुलिस स्टेशन पर थानाध्यक्ष के पद पर तैनात थे के विरुद्ध माह नवम्बर १९७८ से २६ जनवरी, १९७९ के बीच में इस आशय का शिकायत-पत्र जिलाधिकारी को प्राप्त हुआ था कि थानाध्यक्ष (श्री आर०एस० द्विवेदी) क्षेत्र कटरा में हरे पेड़ों का कटान, बिना परमिट के करवा रहे हैं ? क्या इसकी जांच प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरीय वन प्रभाग, गोन्डा द्वारा कराई गई थी ओर जांच में प्रभागीय अधिकारी न थानाध्यक्ष को दोषी पाया था ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बनारसी दास--

जी हां, प्रश्नकर्ता का दिनांक २०-१२-७८ का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जांच करायी गयी । प्राप्त सूचना के अनुसार यह बात प्रमाणित नहीं बतायी गयी है कि थानाध्यक्ष बिना परमिट के हरे पेड़ों की कटान करवा रहे थे । यह बताया गया था कि पुलिस इस ओर कम ध्यान देती है इस संबन्ध में सतर्क रहन एवं नियमानुसार कार्यवाही के आदेश स्थानीय अधिकारियों द्वारा दिये गये हैं ।

## गोन्डा जिले के थाना पचपेड़वा के थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायती पत्र

८--श्री दीप नरायन--

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि गोन्डा जनपद के थानाध्यक्ष पचपेड़वा एवं पुलिस पचपेड़वा के विरुद्ध ३० जनवरी, १९७९ से आज तक कितने शिकायती-पत्र रिश्वतखोरी, डकती कराने, चोरी कत्ल कराने, तस्करी करने हरिजनों के मुकदमें में गिरिफ्तारी न करने के सम्बन्ध में उप पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर परगना मैजिस्ट्रेट बलरामपुर जिलाधिकारी, गोन्डा को जिला पुलिस अधीक्षक, गोन्डा गृह सचिव, मुख्य मंत्री, महानिरीक्षकपुलिस, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं ? जांच किस अधिकारी

द्वारा कराई गयी है, आरोप क्या थे, क्या शिकायत कर्ताओं ने गुप्तचर शाखा द्वारा जांच कराने की मांग भी की थी ? यदि हां, तो दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बनारसी दास--

सात शिकायतें जिनमें से कुछ म संलग्नक भी हैं प्राप्त हुई विदित होती हैं। कुछ शिकायतों की जांच प्रारम्भ में क्षेत्राधिकारी द्वारा की गयी थी किन्तु कुछ शिकायतों की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा किय जान के आदेश दिये गये हैं। प्रार्थना-पत्रों में मुख्यतः पचपेडवा थाने के थानाध्यक्ष तथा पुलिस के विरुद्ध साम्प्रदायिकता फलाने झूठे आरोप लगाकर रिश्वतखोरी करने, डकैती कराने चोरी कराने, जुआ खिलवाने, कत्ल के मुकदमें छिपाने तस्करी कराने का आरोप है। जी हां, गुप्तचर विभाग द्वारा जांच कराने का सुझाव दिया गया था। भ्रष्टाचार निराकरण संगठन से रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायगी।

## थाना गिरवां, जिला बांदा के भवन निर्माण की मांग

९--श्री सुरेन्द्रपाल (जिला बांदा)--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के थाना गिरवां की नई इमारत बनवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र २८ मार्च, १९७९ को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अभी तक इस नितान्त आवश्यक पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बनारसी दास--

जी हां, सीमित अर्थ व्यवस्था के कारण थाना गिरवां के नये भवन को फिलहाल निर्मित कराया जाना सम्भव नहीं है।

## बांदा जिले के थाना नरैनी के श्रीमती हल्की द्वारा लिखायी गयी रिपोर्ट

१०--सुरेन्द्रपाल वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के थाना नरैनी के ग्राम रिसौरा की हरिजन महिला श्रीमती हल्की बेवा कल्ली ने थाना नरैनी में दिनांक २० फरवरी, १९७९ को कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है ? यदि हां, तो अभी तक उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बनारसी दास--

जी हां, मामले में न्यायालय की अनुमति ले कर विवेचना की गई और अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र भेजा गया। अभियोग विचाराधीन न्यायालय है।

## बस्ती जिले के ग्राम भगौसा में डकैती

११--मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ (जिला बस्ती)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २३ सितम्बर, १९६७ को ग्राम के भगौसा, थाना धारा, जिला बस्ती में पड़ी डकैती के सम्बन्ध में श्री सिद्धेश्वर पान्डेय द्वारा दिनांक २२ जनवरी, १९७९ को दिया गया शिकायती पत्र जिस पर प्रश्नकर्ता की संस्तुति व्यक्त थी, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ, उस पर जांच कराई गयी, जांच से उसम लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुये। प्रश्नगत डकैती के मामले में आरोप-पत्र न्यायालय के विचाराधीन हैं।

१२—श्री गुरु प्रसाद—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

आजमगढ़ के ग्राम लाड़ों के श्री कैलाश चौहान के गायब होने की रिपोर्ट

१३—श्री राम आधार (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि श्री कैलाश चौहान पुत्र श्री अवतारु ग्राम लाड़ो, थाना मुबारकपुर, जिला आजमगढ़ दिनांक १७ मार्च, १९७९ से लापता है और जिनकी उम्र १५ वर्ष है क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि इस सम्बन्ध में राम फेर चौहान ग्राम लोडो, थाना मुबारकपुर, आजमगढ़ ने लिखित दरख्वास्त थाने पर दिनांक १० अप्रैल, १९७९ को दिया था ? और क्या इस सम्बन्ध में १४ अप्रैल, १९७९ को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को तथा मुख्य मन्त्री उत्तर प्रदेश को दिनांक १६ अप्रैल, १९७९ को क्षेत्रीय विधायक का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राम फेर चौहान पुत्र श्री अवतारु ग्राम लाड़ी, थाना मुबारकपुर ने थाने पर एक लिखित तहरीर दिनांक ११ अप्रैल, १९७९ को दी थी कि उनका भाई कैलाश उम्र १४-१५ वर्ष दिनांक १७-३-७९ से गायब है तथा उनका भाई कैलाश उन्हीं के गांव के एक लड़के इन्द्रजीत के साथ कहीं बाहर चला गया था। माननीय विधायक का दिनांक १६-४-७९ का पत्र प्राप्त हुआ।

स्थानीय पुलिस द्वारा जांच की गई और गुमशुदगी के बारे में पुलिस गश्ती जारी की गई। अभी तक किसी अपराध का होना ज्ञात नहीं हो पाया है।

१४—श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

[२०-३-७९ को तारांकित प्रश्न संख्या ६३ द्वारा उत्तरित]

१५—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[छठे मंगलवार के लिए स्थगित]

बहराइच जिले के थाना सिरसिया में पंजीकृत अभियोग

१६—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बहराइच जिले के थाना सिरसिया से विगत एक साल में धारा १०७/११६ जा० फौ० व १५१ जा० प०फौ० के कितने मुकदमें कराए गए ? मुकदमे चलाए जाने की विशेष परिस्थिति किन-किन कारणों से उत्पन्न हुई और उनके कारणों से निपटने के लिए पुलिस ने कोई ठोस उपाय निकाला ?

श्री बनारसी दास--

धारा १०७/११६ जा० फौ० के अन्तर्गत ३६ तथा १०७/११६/१५१ जा० फौ० के अन्तर्गत १० अभियोग अंकित किये गये ये सभी अभियोग उन संगीन मामलात में अंकित किय गये जिनमें शांति भंग होने की संभावना पायी गयी । यह कार्यवाही भा०द०वि० के संगीन अपराध जैसे हत्या, हत्या की चेष्टा, बलवा आदि के रोकने एवं कारणों को निपटाने के लिये की गयी ।

## बहराइच जिले के थाना भिनगा द्वारा पकड़े गये हल्दी व सोंठ के तस्कर

१७--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या यह सही है कि बहराइच जिले के थाना भिनगा की पुलिस ने मार्च या अप्रैल, १९७९ में नेपाल राज्य में हल्दी, सोंठ अवैधानिक ढंग से लाते हुए चहलवा चौकी पर १९ व्यक्तियों को पकड़कर दो व्यक्तियों को छोड़कर शेष का चालान किया ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है और इसको रोकने के लिये क्या व्यवस्था की गयी ?

श्री बनारसी दास--

जी नहीं । माह मार्च में केवल १७ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । यह मामले अभी विवेचनाधीन है । विवरण यह है कि थाना भिनगा द्वारा १७ व्यक्तियों को अवैधानिक ढंग से हल्दी और सोंठ राज्य नेपाल से लाकर तस्करी करते समय गिरफ्तार किया गया । सीमावर्ती थाने व चौकियों को तस्करी रोकने के संबंध में कठोर निर्देश जारी करना बताया गया है ।

## श्री गिरजा शंकर, थानाध्यक्ष, महराजगंज, जिला गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

१८--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान थानाध्यक्ष महरागंज, जिला गोरखपुर के विरुद्ध इनके यहां आने के बाद अनेकों शिकायतें जन प्रतिनिधियों द्वारा सरकार को दी गयीं ? क्या यह भी सत्य है कि थानाध्यक्ष महराजगंज, गोरखपुर का स्थानान्तरण फरवरी, १९७९ में ही हो गया था ? यदि हां, तो क्या उसका कार्यान्वयन हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास--

श्री गिरजा शंकर थानाध्यक्ष महराजगंज के विरुद्ध कुछ शिकायती पत्र प्राप्त हुये हैं । उक्त थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण हो चुका है तथा इनके प्रतिस्थानी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

## बहराइच वन प्रभाग में पेड़ों का नाजायज कटान

१९--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या शासन को यह ज्ञात है कि बहराइच जिले के जंगलात में लाखों रुपयों के नाजायज पेड़ों की कटान रेंजों में शस्त्रधारी गश्ती दलों के अभाव में प्रतिमाह होती है ? यदि हां, तो रेंजवार बहराइच जिले में कितने शस्त्रधारी गश्ती दल कहां-कहां किस-किस संख्या में है और कब तक गश्ती दलों की संख्या बढ़ाकर नाजायज पेड़ों की कटान पूर्णतया रोक दी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काजी मुहम्मद मोहिउद्दीन--

बहराइच जिले के जंगलात में लाखों रुपये की नाजायज कटान प्रतिमाह नहीं होती। कुछ नाजायज कटान की घटनायें बहराइच जिले के वनों में होती है। बहराइच जिले में वनों की सुरक्षा के लिये कोई शस्त्रधारी गश्ती दल इस समय नहीं है।

चालू वित्तीय वर्ष (१९७९-८० के आय-व्ययक में, मैदानी क्षेत्र में पांच गश्ती दलों को तैनाती हेतु प्रविधान, नई मांगों के माध्यम से, कराया गया है। इनमें से एक दल को बहराइच वन प्रभाग में तैनात करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

## पी० ए० सी० में अधिकारियों की नियक्ति में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति का आरक्षण कोटा

२०--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रादेशिक सिविल सेवा (पी०सी०एस०) के सामान्य, वरिष्ठ एवं विशेष वेतनमान के पदों में निर्धारित संख्या में इस समय नियुक्तियां पूरी हैं ? यदि हां, तो क्या तीनों वेतनमानों के पदों में विभिन्न वर्गों (अनुसूचित पिछड़ी एवं अन्य) के आरक्षण की घोषित नीति का पालन हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक पालन किया जायेगा ?

श्री बनारसी दास--

पी० सी० एस० संवर्ग में सामान्य वरिष्ठ एवं विशेष वेतनमान के पदों पर निर्धारित संख्या में नियुक्तियां पूरी नहीं है।

पी०सी०एस० संवर्ग में अधिकारियों की नियुक्तियां करते समय पिछड़ी जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए शासन की घोषित नीति को पूर्णतया ध्यान में रखा जाता है परन्तु अपेक्षित संख्या म अधिकारियों के उपलब्ध न होने के कारण आरक्षित पदों को पूर्ण रूप से भरना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

## केन्द्रीय कारागार वाराणसी के नक्सलपन्थी बन्दी, श्री घनश्याम शुक्ल द्वारा उच्च श्रेणी प्राप्त करने हेतु भूख हड़ताल

21--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या कारागार मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि वाराणसी केन्द्रीय कारागार में विरुद्ध नक्सलपन्थी बन्दी श्री घनश्याम शुक्ल ने फरवरी, 1978 में उच्च श्रेणी दिए जाने हेतु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की थी, तत्पश्चात प्रश्नकर्त्ता सहित कई अन्य विधायकों ने भी श्री शुक्ल को उच्च श्रेणी दिए जाने की संस्तुति की थी ? यदि हां, तो अब तक उच्च श्रेणी न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

कारागार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)--

जी हां। बन्दी को उच्च श्रेणी दिए जाने के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया था। किन्तु माननीय विधायकों के आग्रह का आदर करते हुए प्रश्नगत बन्दी को उच्च श्रेणी दिए जाने के मामले पर वर्तमान नियमों के अधीन रहते हुए एक बार फिर से विचार कर लिया जायेगा।

## होमगार्ड्स संगठन का पुनर्गठन एवं ब्लाक अर्गेनाइजर्स व बटालियन इन्स्ट्रक्टर्स के पद

22—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि होमगार्ड्स संगठन का पुनर्गठन भारत सरकार के प्रारूप में किया जा रहा है और पुराने प्रारूप के ब्लाक आर्गेनाइजर्स बटालियन इंस्ट्रक्टर्स (ए० एस० आई० रैंक) के पद नए प्रारूप में अधिकृत करने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो इन पदों के पदधारकों को जिनकी सेवाएं 1963 से हैं, किन नए प्रारूप के पदों पर खपाया जा रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

जी हां । होमगार्ड्स संगठन का पुनर्गठन भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में किया जा रहा है ।

पुराने प्रारूप में स्वीकृत ब्लाक आर्गनाइजर्स/बटालियन इन्स्ट्रक्टर्स (ए० एस० आई० रैंक) के पद भारत सरकार द्वारा नये प्रारूप में अधिकृत नहीं हैं । इन पदों को पुनर्गठित प्रारूप में अधिकृत कराने हेतु भारत सरकार से निवेदन किया गया है ।

## बांदा जिले के गांव परसौजा के श्री श्रीपाल का प्रार्थना-पत्र

23—श्री राम सजीवन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा किले के पहाड़ी थाने के गांव—परसौंजा के श्रीपाल पुत्र सिद्धू ने 22 दिसम्बर, 1978 को जिलाधिकारी बांदा को तथा 21 जनवरी, 1979 को पुलिस कप्तान, बांदा को प्रार्थना—पत्र भेजकर शिकायत की है कि उनके पट्टे की भूमि के पेड़ गांव के कुछ सरकश व गिरोहबन्द लोगों ने नाजायज अस्लहों से लश होकर जबरदस्ती काट कर उठा ले गए तथा पुलिस अधिकारी उनसे सांठ—गांठ किए थे ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास—

शिकायती—पत्र जांच हेतु भेजा गया था शिकायतों की जांच क्षेत्राधिकारी द्वारा की गई । और जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई । मामले में परीक्षण के उपरान्त कुछ बिन्दुओं के विषय में और सूचना मांगी गई है ।

## बांदा जिले के थाना पहाड़ी में श्री हीरालाल, श्री सीताराम व श्री राम नरेश के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग एवं उनके बन्दूक के लाइसेन्स के निरसन की कार्यवाही

24—श्री राम सजीवन—

क्या मुख्य मंत्री यह भी बतायेंगे कि बांदा जिले के पहाड़ी थाने में 12 दिसम्बर, 1978 को राम नरेश पुत्र राम भरोसा, निवासी परसौंजा, हीरा लाल, निवासी बिसण्डा, थाना बिसण्डा की लाइसेन्स की बन्दूक तथा सीताराम, निवासी परसौन्जा का लाइसेन्स लिए हुए गिरफ्तार किया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? लाइसेन्सधारियों के लाइसेन्स रद्द न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना पहाड़ी में अभियोग संख्या 87 धारा 25/30 आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत दिनांक 12-12-78 को अभियुक्त (1) रामनरेश (2) सीताराम (3) हीरालाल के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। श्री राम नरेश के कब्जे से हीरालाल की लाइसेन्सी बन्दूक तथा श्री सीताराम का लाइसेन्स व 25 कारतूस पुलिस द्वारा दिनांक 12-12-78 को बरामद किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया, जो न्यायालय के विचाराधीन है।

हीरालाल व सीताराम का लाइसेन्स निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

25—श्री बाबू लाल सरोज—

[6ठे मंगलवार के लिए स्थगित]

## बहराइच जिले के थानेवार पुलिस दलालों की कथित सूची

26—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि बहराइच जिले में थानावार पुलिस दलाली करने वालों की सूची है ? यदि हां, तो पुलिस दलाली करने वालों के विरुद्ध अथवा दलाली प्रथा समाप्त करने के लिए कौन-कौन उपाय किए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या यह भी सही है कि पुलिस के नाम पर दलाल जनता से मनमाना पैसा ऐंठे रहे हैं ?

श्री बनारसी दास—

जी नहीं। स्थानीय अधिकारियों द्वारा इस ओर बराबर सतर्क दृष्टि रखी जाती है। जनता से दलालों द्वारा पैसे ऐंठने की कोई बात प्रकाश में नहीं आई है।

## लखनऊ मंडल में ग्रामीण तथा गृह उद्योगों की स्थापना

श्री राम नरायन वर्मा—

27—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मंडल में कितने ग्रामीण तथा गृह उद्योग की स्थापना वर्ष 1977-78 में कराई गयी और जिन उद्योगों को प्रारम्भ कराया गया है वह किन स्थानों पर हैं तथा प्रतिवर्ष उद्योगों से कितनी आय होती है तथा कितने व्यक्ति इन उद्योगों में कार्यरत हैं ?

श्री राम नरेश यादव—

वर्ष 77-78 में लखनऊ मंडल में खादी बोर्ड द्वारा ग्रामीण तेल, रेशा, गुड़ खाण्डसारी, चूना, काष्ट एवं लौह कला उद्योग, अनाज दाल प्रशोधन, फल संरक्षण, ग्रामीण दियासलाई, अखाद्य तेल, साबुन, चर्म उद्योग, कुम्हारी उद्योग एवं बेकारी उद्योग, उद्योग निदेशालय द्वारा लकड़ी के सामान एवं लोहे का सामान बनाने का उद्योग, खाण्डसारी, धान एवं दाल प्रशोधन, खाद्य तेल, इंजीनियरिंग वर्कशाप का सम्मान, कागज पर छपाई का उद्योग, सिले सिलाये कपड़े बनाने का उद्योग तथा

हथकरघा निदेशालय द्वारा हथकरघा उद्योग की स्थापना की गई। इन उद्योगों की इकाइयां जहां प्रारम्भ की गई हैं, उन जनपदों में इनकी स्थिति निम्नलिखित है :—

| जनपद का नाम | उद्योग निदेशालय इकाइयों की संख्या | खादी बोर्ड इकाइयों की संख्या | हथकरघा निदेशालय इकाइयों की संख्या |
|---|---|---|---|
| लखनऊ | 121 | 67 | 7 |
| लखीमपुर खीरी | 31 | 5 | 1 |
| सीतापुर | 31 | 21 | 5 |
| हरदोई | 33 | 51 | 3 |
| उन्नाव | 70 | 22 | 15 |
| रायबरेली | 107 | 86 | .. |
| | 393 | 252 | 31 |

(इसके अतिरिक्त 520 बुनकरों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण दिलाकर व्यक्तिगत इकाइयां स्थापित की गई)

खादी बोर्ड द्वारा वित्त पोषित इकाइयों द्वारा अर्जित लाभ से बोर्ड का सम्बन्ध नहीं है। खादी बोर्ड एवं उद्योग निदेशालय द्वारा वित्त पोषित इकाइयों के उद्यमियों को सामान्यतया कुल उत्पादन की 15 से 20 प्रतिशत आय होती है। हथकरघा इकाइयों से 17.76 लाख रुपये की वार्षिक आय हुई जिसमें 520 बुनकरों की व्यक्तिगत इकाइयों की आय भी सम्मिलित है उद्योग निदेशालय, खादी बोर्ड तथा हथकरघा निदेशालय द्वारा स्थापित उद्योगों की इकाइयों में क्रमशः 1450,568 एवं 2000 व्यक्ति कार्यरत हैं।

## लखनऊ तथा फैजाबाद मंडलों में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्थापित उद्योग

28—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या उद्योग मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मंडल तथा फैजाबाद मंडलों में कितने उद्योग खादी ग्रामोद्योग द्वारा इस समय संचालित हैं तथा यह उद्योग कहां-कहां स्थापित है? कितने व्यक्ति इस उद्योग में कार्यरत हैं तथा प्रतिवर्ष कितनी आय इन उद्योगों द्वारा होती है?

श्री राम नरेश यादव—

लखनऊ तथा फैजाबाद मंडलों में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा इस समय कम्बल कारखाना, हाथ कागज तथा अम्बर खादी की विभागीय

योजनायें संचालित की जा रही हैं । इन उद्योगों की जनपदवार स्थिति निम्नलिखित है :--

| योजना का नाम | मंडल का नाम | जनपद का नाम | आय | रोजगार |
|---|---|---|---|---|
| कम्बल | लखनऊ | रायबरेली | 9048.86 | 210 |
| अम्बर खादी | ,, | लखनऊ | 7630.00 | 92 |
| ,, | ,, | सीतापुर | 7515.00 | 133 |
| हस्थ कागज | फैजाबाद | फैजाबाद | 3604.90 | 6 |
| अम्बर खादी | ,, | गोंडा | 5820.00 | 148 |

विभागीय योजनाओं की आय उत्पादन का 10 प्रतिशत मानकर निकाला गया है ।

29--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री गोकरन प्रसाद--

[27-3-79 को तारांकित प्रश्न संख्या 27 द्वारा उत्तरित ।]

लाइसेन्स प्राप्त सूती मिलों की स्थापना

30--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश को दस सूती मिलों की स्थापना का लाइसेन्स मिल चुका है ? यदि हां, तो इन मिलों की स्थापना कब तक हो जायगी ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त लाइसेन्सों में से सार्वजनिक क्षेत्र में सभी 8 कताई मिलों की स्थापना की जा चुकी है । सहकारी क्षेत्र में भी एक कताई मिल की स्थापना की जा चुकी है तथा दूसरी कताई मिल के भवन निर्माण तथा मशीनरी लगाने का काम अपने अन्तिम चरण में है और यह मिल भी शीघ्र ही चालू हो जायेगी ।

बांदा जिले के गांव गड़ौली के श्री वासदेव द्वारा थाने में लिखाई गयी रिपोर्ट

31--श्री राम सजीवन--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले के कमासिन थाने के गाँव गड़ौली के वासदेव पुत्र सुख देव चमार ने 8 अगस्त, 1974 को तथा 26 नवम्बर, 1978 को तथा 15 अप्रैल, 1979 को कमासिन में रपट लिखाकर शिकायत की है कि गांव के पंडित पुत्र शिवदान ब्राह्मण उसको बार-बार पिटाई करते हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मुलजिमों के सम्बन्ध में उक्त हरिजन ने 19 अप्रैल, 1979 को पुलिस कप्तान बांदा को प्रार्थना-पत्र भी दिया था ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास--

जी हां ।

दिनांक 8-8-74 तथा 26-11-78 की रिपोर्ट पर विवेचनोपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध क्रमशः धारा 323/324 तथा 323/504/506 भारतीय दंड विधान के अधीन अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है । अभियुक्त न्यायालय से जमानत पर है । दिनांक 15-4-79 को लिखाई गई रिपोर्ट विवेचना में गलत पाई गई । फिर भी शांति व्यवस्था कायम रखन हेतु अभियुक्त सहित विपक्ष के 3 व्यक्तियों के विरुद्ध 107/116 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत एकपक्षीय रिपोर्ट न्यायालय भज दी गई है जो न्यायालय के विचाराधीन ह ।

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायतों की जांच क्षेत्राधिकारी बबेरू द्वारा की गई तथा अभियुक्तों के विरुद्ध पहले ही की जा चुकी कार्यवाही के अतिरिक्त अन्य कोई नवीन कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई ।

## बांदा जिले में बन्दूक के लाइसेन्स हेतु हरिजनों द्वारा दिया गया प्रार्थना-पत्र

32--श्री राम सजीवन--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में एस० डी० एम०, करवी के समक्ष बन्दूक के लाइसेन्स के लिए सन् 1977 व 1978 व 79 में कितने हरिजनों ने प्रार्थना-पत्र दिए और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या हरिजनों और निर्बल वर्गों की सुरक्षा के लिए बन्दूक के लाइसेन्स देने में उदारता बरती जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास--

शस्त्र के लाइसेन्स हेतु प्रार्थना-पत्र के निर्धारित प्रपत्र में जाति लिखने हेतु कोई स्तम्भ नहीं होता है अतः यह ज्ञात नहीं है कि सन् 1977-78 व 79 में पुनः कितने हरिजनों ने एस० डी० एम० करने के समक्ष बन्दूक लाइसेन्स हेतु प्रार्थना-पत्र दिये । बन्दूक लाइसेन्स की स्वीकृति आयुध अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आवेदक की पात्रता तथा उपयुक्तता के आधार पर की जाती है ।

## श्री फुरकान अहमद, बन्दी, जिला कारागार, बाराबंकी की भर्ती के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

33--श्री राम नरायन वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री फुरकान अहमद, बन्दी जिला कारागार जनपद बाराबंकी की भर्ती से सम्बन्धित कुछ विधायकों की संस्तुति सहित कुछ प्रार्थना-पत्र वर्ष 1978 में प्राप्त हुए ? यदि हां, तो इस बन्दी के भर्ती के सम्बन्ध में आज तक क्या कार्यवाही की गयी ।

न्याय मंत्री (श्री श्रीचन्द्र)--

जी हां । बन्दी को सशर्त मुक्त करने के आदेश दिए जा चुके हैं ।

## भूतपूर्व जिला कृषि अधिकारी, हरदोई के विरुद्ध आरोप-पत्र

34—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री हरिकेवल प्रसाद तथा श्री रामनरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 16 आरोपों से युक्त आरोप-पत्र की जांच विजीलेन्स द्वारा कराये जाने हेतु भू० पूर्व० क्षेत्रीय विकास उप मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन ने अपने पत्रांक 4617, दिनांक 17-11-77 द्वारा भू० पू० जिला कृषि अधिकारी, हरदोई के विरुद्ध आयुक्त एवं सचिव सतर्कता विभाग, उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया है ? यदि हां, तो जांच की प्रगति क्या है ?

श्री बनारसी दास—

गोपनीयता के कारण, जनहित में वांछित सूचना दिया जाना उचित न होगा

## 35—श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव—

[6ठे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## कताई मिलों के गट पर सूत बिक्रय केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में आदेश

36—श्री अब्दुल हफीज—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जून, 1978 में प्रश्नकर्ता की मांग पर मुख्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश की सभी मिलों को आदेश दिया था कि मिलों में तैयार स्टापिल तथा सूत की सरकारी सेल डिपो खोल कर सीधे बुनकरों को रियायती दामों पर बांटा जाय ? यदि हां, तो उक्त आदेश पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? तथा सेल डिपो कब खुल गया ?

श्री राम नरेश यादव—

वर्ष 1978 में तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने यह आदेश दिए थे कि सार्वजनिक क्षेत्र की कताई मिलों के गेट पर सूत विक्रय केन्द्र खोले जायं। तदनुसार बुनकरों की संख्या को ध्यान में रखते हुये शासनादेश दिनांक 15-1-79 में बुनकरों को "एक्स मिल रेट" पर सूत उपलब्ध कराने हेतु राज्य वस्त्र निगम तथा उसकी सहायक कम्पनी द्वारा काशीपुर, संडीला, मेरठ, मऊनाथ भंजन, अकबरपुर तथा बाराबंकी में स्थापित कताई मिलों के गेट पर अथवा उन नगरों में किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर जहां उक्त मिलें स्थापित हैं सूत की बिक्री हेतु एक-एक सेल डिपो की स्थापना के आदेश जारी किये गये थे। उक्त शासनादेश के अनुपालन में संडीला तथा मेरठ की कताई मिलों के गेट पर सेल डिपो मई, 1979 में खोल दिये गये हैं तथा उपरोक्त शेष चार डिपो खोले जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

## पिथौरागढ़ जिले के दौला बलिया में अस्पताल खोलने की मांग

37—श्री हाकिम लाल—

तृतीय सत्र 1978 का 1ला मंगलवार, दिनांक 26 दिसम्बर, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 9 नत्थी 'घ' के सन्दर्भ में क्या यह सही है कि ग्राम दौला बलिया के हरिजन निवासियों ने एलोपैथिक अस्पताल खोलने के सम्बन्ध में सरकार को 20 अक्तूबर व 20 दिसम्बर, 1978 को कोई ज्ञापन दिए हैं ? यदि हां, तो ज्ञापनों की मुख्य-मुख्य बातें क्या है और सरकार ने उनके निराकरण के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्री आबिद अली—

जी हाँ, दो प्रार्थना-पत्र दिनांक 21-10-78 तथा 20-12-78 प्राप्त हुये थे। पहले प्रार्थना-पत्र में दौला बलिया में अस्पताल खोलने का अनुरोध किया गया था और दूसरे प्रार्थना-पत्र में यह कहा गया था कि जो अस्पताल एक क्षेत्रीय विधायक के प्रयत्नों से दूसरे ग्राम में खोला जा रहा है उसे स्थानान्तरित करके दौला बलिया में स्थापित किया जाय। मुख्य चिकित्सा अधिकारी पिथौरागढ़ ने जुलाई, 1878 में यह लिखा था कि भुवनेश्वर, जो दौला बलिया से लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर है, एक केन्द्रीय स्थल है जहां पर चिकित्सालय खोलने से दौला बलिया सहित अन्य सभी ग्रामों की जनता चिकित्सालय से लाभान्वित हो सकती है। उन्होंने भुवनेश्वर में एक राजकीय एलोपैथिक अस्पताल खोलने की संस्तुति की थी। भुवनेश्वर में एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने के आदेश सितम्बर, 1978 में दे दिये गये थे। उपरोक्त दोनों प्रार्थना-पत्रों पर आवश्यक विचार हुआ। प्रार्थना-पत्र दिनांक 21-10-78 विधान सभा के नेता विरोधी दल के के माध्यम से प्राप्त हुआ था और दूसरा प्रार्थना-पत्र ग्राम सभा दौला बलिया के माध्यम से प्राप्त हुआ था। इसलिए नेता विरोधी दल, विधान सभा के निजी सचिव तथा प्रधान, ग्राम सभा, दौला बलिया को शासन के पत्र दिनांक 17-5-79 में उसका उचित उत्तर दे दिया गया।

38—श्री हाकिम लाल—

[6ठे मंगलवार के लिए स्थगित।]

## आगरा जिले की तहसील खैरागढ़ में थाने की स्थापना की मांग

39—श्री हुक्म सिंह परिहार—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील फतेहाबाद, जिला आगरा के पुलिस थाने में एक थाना तहसील खैरागढ़ में पड़ता है और वर्षा के दिनों में नदी से उस पार आने-जाने में भारी बाधा पड़ती है और नदी का पुल बहुत फासले पर होने से क्षेत्र से कट जाता है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में अलग से एक थाना बनाने पर विचार करेगी।

श्री बनारसी दास—

थाना इरादत नगर, जिला आगरा, तहसील खैरागढ़ के अन्तर्गत ही पड़ता है न कि फतेहाबाद तहसील में। थाना इरादतनगर से खैरागढ़ व फतेहाबाद जाने के लिए उटंगन नदी पर पक्के पुल बने हुये हैं तथा आने-जाने में बरसात के समय कोई असुविधा नहीं होती है।

जांच से क्षेत्र में अतिरिक्त नये थाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

## वन विभाग बांदा द्वारा ग्राम सभा, देहनी की भूमि का अधिग्रहण

40—श्री राम सजीवन—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले के परगनाधिकारी, करवी ने दिनांक 16 नवम्बर, 1978 को प्रभागीय वन अधिकारी, बांदा को पत्र लिखकर संस्तुति की है कि ग्राम देहिनी, तहसील करवी में वन विभाग द्वारा गांव सभा की ली गयी 208 एकड़ जमीन ग्राम सभा को हस्तान्तरित कर दी जाय अथवा बदला

बांध से विस्थापित अमीनपुर छिउलहा गांव, तहसील करवी के 42 परिवारों को कृषि कार्य हेतु पट्टे पर दे दिया जाय ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि उस जमीन पर आज तक कोई पेड़ नहीं लगाये गये हैं ?

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन—

बांदा जिले के परगनाधिकारी, करवी के पत्र दिनांक 16 दिसम्बर, 1978 न कि 16 नवम्बर, 1978, द्वारा संस्तुति प्राप्त हुई थी। प्रभागीय वनाधिकारी, बांदा ने जांच के उपरान्त परगनाधिकारी को सूचित किया कि वन विभाग को ग्राम देहनी में जो भूमि प्राप्त हुई थी उसे आरक्षित वन घोषित किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त, उसी ग्राम में 186 एकड़ भूमि जो ग्राम सभा देहनी के अधिकार में है, उपलब्ध है। अतः ग्राम सभा की 186 एकड़ भूमि को अमीनपुर छिउलहा ग्राम के 42 विस्थापित परिवारों को कृषि हेतु पट्टे पर देने का सुझाव प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा दिया गया।

वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण का कार्य धन की उपलब्धता के अनुसार योजना-बद्ध तरीके से किया जाता है। यह सही है कि अभी प्रश्नगत भूमि पर वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

## वाराणसी जिले की गांव सभा देईपुर की भूमि के सम्बन्ध में कथित मुकदमा

41—श्री राम सजीवन—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि संख्या 47012 व 86911 गांव देईपुर, परगना कसवारा राजा, जिला वाराणसी के बारे में दीवानी न्यायालय मुन्सिफ, वाराणसी ने 23 अक्तूबर, 1978 को आदेश दिया कि जमीन की नवैयत न बिगाड़ी जाय ? इस आदेश की वजह से परगनाधीश, (दक्षिणी) वाराणसी ने थाना-ध्यक्ष मिर्जामुराद, वाराणसी को आदेश दिया था कि आवश्यक कार्यवाही करें और गांव सभा की सम्पत्ति की रक्षा और अपनी आख्या 9 नवम्बर, 1978 तक दें ? यदि हां, तो आदेशों के बाद पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम देईपुर (जिला वाराणसी) में प्रश्न में उल्लिखित नम्बर की भूमि का विवाद नहीं है। अतः अन्य प्रश्न नहीं उठता।

## बांदा जिले के गांव भदेदू के श्री मोंडा हरिजन का बन्धुवा मजदूरी के सम्बन्ध में प्रार्थना

42—श्री राम सजीवन—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले के थाना राजापुर के अन्तर्गत गांव के भदेदू के मोंडा पुत्र रज्जु चमार (हरिजन) ने मुख्य मन्त्री, गृह मन्त्री, आई० जी० पुलिस, डी० आई० जी० पुलिस, झांसी एवं पुलिस अधीक्षक को 19 जुलाई, 1978 को प्रार्थना-पत्र भेजकर शिकायत की है कि उसको पिता के एवज में बन्धुवा मजदूरी करने के लिए विवश किया जा रहा है तथा मारने-पीटने की धमकी दी जा रही है और उसका एक बैल जबरदस्ती छीन लिया है तथा 58 हजार रुपये का पुराना कर्ज मांगा जा रहा है ? क्या यह भी सही है कि आतंकवादी ठाकुरों ने उसके पट्टे का खेत नम्बर 3084 रकबा दो बीघा जबरदस्ती जोते हैं ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास—

जी हां, प्रश्नगत शिकायती पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी कर्वी द्वारा की गई। जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

भीमल के सेलू को पटसन के विकल्प के रूप में उपयोग किये जाने की सम्भावना

43—श्री रणजीत सिंह—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उद्योग विभाग ने इस सम्भावना का पता लगवाया है कि भीमल से बना 'सेलू' पटसन का विकल्प (सब्स्टीट्यूट) बन सकता है ? क्या यह सही है कि उक्त सम्बन्ध में खादी कमीशन से विभाग द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गयी है ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट क्या थी ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार माह नवम्बर, 1978 में देहरादून में आयोजित औद्योगिक सम्मेलन में रेशा (फाइबर) उद्योग के सम्बन्ध में चर्चा हुई थी और भीमल से बने सेंलू को पटसन के विकल्प स्वरूप उपयोग करने की सम्भावना पर खादी कमीशन द्वारा अन्वेषण किया जा रहा है। उनसे अभी तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

बांदा जिले के गांव चर के श्री भैरमा व श्री भग्गू हरिजन के मारे पीटे जाने सम्बन्धी कथित शिकायत

44—श्री राम सजीवन—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले के रैपुरा थाने के गांव चर के भैरमा चमार आदि 4 हरिजनों को मारे-पीटे जाने की शिकायत डी0 आई0 जी0 पुलिस, झांसी व पुलिस कप्तान, बांदा के पास 3 जनवरी, 1979 को भेजी थी और भग्गू चमार को पीटे जाने की शिकायत 3 जनवरी, 1979 को पुलिस कप्तान और जिलाधिकारी, बांदा को भेजी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत शिकायतों से सम्बन्धित कथित तिथियों के प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुए।

बांदा जिले के गांव भूभई के श्री मंगल, श्री भूरा आदि हरिजनों की भूमि का अधिग्रहण

45—श्री राम सजीवन—

क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में करवी तहसील के भूभई गांव में मंगल, भूरा, चुन्ना आदि तेरह हरिजनों को गाटा संख्या 358 की 70 बीघा जमीन के सीरदारी के पट्टे 14 सितम्बर, 1964 को दिए गए थे जिसे शासन ने 26 फरवरी, 1977 को राजकीय विज्ञप्ति द्वारा पुनर्ग्रहण कर लिया था ? भारतीय वन अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत 7 अप्रैल, 1967 को प्रकाशित प्रस्ताव के अनुसार क्या वन बन्दोबस्त अधिकारी ने यह जानकारी की थी कि उक्त भूमि के सीरदार हरिजन पट्टेदार हैं और क्या उनको सूचित करके उनसे आपत्तियां आमन्त्रित की थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन--

गाटा नम्बर 358 के पट्टों के बारे में कोई सूचना न होने के कारण, इस भूमि का पुनर्ग्रहण वन विभाग को हस्तान्तरण करने हेतु किया गया। हस्तान्तरण के उपरान्त आरक्षित वन घोषित करके ध्येय से इस पर वन बन्दोबस्त की कार्यवाही की गई। वन बन्दोबस्त की कार्यवाही के दौरान आपत्तियां मांगी गई। इस आशय की कोई आपत्ति प्राप्त न होने और न ही वन बन्दोबस्त अधिकारी को यह सूचना मिलने कि इस भूमि पर हरिजनों के सीरदारी हक है, वन बन्दोबस्त अधिकारी ने इस भूमि को अगस्त, 1973 में आरक्षित वन घोषित करवा दिया। आरक्षित वन घोषित करने के समय अन्तिम रूप से सीमांकन में भी मौके पर किसी व्यक्ति का कब्जा नहीं पाया गया। वन विभाग ने इस क्षेत्र में वृक्षारोपण भी कर दिया है।

46--श्री राम सजीवन--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

## इटावा जिले के शस्त्र लाइसेन्स धारियों की जांच

47--श्री औसान सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि शासन द्वारा वर्ष 1976-77 में इटावा जनपद के अश्लहा लाइसेन्सधारियों की जांच कराई गई थी और असामाजिक एवं अनैतिक अपराधियों के लाइसेन्स निरस्त करने के आदेश दिए गए थे? यदि हां, तो कितने लाइसेन्स निरस्त किए गए और किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है?

श्री बनारसी दास--

वर्ष 1977-78 में जिलाधिकारी, इटावा द्वारा समस्त शस्त्र लाइसेन्सधारियों की समीक्षा की गई थी। इसके फलस्वरूप 6 लाइसेन्सधारी अवांछनीय गतिविधियों से सम्बन्धित पाये गये जिनमें से 4 लाइसेन्सधारियों के लाइसेन्स निरस्त किये जा चुके हैं और दो लाइसेन्सधारियों के लाइसेन्स निलम्बित कर उनके मामले विचाराधीन हैं।

## भूतपूर्व थानाध्यक्ष, श्री बंशराज सिंह, विधुना जिला इटावा के विरुद्ध की गई जांच

48--श्री औसान सिंह--

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि आपात काल के सम्बन्ध में पूर्व थानाध्यक्ष, विधूना श्री बंशराज सिंह के विरुद्ध कोई जांच चल रही है? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई? क्या श्री बंशराज सिंह को इसी सम्बन्ध में निलम्बित किया गया है?

श्री बनारसी दास--

प्राप्त सूचना के अनुसार आपात काल के सम्बन्ध में भूतपूर्व थानाध्यक्ष विधूना (जनपद इटावा) श्री बंश राज सिंह के विरुद्ध जांच की गई थी जिसके फलस्वरूप उनके विरुद्ध धारा 161/342/218 भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा अंकित कर विवेचना की गई। विवेचना अन्तिम रिपोर्ट लगा कर समाप्त की जा चुकी है।

श्री बंश राज सिंह को उक्त मामले में ही निलम्बित किया गया था ।

## बस्ती जिले के थाना घनघटा का भवन

49—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार बताएगी कि थाना दलगटा, जिला बस्ती के नवनिर्मित भवन की छत 9 अप्रैल को गिर गई ? यदि हां, तो इस अनियमितता की जांच कराकर दोषी व्यक्ति के व्यक्ति विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री बनारसी दास—

जिला बस्ती में दलगटा नाम का कोई थाना नहीं है । अतः भवन की छत गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता । घनघटा थाना है जिसके नव निर्मित भवन की छत नहीं गिरी है ।

## आजमगढ़ जिले की ग्राम सभा बौरहरा के हरिजनों के साथ कथित मार पीट की घटना

50—श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)—

क्या गृह मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि 20 जुलाई, 1977 को ग्राम सभा बौरहरा, थाना मुहम्मदाबाद, जनपद आजमगढ़ के हरिजनों पर प्राणघातक हमला करके उनसे घड़ी आदि छीन ली गई तथा उनकी रिपोर्ट भी थाने में नहीं लिखी गई ? यदि हां, तो अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार जांच से यह ज्ञात नहीं हो सका । कथित घटना घटित हुई और उनकी रिपोर्ट थाने पर नहीं लिखी गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

51—श्री लाल दास—

[6ठें गुरूवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## काष्ठ कला औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि०, बबेरू, जिला बांदा का ऋण हेतु प्रार्थना-पत्र

52—श्री देव कुमार—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, कानपुर के कार्यालय में काष्ठकला औद्योगिक उत्पादन सहकारी समिति लि0, बबेरू, जिला बांदा का 14,000 रुपये कर्ज पाने हेतु प्रार्थना-पत्र जनवरी, सन् 1977 से विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त समिति को अब तक कर्ज न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री राम नरेश यादव—

काष्ठ कला औ0 उ0 स0 सं0 लि0 बबेरू जिला बांदा का प्रार्थना-पत्र 14000 रु0 कर्ज जाने हेतु उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को प्राप्त हुआ था । चूंकि उपरोक्त समिति ने वर्ष 72-73 में प्रदत्त सहायता का उपयोग नियमानुसार नहीं किया है । अतः प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया गया है ।

## राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ के छात्रों और कण्डक्टर तथा ड्राइवर के बीच मारपीट की घटना

53—श्री गनेशी लाल चौधरी तथा श्री लालदास—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिनांक 8 मार्च, 1979 को राजकीय पालीटेक्नीक, लखनऊ के छात्रों और बाराबंकी जा रही एक रोडवेज के बस कण्डक्टर और ड्राइवर में मार-पीट हुई ? यदि हां, तो इस घटना के तथ्य क्या हैं ?

श्री बनारसी दास—

जी हां, प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 8-3-78 को जब बस नं० यू० टी० डब्लू० 69 लखनऊ से बाराबंकी की ओर जा रही थी तो लगभग 1 बजे फैजाबाद रोड पर स्थित पालीटेक्निक स्कूल के सामने लगभग 40-50 छात्रों ने जो सड़क घेरे खड़े थे, गाड़ी रोक ली। गाड़ी रुकते ही ड्राइवर को छात्रों ने जबरदस्ती गाड़ी से खींच लिया और उसे मारपीट कर उसकी जेब से रुपये निकाल लिये।

मामले में विवेचना हो रही है।

## आगरा जिले के ग्राम बांगुरी में पुलिस चौकी की स्थापना हेतु प्रार्थना-पत्र

54—श्री हुक्म सिंह परिहार—

क्या सरकार को पता है कि बांगुरी, थाना शमशाबाद, जिला आगरा में अस्थायी पुलिस चौकी कायम है ? क्या इस गांव में उपरोक्त चौकी को स्थायी करने की मांग क्षेत्रीय विधायक द्वारा की गई ? अगर हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की और यह चौकी कब तक स्थायी हो जायेगी ?

श्री बनारसी दास—

जनपद आगरा में थाना शमशाबाद के अन्तर्गत ग्राम बांगुरी में इस समय अस्थायी अथवा स्थायी किसी प्रकार की पुलिस चौकी स्थापित नहीं है। इस क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था एवं अपराध तथा अपराधियों पर नियंत्रण की दृष्टि से ग्राम बांगुरी में एक सशस्त्र गार्द वर्ष 1978 से नियुक्त है जो वर्तमान समय में भी उसी क्षेत्र में गश्त करती है।

ग्राम बांगुरी में एक स्थायी चौकी की स्थापना के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता महोदय का पत्र प्राप्त हुआ है। पुलिस चौकी के औचित्य के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय से आख्या मांगी गई है।

## इलाहाबाद की तहसील मंझनपुर में लघु उद्योगों की स्थापना एवं दिया गया ऋण

55—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977-78 में जनपद इलाहाबाद की तहसील मंझनपुर में कौन-कौन उद्योग किन-किन स्थानों पर स्थापित किए गए और उन उद्योग चालकों को उक्त वर्ष में कितनी-कितनी धनराशि अनुदान एवं ऋण के रूप में वितरित की गई तथा उन उद्योगों में कितने व्यक्ति कार्यरत हैं ? साथ ही उन उद्योगों की स्थिति क्या है ?

श्री राम नरेश यादव--

वर्ष 1977-78 में जनपद इलाहाबाद की तहसील मंझनपुर में लघु स्तरीय क्षेत्र में खाद्य तेल, जाब वर्क तथा आटोमोबाइल रिपेयरिंग की पांच इकाइयां मंझनपुर, पश्चिम शरीरा एवं कनैलो स्थानों पर उद्यमियों द्वारा स्थापित की गई तथा ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में गुड़, ग्रामीण कुम्हारी एवं चर्म शोधन उद्योग की पन्द्रह इकाइयां उद्यमियों द्वारा तम्योहर सड़वा तथा कुम्हियावां ग्रामों में स्थापित की गई।

लघु उद्योग क्षेत्र में दो इकाइयों को 18,000 रु का ऋण ग्रामीण औद्योगिक परियोजनान्तर्गत दिया गया। 5 इकाइयों में 21 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है। इकाइयों ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है और शैशव अवस्था में हैं।

ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में स्थापित उद्योगों को 19,425 रु0 ऋण तथा 5,175 रु0 अनुदान स्वरूप वितरित किया गया है तथा 52 व्यक्ति कार्यरत हैं। ये सभी इकाइयां कार्यरत हैं।

56--श्री राम आसरे वर्मा--

[ 6ठें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 45 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ]

## गोरखपुर जिले में हत्या की घटनायें

57--श्री देवबहादुर सिंह तथा श्री श्यामधर मिश्र--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर में माह सितम्बर, 1978 में कुल कितनी हत्यायें हुई ? हत्या के कारण क्या-क्या थे, क्या सभी हत्याओं के अपराधी पकड़े गए ?

श्री बनारसी दास--

हत्या के सम्बन्ध में कुल 11 अभियोग पंजीकृत हुये थे जिनमें 15 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। हत्या भूमि के झगड़े, पार्टी बन्दी, पुरानी दुश्मनी, अवैध सम्बन्ध आदि के कारण हुई। उक्त हत्याओं के अभियोग में कुल 56 अभियुक्त नामजद थे तथा 3 जांच से प्रकाश में आये थे। इन अभियुक्तों में से 48 को बन्दी बनाया गया अथवा उन्होंने न्यायालय में आत्म समर्पण किया है। शेष 11 फरार अभियुक्तों के विरुद्ध 82/83 की कार्यवाही की गई है।

## बरेली के छात्र पुलिस संघर्ष में कलेक्ट्रेट के चपरासी की मृत्यु

58--श्री हामिद रजा खां (जिला बरेली)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 18 अप्रैल, 1979 को बरेली में छात्र पुलिस संघर्ष में कलेक्ट्रेट, बरेली के चपरासी की मृत्यु पर शासन ने उसके परिवार को क्या सहायता की ?

श्री बनारसी दास--

कलेक्ट्रेट, बरेली के मृतक चपरासी के परिवार की सहायतार्थ 5000 रु0 स्वीकृत किया जा चुका है।

## एम0 ए0 समद एण्ड को०, कालीन व्यवसायी, भदोही द्वारा न्यू इंडिया कारपेट भदोही के विरुद्ध लिखायी गई चोरी की रिपोर्ट

59-60—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एम0 ए0 समद एण्ड को0, कालीन व्यवसायी, फर्म भदोही के एक हिस्सेदार अब्दुल बारी ने ता0 28 सितम्बर, 1978 को एक झूठी व फर्जी रिपोर्ट थाना भदोही, जिला वाराणसी में किया है कि उनकी गोदाम से 380 पीस कालीन न्यू इंडिया कारपेट, भदोही नें चोरी कर लिया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि एम0 ए0 समद एण्ड को, भदोही की गोदाम का न तो ताला ही टूटा था और न तो सेंध ही लगी थी, तो किस बुनियाद पर थानेदार भदोही ने न्यू इंडिया कारपेट के गोदाम से 288 पीस कालीन ले लिया और उसके मैनेजर तथा और लोगों को गिरफ्तार किया ?

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मोतीलाल, गांव नेवादा, थाना फूलपुर, जिला वाराणसी ने पुलिस की इस अवैध एवं गलत कार्यवाही पर माननीय मुख्य मन्त्री, आई0जी0 पुलिस, उत्तर प्रदेश, एस0एस0पी0, वाराणसी को 24 नवम्बर, 1978 को प्रार्थना-पत्र दिया कि उक्त कालीन उक्त न्यू इंडिया कारपेट के कहने पर उन्होंने बनवाया जिसका आर्डर न्यू इंडिया कारपेट को पश्चिमी जर्मनी से आर्डर मिला था ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने भी मोतीलाल के प्रार्थना-पत्र को अपने पत्र के साथ श्रीमान्, गृह सचिव, उत्तर प्रदेश को 5 फरवरी, 1979 को दिया है ? यदि हां, तो कब कार्यवाही की गई ?

श्री बनारसी दास—

प्रश्न में उल्लिखित आशय की घटना के बारे में माननीय सदस्य व अन्य के पत्र शासन को प्राप्त हुए थें जिसपर अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा जांच के आदेश दिये गये हैं। अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच प्रचलित है। उक्त जांच के उपरान्त ही तथ्यों का पता लग सकेगा।

## अतर्रा, जिला बांदा के थानाध्यक्ष, श्री उमेश चन्द्र मिश्र के विरुद्ध आरोप पत्र

61—श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी की श्री एन0 आर0 गौतम, महा मंत्री नगर कांग्रेस, अतर्रा (बांदा) तथा राम स्वरूप रैदास, अतर्रा, जिला बांदा का दिनांक 20 मार्च, 1978 का कोई आरोप-पत्र प्रश्नकर्ता के माध्यम से प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा थानाध्यक्ष श्री उमेश चन्द्र मिश्र के विरुद्ध गम्भीर आरोप है, पुलिस उप महानिरीक्षक, झांसी के पत्र संख्या सी0ओ0जे0 261-78, दिनांक 26 अप्रैल, 1978 तथा पत्र संख्या सी0ओ0जे0 261-78 (सिम) ता0 15 जून, 1978 के अनुसार इस आरोप पत्र पर अभी तक क्या जांच हुई है ?

श्री बनारसी दास—

जी हां। जांच से राम स्वरूप रैदास के प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोप निराधार पाये गये।

श्री गौतम द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा की जा रही है।

## प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, मैं एक आग्रह कर रहा था...

श्री उपाध्यक्ष—

पहले हम 301 को ले लें, उसके बाद आप उसे रखें ।

श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जो प्रश्न पांचवें माह में प्राप्त हुये वे शुरू में एजेन्डे में हैं, जिन्होंने चौथे माह में प्रश्न दिये वे नहीं आये, आप हमारे प्रश्नों को स्थगित कर दें....

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री रणवीर सिंह—

[ × × × ]

( व्यवधान )

श्री उपाध्यक्ष—

अब यह कुछ लिखा नहीं जायेगा । यह आक्षेप है । यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा । प्रश्नों के बारे में आप मेरे कक्ष में मिल सकते हैं ।

## भूमि संरक्षण अधिकारी, अकबरपुर, कानपुर द्वारा सार्वजनिक धन का दुरुपयोग तथा सीमेन्ट के ब्लैक के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री प्रभु दयाल यादव, एडवोकेट (जिला कानपुर)—

मान्यवर, भूमि संरक्षण अधिकारी अकबरपुर, जनपद कानपुर द्वारा सार्वजनिक धन का दुरुपयोग तथा सीमेन्ट का ब्लैक हो रहा है । मान्यवर, आपके माध्यम से मन्त्री जी का ध्यान रामगंगा कमान्ड की भूमि संरक्षण इकाई अकबरपुर जनपद कानपुर के भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों में भारी अनियमितता कर जो अपार धन कमाया जा रहा है, की ओर दिलाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष ईंटों की जगह पर पीली व घटिया किस्म की ईंटों का प्रयोग किया जाता है तथा भट्टा मालिकों से मिल कर दर्जा अव्वल की ईंटों का भुगतान कर कमीशन लिया जाता है इस सिलसिले में कुलाबा नं0 25 घाटमपुर राजबहा तथा कुलाबा नं0 21 अकबरपुर राजबहा के कार्य का निरीक्षण तथा अन्य कार्य वर्ष 1978–79 में हुये हैं, किया जाना आवश्यक है ।

---

नोट:—[× ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री प्रभु दयाल यादव, एडवोकेट]

गूल निर्माण में जो अनुपात मसालों का निश्चित है वह न लगाकर 1.8 के अनुपात से लेकर 1.10 के अनुपात का मसाला लगाया जा रहा है जिससे कि नालियाँ टूटी हैं और इन नालियों के बनाने का भार गरीब किसानों पर पड़ रहा है। अकबरपुर राजबहा के कुलाबा नम्बर 23 को दो बार नाली टूट चुकी है। सीमेंट का ब्लैक किया जाता है।

कुल निर्माण के समय यह भी कार्य किया जाता है कि कार्य पर आये हुए श्रमिकों के अतिरिक्त फर्जी दैनिक मजदूरी चिट्ठा तैयार किया जाता है और फर्जी पेमेंट कराया जाता है।

मान्यवर, मैं कृषि मन्त्री जी से मांग करता हूं कि भूमि संरक्षण इकाई, अकबरपुर जनपद कानपुर के संरक्षण अधिकारी के सम्पूर्ण कार्यों की जांच अविलम्ब करायी जाये।

## फर्रुखाबाद जनपद के थाना शमशाबाद के ग्राम सुखनाखार में हरिजनों पर अत्याचार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री झाम लाल अहेरवार (जिला फर्रुखाबाद)—

मान्यवर, ग्राम सुखनाखार, थाना शमशाबाद, हरिजन छोटेलाल पुत्र रेवतीरमण यादव ने दिनांक 10 जून, 1979 को उत्पीड़न, मारपीट और बेगार लेने के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट धारा 323, 325, 342 में मुकदमा 380/24 में अंकित कराई थी, रिपोर्टकर्ता ने अनेक बार अधिकारियों एवं थाने के दरवाजे खटखटाये और रजिस्ट्री पत्रों द्वारा प्रार्थना की किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की और मुकदमें में फाइनल रिपोर्ट लगा इस गई जिसमें पुलिस के भ्रष्टाचार की स्पष्ट दुर्गन्ध आती थी। इस घटना से गुण्डों को प्रोत्साहन मिला और उन्होंने उत्पीड़न बढ़ा दिया। दिनांक 9 मई, 1979 को जब हरिजन की लड़की की बारात गांव में गई और करीब रात के 11 बजे लड़की के घर पर दरवाजे के रस्म अदा करने को गये तो गुण्डों ने प्राइमरी स्कूल में जहां बारात ठहरी हुई थी, बन्दूक, तमन्चा को दिखा कर लूट कर ली। गांव वालों का कहना है कि करीब 4,000 रु0 की लूट कर ली गई।

थाना में जब रिपोर्ट लिखाने गए, तो केवल 3 व्यक्तियों पर रिपोर्ट अपराध को कम करने के इरादे से लिखी गई। परिणामस्वरूप गुण्डों ने नाराज होकर और पुलिस का सहयोग पाकर हरिजनों को गांव में फिर पकड़ कर मारते-पीटते थाने की ओर यह कह कर ले गए कि तुम ज्यादा कानूनी बन गए हो, तुम्हें हम जेल भिजवायेंगे। पुलिस हमारे साथ है। शमशाबाद के लोगों के कहने सुनने से उन्हें छोड़ दिया। इसकी सूचना भी थाने में धारा 147, 323, 342 के अन्तर्गत की गई। इसकी जांच करने दरोगा जी, श्री चतुर्वेदी जो कि हरिजन विरोध के लिए जिले में कुख्यात हैं, दो दिन बाद गए। उन्होंने गांव में जाकर हरिजनों को गाली दी और अभियुक्तों को खुले रूप से जमानत करवाने के लिए कहते हुए कहा कि हम फाइनल रिपोर्ट लगा देंगे। पुलिस की इस हरिजन विरोधी कार्यवाही से गांव के गुण्डों का उत्साह बढ़ गया है और वह हरिजनों को मार डालने की तलाश में है। हरिजन गांव छोड़ भाग रहे हैं और आज वह लखनऊ में दुख कथा कहने के लिए आये हुए हैं।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, यदि तुरन्त उनकी सुरक्षा की व्यवस्था न की गई तो सामूहिक हत्यायें हो जावेंगी और उत्तर प्रदेश में भी बेलछी काण्ड की पुनरावृत्ति हो जावेगी। अस्तु आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध है।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी से इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिलवा दें। यह बहुत अहम मसला है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मुख्य मन्त्री जी इसकी जांच करा लें और हरिजनों को संरक्षण देने के सम्बन्ध में कार्यवाही करें।

## सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश तथा विशेषकर देवरिया में सीमेन्ट, मिट्टी का तेल, डीजल तथा पेट्रोल के अभाव के विषय का नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री हरि केवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

मान्यवर, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में खासतौर से गोरखपुर मण्डल के देवरिया जनपद में सीमेन्ट, मिट्टी के तेल, डीजल और पेट्रोल का घोर अभाव हो गया है जिसके फलस्वरूप काले बाजार में सीमेन्ट 45 रु0 प्रति बोरी, मिट्टी का तेल 3 रु0 लीटर, डीजल 3 रु0 लीटर और पेट्रोल 8 रु0 प्रति लीटर बिक रहा है। देवरिया जिले के सीमेन्ट का कोटा 10 हजार मिट्रिक टन से घटा कर 5 हजार मिट्रिक टन प्रति तिमाही कर दिया गया है। जबकि देवरिया जनपद की आबादी और मांग को देखते हुए कोटा को बढ़ा कर कम से कम 20 हजार मिट्रिक टन किया जाना चाहिये था। 20 अप्रैल, 1979 को माननीय मुख्य मन्त्री के देवरिया के दौरे के समय जनपद के जन प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं अन्य लोगों ने सीमेन्ट के अभाव की तरफ माननीय मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करते हुए सीमेन्ट का कोटा कम से कम पूर्व की भांति 10 हजार मिट्रिक टन करने की मांग की थी।

माननीय मुख्य मन्त्री ने उनकी भावनाओं के अनुरूप कोटा निर्धारित करने का आश्वासन भी दिया था। खेद है कि शासन द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री के आश्वासन के दिशा में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। सीमेंट की भांति ही मिट्टी के तेल का भी कोटा देवरिया जनपद का कम से कम कर दिया गया है जबकि मंडल के अन्य जनपदों का मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ा दिया गया है। मिट्टी के तेल के अभाव में गांवों के घरों और झोपड़ियों में अंधेरा छाया हुआ है, डीजल के अभाव में मक्का, चना आदि की फसलें सिंचाई न होने के कारण सूख रही हैं और पेट्रोल के अभाव में इससे चलने वाली गाड़ियां बन्द पड़ी हुई हैं जिसके फलस्वरूप शादी-विवाह के इस आलम में जनता को घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पम्पों पर पेट्रोल और डीजल के लिए भीड़ लगी रहती है। कुछ दिनों पूर्व हाटा पेट्रोल पम्प पर उग्र भीड़ को शान्ति करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। जिसके फलस्वरूप एक दर्जन लोग घायल हो गये। ठीक इसी प्रकार कई विकास खण्डों के कार्यालयों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरि केवल प्रसाद—]

पर उग्र भीड़ ने सीमेन्ट के परमिट के लिए हमला कर दिया । खिड़कियों के शीशे तोड़ दिया, फाइलें फाड़ दीं तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपमानित किया । ब्लाकों के अधिकारी एवं कर्मचारी अपने को असुरक्षित पा रहे हैं जिसके फलस्वरूप सम्पूर्ण जनपद के खण्ड विकास अधिकारियों ने शासन को सीमेन्ट न बांटने में अपनी असमर्थता से अवगत करा दिया है, जिससे पूरे देवरिया जनपद में एक विषम परिस्थिति पैदा हो गई है ।

अतः आज में माननीय सदन में आपके माध्यम से इस लोक महत्व के विषय की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए निम्नलिखित मांग करता हूं—

(1) मिट्टी के तेल के कोटे की कटौती जो देवरिया जनपद के लिए की गई है, तत्काल समाप्त की जाय तथा मिट्टी के तेल, डीजल और पेट्रोल की कमी को दूर कर अविलम्ब भरपूर आपूर्ति कराई जाये जिससे ये उचित मूल्य पर सुलभ हों ।

(2) सीमेन्ट का त्रैमासिक कोटा, जिसे अब 5 हजार मीट्रिक टन कर दिया गया है, को बढ़ा कर 20 हजार मीट्रिक टन किया जाय ।

## बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ तहसील के ग्राम रनापुर तथा गढ़ी गोसिया मऊ में अग्निकाण्ड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ तहसील के अन्तर्गत ग्राम रनापुर तथा गढ़ी गोसिया मऊ में भीषण अग्निकाण्ड के कारण क्रमशः 15, 20 घरों की सारी सम्पत्ति जिसकी कीमत लाखों रुपये है जल कर नष्ट हो गई । जिससे अग्नि पीड़ितों की हालत अत्यन्त ही दयनीय हो गई है ।

अभी तक परगनाधिकारी व तहसीलदार हैदरगढ़ ने जानबूझ कर न तो मौके की जांच की है और न ही अग्नि पीड़ितों को मिलने वाली सरकारी सहायता दी । अतः अधिकारियों की इस उपेक्षा और दुर्व्यवहार से जनता में घोर असंतोष व्याप्त है ।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की तरफ सरकार एवं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए माननीय मुख्य मंत्री से मांग करता हूं कि अग्नि पीड़ित परिवारों को 1,000 रुपया प्रत्येक के आर्थिक अनुदान देकर सहायता करें तथा बकाया लगान, सिंचाई व तकावी का ऋण माफ करें ।

सहायता कार्य में उदासीनता बरतने वाले परगनाधिकारी तथा तहसीलदार के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही करें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

## फर्रुखाबाद जनपद के ग्राम रुदाइन में भूतपूर्व जमींदारों द्वारा हरिजनों एवं निर्बल वर्ग पर अत्याचार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

फर्रुखाबाद जनपद के थाना कम्पिल के ग्राम रुदाइन में वहां के पुराने जमींदार और प्रभावी लोगों के अत्याचारों की कहानियां बहुत दिनों से सुनने को मिलती आ रही है आज उस गांव में वही अत्याचार और बेगार की प्रथा चली आ रही है। आज भी वहां के पुराने जमीनदार पुलिस से मिल कर लोगों को पकड़वाना उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाना और धारा 110 और 109 में चालान करवा कर गांव के दुर्बल लोगों को प्रताड़ित करते आ रहे हैं। गांव के हरिजनों नें कई बार अपनी रिपोर्ट थाने में अंकित कराई किन्तु उन सब में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। हरिजनों ने कुछ दिन पूर्व एक रिपोर्ट लिखाई थी उसके परिणामस्वरूप तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद ने धारा 107/116 की रिपोर्ट परगनाधिकारी के पास भेजी थी किन्तु वर्तमान थानाध्यक्ष ने यह कहकर कोई गांव म झगड़े की सम्भावना नहीं है उसे भी समाप्त करने के लिए सिफारिश कर दी जिससे वह मामला भी रुक गया और हरिजनों पर उत्पीड़न भी बढ़ गया। अब वहां के वही पुराने जमींदार हरिजनों को मारते पीटते और बगार ले रहे हैं। हम तथा इन लोगों ने अनेक बार अधिकारियों और पुलिस में शिकायत की है उनकी ओर ध्यान तो दूर रहा उल्टे उन्हें गाली गलौज करके भगा दिया गया है।

अस्तु हरिजनों में व्यापक असंतोष और निराशा छा गई है और उन्हें पुलिस से किसी प्रकार संरक्षण मिलने की सम्भावना नहीं है।

अस्तु माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन है कि तत्काल हरिजनों की सुरक्षा की उचित कार्यवाही करें अन्यथा कोई भी भयंकर दुर्घटना उस क्षेत्र में हो सकती है।

## बांदा जिले के ग्राम आंगनी का पुरवा में बदमाशों द्वारा हरिजन बस्ती में आग लगा देने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

बांदा जिले के करवी तहसील में थाना रैपुरा के अन्तर्गत गांव आंगनी का पुरवा नामक हरिजन बस्ती में बदमाशों ने 25–26 मई, 1979 की रात में आग लगा दी जिससे हजारों रुपयों का घरेलू सामान जल कर राख हो गया। बन्दूकों से लैस करीब 14–15 बदमाश डकैतों ने रात में बस्ती में धावा बोल दिया और गोली चलाई तथा लोगों को आतंकित किया। सभी ग्रामीणों को एक स्थान पर एकत्र करके घेरा डाल दिया और हुकुम दिया कि कोई आदमी, स्त्री–पुरुष या बच्चा इधर–उधर कहीं भाग कर नहीं जायेगा। तत्पश्चात् लूटने की नीयत से एक हरिजन बेरोजगार शिक्षित युवक श्री हनुमान प्रसाद के घर में घुसने की कोशिश की, उस युवक ने घर के अन्दर से फायर कर दिया, जिससे बदमाश अन्दर नहीं जा सके। उनके बीच कई बार गोली चली। जब बदमाश लूटने में सफल नहीं हुए तब उन्होंने पूरे घर में चारों तरफ से आग लगा दी। चार हरिजन परिवारों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम सजीवन--]

के घर जल कर राख हो गये । खेती का अनाज, भूसा, कण्डा, लकड़ी, कपड़ा, बरतन तथा अन्य गृहस्थी का हजारों रुपये का सामान नष्ट हो गया । मवेशी अधजले होकर बीमार हैं । घर के अन्दर स्त्री, पुरुष, बच्चे एक मटनई के नीचे शरण पाने से सुरक्षित बच गये । चारों परिवार खुले मैदान में पड़े हैं । इस लोमहर्षक घटना की जांच किसी उच्च अधिकारी से कराई जाय, क्योंकि स्थानीय पुलिस शिथिलता बरत रही है । साथ ही साथ उक्त हरिजन परिवारों को राष्ट्रीय एकीकृत विभाग व हरिजन विभाग तथा अन्य प्रकार से तुरन्त आर्थिक सहायता पहुंचाई जाय ।

## लखनऊ के थाना चिनहट के ग्राम बगुलिहा के श्री गुरुचरण हरिजन की सवर्णों द्वारा हत्या किए जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री संत बख्श रावत (जिला लखनऊ)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन एवं सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । दिनांक 22 मई, 1979 को प्रातः साढ़े नौ बजे ग्राम बगुलिया थाना चिनहट जिला लखनऊ में गुरुचरणपुत्र नन्हें निवासी अहमामऊ थाना गोसाईगंज जिला लखनऊ को सवर्णों द्वारा पेड़ में बांधकर लाठी डंडों से मार कर हत्या कर दी गयी । मृतक की माता की सूचना के अनुसार निम्न है :--

श्री गुरुचरन पुत्र नन्हें उपरोक्त जिसका कि मस्तिष्क ठीक नहीं था तथा अर्द्ध विक्षिप्त अवस्था में दिनांक 21 मई, 1979 को ग्राम तिन्धुवानी में अपने रिश्तेदार मोलेहे पासी के यहां ठहरा था । प्रातः उठकर गोमती नदी में स्नान कर पड़ोस में चाय की दुकान पर चाय पी रहा था । ग्राम बगुलिहा के कई लोग आये और मृतक श्री गुरुचरन को होटल से पकड़ ले गये और गांव में ले जाकर पेड़ में बांधकर इतना मारा कि वह घटना स्थल पर ही मर गया । बताया जाता है कि मृतक सचिवालय का कर्मचारी है । थाना चिनहट की पुलिस ने बिना उक्त गांव के दोषी लोगों पर कार्यवाही किये मृतक के शव को शव परीक्षण के लिए भेज दिया । इस घटना से मृतक के परिवार तथा समस्त जिले के हरिजनों में गहरा भय क्षोभ एवं असंतोष व्याप्त है ।

अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि शीघ्र सम्बन्धित मामले पर वक्तव्य देकर दोषी जनों पर उचित कार्यवाही कर दुखी परिवार को समुचित सहायता देने की कृपा करें ।

मान्यवर, इस पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य दिलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी जांच मुख्य मंत्री जी करवा लेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

## ग्राम घिनौहा, विकास खण्ड नेबुआ नौरंगिया जनपद देवरिया में अग्निकाण्ड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

मान्यवर, देवरिया जिले के विकास खण्ड नेबुआ नौरंगिया के ग्राम घिनौहा में 1 जून, 1979 को हुई भीषण अग्नि दुर्घटना में मुसलमान एवं कमजोर वर्ग के लोगों के घर जलकर भस्म हो गये हैं। अन्न, वस्त्र, घर, गोठा, धारी, सब कुछ स्वाहा हो गया है। लोग जेठ की तपती लू में पेड़ों के नीचे अपने बाल बच्चों तथा माल मवेशियों के साथ भूखे प्यासे और नंगे अपने विकट संकट के दिन काट रहे हैं। उनकी दुर्दशा देखकर और करुण क्रन्दन सुन कर लोगों में त्राहि-त्राहि मची हुयी है। ऐसी दशा में भी उनको कोई सरकारी सहायता अब तक नहीं पहुंची है जिससे लोगों में भीषण असंतोष व्याप्त है।

अस्तु लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न को आपके माध्यम से माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि तत्काल लोगों को हर सम्भव सहायता करें तथा देवरिया जिले की लम्बाई को देखते हुये उत्तराचल की प्रमुख नगरपालिका पड़रौना में भी एक दमकल की व्यवस्था करें ताकि नित्य प्रति के अग्नि दुर्घटनाओं पर काबू पाया जा सके।

## श्री मन्जूर अहमद के निलम्बन की शेष अवधि को निरस्त करने का प्रस्ताव

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, मेरी अनुपस्थिति में माननीय मंजूर अहमद का निलम्बन हुआ था। मैं उन परिस्थितियों में नहीं जाना चाहता जिसके कारण यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उपस्थित हुयी। मैं वातावरण को अधिक सहिष्णु बनाने के लिए निवेदन करूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री जी कृपया इस प्रश्न पर पुनर्विचार करें और उनके निलम्बन की अवधि आज से समाप्त कर दें।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, मैं माननीय नेता विरोधी दल ने जो बातें, कहीं उनकी भावनाओं का आदर करते हुये, उन्होंने जो कहा है उसमें विरोध नहीं है लेकिन मैं एक निवेदन जरूर कर देना चाहता हूं, वह यह है कि माननीय मंजूर अहमद साहब, सदस्य, मेरठ जिनके निलम्बन का बात है उनको यहां सदन ने 2, 3 बार देखा कि उन्होंने सदन का अपमान किया था। अध्यक्ष को अपशब्द कहने की और माननीय नेता सदन को अपशब्द करने कहने की एक प्रकार से आदत पड़ गयी है। मैं निवेदन करूंगा कि आप माननीय सदस्य मन्जूर साहब से अपने असर का उपयोग करते हुये कहें, ताकि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। उस दिन उन्होंने बोतल फेंकी जो बच गयी पैर में नहीं लगी। उनका आचरण उनके दल के लिए, हम सबके लिए अशोभनीय है। यहां जनता बैठी है, सदन की कार्यवाही देखती है, उन पर हमारे आचरण का असर पड़ता है। चूंकि माननीय नेता विरोधी दल ने यह निवेदन किया है तो मैं प्रस्ताव करता हूं कि:--

> यह सदन निश्चय करता है कि श्री मंजूर अहमद, सदस्य विधान सभा, जो 1 जून, 1979 को सदन की सेवा से निलम्बित किए गए थे, का अवशिष्ट अवधि के लिए निलम्बन निरस्त किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो अभी सलाह दी है उसके बारे में कोई दो राय नहीं है कि माननीय सदस्यों का आचरण जो संसदीय परिपाटी है और संहिता है उसके अनुसार होना चाहिये । यह केवल मंजूर साहब के लिए ही नहीं है बल्कि प्रत्येक माननीय सदस्य के लिए यह लागू होता है । अपशब्द कहने का एक रिवाज सा बन गया है । मेरा दुर्भाग्य है या सौभाग्य है मुझे न जाने कितने अपशब्द सुनने पड़ते हैं, मैं कभी क्षमा मांग लेता हूं और कभी मुस्करा देता हूं । तो मैं कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंटरी ढंग से जो बातें होंगी । वही उचित होंगी । मंजूर साहब सन् 1967 से, वरिष्ठ सदस्य हैं । जो बातें उन्होंने कही है, मैं उस समय उपस्थित नहीं था, मैं यह नहीं कह सकता कि क्या स्थिति हुई लेकिन जो उनकी सलाह है वह मंजूर अहमद के लिए क्या सभी लोगों के लिये, जो उनकी स्प्रिट है, जो उसकी आत्मा है, जो उन्होंने व्यक्त किया है सभी उसमें सहयोग देंगे ।

(श्री श्यामधर मिश्र के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

कल इसके ऊपर आप विचार व्यक्त कर चुके हैं ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय मंत्री जी देर से आये दुरुस्त आये और कल जब हम लोग यह प्रस्ताव लाये तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने तरह-तरह की शर्तें खड़ी की थीं । कल बिना उनसे बात हुये प्रस्ताव लाया गया था । दिघे साहब उपस्थित नहीं थे । लेकिन दिघे जी से और अन्य लोगों से बातें हुई थीं । हमें खुशी है कि कल उन्होंने जैसे अस्वीकार कर दिया था, आज स्वीकार कर लिया । मैं उनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं श्री दिघे से निवेदन करना चाहता हूं कि आज श्री दिघे ने और विरोधी पक्ष के नेता श्री नारायण दत्त तिवारी ने साबित कर दिया कि दोनों एक ही हैं । जब श्री दिघे जी कुछ कहते हैं तो वह श्री तिवारी जी के प्रस्ताव पर कहते हैं । कल हम तथा हमारे साथियों ने जब निवेदन किया था तो बड़ा-बड़ी शर्तें रखी गयी थीं लेकिन हमारे विरोधी दल के नेता श्री तिवारी जी का कुछ प्रभाव ऐसा है चाहे उनकी मुस्काहट का हो, नेक नीयती का हो या अनुभव का हो वह श्री दिघे पर पड़ जाता है लेकिन उसका असर श्री बनारसी दास पर नहीं पड़ा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें यह भी हो सकता है कि उनको सजा और भी मिल जाय ।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

इसलिए मेरा निवेदन है कि श्री तिवारी जी अपनी कार्य शैली से और अपनी भाषा शैली से श्री बनारसी दास जी को प्रभावित कर सकें तो अच्छा है, श्री दिघे जी तो प्रभावित हो गये । इसलिए नेता सदन के प्रति आभार प्रकट करने के बजाय मैं तो नेता विरोधी दल के प्रति आभार प्रकट करता हूं । यह प्रकरण अच्छा हुआ है । क्षमा करने में बड़ी शक्ति है । कल भी मैंने निवेदन

किया था और आज श्री दिघे जी ने जिस पर प्रस्ताव किया वह अच्छी बात है। इसमें दो राय नहीं हैं कि श्री मंजूर अहमद को ही अपने व्यवहार म परिवर्तन लाना चाहिये बल्कि सदन में सभी माननीय सदस्यों को. जो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, परिवर्तन करना चाहिये क्योंकि बाहरी व्यक्ति गलरी में जो यहां बैठते हैं वह इस चीज को देखते हैं, इसलिए वह सोचेंगे कि जब यहां यह हो रहा है तो बाहरी लोगों से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। इसलिए आज यह प्रकरण बन्द हुआ वह अच्छी बात है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि श्री तिवारी जी का असर श्री दिघे जी पर और मुस्तकिल तौर से हो तो अच्छी बात है जिससे और माननीय सदस्य लाभान्वित हो सकें।

*श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष का बड़ा सुन्दर प्रभाव पड़ता है और उनका प्रस्ताव आता है तो श्री दिघे जी उसको मान लेते हैं। लकिन मेरा आग्रह है कि उनकी लम्बी संसदीय परिपाटी और अनुभव के आधार पर वह अपने माननीय सदस्यों को भी कहें। मान्यवर, इसके पहले श्री सुन्दर लाल दीक्षित जी के विरुद्ध जो कार्यवाही हुई थी उसके बाद एक परिपाटी सी बन गयी, तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी नेता विरोधी दल के इतने आग्रह के बाद भी उधर से कुछ असंयम बरता जाता है और इधर से भी, तो दोनों ही लोग मिलकर आपस म तय कर लेते हैं कि दंड में क्या किया जाय। दंड देने के लिये एक बार प्रस्ताव आता है, फिर उस दंड को वापस लेन के लिय एक बार प्रस्ताव आता है। तो दंड देन में मेरा निवेदन है कि प्रस्ताव बार-बार न आयें, इसमें कुछ तय कर लें, अन्यथा एक बार निलम्बन का प्रस्ताव आता है और फिर उसको वापस ले लिया जाता है इससे दंड की कोई प्रक्रिया नहीं रह जाती है। इसलिये दंड देने में सचमुच कुछ विचार करें जिससे दंड का मजाक न बने।

श्री उपाध्यक्ष--

अब इस पर अधिक चर्चा नहीं होगी।

प्रश्न यह है कि यह सदन निश्चय करता है कि श्री मंजूर अहमद, सदस्य विधान सभा, जो एक जून, 1979 को सदन····

(व्यवधान)

श्री श्यन्म सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)

मान्यवर, आपने विपक्ष के सदस्यों को सुन लिया जो कि प्रस्ताव के समर्थक थे, लेकिन मैं दो बार खड़ा हुआ फिर भी मौका दे नहीं रहे हैं। इसलिये मुझे भी आप सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई आवश्यक नहीं है कि हर एक बोले ही।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त---

कुछ बात सदन में कही जाय और कोई उसके विपरीत कहना चाहे तो वह न कहे। इसलिये मेरी बात आप सुन लें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्री दिघे जी ने जो प्रस्ताव किया वह श्री तिवारी जी के प्रस्ताव पर किया, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मंजूर अहमद का निलम्बन समाप्त न किया जाय। मान्यवर, बात इतनी है कि मैं सदन में उस दिन उपस्थित था, एक प्रस्ताव द्वारा इसके पूर्व उनको निलम्बित किया गया और फिर उसको वापस लिया गया, तो उस समय भी मैं था। बात इतनी है कि मंजूर अहमद जी को स्वयं भी अपने किये हुये काम के प्रति खेद हो। कल बोतल फेंका उसके बाद जूता फेकेंगे। पिछली बार निलम्बन वापस हुआ। माननीय सदस्य लाबी में बैठ थ और मैं भी वहां मौजूद था तो उन्होंने कुछ ऐसी बात कहा जिसको मैंने सुना, जिसका मतलब था कि उनको अपने किये पर पश्चाताप नहीं है। बोतल फेंकने की घटना का उनको पश्चाताप होना चाहिए। मैं इस प्रस्ताव का विरोध करूंगा।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)---

मान्यवर, अभी जो दिघे साहब ने प्रस्ताव रखा, राज मंगल साहब कह रहे थे कि तिवारी जी का प्रभाव दिघे साहब पर पड़ जाता है लेकिन मुख्य मंत्री पर नहीं पड़ता। तो मैं समझता हूं कि राज मंगल का प्रभाव आज कल मुख्य मंत्री जी पर ज्यादा पड़ रहा है इसलिये किसी के किसी प्रभाव की चर्चा यहां नहीं होनी चाहिए। मंजूर जी का निलम्बन समाप्त कर दिया जाए लेकिन इस तरह की परिपाटी नहीं बनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन निश्चय करता है कि श्री मंजूर अहमद, सदस्य, विधान सभा, जो 1 जून, 1979 को सदन की सेवा से निलम्बित किये गये थे, का अवशिष्ट अवधि के लिए निलम्बन निरस्त किया जाय।

(प्रस्ताव उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

## युवा संघर्ष वाहिनी द्वारा श्री राज्यपाल को ज्ञापन देने पर रोक लगाए जाने पर आपत्ति

श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)---

मान्यवर, युवा संघर्ष वाहिनी के लोग आज गवर्नर को प्रतिवेदन देना चाहते थे जिसमें मांग की थी कि प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के अधिकार पर विचार किया जाए, तो आज उस पर रोक लगा दी गई। वे अपना प्रतिवेदन नहीं दे सके। अगर मंत्री महोदय इस पर वक्तव्य दे सकें तो अच्छा है। मुख्य मंत्री जी बार-बार लोकतंत्र की बात करते हैं और कहते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। सन् 1974 के आन्दोलन की मुख्य मांग यह थी कि प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार जनता को दे दिया जाना चाहिए: उनको आज प्रतिवेदन देने का अधिकार दिया जाना चाहिए था।

श्री उपाध्यक्ष---

आपने यह लिखकर नहीं दिया था, न मुझे इसकी सूचना है और न मंत्री जी को है इसलिये इसे आप अभी नहीं उठा सकते।

## सदन के चलते विद्युत् मंत्री द्वारा विद्युत् दर बढ़ाने की घोषणा सदन से बाहर किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, मैं एक औचित्य का प्रश्न यह उठाना चाहता हूं कि आज आपने भी अखबार में देखा होगा कि विद्युत् विभाग के मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है जिसके अनुसार इन्होंने विद्युत् का रेट ऐसा बढ़ाया है कि लगभग 30 करोड़ का बढ़ गया है। उससे हम मतलब नहीं है लेकिन सदन में अभी गत सप्ताह ही विद्युत् विभाग का अनुदान आया था, उसमें इस सम्बन्ध में कोई चर्चा इन्होंने नहीं की और स्वीकृति नहीं ली गई। कल भी सत्र था। कल जो वक्तव्य दिया होगा वही आज अखबार में आया। तो मैं यह समझता हूं कि यह इस सदन का सीधा अपमान है। सदन जब सत्र में हो तो इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर वे यह कहें कि सचिव की ओर से यह प्रकाशित हुआ होगा। इस प्रदेश में उद्योग वैसे ही कमजोर हैं। इसकी तुलना कलकत्ता, मद्रास या महाराष्ट्र से नहीं हो सकती। इनका यह कहना कि इसका असर खेती पर नहीं पड़ेगा, यह ठीक नहीं है। अब पावर का रेट बढ़ेगा तो ट्रेशर चलाने का खर्चा तो बढ़ेगा ही। इस तरह से 30 करोड़ बढ़ा देना बिलकुल अनुचित काम है।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य, वाराणसी, श्री श्याम धर जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। मैं भी इस संदर्भ में कुछ निवेदन करना चाहता था। पहला तो यह कि यह बजट अधिवेशन चल रहा है। माननीय वित्त मंत्री ने एक बजट भाषण पेश किया और उसमें टैक्स के कुछ प्रस्ताव घोषित किये। उन टैक्सों के प्रस्ताव में इस यूनिट बढ़ाने की कोई घोषणा नहीं थी। अगर सरकार के किसी मंत्री को बजट सत्र के अवसर पर बिजली की यूनिट की दरें बढ़ाने की घोषणा करनी थी तो उसका उचित फोरम बजट भाषण था। वित्त मंत्री जी ने कई टैक्सों की घोषणा की। उन्होंने रेशम के कपड़ों पर घोषणा की तो क्या राम नरेश यादव जी उद्योग मंत्री होने के नाते इसकी घोषणा करते? इन्होंने इन्टरटेनमेंट टैक्स की घोषणा की तो क्या मुख्य मंत्री जी यह घोषणा करते। बजट भाषण अभी हुआ है और उसमें करीब 50 करोड़ रुपये के टैक्स प्रपोजल रखे गये और 27 करोड़ रुपये का घाटा बताया गया। अब अगर यह 30 करोड़ रुपया मान लिया जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? एक तरफ तो यह हुआ कि 50+30 अर्थात् 80 करोड़ रुपये के टैक्स प्रपोजल थे और दूसरे कोई घाटा नहीं हुआ। तो कितना फर्क हो जाता है। अगर यह वित्त मंत्री जी के बजट प्रपोजल में होता तो तस्वीर बदल गई होती और घाटे के स्थान पर 3 करोड़ रुपये की बचत होती। मैं समझता हूं कि 30 करोड़ का एस्टीमेट भी गलत है, इनको कम से कम 50 करोड़ रुपया मिलेगा। जिस तरह इन्होंने यूनिटों के दरों में वृद्धि की है। लेकिन 30 करोड़ रुपया भी मान लिया जाए तो बजट भाषण में इसका उल्लेख होना चाहिए था। अगर मंत्री जी कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आटोनामस बाडी है तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इसकी घोषणा करनी थी। इसमें कई गलतियां हैं और परम्पराओं का हनन हुआ है। एक तो जैसा श्याम धर जी ने कहा कि जब सदन का सत्र चल रहा है तो इसकी घोषणा सदन में की जानी चाहिए थी।

दूसरे, अगर सरकार के किसी मंत्री को इस चार्ज की घोषणा करनी थी तो अभी क्यों की गई। 3 तारीख को 3 बाई इलेक्शन थे। ऐसा सन्देह होता है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी---]

इलेक्शन तक यह घोषणा रुकी हुई थी और बाद में घोषणा की गई और अब इसे पहली जून से लागू कर रहे हैं। आप रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से यह टैक्स लगा रहे हैं। यह घोषणा एक जून के पहले होनी चाहिए थी। दूसरे, उपभोक्ताओं को पहले मालूम होना चाहिए था कि आपने यह टैक्स लगाया है। लोग यही समझेंगे कि 3 बाई इलेक्शन की वजह से ही आपने घोषणा देर से की है। पांचवें, बिजली मंत्री को इसकी घोषणा नहीं करनी थी, वित्त मंत्री को बजट भाषण में इसकी घोषणा करनी थी। इससे बजट में असंतुलन हो जाता है और सारे आंकड़े गलत हो जाते हैं। इस प्रकार से बजट की परम्पराओं को जाने या अनजाने में तोड़ा गया है। अनुभवहीनता का परिचय मैं कैसे कहूं लेकिन दुर्भाग्यवश कहना पड़ता है---अनुभवहीनता का परिचय सभी की ओर से दिया गया है। यह विद्युत् मंत्री जी का दोष नहीं है उनसे कहा गया होगा कि घोषणा कर दें। श्रीमन्, यह घोषणा करनी चाहिए थी अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आटोनामस बाडी होती। श्रीमन्, मुझे तो यह लग रहा है कि इन दो सालों के अंदर कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का अधिक से अधिक काम मंत्री लोग अपने ऊपर ले रहे हैं जो ठीक नहीं है। आपके पहले मंत्री थे एसा लगता था कि वह वहां के चेयरमैन हो गये। श्रीमन्, आजकल मंत्रियों के पत्र आ रहे हैं विधायकों के पास आटोनामस कारपोरेशन्स के लोगों के ट्रान्सफर करने के लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं। हर विभाग के सरकुलर आ रहे हैं। इस तरह के जो आटोनामस कारपोरेशन्स हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उनसे अलग है। उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऐक्ट है। उसमें लिखा है कि पालिसी के मामलों में सरकार आदेश लिखित रूप से देगी। उसके अंदर सरकार इंटरफिरेन्स नहीं कर सकती।

श्रीमन्, यह बड़ी अनियमितता हुई है और बजट अधिवेशन के दौरान हुई है। विद्युत् बजट में इसका उल्लेख नहीं हुआ। यह श्रीमन् सातवीं अनियमितता देखी गयी। एक हफ्ता पहले विद्युत् मंत्री जी ने विद्युत् विभाग का बजट पेश किया उस दिन क्यों नहीं बताया ? क्या यह मान लिया जाय कि चार ही दिन में यह प्रस्ताव पास किया गया ? जो कुछ अखबार में घोषणा हुई है, यह मामला पहले से विद्यमान था। जिस दिन विद्युत् मंत्री अपना भाषण दे रहे थे उनको मालूम था कि 1 जून से चार्ज बढ़ाने जा रहे हैं उस दिन सदन को आश्वस्त नहीं किया गया, सदन को विश्वास में नहीं लिया गया अन्यथा कटौती का प्रस्ताव उसमें रखा जा सकता था। कटौती का प्रस्ताव रखने का मौका सदस्यों को नहीं मिला। हो सकता था कि इस प्रश्न पर सदन का बहुमत हमारे साथ होता। कटौती का प्रस्ताव रखने से भी विद्युत् मंत्री जी हमें वंचित रखा।

इतनी अनियमिततायें हुई हैं। आप ही निर्देश दे दें श्रीमन्, कि क्या करना चाहिए।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)---

मान्यवर, बदकिस्मती है कि जनता पार्टी की सरकार नई परम्परायें डाले जा रही है। बजट सेशन चल रहा है, सदन में चर्चा हो रही है लेकिन माननीय विद्युत् मंत्री सदन में घोषणा नहीं करेंगे, बाहर जाकर करेंगे। यह इन्हीं का कसूर नहीं है। इनके जो मुखिया हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पहले सदन में कहा गया कि सेल्स टैक्स खतम किया जायगा, आश्वासन दे दिया गया बाद में वाराणसी में जाकर....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

विषय तक सीमित रखिये ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

घोषणा करते हैं कि सेल्स टैक्स खत्म नहीं होगा । सेशन यहां चल रहा है । 30 करोड़ रुपये का कर उत्तर प्रदेश की जनता पर लादने जा रहे हैं और हालत क्या है ? जनता के ऊपर तो तीस करोड़ रुपया और बिड़ला के साथ इतनी मोहब्बत कि 19 पैसे जेनरेशन की बिजली 12 पैसे में दे रहे हैं । इतना ही नहीं कर रहे हैं बिड़ला जी हाईकोर्ट में गये हाईकोर्ट से जीत गये तब भी कटौती रखी । अब सरकार सुप्रीम कोर्ट में गयी और जीत गयी, बिड़ला हार गये लेकिन उस मुकदमें के फैसले के बाद बजाय कटौती करने के बिड़ला जी को बिजली सप्लाई करने में बढ़ोत्तरी कर दी गयी । अगर इस हिसाब से लगायें तो मेरे ख्याल से बिड़ला जी से अगर आप सांठ-गांठ न करें और सही कीमत पर बिजली दें तो 30 करोड़ रुपये जो आप उत्तर प्रदेश की जनता पर लादने जा रहे हैं यह संभव नहीं था ।

मेरा कहना है कि माननीय विद्युत् मंत्री अगर आप टेक्निकली न समझें। लेकिन वैसे भी औचित्य के हिसाब से भी इस सदन का आदर नहीं किया गया और मैं समझता हूं कि माननीय विद्युत् मंत्री को चाहिये कि वह सदन के सामने इस बात के लिए खेद प्रकट करें । 30 करोड़ का जो कर आप लगाने जा रहे हैं इसकी घोषणा आपके बजट भाषण में होनी चाहिए थी, वित्त मंत्री जी अपने भाषण में इसकी घोषणा करते, ऐसा न करके इसकी घोषणा सदन के बाहर की है । यह सरासर सदन का अपमान है ।

*श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मंत्री जी ने जो घोषणा की है उस सम्बन्ध में मैं माननीय श्याम धर मिश्र जी से सहमत नहीं हूं । यह औचित्य का प्रश्न नहीं है, सदन की अवमानना का प्रश्न है । बजट सेशन में यह प्रश्न हमारे होते है कि सरकार की कितनी आय है, कितना व्यय है इस पर स्वीकृति लेने के लिये सरकार सदन के सामने आती है और वित्त मंत्री जी का बजट भाषण होता है । वह इस बात की घोषणा करते हैं कि सरकार को क्या-क्या खर्च करना है और आय के क्या-क्या साधन जुटाने हैं ? यदि सरकार इस सदन की स्वीकृति के बिना कोई कर भार जन मानस पर डालेगी तो फिर सब फार्मल हो जायेगा । बजट सेशन की केवल एक ही उपयोगिता है कि सरकार अपनी आर्थिक स्थिति को सदन के सामने रखती है । नारायण दत्त जी ने ठीक ही कहा अगर यह प्राविजन बजट भाषण में होता तो हम सही स्थिति जान पाते कि हम कितने नफे तथा घाटे में हैं । वित्त मंत्री जी के भाषण में कहीं टैक्स बढ़ाने की चर्चा नहीं है । उसके बाद बिजली का जो बजट आया उसमें भी कहीं यह प्रस्ताव नहीं है । ऐसी स्थिति में आपने कैसे जनता पर 30 करोड़ का अतिरिक्त भार डाल दिया और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी आलोचना, हम मुख्य बजट के अवसर पर नहीं कर पायेंगे और अब यह मौका नहीं आने वाला है ।

मान्यवर, यह सदन 30 करोड़ के भार को अस्वीकार कर सकता था लेकिन सदन को अब अपने विचार प्रकट करने का कोई अवसर नहीं रह गया है । जहां तक औपचारिकता का सवाल है सदन के बाहर घोषणा कर दी उस घोषणा से सदन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सोहन वीर सिंह तोमर--]

की अवमानना हुई है और यह आपके संज्ञान में है और सुओमोटो आप इसे विशेषाधिकार समिति के सामने भेज सकते हैं। सब माननीय सदस्यों के विचारों को सुनने के बाद भी आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि सदन की अवमानना हुई है। यह परिपाटी शुरू हो गयी तो बजट एक मात्र असेम्बली रह जायेगी और कर का जो भार आम जनता पर पड़ने वाला है वह हमारे सामने नहीं आयेगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा।

श्री राधे श्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

मान्यवर, आये दिन अब यह हो रहा है कि जब विधान सभा चल रही हो तो मंत्रीगण यहां सदन में कोई घोषणा न करके बाहर अखबारों में करते हैं। एक बार नहीं अनेक बार ऐसे उदाहरण सामने आये हैं। या तो मंत्री महोदय को कोई ज्ञान नहीं है या उनको कोई ट्रेनिंग नहीं है। आप अब इस पीठ से ये निदेश दें कि आगे से कोई मंत्री सदन के अन्दर पहले घोषणा करें उसके बाद अखबारों से अथवा जनता से कहें। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इससे आइन्दा के लिए रास्ता साफ हो जायगा और मंत्रियों का अपने अधिकारों का ज्ञान हो जायगा।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि आप यह निर्देश दें कि भविष्य में मंत्रीगण पहले सदन में घोषणा करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो उनकी आदत बिगड़ती जायगी और वे सदन के बाहर घोषणा करते जायेंगे।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, यह सदन का घोर अपमान है कि सदन चल रहा है और सदन के बाहर घोषणा की जाती है। यह बड़े महत्व का विषय है। आप इस पर निर्णय दें कि ऐसी घोषणायें वे सदन के बाहर न किया करें।

विद्युत् मंत्री (श्री रेवती रमण सिंह)--

मान्यवर, मैं पहले ही निवेदन करना चाहता था जैसा कि माननीय श्यामधर जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है और नेता विरोधी दल ने जो बात कही है वे भिज्ञ हैं और जो सौभाग्य से वित्त मंत्री, विद्युत् मंत्री और मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं बताया, मैं यह कैसे कहूं कि उन्होंने यह जान-बूझकर नहीं बताया। मान्यवर, न तो मेरा इरादा सदन की कोई अवमानना करने का था और न मैंने कोई घोषणा की। यह घोषणा 25 तारीख को विद्युत् परिषद् ने अपने असाधारण गजट में कर दी थी। श्री ए० एन० अग्रवाल जो विद्युत् परिषद् के सचिव हैं उनके द्वारा यह घोषणा की गई थी। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक आटोनोमस बाडी है। जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा है मुझे कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन के रूप में कार्य करने का शौक नहीं है जब कि मैं इसका मंत्री हूं और न मैंने इसमें कोई दखल दिया है। साथ ही न मैंने कोई सरकुलर विधायकों के पास भेजा है कि कृपया बतायें कि किस-किस का स्थानांतरण किया जाय। मेरा यह मकसद भी नहीं था कि इलेक्शन के बाद यह घोषणा की जाय। यह तो 25 तारीख के असाधारण गजट में घोषणा हो चुकी है। मैं माननीय नेता विरोधी दल को याद दिलाना चाहूंगा कि सन् 1977 में जब सेशन समाप्त हो गया था तो उन्होंने बहुत सी घोषणायें कर दी थीं-विद्युत्

में छूट, सिंचाई ट्यूबवेल में छूट, नहर में छूट और तमाम चीजों में उन्होंने छूट दे दी थीं और 106 करोड़ रुपये का घाटा इस प्रदेश पर लाद दिया था और इस मकसद से दिया था कि इलेक्शन में उसका फायदा हो। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था और न मैंने घोषणा की थी। विद्युत् परिषद् एक आटोनोमस बाडी है और उसने अपने इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट के सेक्शन 48 के तहत घोषणा की, जिसका कि उसका पूरा अधिकार है। 25 तारीख के असाधारण गजट की बात मैंने यहां पर अखबार में कह दी।

मान्यवर, माननीय नेगी जी हर बार हिन्डालको की बात करते हैं उसके बारे में मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मैंने हिन्डालको का रेट 19 पैसा कर दिया है। केरल का रेट दूसरा है, बंगाल का रेट दूसरा है और उत्तर प्रदेश का रेट दूसरा है। बिड़ला की तीन फैक्ट्रियां हैं। जब कि केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और बंगाल में भी उनकी सरकार है। जब वहां पर बिजली का रेट बढ़ता है तो वहां पर कुछ नहीं कहा जाता जब यहां बढ़ता है तो वे कहते हैं कि हिन्डालको को इतना देते हैं। मान्यवर, हमने लाइट और फैन पर कोई पैसा नहीं बढ़ाया है। और चूंकि जब यहां पर बजट भाषण हुआ था उस दिन शायद माननीय नेता विरोधी दल आगरा गये थे या देहरादून गये थे मुझे पता नहीं....

श्री राज मंगल पान्डेय (जिला देवरिया)--

नेता विरोधी दल आगरे गये या नहीं गये लेकिन जिस तरह से आप चला रहे हैं उस तरह से तो विद्युत् मंत्री को आगरे जाना ही है।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मैंने साफ कहा था कि जो कमी है उसको पूरा करने के लिये आगे उसमें प्राविधान करना है ताकि वैसी स्थिति न आने पाये जैसी स्थिति जब माननीय नेता विरोधी दल विद्युत् मंत्री थे, उस समय आई थी। तो मान्यवर, मैंने सिर्फ वही बात अखबार में कह दी जो कि विद्युत् परिषद् ने सेक्शन 48 के तहत अपने असाधारण गजट में घोषित कर दिया था। प्रेस वालों ने जो पूछा, वह मैंने उन्हें बता दिया। सिर्फ इतनी सी बात है न उससे कोई बड़ा व्यवधान पैदा हुआ है और न कोई दूसरी चीज। जैसा कि नेता विरोधी दल कहते हैं बड़ी असंगतियां पैदा हो गई हैं 4, 5 असंगतियां उन्होंने बता दीं। तो उससे कोई बजट में हेरफेर नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उसके लिए सक्षम है।

श्री उपाध्यक्ष--

24 तारीख को यहां विद्युत् अनुदान पेश हुआ था उस समय यहां सदन में घोषणा करनी चाहिये थी।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, उसमें संकेत किया था लेकिन चूंकि यह प्रपोजल फाइनलाईज नहीं हुए थे तो विद्युत् परिषद् ने ऐसा कर दिया।

श्री श्यामधर मिश्र--

इतनी एफिसिएन्सी हो गई कि 12 घंटे में तय कर दिया इतनी एफिसिएन्सी होती तो यह सब न होता....

श्री रेवती रमण सिंह--

जब मिश्रा जी शासन में थे तो घाटा होता रहा....

श्री श्यामधर मिश्र--

जब हम शासन में थे आपका नाम कहीं नहीं था ।

श्री उपाध्यक्ष--

जो माननीय वित्त मंत्री ने भाषण दिया है उसमें यह कहा है "यह भी प्रस्ताव है कि सभी श्रेणी के औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा देय विद्युत् शुल्क की दर में एक पैसा प्रति यूनिट की वृद्धि की जाये और कृषि उपभोक्ताओं पर भी एक पैसा प्रति यूनिट की दर से विद्युत् शुल्क लगाया जाय । इससे पूरे वर्ष में 5 करोड़ रुपये की आय अनुमानित है"

श्री श्यामधर मिश्र--

इसका संकेत किस मंत्री जी ने दिया यह बतायें ?

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आपको स्पष्टीकरण की इजाजत बाद में दे दूंगा ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, मैं नेता विरोधी दल को यह पदवी नहीं दूंगा कि वह अज्ञानतावश कहते हैं । मैं कई बार इस सदन में कह चुका हूं कि वह अपने ज्ञान का उपयोग अन्य सदस्यों को कुछ ज्ञान दे रहे हैं, इस प्रकार भ्रमित करने में उपयोग करते हैं । माननीय नेता विरोधी दल अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने बजट प्रपोजल में क्या निवेदन किया है । वह शासन द्वारा लगाया हुआ कर है वह अलग है, यह जो विद्युत् परिषद् है यह अपना माल किस दाम पर बेचे यह उनका काम है, यह पब्लिक अंडरटेकिंग है जो हमारे प्रदेश में करीब 51-52 हैं । यह जो माल पैदा करते हैं उसका दाम क्या हो, या रेट क्या हो यह पब्लिक अंडरटेकिंग को तय करना है । चूंकि वह सदन चल रहा है वह एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जब विद्युत् परिषद् ऐसा करने वाली थी तो माननीय सदन को कानफिडेंस में क्यों नहीं लिया । तो जैसा विद्युत् मंत्री जी ने निवेदन किया मैंने अपने बजट भाषण में इसका संकेत किया है कि इन प्रश्नों को हल करने के सिलसिले में कुछ कार्यवाही हो रही है । चूंकि यह क्या कार्यवाही हो रही है । यह विद्युत् रिषद् का काम है । हमारे बजट में उनका बजट इनक्लूड नहीं रहता है । यह बात नेता विरोधी दल को अच्छी तरह से मालूम है ।

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री गोविन्द सिंह नेगी के खड़े होने पर) अब इसके बाद भी कुछ पूछना है ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि विद्युत् परिषद् आटोनामस बाडी है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि यह कोई बनियां की दुकान नहीं है, जब चाहो धनिया का भाव बढ़ा दे और जब चाहे घटा दे। विद्युत् परिषद् इस सदन द्वारा स्वीकृत धन पर चल रही ह आपके द्वारा दिये गये ऋणों पर चलती है। अप्रत्यक्ष-रूप से पूरे प्रदेश में यह जो 30 करोड़ का टैक्स लगा दिया है असर पड़ेगा। माननीय मंत्री जी को चाहिये था कि जब उन्होंने भाषण किया था उसमें स्पष्टतया कहते कि इतने ऋण मांग रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

यह बात मंत्री जी कह चुके हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह उनसे पूछने की आवश्यकता है। इस मंत्रिमंडल के जो लोग हैं उनको ऐसी आदत पड़ गई है कि बाहर कुछ कहते हैं और यहां कुछ कहते हैं। आप कृपा कर निर्देश दें जब सदन चल रहा हो तो उसमें जो भी नीति सम्बन्धी घोषणा हो यहां करें।

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। जैसे नेगी जी ने कहा इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से आपका कड़ा निर्देश होना चाहिए और मंत्री जी के बड़े ज्ञान को थोड़ा और बड़ा करने के लिए, मैं उन्हें स्मरण दिलाना चाहता हूं कि सेवेन्थ फाइनेंस कमीशन में, जहां मुख्य मंत्री और दिघे जी गये थे, वहां इन्होंने आश्वासन दिया है कि बिजली बोर्ड से, जो कि घाटे का है, हम छठवीं पंचवर्षीय योजना में इतना और लेंगे। तो सरकार वहां कैसे आई यदि उसका बिजली बोर्ड से ताल्लुक नहीं था? क्या यह केवल डेढ़-दो सौ करोड़ उसे दे देते हैं और कोई दखल नहीं और कोई नियन्त्रण नहीं, यह केवल ट्रांसफर कराते हैं? यह कहना कि वह आटोनामस बाडी है और उससे हमारा कोई मतलब नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। हमारा बहुत मतलब है। सेवेन्थ फाइनेन्स कमीशन के सामने भी इनका वक्तव्य हो चुका है।

श्री राज मंगल पान्डेय--

मान्यवर, केवल मैं कुछ स्पष्टीकरण मंत्री जी से चाहता हूं। मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिर सरकार का नियन्त्रण विद्युत् परिषद् पर किस सीमा तक है? और क्या विद्युत् परिषद् की अक्षमता को ध्यान में रखते हुए, जब-जब विद्युत् परिषद् चाहे, बिना सरकार की स्वीकृति के मनमाने तरीके से अपना टैरिफ रेट बढ़ाता जाए, तो भी सरकार असहाय होकर देखती रहेगी?

श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

टैक्स का बुनियादी सिद्धान्त है-नो टेक्सेशन विदाउट रिप्रेजेन्टेशन। यदि मंत्री जी के तर्क पर चलेंगे तो जितने भी कारपोरेशन हैं और जिनकी रिपोर्टें सदन के सामने आती हैं, हमारे सामने कोई चेयरमैन उत्तरदायी नहीं होता है, मंत्री ही होता है। इसमें भी मंत्री जी द्वारा जो बजट आएगा, वह यहां अनुदान लेंगे.. (व्यवधान) तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि विद्युत् परिषद् जो टैक्स लगाएंगे, इस सदन का उससे कोई मतलब नहीं है? यह वह बता दें?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय वित्त मंत्री जी ने, जो मैंने विचार व्यक्त किये थे, उनका समर्थन किया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मुझे लगा कि वह मेरा विरोध कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उन्होंने मेरा समर्थन किया। मैं यह कह रहा था कि यदि विद्युत् परिषद् ने यूनिट के रेट बढ़ाए हैं तो परिषद् की ओर से उसकी घोषणा होनी चाहिए थी, शासन की ओर से नहीं। माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि बजट भाषण में जो उल्लेख किया गया है, वह शासन की ओर से लगाया गया टैक्स है, विद्युत् परिषद् की ओर से नहीं। यह वहां तक उचित था कि 24 मई को विद्युत् परिषद् की ओर से विद्युत् मंत्री जी ने यहां बजट पेश किया, तो 24 तारीख को विद्युत् मंत्री को यह मालूम था। मैं अवमानना की बात कहूं, अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मुझे लगता है कि अब तोमर जी के प्रस्ताव का मुझे समर्थन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें जानबूझ कर सदन की अवमानना की गयी है। इसलिए कि 24 तारीख को टैक्स प्रपोजल की जानकारी मंत्री जी को थी और अभी उन्होंने कहा कि फाइनल नहीं हुआ था, उस दिन 25 को हो गया। मैं अपने थोड़े-बहुत अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जब कोई टैक्स प्रपोजल बनता है तो वह शासन के पास आता है सक्शन के लिए।

अभी ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन का प्रपोजल था कि टिकटों की कीमत 25 फीसदी बढ़ा दी जाए, तो यह प्रपोजल शासन के पास भेजा गया था, जो अभी विचाराधीन है। तो यह प्रस्ताव भी किसी तारीख को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने शासन के पास भेजा होगा और वह कैबिनेट से पास जरूर हुआ होगा और उसने उस पर अपनी स्वीकृति दी होगी, चाहे 23 तारीख को हो या 24 तारीख को। इसलिए यह कहना कि 24 मई को फायनल नहीं हुआ, यह बात सत्य से परे है और उन्होंने जानबूझ कर, मैं कैसे कहूं, जानबूझ करके सदन के सामने गलतबयानी की है। वह नाराज न हों। मैंने कहा उससे तुलना नहीं है क्योंकि बजट सत्र चल रहा है। जब मैंने उस समय घोषणा की थी बजट सत्र नहीं था। अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया था उसमें कुछ मांगें की गयी थीं। उन मांगों पर उत्तर देने के लिए कहा गया। मैंने कुछ मांगों को स्वीकार किया और कुछ अस्वीकार किया था। तो संदर्भ में बिल्कुल अलग था। अविश्वास के प्रस्ताव का बिन्दु-बिन्दु उत्तर देना था। आज बजट चल रहा है। 25 को बजट प्रस्तुत होता है उस दिन टैक्सेशन नहीं होता। आप इस सम्बन्ध में रूलिंग दें आप विचार करके, प्रावधान में विशेषाधिकार की अवहेलना बनती है। एक बात और है अगर 25 तारीख को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से निकला, अखबारों में प्रकाशित क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं जानकारी दी प्रेस को ? मैं नहीं मान सकता कि हमारा प्रेस इतना अजानकार है, इतने इम्पार्टेन्ट नोटिफिकेशन को जिसका करोड़ों कन्ज्यूमर्स से सम्बन्ध हो अखबार में नहीं छापते। यह तो साइक्लोस्टाइल होकर परिषद् में पड़ा रहा।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्यों को सुनने के बाद मैं व्यवस्था दूंगा। माननीय वित्त मंत्री जी इतना बता दें, जो विद्युत परिषद की नियमावली है उसमें कहीं इस तरह का निर्देश है कि वह टैक्स बिना शासन की अनुमति के लगा सकते हैं ?

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं एक मिनट। मेरा विरोधी दल चूंकि 24 तारीख को नहीं थे, उन्होंने बजट स्पीच को सम्भवतः देखा भी नहीं। मैंने

साफ तौर से कहा था कि 25 सौ करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। आगे आने वाले पांच सालों में। अगर उसकी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे आने वाले दिनों में तो जो स्थिति बंगाल की है वही उत्तर प्रदेश की हो जायगी, या वही स्थिति हो जायगी जो तिवारी जी के समय में थी। उससे बचने के लिए मैंने साफ कहा था प्रदेश को 25 सौ करोड़ की आवश्यकता होगी। मेरा बजट भाषण देख लें। तिवारी जी को उसकी कापी भेजवा दें। इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट के सेक्शन 48 में क्लियर प्राविजन है। टैक्स और टैरिफ दोनों में फर्क है। टैक्स सरकार लगाती है। टैरिफ रेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लगाती है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में टैक्स लगाने की बात कही और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने टैरिफ बढ़ाया है। उसके लिए वह स्वयं सक्षम हैं। अगर आप कहें तो सेक्शन 48 में पढ़ दूं। वैसे तिवारी जी को उसकी जानकारी है।

एक सदस्य—

क्या शासन की बिना अनुमति लिए हुए लगाया है, यह पूछ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

पढ़ दें।

श्री रेवती रमण सिंह—

सेक्शन 49 (1)—

"Subject to the provisions of this Act and of regulations. if any, made in this behalf, the Board may supply electricity to any person not being a licencee upon such terms and conditions as the Board thinks fit and may for the purposes of such supply frame uniform tarrifs."

उसमें और भी है। इससे क्लियर हो जाता है यह सक्षम है। जब भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चाहे अपने टैरिफ बढ़ा सकता है और टैरिफ बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को शासन की स्वीकृति से कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे बार-बार यह लोग कहते हैं, इतने पुराने सदस्य हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग का बजट आता है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी अन्डरटेकिंग का बजट विधान सभा में नहीं आता। टैरिफ इन्क्रीज करने का अधिकार उनको है। विद्युत परिषद् के सचिव ने इसकी घोषणा कर दी थी। उन्होंने सबको सड़कों पर बांटा नहीं। उसका संज्ञान नेता विरोधी दल को न आ पाया हो। मैं मानता हूं। 25 तारीख को जो गजट किया है, अपना टैरिफ बढ़ाया है तो प्रेस वालों ने पूछा तो मैंने बता दिया। नेगी जी कहते हैं कि रेट्स बढ़ा दिए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि न तो ट्यूबवेल पर बढ़े हैं न लाइट और फैन पर बढ़े हैं केवल पावर और बड़े-बड़े जो उद्योग चलते हैं उन पर बढ़ाया है। एक तरफ जब टैक्स बड़े लोगों पर नहीं लगाया जाता है तो शोरगुल होता है और दूसरी तरफ जब टैक्स बड़े लोगों पर लगाया जाता है तब शोरगुल होता है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है जिससे अवमानना का प्रश्न बनता हो। प्रेस वालों को वह गजट मैंने दे दिया था।

श्री देव बहादुर सिंह—

विद्युत परिषद आटोनामस बाडी है विद्युत परिषद ने टैरिफ बढ़ाने के पहले सरकार की स्वीकृति ली थी या नहीं? स्वीकृति के लिए उसने कागजात भेजा था या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया ।

श्री मधुकर दिघे--

दो बातें हैं, मान्यवर....

श्री श्यामधर मिश्र--

यह बड़ा असंगत प्रश्न है । वित्त मंत्री जी महाज्ञानी हैं । माननीय विद्युत् मंत्री जी वाक्यात की बातें बता दें ।

श्री मधुकर दिघे--

मैं कुछ कहूंगा तो ज्ञान बढ़ेगा ही । मान्यवर, रेट बढ़ाना और घटाना टैक्स प्रपोजल नहीं है । टैक्सेशन प्रपोजल शासन द्वारा ही लाया जा सकता है । रेट घटाना या बढ़ाना....

श्री देव बहादुर सिंह--

इनको हम लोग नहीं सुनना चाहते हैं ।

श्री श्यामधर मिश्र--

यह बात माननीय विद्युत् मंत्री जी बता दें ।

श्री मधुकर दिघे--

आपका उत्तर आ रहा है । बताने दीजिए । मेरी बात सुन लें । जवाब मिल जायेगा । अधिनियम के अन्तर्गत जो रेट बढ़ाया जाता है उसकी सीमा लेजिस्लेचर द्वारा निर्धारित रहती है और उसी सीमा के अन्तर्गत रेट बढ़ता है । मैं आप को बताना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ तोमर जी प्रस्ताव लाये थे, जब सीमा निर्धारित कर दी जाती है तो उसके सम्बन्ध में रेट की बढ़ोत्तरी करना यह फिर लेजिस्लेचर के सामने आना जरूरी नहीं रहता है । विद्युत् परिषद् की जो सीमा निर्धारित है, उसके अन्दर वह टैक्स बढ़ा या घटा सकती है । रेट बढ़ाना या घटाना टैक्सेशन प्रपोजल में शामिल नहीं है । इनको मालूम होना चाहिए कि रेट बढ़ाना विद्युत् परिषद् का अपना अधिकार है ।

श्री उपाध्यक्ष--

जो पांडेय जी ने स्पष्टीकरण मांगा था उसका जवाब दे दें और श्री देव बहादुर सिंह ने जो प्रश्न किया है कि यह टरिफ बढ़ाने के पहले आप की स्वीकृति के लिए उन्होंने भेजा था या नहीं, यह किस तरह हुआ । आपने स्वीकृति दी या नहीं यह भी बता दें ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

आपकी नहीं, सरकार की ।

श्री रेवती रमन सिंह--

न पहले मंत्रि परिषद् के सामने आया था न अब आया है और न पहले ही कभी आता था । मैं जो बात कह रहा हूं मेरी पेशा जानबूझ कर कोई गलत बयानी

करने की नहीं है । यह पहले भी कभी केबिनेट में नहीं आया है । तो किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं हुआ है । उस बात को घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है । तो जसा मन बयान दिया वह सदन के चलते हुए भी हो सकता है । यह साधारण गजट में 25 तारीख को पहले ही छपा है ।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, इस प्रदेश की सरकार का कोई कन्ट्रोल विद्युत् परिषद् पर नहीं है ? यदि है तो उसकी सीमा क्या है ? इस विद्युत् परिषद् को इतनी छूट दे दी गयी है कि वह अपन टरिफ को जिस रेट पर चाहे बढ़ा सकती है । इसने सरकार से परामर्श भी नहीं किया है । इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी सरकार हो, उसका कोई भी कन्ट्रोल विद्युत् परिषद् पर नहीं रहेगा । मैं जानना चाहता हूं कि आखिर सरकार का इस विद्युत् परिषद् पर कितना नियंत्रण है ?

श्री मधुकर दिघे—

जो अधिकतम सीमा निर्धारित होती है उसके अन्दर ही करना होता है । वहां तक तो शासन का कन्ट्रोल है कि जो अधिकतम सीमा है लेकिन उससे बाहर नहीं जा सकता है ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने सुन लिया है । माननीय श्याम धर जी का जो औचित्य का प्रश्न था उसके बारे में मैंने माननीय नेता विरोधी दल, माननीय वित्त मन्त्री और माननीय विद्युत् मन्त्री तथा माननीय सदस्यों को सुन लिया है । इस सम्बन्ध में मैं नियमावली को देख लूंगा और जितने निगम हैं उनके बारे में भी देख लूंगा तब उस के बाद मैं अपना निर्णय दूंगा । आज मैं इसको सुरक्षित रखता हूं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, यह कैसे हो सकता है कि केबिनेट में न आये ? कौन सा नियम है कि बिना केबिनट की जानकारी के बिजली का रेट बढ़ गया, यह कितनी बड़ी बात है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

माननीय, उपाध्यक्ष जी, माननीय वित्त मन्त्री जी ने एक ऐसी बात कह दी जिसका इस प्रश्न से कोई ताल्लुक नहीं है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, पहले मुझे एक मिनट सुन लें....

एक सदस्य—

मान्यवर, आपके निर्णय के बाद फिर भी क्या कोई प्रश्न उठाया जा सकता है ?

## सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा ग्राम कैथर मऊ, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के किसानों के उत्पीड़न एवं उनसे वसूली करने के सम्बन्ध में याचिका

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा ग्राम कैथरमऊ, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के किसानों के उत्पीड़न करने एवं उनसे गलत वसूली करन के सम्बन्ध में श्री आदित्य नारायण ओझा पुत्र श्री साधित नारायण ओझा, ग्राम कैथरमऊ' पोस्ट ओरई, जिला वाराणसी तथा 41 अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

## उच्च शिक्षा मंत्री के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष--

श्री रवीन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा ने 31 मई, 1979 को माननीय उच्च शिक्षा मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि उन्होंने 17 मई, 1979 को गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा व्यक्तिगत परीक्षा की सुविधा समाप्त करने तथा दिनांक 24 मई, 1979 को गोरखपुर विश्वविद्यालय में नकल किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत विधान सभा को सूचना दी थी । माननीय सदस्य का कहना है कि माननीय उच्च शिक्षा मन्त्री ने उक्त दोनों सूचनाओं का उत्तर उन्हें समय के भीतर न देकर विशेषाधिकार की अवहेलना की है ।

मैंने इस सम्बन्ध में माननीय उच्च शिक्षा मन्त्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी । माननीय उच्च शिक्षा मन्त्री ने बताया है कि 24 मई, 1979 को उठाये गये विषय 'गोरखपुर विश्वविद्यालय में 38 पुस्तिकाओं में नम्बर बढ़ाने, के सम्बन्ध में माननीय श्री रवीन्द्र सिंह को उत्तर भेज दिया गया था । यह पत्र माननीय सदस्य महोदय के घर पर गया था । माननीय उच्च शिक्षा मन्त्री ने इस पत्र की एक प्रति भी संलग्न करके मेरे पास भेजी है । 17 मई, 1979 को श्री रवीन्द्र सिंह द्वारा उठाये गये गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा व्यक्तिगत परीक्षा की सुविधा समाप्त करने के विषय में माननीय उच्च शिक्षा मन्त्री ने यह कहा है कि वे इसका अन्तरिम उत्तर 1 जून, 1979 को ही भेज पाये हैं । उन्होंने विलम्ब के लिये खेद प्रकट किया है और यह आश्वासन दिया है कि वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि भविष्य में ऐसा न हो । उन्होंने यह भी कहा है कि दोनों विषय में वे गोरखपुर विश्वविद्यालय को शीघ्र सूचना भेजने को भी लिख रहे हैं ।

उपयुक्त परिस्थितियों में मैं श्री रवीन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

## साथी प्रिंटिंग प्रेस, हीवेट रोड, लखनऊ पर अनधिकृत कब्जा करने की कोशिश करने तथा महत्वपूर्ण कागजात व सामान को नष्ट करने के सम्बन्ध में वक्तव्य

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री रमाशंकर कौशिक)--

प्राप्त सूचना के अनुसार भवन संख्या 21, शिवाजी मार्ग, लखनऊ रामनारायण ट्रस्ट की सम्पत्ति है । यह भवन स्वर्गीय श्री यशपाल की किरायेदारी में रहा ।

इसमें तीन मंजिलें हैं, एक भाग जमीन के नीचे बेसमेन्ट है जिसके पास एक नीची गली में रास्ता खुलता है। दूसरा भाग भूतल पर है और तीसरा भाग प्रथम तल है।

स्वर्गीय श्री यशपाल के निधन के पश्चात इस भवन के एक भाग के आवंटन का प्रार्थना-पत्र श्री सहदेव सिंह एडवोकेट ने दिया। इस पर न्यायालय में कार्यवाही हुई जिसमें स्वर्गीय श्री यशपाल की पत्नी और श्री नारायण दत्त शुक्ल ने भाग लिया। न्यायालय के समक्ष अन्य बातों के साथ वह बात भी आई कि श्री नारायण दत्त शुक्ला मकान के एक भाग में स्वार्गीय श्री यशपाल की ओर से बिना किसी आवंटन के रहने लगे थे। उनके कथनानुसार वह केयरटेकर की हैसियत से रहा रहे थे। न्यायालय ने इस संदर्भ में विधिक निर्णय लिया और मकान के आवासीय भाग को रिक्त घोषित किया। तत्पश्चात न्यायालय के आदेश से पुलिस द्वारा यह भवन श्री सहदेव सिंह और श्री नारायण दत्त शुक्ल की मौजूदगी में खाली कराया गया। स्वर्गीय श्री यशपाल द्वारा स्थापित प्रेस व कार्यालय एवं उनके गोदाम पर हमला किया जाना तथा उनकी पत्नी का अपमान किये जाने की बात सही नहीं है। स्वार्गीय श्री यशपाल का प्रेस अपनी जगह पर मौजूद है।

प्राप्त सूचना के अनुसार भवन के संबंध में निम्न रिवीजन और रिव्यू प्रार्थना-पत्र न्यायालयों में विचाराधीन है :

1--रिवीजन संख्या 7 सन् 1979, श्रीमती प्रकाशवती पाल बनाम श्री सहदेव सिंह, न्यायालय द्वितीय अतिरिक्त जिला जज, लखनऊ दिनांक 8-1-1979 को प्रस्तुत किया गया।

2--रिवीजन संख्या 23 सन 1979, श्री एन० डी० शुक्ला बनाम श्रीमती प्रकाशवती आदि न्यायालय द्वितीय अतिरिक्त जिला जज, लखनऊ दिनांक 18-1-1979 को प्रस्तुत किया गया।

3--रिव्यू-श्रीमती प्रकाशवती पाल बनाम श्री सहदेव सिंह, समक्ष श्रीमान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (आपूर्ति/किराया नियंत्रण) लखनऊ जो कि दिनांक 4-5-79 को लगभग प्रस्तुत किया गया। इस रिव्यू में सबसे अधिक कब्जे का ही मामला प्रस्तुत है और भवन में पुर्नस्थापित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

इस प्रकार मामला सब-ज्यूडिस है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन यह वक्तव्य अधूरा है।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इस पर प्रश्न की इजाजत नहीं दे रहा हूं। फिर यह मामला अभी सबजूडिस भी है।

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन यह जो वक्तव्य आया है यह अधूरा है।

श्री रमा शंकर कौशिक--

यह अदालत के सामने है और यह नीचे की मंजिल का मामला है ।

(व्यवधान)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)--

मान्यवर, यह मामला एक महिला से सम्बन्धित है, जब तक माननीय यशपाल सिंह जी जिन्दा थे कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? जब वे मर गय तभी क्यों की गयी ? यह एक बेवा के साथ जुल्म किया जा रहा है । यह शासन में महिलाओं की सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है, महिलाओं के साथ जुल्म हो रहा है । मेरा पिछले 40 वर्षों से इनसे संबंध है ।

## कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

श्री सोहन वीर सिंह तोमर, श्री छोटे लाल, श्री राम आधार यादव, श्री हरि केवल प्रसाद, श्री मोहन सिंह, श्री श्रीनारायण ने नियम 56 के अन्तर्गत एक सूचना दी है जो सारे प्रदेश में गेहूं की खरीद में होने वाली शिथिलता तथा धांधली के सम्बन्ध में है । तो इसके बारे में दिनांक 5 मई को और फिर 31 मई को और फिर 9 तथा 10 मई को भी अल्पसूचित प्रश्न हो चुके हैं । अतः इसे नियम 56 के अन्तर्गत स्वीकार नहीं करता हूं परन्तु इसके ऊपर चर्चा हो सकती है । यह विषय काफी महत्वपूर्ण है ।

(व्यवधान)

श्री छोटे लाल (जिला फतेहपुर)--

मान्यवर, एक जानकारी चाहता हूं ।

(श्री मलिखान सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य जिलों से आते हैं और इसी के बारे में कभी-कभी 51 में और आज 56 में सूचनाए आती है । तो यह विषय महत्वपूर्ण है, कहीं पर बोरे नहीं मिलते हैं, कहीं पर गल्ला पड़ा हुआ है, तो इस तरह की शिकायतें माननीय सदस्यों की हैं । इसको आप देख लें और इसके सम्बन्ध में जो आपके अधिकारी हों, उनको निर्देश दें और इस सम्बन्ध में अपना एक बयान आप दे दें, तो ज्यादा अच्छा हो, जो स्थिति हो आप अपन वक्तव्य में बता दें ।

(व्यवधान)

श्री छोटे लाल--

मान्यवर, एक जानकारी चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आमतौर से प्रदेश की ऐसी स्थिति है । तो मैंने कह दिया कि माननीय मंत्री जी इस पर अपना वक्तव्य दे दें । माननीय मंत्री जो आज शाम को वक्तव्य दे देंगे ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री मलिखान सिंह)--

जी हाँ, दे दूंगा ?

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

अब इस पर किसी का भाषण लिखा नहीं जायगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

5-6 जो प्रमुख शिकायतें हैं जैसे 50 पैसे प्रति कुटल अनलोडिंग के नाम पर लिया जा रहा है, बोरों का अभाव बतला कर खरीद बंद कर दी गयी है, पैसे की कमी के कारण चेकों का भुगतान नहीं हो पा रहा है और हर ट्रक के पीछे सहकारी संघ के सचिवों से एफ० सी० आई० वाले 150 रु० मांगते हैं, सीधे किसानों से न खरीद कर बनियों से खरीदा जा रहा है आदि-आदि की शिकायतों के बारे में वक्तव्य दें, तो इन सब बातों का हवाला देकर बता दें ।

(व्यवधान)

(श्री नारायण दत्त तिवारी तथा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी एक साथ खड़े होकर कुछ कहने लगे, जो सुनाई नहीं पड़ा ।)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, वक्तव्य से काम नहीं चलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

वक्तव्य से काम नहीं चलेगा, बोरा से काम नहीं चलेगा, तो किससे काम चलेगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन, इसमें बोरियों का प्रश्न....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

यह वक्तव्य उनका आ जायगा, लाखों बोरों की जरूरत है । अब इस पर कोई भी माननीय सदस्य न बोलें ।

## 1979-80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान

## अनुदान संख्या 58-ग्राम्य विकास विभाग, अनुदान संख्या-59 पंचायती राज विभाग अनुदान संख्या-93 पंचायती राज विभाग पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या-98 ग्राम्य विकास विभाग पूंजीगत परिव्यय

पंचायती राज मंत्री (श्री जमुना प्रसाद)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 58-ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि

[श्री जमुना प्रसाद—]

की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 33,25,44,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 59—पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्यय को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,80,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 93–पंचायती राज विभाग–पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 98—ग्राम्य विकास विभाग–पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,39,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, ग्राम्य विकास की ओर शासन ने विशेष ध्यान दिया है और इसी के अन्तर्गत उसने प्रदेश के अन्दर ऐसी बहुत सी योजनायें चलायी हैं जिससे ग्रामों में रहने वाले किसान मजदूर खासतौर से कमजोर वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो । इन्ही योजनाओं के अन्दर प्रदेश सरकार ने जो सबसे बड़ी योजना चलाई है । वह है 'अन्त्योदय योजना' । यह एक ऐसी योजना है जो गरीबी को खतम करने के लिए चलायी गयी है । महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्तूबर से इसका प्रारम्भ किया गया है । इसके लिए शासन ने 15 करोड़ एक, 25 करोड़ दो, स्वीकृत किया है । इससे उसने उन तमाम गांवों में जिनको रेवन्यू विलेज कहते हैं, उनको दिया है । इसमें यह नहीं देखा गया कि वे किसी विशेष जाति के हो बल्कि जो सबसे गरीब हैं उनको मनचाही चीज मिले इसके माने यह है कि ग्राम प्रधान या बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ० नहीं बतायेंगे बल्कि गरीबी को दूर करने के लिए जिसको जरूरत हो दी जायेगी । इसके लिए कोई जमानत की मांग नहीं की है उसकी गरीबी उसकी जमानत होगी । इसमें आधा रुपया शासन माफ कर देता है और आधा रुपया की एक साल तक कोई वसूली नहीं कोई ब्याज नहीं तथा 8 सालों में 8 किस्तों में वसूली होती है । इस तरह से शासन ने गांवों में जो अन्तिम श्रेणी के गरीब हैं, उनकी गरीबी को समाप्त करने के लिये इसका प्रारम्भ दिया गया है । इसके साथ–साथ जो सबसे बड़े गरीब हैं उनके लिए एक आवास देने की शासन ने व्यवस्था की है । उसके लिए 6 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है इसमें जो भी व्यक्ति अपना मकान बनाना चाहता है उसको एक हजार देगी ।

आज तक इन गरीबों को मकान बनाने के लिए कोई योजना नहीं बनी तथा इस शासन ने यह योजना दी है । गांवों के अन्दर जो पिछड़े वर्ग के हैं उनके लिए पेयजल की योजना की व्यवस्था की है, जो हरिजन समुदाय के हैं उनके लिए 2 करोड़, 6 करोड़ और 3 करोड़ 58 लाख का इसमें प्राविधान किया है। इसके अनुसार हमारा यह लक्ष्य है कि हमारे जो गांव हैं हरिजनों के वहां पेयजल की समस्या को समाप्त कर दें । कमजोर वर्ग के लोग उन कुओं से पानी पा सकें ।

(इस समय 2 बजकर 39 मिनट पर अध्यक्षता, श्री श्यामधर मिश्र पीठासीन हुए ।)

इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि गांवों का विकास करने के लिये, गांवों में जो तमाम गरीब लोग हैं उनको काम देने के लिय शासन ने खाद्य योजना चला रखी है। इसके अन्तर्गत तमाम बेकार लोगों को काम दिया गया है। हजारों आदमियों को, सड़कें बनाने, तालाब बनाने, भवन बनाने और अन्य विभिन्न कामों में श्रम के बदले अनाज योजनां चलायी है। आप देखते होंगे कि 32 सालों में, स्वराज के बाद सबसे ज्यादा आज खाद्यान्न योजना के अंतर्गत काम हुआ है। प्रदेश के 56 जिलों में कहीं चलें जायं संपर्क मार्गों का निर्माण हुआ है। समाज के गरीब वर्ग के लिये काम दिया गया है। इस योजना में 5 रूपये, 4 रूपये के गेहूं और एक रूपया नकद दिया जाता है। यह नियम है।

शासन ने इस बात की भी व्यवस्था की है कि अगर कहीं पर मजदूर 5 रुपये से ज्यादा है तो उसके लिए शासन ने दूसरी व्यवस्था की है। इस तरीख से प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत तमाम गांवों में सड़कों का जाल बिछाया गया है और सड़कों पर जहां पुलियों की आवश्यकता थी वहां पर उसका प्राविधान किया गया है। अन्त्योदय योजना के अलावा एक और योजना है, वह योजनायें जिसका कहीं कोई प्राविधान नहीं है स्थानीय योजना में लोकल प्लानिंग में उनको लिया गया है। वहां पर, जो जिला परिषद् की परामर्श दात्री समिति है, कोई भी योजना जो 2 लाख की है वह जिले में बनायी जा सकती है। उसके लिय लखनऊ या मंडल केन्द्र पर उसकी स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। 2 लाख रुपयें की स्थानीय योजना का अधिकार जिला परामर्श दात्री समिति को दिया गया है। 2 लाख से 5 लाख रुपये की जो योजना है वह जिला परामर्श दात्री समिति की सलाह से मंडलायुक्त उसकी स्वीकृति देते हैं। 5 लाख से 10 लाख रुपये की योजना की स्वीकृति प्रदेश स्तर से मिलती है। इस तरीके से आप देखेंगे कि ग्राम विकास की जो योजनाएं हैं और उन योजनाओं के लिए जिनका कहीं कोई प्राविधान नहीं है उनको स्थानीय योजना के अंतर्गत गांवों के विकास के लिए, विकास खंडों के विकास के लिए उन योजनाओं को लेकर उन क्षेत्रों के विकास को मजबूत बनाने की तरफ कदम उठाया गया है।

मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि इसी शासन की ओर से एक पौष्टिक आहार योजना है। वह ऐसी योजना है जो समाज के कमजोर वर्गों के आदमी हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनके छोटे-छोटे बच्चों को पैदा होने से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था इस योजना में है। इसी तरह से गर्भवती माताओं के लिए भी सरकार व्यवस्था करती है। इसी के साथ–साथ मान्यवर, मैं आपके सामने जो लघु सिंचाई योजनाएं हैं उनके बारे में बता देना चाहता हूं। जो सिंचाई के साधन नहर, ट्यूबवेल आदि हैं उनके अलावा जो गांवों के व्यक्ति हैं जो अपने स्वयं के सिंचाई के साधन उपलब्ध करना चाहते हैं। उनके लिए शासन ने व्यवस्था की है। इसके लिए हमने 5 करोड़ 98 लाख 54 हजार का प्राविधान किया है।

मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा लक्ष्य था हम उससे आगे बढ़ गये हैं और 107 प्रतिशत उपलब्धि हुयी है। इस वर्ष 1979 तक जो टारगेट है वह 6,95,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई करना चाहते हैं। यह लघु सिंचाई में है इसमें बोरिंग और निजी ट्यूबवेल की भी व्यवस्था करना चाहते हैं, जिसमें बैंक द्वारा

[श्री जमुना प्रसाद--]
किसानों को धन उपलब्ध कराना चाहते हैं। मान्यवर, शासन ने किसानों को कृषि क्षेत्र में जो नई चीजें हैं उनकी जानकारी देने के लिए 21 प्रशिक्षण केन्द्र खोल रखे हैं जिनके द्वारा किसानों को इस बात की जानकारी कराई जाती है कि कृषि में कौन-कौन सी नई चीजें हुई हैं, जिससे खेती का विकास हो सके। इसके अलावा इन केन्द्रों द्वारा खेती के प्रदर्शन आयोजित किये जाते हैं। इसके अलावा ग्राम सेवक, पंचायत सेवक, बी० डी० ओज, ए० डी० ओज और आई० ए० एस० तक के लोगों को तथा किसानों और महिलाओं को इस प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है कि कृषि क्षेत्र में जो नई चीजें हुई हैं उनसे वह लाभान्वित हो सकें।

मान्यवर, गांवों में जो छोटे-छोटे काम हैं जैसे पंचायत भवनों का निर्माण, 8 किलो मीटर तक जो सम्पर्क मार्ग हैं उनका निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण विभाग करता है और बड़े काम जैसे राष्ट्रीयकृत सड़कों और भवनों का निर्माण पी० डब्लू० डी० करता है।

मान्यवर, इसी के साथ-साथ इस प्रदेश में प्रान्तीय विकास दल भी काम कर रहा है। यह हर विकास खंडों में फैला हुआ है। इसका काम गांवों में युवक मंगल दल का संगठन करना और उसके द्वारा विकास के कार्यों जैसे छोटी-छोटी सड़कों का निर्माण, नवजवानों को खेल-कूद की ट्रेनिंग देना और खेल-कूद आयोजित करना है। इसके अलावा जो युवक खेल-कूद या विकास कार्यों में प्रतिभावान होते हैं उनको पुरस्कृत भी करता है। प्रान्तीय विकास दल इस प्रकार समाज में बड़े कार्य कर रहा है और प्रदेश के तमाम युवकों को संगठित करके समाज को सेवा करने की एक भावना उनमें उत्पन्न कर रहा है।

मान्यवर, अब मैं पंचायतीराज विभाग के संबंध में कुछ निवेदन कराना चाहता हूं। पंचायतीराज एक ऐसा शब्द है जिस पर इस देश का पंचायती शासन चलता है। पंचायतीराज हमारा जनतंत्र पर आधारित है। हम गांवों में जनता को इस बात का अधिकार देते हैं कि वह अपने गांवों में मन चाहे प्रधान को चुने और उसके साथ ही साथ जिला परिषद को भी जनता अपने हाथों से संचालित करती है। इसी शासन ने इस प्रकार 18 वर्ष के आयु के लोगों को पंचायतीराज के शासन में हाथ बंटाने का भी अधिकार दिया है। अभी तक मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष थी लेकिन अब हमने 18 वर्ष की आयु के लोगों को भी यह अधिकार दिया है कि वह देश के पंचायती राज में अपना हिस्सा दें और उस में हिस्सा लेकर प्रदेश की शासन व्यवस्था में हिस्सा लें।

एक बिन्दु और है जिसकी ओर मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वह यह है कि पंचायत राज व्यवस्था में जो विकास खण्ड हैं, उन के अधीन हमारे प्रदेश के विभिन्न अंचलों में आज पंचायत उद्योग हैं। इनका जाल फैला है। बहुत तरीके के उद्योग चलाये जाते हैं, बड़े उद्योग छोटे उद्योग और व्यक्तियों के अपने निजी उद्योग। यह पंचायत उद्योग सही मानों में एक समाजवादी प्रणाली है यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। पंचायतों को शासन ने इस बात का अधिकार दिया है कि अपने उद्योग चलायें और उद्योग चलाने में अगर उन को धन की कमी पड़ती है तो शासन ने एक पंचायत बित्त निगम कायम किया है पंचायत उद्योगों को चलाने के लिए। यह निगम धन की व्यवस्था करता है। प्रदेश के अंदर कोई ऐसा विकास खण्ड नहीं है जहां पंचायत उद्योग न चलते हों। इन उद्योगों में हजारों नौजवान काम में लगे हैं और रोजी रोटी कमा रहे हैं। ऐसी सामग्रियां इन उद्योगों द्वारा उत्पादित होती हैं जो हम आपके लिए बड़ी आवश्यक हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं प्राइमरी स्कूलों को टाट पट्टी की आवश्यकता होती है, उनको यह उद्योग निर्माण करते हैं। इसके अलावा बहुत

से ऐसे कार्य ह जिनकी हर विधायक को जानकारी होगी क्योंकि किसी भी विधायक का ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां ये उद्योग न हों। पंचायती उद्योग सही मानों में समाजवादी उद्योग है।

इस के अलावा में आपको भूगर्भ जल सर्वेक्षण के बारे में बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश एसा प्रदेश है जो झील पर तैरता हुआ प्रदेश है। यहां पर पृथ्वी के नीचे इतना पानी है, जिससे इस प्रदेश की सिंचन क्षमता बढ़ाई जा सकती है और प्रदेश में जहाँ सिंचन की व्यवस्था नहीं है वहां इसके द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है। भूगर्भ जल सर्वेक्षण इस बात का पता लगाता है कि कहां पर पानी है, कैसा पानी है, मीठा ह, खारा तो नहीं है, खेती के लिए उपयुक्त है या नहीं।

इस तरीके से मैंने आपको ग्राम्य विकास के अंदर जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में बताया। ये योजनायें ऐसी योजनाएं हैं जिनसे बेकारों को साधन उपलब्ध कराकर काम दिया जा सके, प्रदेश से गरीबी को दूर किया सके। मैं आशा करूंगा कि आप ग्राम्य विकास और पंचायत राज आइटमों को पारित करेंगे।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58-ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत मांग की राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 59-पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 93-पंचायतीराज विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 98-ग्राम्य विकास विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमती कुदसिया बेगम (जिला हरदोई)--

मैं यह कहना चाहती थी कि जितने भी लोगों के नाम कटौती के प्रस्ताव में हैं वे सब अपनी कटौतियाँ पहले पेश कर दें। उसके बाद मुख्य कटौतियां जिन्होंने पेश की हैं उनको मौका दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

व्यवस्था यह होती है कि कटौती का प्रस्ताव एक माननीय सदस्य प्रस्तुत करते हैं उसके बाद बहस शुरू होती है दोनों तरफ से माननीय सदस्य बोलते हैं और जितने लोग खड़े होते हैं उनको यथासंभव समय के अन्दर अवसर दिया जाता है। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 बजे तक देव बहादुर जी तथा माननीय मंत्री जी को अवसर दे दिया जाय। उस समय तक अन्य सदस्यों को मौका मिलेगा। पंचायती राज विभाग चूंकि लोकप्रिय विषय है, बोलने वालों को क्या

[श्री अधिष्ठाता--]

बहुत है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कटौती के प्रस्तावक के अलावा शेष सदस्य 5-5 मिनट ही बोलें जिसमें अधिक से अधिक लोग बोल सकें। जहां तक माननीया कुदसिया बेगम का सवाल है। वह खड़ी हों तो मैं आशा करता हूं कि उन्हें समय मिलेगा।

श्री देव बहादुर सिंह--

माननीय मंत्री जी ने अनुदानों का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय कुछ तथ्य माननीय सदन के समक्ष रखें। पंचायती राज के जो तीन अंग हैं जिला, परिषद, क्षेत्रीय समितियाँ तथा ग्राम पंचायतें इनकी अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट के अनुसार जितनी दयनीय दशा उत्तर प्रदेश में है उतनी देश के किसी अन्य प्रदेश में नहीं है। कारण यह है कि जब से जनता पार्टी शासन में आई है तब से पंचायतीराज या विकेन्द्रीकरण की प्रक्रियाओं का समापन करने का बीड़ा इसने उठा रखा है। सामुदायिक विकास में यकीन करने वाले जो लोग हैं उनकी यह मान्यता है कि प्रदेश के ग्रामीण अंचल का विकास क्षेत्रीय समिति जिला परिषद तथा ग्राम पंचायत के माध्यम से ही हो सकता है। जब तक हम इनको सुदृढ़ नहीं करेंगे तब तक ग्रामीण अंचल का विकास नहीं हो सकता। जब यह कहते हैं ग्राम की ओर चले तो यह शब्द पहले कहेंगे कि "क्षेत्रीय समिति भंग"।

श्री अधिष्ठाता--

देव बहादुर जी क्या आपकी मान्यता है कि दो वर्ष पहले इस प्रदेश में पंचायती राज मजबूत था अब मजबूत नहीं हो रहा है।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, मेरी यही धारणा है। मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे याद दिला दी। मान्यवर, जनता पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में यह था कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जायेगा। माननीय मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि चुनाव घोषणा पत्र हमारा दस्तावेज नहीं है तब मैं कैसे कह दूं कि चुनाव घोषणा पत्र की बात माननीय मंत्री जी मानेंगे। हम इनके आश्वासनों पर कोई भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है। सामुदायिक विकास से हमारा बहुत पहले से सम्बन्ध रहा है।

हमारे जो ग्रामीण अंचल हैं उनमें जो रीति-रिवाज और संस्कार थे उसमें एक नया संस्कार अर्जित करने का माध्यम हमने सन् 49 में बनाया था और उसके अनुसार सामुदायिक विकास की स्थापना की गई और सन् 52 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में पंचायती राज की स्थापना, हुई। मान्यवर, 1961 में डाक्टर बलवन्त राय मेहता कमेटी ने त्रिस्तरीय संस्थाओं ग्राम पंचायतें क्षेत्र समितियाँ और जिला परिषदों-की स्थापना की संस्तुति की और उसके अनुसार 1961 में ही क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम पास हुआ और चुनाव हुआ। तब से हमारे यहां विकास का काम इन त्रिस्तरीय संस्थाओं के माध्यम से आगे बढ़ता रहा। यह पृष्ठभूमि है। इसका श्रेय कांग्रेस सरकार को है कि उसने इन पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की। कांग्रेस सरकार की मान्यता रही है कि जब तक हम ग्रामीण अंचल में हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर नहीं कर देंगे तब तक प्रदेश का और देश का विकास नहीं हो सकता है।

संविधान में निर्देशित जितने भी सिद्धांत हैं उनमें भी यह लिखा है कि हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण करेंगे और जब तक यह नहीं होगा तब तक कोई आदमी

सत्ता के कार्य में सहयोग नहीं दे सकता। इसी ध्येय से सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया गया। मान्यवर, शुरू में यानी 1950 में सारे गाँव में श्रमदान करने के लिए लम्बी से लम्बी सड़क बनाने के लिए अपना ग्राम वासियों ने योगदान दिया और उसके लिए उसने उत्साह दिखाया। उसका श्रेय सामुदायिक विकास के सभी कर्मचारियों ग्राम सेवक, सहायक विकास अधिकारी और खण्ड विकास अधिकारी आदि लोगों को है जिसने इस कार्य में सहयोग दिया और इस देश का निर्माण करने के लिए लोगों ने संकल्प लिया लेकिन समय बीतने के साथ-साथ उसमें शिथिलता आ गयी और प्रोत्साहन समाप्त हो गया। इसलिए उस रूप में वह काम नहीं हो पाया जिस रूप में कल्पना की गई थी।

माननीय मन्त्री जी यह भूल गये जानबूझ कर। आपने 1980 तक ग्राम पंचायतों का कार्यकाल बढ़ा दिया और क्षेत्र समितियों को भंग कर दिया यह कह कर कि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। जिला परिषदों के बारे में आपने अपनी पुस्तिका के पृष्ठ 17 में लिखा है कि "जिला परिषदों का कार्यकाल सन्तोषजनक न होने तथा उनका कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण भंग कर दिया गया और जिले के जिलाधिकारी, जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। जिला परिषदों से सम्बन्धित कार्यों के सम्पादन के लिये जिलाधिकारी की सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिला परिषद में एक परामर्श समिति का गठन किया गया है।" यह कितना भ्रमपूर्ण है। जिला परिषदों का कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ था और आपने उनको भंग कर दिया। इस पुस्तकों में माननीय सदन को धोखे में रखने के लिए और भ्रम में डालने के लिए लिखा गया है कि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। मैं मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि जिसने भी लिखा हो कि कार्यकाल समाप्त हो गया है। लेकिन कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ। क्षेत्र समिति और जिला परिषदों को इस लिए भंग नहीं किया गया कि उनका कार्य असन्तोषजनक था बल्कि उसके पीछे राजनैतिक कारण थे। उनमें कांग्रेस या दूसरे पक्ष के लोग थे। आपकी मान्यता यह है कि जितनी भी संस्थायें हैं चाहे ग्राम पंचायत हो या क्षेत्र समितियां अथवा जिला परिषद हो चाहे विधान सभा हो जहां इनका बहुमत नहीं है उनको भंग कर दो। 1977 के लोक सभा के चुनाव के बाद इन्होंने जो पहला काम किया कि 9 विधान सभायें जहां इनका बहुमत नहीं था उनको भंग कर दिया उसके बाद जब इन्होंने यहाँ पदार्पण किया तो क्षेत्र समितियां और जिला परिषदों को भंग किया। तो यह तानाशाही नहीं तो और क्या है। यह चाहते हैं कि हर संस्था में इनके लोग विराजमान रहें। मेरा कहना है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चाहे कैसे भी हों वह नौकरशाही से कहीं अच्छे हैं। इसलिए उनको अवसर मिलना चाहिये। यदि यहां राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात हो और कहा जाय कि जनता पार्टी का शासन हो या राष्ट्रपति शासन हो तो मैं यही कहूंगा चाहे जनता पार्टी कितनी ही नाकारा हो, चाहे इनका जितना भी आचरण जनविरोधी हो फिर भी राष्ट्रपति शासन से अच्छा है।

माननीय मन्त्री जी से मैं कहूंगा कि आप असमाजवादी लोगों के साथ पड़ने से विकेन्द्रीकरण के खिलाफ हो गये हैं। आप तो समाजवादी आदमी हैं, सत्ता के

[श्री देव बहादुर सिंह--]

विकेन्द्रीकरण में आप उसूलन विश्वास करते हैं लेकिन कभी-कभी जब गलत लोगों के साथ वह हो जाते हैं तो ऐसा आचरण करने लग जाते हैं जैसा कि उन्होंने आज कल करना शुरू कर दिया है। आपके साथी जो हैं वह आपके काम में बड़े बाधक हैं।

श्रीमन्, एक विकास की इन्होंने योजना चलाई है 'अंत्योदय' मंत्री जी इसकी जांच करें क्या उससे लोगों का सचमुच में अंत्योदय हो रहा है या उनका अन्त हो रहा है इसको आप दिल पर हाथ रख कर सोचें, सरकार की जो स्थानीय विकास की योजनायें हैं उसका पैसा लेकर यह अंत्योदय में खर्च कर रहे हैं। इसके लिए अलग से पैसा नहीं दिया गया है। स्थानीय असंतुलन को दूर करने के लिए जो पैसा आवंटित किया गया था उसी में यह अंत्योदय योजना चलाई है। इससे स्थानीय असमानता दूर होने वाली नहीं है। फिर उसमें कितनी रुचि है, यह भी बताना चाहता हूं। 1978-79 में 25 करोड़ रु० इस मद में आवंटित किया गया जिसको कि मंत्री जी ने बड़ी तारीफ की लेकिन 1979-80 में उसमें 10 करोड़ 40 लाख रुपये ही आवंटित किया गया। सच बात तो यह है कि मंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि वह समाजवादी आदमी हैं वह खुद जानते कि इस योजना से सत्यानाश हो रहा है। इसलिये उन्होंने 25 करोड़ से 10 करोड़ 40 लाख कम कर दिया। अगले बजट तक वह मंत्री रहेंगे, मैं चाहूंगा वह निश्चितरूप से रहें, तो इस मद में शून्य लिख दिया जायेगा। इसमें गाय, भैंस आदि खरीद कर दिया जा रहा है जिसमें 50 प्रतिशत अनुदान है और बाकी धनराशि पर 4 फीसदी के हिसाब से साल भर बाद ब्याज वसूल किया जायेगा। इसमें हो क्या रहा है कि जो गाय एक हजार की है उसके दाम दो हजार लगाये जा रहे हैं, जो दो हजार की है उसके दाम 5 हजार लगाये जा रहे हैं। तो इस तरह से जिसके अंत्योदय की कल्पना मंत्री जी करते हैं उसकी जेब में वह पैसा नहीं जा रहा है, उसकी जेब में तो वही पैसा जा रहा है जिस पर 4 फीसदी ब्याज लेना है और जिसे वापस करना है।

एक दो साल बाद आप देखेंगे कि कुर्की के वारंट गांव-गांव में घूम रहे हैं और लोग ढूढ़े जायेंगे, एक नहीं मिलेगा। तब मंत्री जी उसे माल मंत्री के पास वसूली के लिए भेज देंगे और वह माल मंत्री उस पर अपना सर ठोंकेंगे कि यह बला कहां से आ गयी। तो आप अंत्योदय कार्यक्रम के धन का दुरूपयोग बन्द कर दें। मैं उनका विकास चाहता हूं, विनाश नहीं और इसके अन्तर्गत उनका विनाश ही हो रहा है। इसलिए इसका वह पुनरावलोकन करें और इस पर विचार करें।

मंत्री जी ने लघु सिंचाई की बात की। उसके मंत्री उनकी बगल में बैठे हैं, उनको पूरे कैबिनेट रैंक का दर्जा मामला हुआ है। क्या मजाक इस सरकार ने बना दिया है, इसका जवाब ग्राम विकास मंत्री जी दे रहे हैं। क्या स्थिति लघु सिंचाई की है। एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हर मंडल में है और हर ब्लाक में एक ए० डी० ओ० (माइनर इर्रीगेशन) है। सरकार कोई ट्यूबवेल नहीं लगाती है कुवें और रहट नहीं लगाती है। जो अपने पैसे से किसान लगाता है रहट या ट्यूब वेल या कुवें और गूलों का निर्माण करता है, सरकारी रिकार्ड उन सबका बन जाता है और यह लिख दिया जाता है कि इतनी हमारी उपलब्धि है। पता नहीं मंत्री जी के रिकार्ड में आंकड़े आयेंगे या नहीं। ग्राम्य विकास के अन्तर्गत जितने कर्मचारी हैं, उनको अपना काम कम, नहीं के बराबर और सारा काम दूसरों का ही करना पड़ता है। वह कभी अल्पबचत का पैसा जमा करायेंगे, कभी परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने में जुट जायेंगे और कभी सामाजिक शिक्षा के

प्रचार में लग जायेंगे और इन सबके लक्ष्य और उपलब्धि का उनको कोई श्रेय नहीं प्राप्त है । इसीलिए इनको टोकाई आलोचना तो मिल ी है लेकिन प्रशंसा नहीं । जो इसकी एजेंसी हैं, वह सोच नहीं पाते हैं कि हम क्या और कैसे करें, जिससे हमारा महत्व भी समझा जाए और प्रशंसा प्राप्त हो ।

श्रम के बदले अनाज की आपकी एक योजना है । यदि कहीं धन या अनाज नष्ट करना हो तो उसे इस विभाग को दे दिया जाए । इस सम्बन्ध में हमारी जानकारी है, जितना पैसा खर्च किया गया ह, अब तक सब धन बर्बाद गया है । इसमें आपने मिटटी डलवाई है, वह बह गयी है । जब खड़ंजा लगवायेंगे, तो फिर मिट्टी डलवानी पड़ेगी । तो उनको पक्का बनवाने में बड़ी भारी कठिनाई है । आपके पास कितना गल्ला है, पता नहीं । वह योजना केन्द्रीय सरकार की है...।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप अपने सुझाव पर आएं ।

श्री देव बहादुर सिंह—

मेरा सुझाव यह है कि जितना खाद्यान्न इनको मिले गेहूं या चावल उससे कितनी पक्की सड़क बन जायगी, यह योजना बना लें । चाहे ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग से या पी० डब्लू० डी० से बनवायें । मिट्टी डाल कर छोड़ देने से तो बरसात के दिनों में चलना मुश्किल है और ग्रामीणों की सुविधा के लिए वह उपलब्ध नहीं हो रही है । जो भी सड़क बनाएं पूरी एक विभाग को दे दें । चाहे जितने दिन में बनायें ।

माननीय मंत्री जी ने प्रशिक्षण केन्द्रों की बात कही । मैंने भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है जब ब्लाक प्रमुख था । मैं मानता हूं कि प्रशिक्षण केन्द्रों में चाहे सेवा–कालीन प्रशिक्षण दिया जाय, पूर्व सेवा कालीन प्रशिक्षण दिया जाय, चाहे किसानों को रबी और खरीफ का प्रशिक्षण दिया जाय, आर्टिजन्स को प्रशिक्षण दिया जाय, खंड विकास अधिकारी या सहायक खंड विकास अधिकारी को प्रशिक्षण दिया जाय, इससे जिन कर्मचारियों, ग्राम सेवकों को प्रशिक्षण देते हैं, उसमें आंकड़े बना कर जो अच्छे नम्बर से पास हों उनको प्रोन्नत करने में आप कुछ प्राथमिकता दें । तब तो इस प्रशिक्षण का कुछ मतलब है । लेकिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जाते हैं इसलिए कि अनिवार्य है ऐसा न हो । अगर आप आकर्षक बनाना चाहते हैं तो प्रोन्नति से उसको जोड़ दें । तब आदमी उसमें रुचि लेगा ।

पेयजल को जल निगम, जल संस्थान और मंत्री जी भी करते हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य भूल गये हैं । उनके भाषण के साथ घड़ी भी चल रही है । और दोनों मेरे हाथ में नहीं हैं ।

श्री देव बहादुर सिंह—

दो मिनट दे दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—

पांच मिनट हैं ।

श्री देव बहादुर सिंह—

पेय जल के बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया कि हरिजनों को, जन-जातियों को अनुदान मिला । लेकिन हो क्या रहा है ? एक विकास खंड रेवती है बलिया में गऊघाट में कुआं बनने के लिए अनुदान दिया गया । सब रकम खाली । कुआं आज तक नहीं बना । आप जांच करवा लें । मैं चाहता हूं कि अगर अनुदान दें तो उस हरिजन का कुआं अवश्य बने चाहे फिर अनुदान देना पड़े ।

एक हजार रुपया आवास निर्माण के लिए देते हैं । कैसे बन पायेगा ? जिस प्रकार महंगाई बढ़ गयी है अनुदान की रकम बढ़ा दें । ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग का यह दुर्भाग्य है । पता नहीं कैसे मिल गया आप को । इनके पास न रोलर है, न समान स्टाफ भी नहीं । 15 करोड़ रुपये की स्कीम दी गयी है । तीन करोड़ का काम हुआ । विभाग अगर कोई विद्यालय भवन बनाये तो 17 प्रतिशत अलग उस विभाग से चार्ज करते हैं । अगर सरकारी स्कीम है तो 17 प्रतिशत अतिरिक्त क्यों ? इसका मैं बड़ा भारी विरोध करता हूं । आप उसी तरह से काम करें, वह आपके अंग हैं, एजेंट नहीं हैं ।

इस विभाग में ग्राम सेवक की भरती होगी और ग्राम सेवक ही अवकाश ग्रहण करेगा । उनके लिए ऐसा करने के लिए इंसेटिव कम है । इस सदन में प्रश्न हुआ था, क्या ग्रामसेवक संघ के लोग आपसे मिले थे और यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं ? उनके बारे में आपने क्या किया है । सबसे कम वेतन पाने वाले यह लोग हैं, उनके आवास की व्यवस्था आप करें । उनके पास जो यन्त्र पड़े हुए हैं उनको रखने के लिए उनके पास स्थान नहीं है । सहायक विकास अधिकारी हैं, उनका भी आप प्रमोशन करें । श्रीमन, एक बात कही गयी है, अशोक मेहता कमेटी ने कहा कि टू टायर सिस्टम लागू किया जाय त्रिस्तरीय व्यवस्था अभी भी बनी रहे और उसका चुनाव करावें अशोक मेहता कमेटी ने कहा है कि जो पंचायत की संस्थाएं हैं उनकी आर्थिक स्थिति कैसे सुदृढ़ हो । पंचायतें हैं उनकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, क्षेत्र समितियां हैं उनकी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे जिला परिषद है उनकी आर्थिक स्थिति कैसे सुदृढ़ हो । जिला परिषद् अधिनियम जो बना था वह हमारा आदर्श अधिनियम है और उसकी आप जांच करावें उससे अगर हमारा काम चल जाता है तो अशोक मेहता कमेटी की जो संस्तुतियां हैं उनके बारे में हमारे पास पहले से ही व्यवस्था है । इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

श्री छोटे लाल (जिला फतेहपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं ग्राम विकास के अनुदान बजट पर कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, मैं कुछ बातें कहूंगा उनसे श्री देव बहादुर सिंह जी ने जो अज्ञान में कह दिया है उसकी भी जानकारी हो जायगी और उसके साथ ही साथ में कुछ नये सुझाव भी दूंगा । एक लाख 12 हजार पांच सौ एकसठ गांवों के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विकास की जिम्मेदारी माननीय मंत्री जी को दी गयी है। 878 विकास खंडों में जब कभी भी कोई नयी योजना या निर्माण के लिए कोई काम शुरू किया जाता है तो वहां के कर्मचारियों को रहने के लिए आवास, आने जाने के लिए यातायात के साधन की सुविधा दी जाती है। इस साल में देख रहा था कि 400 विकास खंडों के कार्यालय हैं वहां के विकास खंड अधिकारियों के रहने की जगह नहीं। मंत्री जी अकेले हैं या कमजोर हैं उनको इतनी जिम्मेदारी दी गयी लेकिन बजट इनका ज्यादा नहीं है। गांव का विकास करना है तो मैं कहना चाहूंगा कि उसके बजट में कटौती करने से नहीं होगा।

सचिवालय है, केन्द्रीय सरकार है और लखनऊ की सरकार है, सचिवों के रहने का स्थान है, प्राइवेट सेक्रेटरी के रहने का स्थान है। लेकिन जो गांव की सरकार है और जो जिले की सरकार है, उनके जो कर्मचारी हैं उनका दफ्तर उनके झोले में चलता है। हम कैसे उनको व्यवहारिक रूप दें। अगर दो डन्डे उनको कोई मारे तो उनकी रपट ही नहीं लिखी जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है कि उन्होंने उन्हें साइकिल भत्ता देने का फैसला किया है। यहां पर सचिव लोगों के पास स्टाफ कार रहती है और सचिव लोग उस पर चलते हैं तो उनको जो यह सुविधा दे दी गयी तो यह काम बहुत अच्छा हुआ। 400 विकास खंड है, उनके भवन नहीं हैं। मिट्टी डाली गयी अगर मिट्टी चली गयी। चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना में पिछली सरकार उसको पूरा नहीं कर पायी और इस मिट्टी के कार्य में पी० डब्लू० डी० की बाढ़ में सड़कें बह गयी लेकिन खाद्यान्न योजना में जो सड़क बनी, वे नहीं बह पायी हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि विकास अधिकारियों द्वारा खाद्यान्न योजना चलाया गया है उसमें गरीबों को माघ और फागुन के महीनों में भूख से तड़पने पर उनकी सहायता की गयी है। अगर उनकी वास्तविक हालत को देखना हो तो आप उन्नाव और हरदोई जिलों में जो कर देखें कि वहां के लोग कहां पर बाढ़ में टिके हैं। मेरी प्रार्थना है कि हमारे ग्राम्य विकास मंत्री अपने मंत्रि परिषद में कैबिनेट में, इस बात को अवश्य ध्यान रखें कि जिन लोगों के ऊपर आप इतना भार सौंप रहे हैं गांवों के विकास का उनको द्वितीय श्रेणी का अधिकारी तक नहीं माना गया है जबकि उनके अधीनस्थ जो जानवरों को टीका लगाने का काम करते हैं, उनको द्वितीय श्रेणी का अधिकारी मान लिया गया है। अगर आप किसी से काम लेना चाहते हैं तो उनको उतनी ही खुराक देनी पड़ेगी। तो जो आपका ढांचा है कार्यकर्ताओं के लिए विकास की मशीनरी है, उसको सुधारना होगा तभी आप गांवों का विकास कर सकते हैं।

अब मैं पंचायतों के बारे कुछ कहना चाहता हूं जो विकास खंड या पंचायतों के 14-15 प्रतिशत हैं वे आनी-बानी पंचायतों में बढ़ें मैं चाहता हूं कि न्याय पंचायत स्तर पर कार्यालय भी बनाये जायें लेकिन अभी तो विकास खंड स्तर पर ही कार्यालय नहीं बनाये जा रहे हैं। वर्ष 1979-80 में अर्थात एक साल में कुल 20 स्थानों पर भवन बनाने की योजना है जबकि हमारे यहां पर 400 भवन बनाने हैं तो इस गति से अगर गांवों का विकास किया गया तो जैसे गांवों में डाक्टर नहीं जाते हैं, उसी प्रकार से वहां पर विकास खंड अधिकारी भी नहीं जायेंगे और वे शहर में ही रहेंगे।

[श्री छोटे लाल--]

जहां तक लघु सिंचाई का प्रश्न है मैं चाहूंगा कि प्रदेश को 3 हिस्सों में बांट देना चाहिए पर्वतीय क्षेत्र, जहां पर प्राकृतिक स्रोत हैं, बुन्देलखंड जहां का मीठा पानी समुद्र में बह जाता है वहां पर छोटे-छोटे चेक डैम्स बनाये जायं ताकि गरीब लोगों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय ग्राम्य विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत मांगों का समर्थन करता हूं और जो उन्होंने क्रान्तिकारी बजट सदन के समक्ष रखा है, उनका स्वागत करता हूं ।

*श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी ने जो बजट सदन में रखा है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, पिछले 30-32 सालों के इतिहास में पहली बार यह देखने को आया है कि हमारी सरकार ग्रामों का विकास करना चाहती है सारी योजनायें और कार्यक्रम ग्रामों को विकसित बनाने के लिए बनायी गयी हैं और उनको मूर्त रूप देने का प्रयास किया जा रहा है यहां पर कई मुद्दे उठाये गये हैं जिनके बारे में, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा पहली बात तो यह है कि पेयजल की योजना का जहां तक सम्बन्ध है मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में बहुत से ऐसे ग्रामीण अंचल हैं, ऐसी बस्तियां हैं, गरीबों का, हरिजनों की आदिवासियों की कि जहां पर पानी का कोई प्रबन्ध नहीं है इस बात को ध्यान में रखते हुए जो बजट हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, जैसा कि माननीय छोटे लाल जी ने कहा, यह बहुत ही कम अनुदान है सरकार द्वारा बहुत कम रुपया आवंटित किया जा रहा है, जिससे इन कामों में रुकावटों की सम्भावना है तो मैं चाहता हूं कि ग्रामीण अंचलों में जो अभी भी अविकसित हैं और जहां पर पेय जल का कोई प्रबन्ध नहीं है, वहां पर पेय जल की योजना के लिए बजट में प्राविधान करना चाहिए था इसी के साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपका जो यह जल निगम है यह पानी की व्यवस्था उन ग्रामों में करता है जहां पर जिला परिषदें भी वहां के लिये 25 प्रतिशत अपना अनुदान हैं 75 प्रतिशत तो जल निगम भार वहन करता है और 25 प्रतिशत जिला परिषदों को करना होता है अगर जिला परिषद् इसके लिये कोई प्रस्ताव पास नहीं करती और यह भार वहन नहीं तो जल निगम ग्रामों में इसकी कोई व्यवस्था नहीं करता है । कई जगह पर जल निगम चाहता है पर चूंकि जिला परिषदों ने इसके लिये कोई प्रस्ताव पास नहीं किया, वे अपने हिस्से का 25 प्रतिशत वहन नहीं करतीं, इसलिये जल निगम भी कोई काम नहीं कर पाता ।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र वीरपुर तहसील में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है । अनेक बार जिला प्रशासन से भी कहा कि इसकी व्यवस्था की जाये पर हर बार यही जवाब मिला कि पहले जिला परिषद् से उसके लिये प्रस्ताव पारित कराइये । आज जिला परिषदों द्वारा सहयोग न देने के कारण अनेकों ग्राम विकास की योजनायें खटायी में पड़ी हैं । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

श्रम के बदले खाद्यान्न देने की जो योजना सरकार की है उससे बहुत अच्छा कार्य हुआ है आज कहीं भी चले जाइये कुछ न कुछ काम इस योजना के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

अन्तर्गत होता मिलेगा। इसके लिये मेरा एक यह निवेदन है कि बरसात आने वाली है। काफी जगह निर्माण आदि का काम हो रहा है और उसके लिये मिट्टी आदि डाली गयी है। अगर बरसात आने के पूर्व ही जहां पुलियां आदि बननी है और मिट्टी पड़ गयी है, वहां अगर पुलिया को नहीं बनवाया जायेगा तो बरसात में जो मिट्टी आदि पड़ी होगी वह सब बह जायेगी और सारा काम किया हुआ बेकार हो जायेगा। इसलिये इस ओर भी सरकार ध्यान दे कि बरसात के पूर्व इन निर्माण के कामों को पूरा करा दिया जाय।

हमारे प्रदेश में ग्रामों में वाटर लागिंग की भी विकट समस्या है। कई हजार एकड़ जमीन में पानी भर जाता है जिससे फसल को भारी नुकसान होता है। मेरा निवेदन है कि प्रदेश भर में इसके लिए एक सर्वेक्षण कराकर पानी की निकासी की व्यवस्था करायी जाये, जगह-जगह ड्रेनेज बनवाये जायं।

स्थानीय निकायों के जो बार-बार चुनाव टाले जा रहे हैं इससे जनता में हमारे प्रति विश्वास उठता जा रहा है। जब हम गांव में जाते हैं। गांव के लोग हमसे सवाल करते हैं कि चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? मेरा निवेदन है कि इनको आगे और न टाला जाय और इन चुनाव को शीघ्र कराया जाये। इन शब्दों के साथ में इन अनुदानों का समर्थन करता हूं।

*श्री मुख्तार अनीस (जिला सीतापुर)--

अधिष्ठाता महोदय, माननीय पंचायती राज मंत्री जी ने अपने अनुदान प्रस्तुत किये हैं उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक अच्छा बजट हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मान्यवर, इस प्रदेश में जितने भी विभाग हैं उनमें यही विभाग ऐसा है जिसकी छाप देहात के आदमी पर पड़ती है। हमारे अन्त्योदय कार्यक्रम तथा फूड फार वर्क की जो योजनायें चलायी जा रही हैं उसके लिये मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। उसके द्वारा हमारे ग्रामों में तेजी से प्रगति आयी है। लोगों को आज आवागमन के साधन काफी उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जब तक देहात के अन्दर आवागमन के साधन सुलभ नहीं होंगे, जब तक वहां के ऊपर नये रोजगार बनान के लिए नहीं सोचेंगे और जो सड़कों का काम आपने शुरू किया है, मैं इसके लिए बधाई देता हूं कि आपने पिछले वर्ष में ७,२१३ किलोमीटर सड़क उत्तर प्रदेश में बनाई है। लेकिन सारा दोष जो है, वह यह है कि गेहूं समय से नहीं पहुंचता है। जो मजदूर सड़कों पर काम करते हैं १५-१५ दिन का गेहूं उन्हें दिया जाता है। इसमें सुधार होना चाहिये और उन्हें बढ़ाना चाहिये, सड़कें ही बनाने में नहीं बल्कि मकान बनाने में भी, तथा पुल कुंए बनाने के सिलसिले में गेहूं का इस्तेमाल करके इस काम को आगे बढ़ाना है। इसी प्रकार अन्त्योदय योजना हमारे प्रदेश के अन्दर चल रही है। जो गांव का सबसे कमजोर आदमी है, उसको हम मदद कर रहे हैं।

इसी तरह से जो राजस्थान में अन्त्योदय योजना चल रही है, जो लावारिस आदमी है, जिसके परिवार में कोई भी सदस्य नहीं है, उसको भी पेन्शन देने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुख्तार अनीस—]

को योजना बनाई है, जो गांव में सबसे कमजोर आदमी है, जिसकी कोई आमदनी नहीं है उसको पेन्शन देने का काम करेंगे। आप जितनी कुशलता से लग हुए हैं इसको और आगे बढ़ाना है। इस विभाग को सबसे ज्यादा दिक्कत की बात जो है वह यह है कि ३० साल के अन्दर अपने अधिकारियों को रहने के लिए भवन नहीं बना पाये हैं, कार्यालय नहीं बना पाये हैं। इसी समस्या को इस सूबे के अन्दर आप लोग जो हैं, जो वहां पर बी० डी० ओज रहते हैं इसको उनको रहने के लिए भी इन्तजाम नहीं कर पाये हैं, जिसकी वजह से उनको रहने की कठिनाई हो रही है। हमारे जिले में एक रूसा ब्लाक है, वहां पर न कार्यालय का इन्तजाम है और न उन्हें रहने का इन्तजाम है। मान्यवर, ये समाजवादी मंत्री हैं। अपने विभाग की समस्याओं को ये अच्छी तरह से जानते हैं। इनके यहां जो बी० डी० ओ० १६-१६ साल से काम कर रहे हैं, वह सारे के सारे बी० डी० ओ० बन कर ही रिटायर हो जायेंगे, न उनका वेतन-क्रम बढ़ रहा है और न उनकी तरक्की के कोई रास्ते हैं। जब हम चाहते हैं कि प्रदेश का विकास हो, तो अपने अधिकारियों का उत्साह बढ़ाना शासन का कर्तव्य है। आप इस बात पर तवज्जह करें। जो लोग मेहनत से काम कर रहे हैं, उनकी तरक्की के रास्ते खुलने चाहिये। यहां पर बी० डी० ओ० का सम्मेलन हुआ था, माननीय मंत्री जी को उसमें जाना चाहिये था। मान्यवर, इस ओर माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। इसी बात की ओर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो ग्राम्य विकास है, उसमें बी०डी०ओ० की बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि इनके सम्बन्ध में आप ध्यान दें। इसी के साथ-साथ मैं इस विवाद को समाप्त करता हूं।

श्री अशोक वाजपेयी (जिला हरदोई)--

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मान्यवर, माननीय सदस्य का कहना है कि कहीं में कोई कार्यालय का स्थान नहीं है, तो वे कैसे काम करते हैं ?

श्रीमती कुदसिया बेगम--

जनाबेवाला, इसके पहले कि मैं अपनी तकरीर शुरू करूं, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहती हूं कि आप जरा मुझे ज्यादा समय दें, क्योंकि मैं वीकर सेक्शन आफ सोसायटी से ताल्लुक रखती हूं, जिसका कि सबसे ज्यादा पंचायती राज में जिक्र किया गया है।

श्री अधिष्ठाता--

इसलिए नहीं, बल्कि प्रगतिशील विधायक दल की ओर से बोल रही हैं, इसलिए दूंगा।

श्रीमती कुदसिया बेगम--

जनाबेवाला मुझे एक बात की हैरानी हुई कि माननीय मंत्री जी ने अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र अपनी तकरीर में नहीं किया, हालांकि तमाम जितने बेसिक हैं, जो कि तमाम बुनियादें, पंचायत राज की, ग्राम सुधार की हैं, यह सब इसी की वजह से योजनायें बन रही हैं। जनाब को याद होगा कि आजादी के बाद एक कमेटी मुकर्रर हुई थी जिसका काम बलवन्त राय मेहता कमेटी रखा था जिसकी रिपोर्ट की बिना पर यह पंचायत राज की स्कीम शुरू हुई। उस समय इतना जोश-खरोश था हमारे देश में, दुहराने की जरूरत नहीं

है। रुस्ट लेबिल पर हमारा काम जब तक शुरू नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए गांवों से शुरू किया गया था। १९७० के ७ सालों में कुछ काम नहीं हुआ। जनता पार्टी १९७७ में जब हुकूमत में आयी, सब से ज्यादा इस चीज को महसूस किया कि इसको हम फिर जागृत करें। उन्होंने एक कमेटी दिसम्बर, १९७७ में बनायी जिसके सदर अशोक मेहता थे और जिसकी रिपोर्ट अगस्त, सन १९७८ में आ गयी। उन्होंने बड़ी जल्दी रिपोर्ट दी क्योंकि उन्होंने इसकी अहमियत को समझा। १९७७ से १९७८ तक हमारी सरकार के सामने रिपोर्ट रही, सरकार का क्या विचार रहा है, मंत्री जी ने कोई जिक्र नहीं किया।

मैं समझती हूं कि उन्होंने इसलिए जिक्र नहीं किया कि अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट में काफी नुक्ता-चीनी की गयी है। हालांकि मैं समझती हूं कि अन्त्योदय की स्कीम बहुत अच्छी है और सबसे पहले राजस्थान सरकार ने १९७७ में शुरू किया था उसके बाद हमारे यहां शुरू हुई। १४ करोड़ रुपया पिछले साल खर्च करने का मौका मिला, कितना खर्च किया यह नहीं बताया। इसी तरह से १४ करोड़ रुपये अगर इस स्कीम के लिए है, मैं जानना चाहती हूं, पूरी तफ्तीश में नहीं जाती, लेकिन यह स्कीम हरगिज कामयाब नहीं हो रही है। इसके कई कारण हैं, सब से बड़ी वजह किसान भाई सरकार की नीतियों से इतने मशकूक हो गये हैं कि वे ऐसी चीज अपनाना नहीं चाहते जिसमें कोई रुपया, कर्जा या सूद लगने का सवाल हो। इसमें ५० फीसदी अनुदान दिया जायेगा और बाकी का बहुत कम सूद लिया जायेगा, ८ साल की मियाद रखी है।

मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि मैं कई गांवों में गई, इस चीज को दिलाने की कोशिश की गई लेकिन वहां २५ में से सिर्फ ७-८ गांवों में, मेरे संडीला ब्लाक में, लोगों ने स्कीम को मंजूर किया मगर उसमें भी बड़ी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कहना चाहती हूं कि आप को इस चीज को सोचना है कि क्या वाकई जो यह अंत्योदय स्कीम है जो आप इसका मकसद चाहते हैं, जो हम सब चाहते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो वह आगे बढ़ें, गांव वाले जो हैं उनकी जो हालत है और उनका जो रहन-सहन का स्तर है वह बेहतर हो लेकिन इस योजना से कुछ नहीं हो सकता। अशोक मेहता कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें साफ तौर से लिखा गया है, अगर माननीय सदस्य माफ करेंगे तो मैं अंग्रेजी में इस चीज को पढ़ूंगी।

Thus the money which the Government is doling out for weaker sections is not reaching the appropriate quarters. Antyodaya and other schemes have all been fashioned in the same way.

श्री अधिष्ठाता--

इसका हिन्दी अनुवाद कर दीजिये।

श्रीमती कुदसिया बेगम--

जनाबवाला, इसका मतलब यह है कि अशोक मेहता ने तमाम हिन्दुस्तान में इस चीज को देखा है कि यह जो स्कीम है यह अपने उसूल के लिहाज से अच्छी

[श्रीमती कुदसिया बेगम--]

है मगर जिन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये रखी गयी है उसको फायद नहीं पहुंचा। वह इसलिए नहीं पहुंचा है कि बिचौलिये रुपये को खा लेते हैं। असल में जो इसका मकसद है कि गरीब की गरीबी दूर हो वह नहीं होती। आपका कहना है कि हमने बी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० को अलग किया है और बैंक से रुपया लेने को कहा है, मगर यह चीज ऐसी है कि इसमें लोग बहुत चक्कर खाते हैं और बी० डी० ओज० वगैरह फायदा उठाते हैं, गरीब को मजबूर करते हैं कि यह स्कीम ले लें। गाय, भैंस उनको मिलती है जिनका दूध एक दो महीने बाद खत्म हो जाता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो चल रही हैं और जो गरीब को फायदा पहुंचाने की बात है तो गरीब तक फायदा नहीं पहुंच रहा है।

जनाबेवाला, मैं आपसे यह अर्ज करना चाहती हूं कि एक तो यह दिक्कत है कि ग्राम सेवक और पंचायत सेवक, यह जो लेखपाल हैं इनका जो एरिया है वह कम होना चाहिये। इस वक्त १० ग्राम सभायें इनके पास हैं। नतीजा यह होता है कि काम का डुप्लीकेशन होता है। १० ग्राम सभाओं में यह लोग जा भी नहीं पाते। मैं अर्ज करूंगी कि इनको अलग-अलग क्षेत्र दिया जाय और एक आदमी को सिर्फ एक ग्राम सभा दी जाय ताकि वह वहां जाकर सही तरीके से काम करें। दूसरी बात यह है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वह अपने नौकरों को और अपने आदमियों को अंतोदय के अन्तर्गत अनुदान दिला देते हैं और गरीब आदमी का कोई फायदा नहीं हो पाता है। दूसरी बात यह है कि हर जिले में हेडक्वार्टर्स पर १२ आफिसर्स मुकतलिफ विभागों के हैं लेकिन इनमें किसी में कोआर्डिनेशन नहीं है। मंत्री जी ने अभी फरमाया कि हमारी स्कीम गांवों को अच्छा बनाने के लिये विकास के लिये हैं, उन्होंने उसके बारे में सड़कों, नलकूप और तमाम चीजों का जिक्र किया है मगर यह सब चीजें किस तरह से चलें, क्योंकि आपस में किसी तरह का कोआर्डिनेशन नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

आप समाप्त करें।

श्रीमती कुदसिया बेगम--

मैं ५ मिनट और लूंगी। मैं जरा औरतों की बाबत, वीकर सेक्शन्स के ऊपर अर्ज करना चाहूंगी।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर।)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग बैठ जायं।

श्रीमती कुदसिया बेगम--

जनाबेवाला, अशोक मेहता कमेटी ने कहा है और कांस्टीट्यूशन में भी लिखा है कि वीकर सेक्शन आफ सोसाइटी में औरतें आती हैं मैं आपसे अर्ज करना चाहती हूं कि औरतों को सब से कम विकास का मौका मिल रहा है। आपको मालूम है कि एक जिले में एक औरत या दो औरतें ए० डी० ओ० हैं। एक या दो औरतें पूरे जिले के लिये क्या कर

सकती हैं। मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं, जब कांस्टीट्यूशन बन रहा था उस वक्त औरतों के लिये रिजर्वेशन नहीं मांगा। लेकिन अब मैं यह अर्ज करना चाहती हूं कि जो गांव पंचायतें हैं उनमें एक औरत को रखने से फायदा नहीं होता। इसलिये आप वहां ५० फीसदी औरतों के लिए सीटें रिजर्व करें जिससे उनको मालूम हो कि उनके भी कुछ हक हैं। इस सम्बन्ध में वोमेन फाइनेन्स कारपोरेशन, आन्ध्र प्रदेश ने एक स्कीम शुरू किया है जिसमें उन्होंने ६० लाख रुपये सिर्फ औरतों के विकास के लिये इस पंचायतराज में रखा है और जिसकी कि १० रुपये प्रति औरत १० रुपये का हिस्सा लेकर मेम्बर बन जाती है जिससे वहां औरतें अपने बिकास के काम कर रही हैं। मुझे अफसोस है कि इंदिरा गांधी १२ साल तक प्रधान मंत्री रहीं लेकिन उन्होंने भी औरतों के लिये कुछ नहीं किया। इसलिए मैं उम्मीद करती हूं कि यह सरकार औरतों के विकास के लिए जरूर कुछ करेगी कि उनको ज्यादा से ज्यादा जो उनके हक हैं वह मिलें। मान्यवर, पौष्टिक आहार का जो जिक्र जनाब ने किया तो उसमें वहां सिर्फ गाने होते हैं जो कि काफी नहीं हैं, इसलिए महिला मंडलों के लिये आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिये कि वह महिलाओं के विकास कार्यक्रमों में ज्यादा ध्यान दें।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं और श्री देव बहादुर ने जो आधार रहित कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका विरोध करता हूं। मान्यवर, जनता पार्टी के मेनिफेस्टो को देखें तो उसमें जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि जो ३० साल से उपेक्षित गांव हैं उनकी ओर जनता पार्टी जाना चाहती है। इसलिये उसके लिये आवश्यक है कि जो मूलभूत समस्यायें हैं उनको हम देखें। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि ३० साल में जो इलाका जहां साइकिल से और यहां तक कि पैदल जाना संभव नहीं था, आज वहां पर खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कें बन रही हैं। हिसाब लगाया जाय तो ३० साल में जितनी सड़कें नहीं बनी थीं उतनी दो साल में बनी हैं। मान्यवर, फिर भी श्री देव बहादुर सिंह को सब जगह भ्रष्टाचार नजर आता है तो उनका जीवन ही ऐसा रहा है।

(इस समय ३ बजकर ५० मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

वह कहते हैं कि यह समाजवादी मंत्री जी वहां कैसे पहुंचे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ३० साल के पापों का यह परिणाम है कि मंत्री जी इधर आये।

मान्यवर, सामुदायिक योजना के सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि सी० डी० योजना पंजाब के नीलू खेड़ी स्थान में २ अक्तूबर, १९५२ को लागू की गयी लेकिन राजनैतिक कारणों से वह योजना वहीं की वहीं रखी रह गयी और इसके मंत्री श्री एस० के० डे को हटा दिया गया। एस० के० डे, जो पंजाब में तत्कालीन मंत्री थे, उनको क्यों हटाया गया २ अक्तूबर, १९५२ को? उनको केवल इसलिए हटा दिया गया कि उस समय के मुख्य मंत्री से उनके विचार मेल नहीं खाते थे। विकेन्द्रीकरण की जो व्यवस्था सरकार कर रही है, उसके लिये मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--]

मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । अन्त्योदय के बारे में देव बहादुर जी ने कहा । यह पहली सरकार है जिन्होंने उस आदमी को देखा जिसको ३० साल से किसी ने नहीं देखा था । जो गांव में झोपड़ी में बैठा हुआ था, जिसके पास धन नहीं था, खेती नहीं थी, दम तोड़ने के लिए भी जिसके पास साधन नहीं थे, उसको कुछ देने का काम हमने किया । हम अपने मिशन में फेल हुए हैं या पास हुए हैं, यह अलग बात है लेकिन हमारी नियत है । अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो उसका निराकरण होना चाहिये और इसके लिए हम सबको मिलकर इसका सामना करना होगा ।

यह सही है कि ४० करोड़ रुपया जो अन्त्योदय कार्यक्रम के लिए आवंटित हुआ था, उसमें से केवल ९ करोड़ ही खर्च हो पाया है लेकिन उसकी जिम्मेदारी केवल सरकार पर ही नहीं, वरन् सारे प्रदेश पर है । हमारी जो दूसरी योजनायें हैं, जैसे जल निगम बना हुआ है तो यह साफ हो जाना चाहिये कि गांवों में, हरिजन बस्तियों में, पिछड़े इलाकों में पानी की व्यवस्था कौन करे और उसके लिये बजट क्या हो ? यह सही है कि केन्द्र का जो बजट है, उसकी छाप हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, जितना पैसा सी०डी० को, पंचायत राज विभाग को मिलना चाहिये था वह नहीं दिया गया है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिये मंत्री महोदय संघर्ष करें और गांवों को एक नई दिशा देने के लिए इस क्षेत्र में प्रगति करें । सारा प्रदेश उनके साथ है ।

कर्मचारियों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा । खंड विकास अधिकारी मुद्दत से उसी कैडर में सड़ रहे हैं, केबिनेट में भी यह मामला आया है लेकिन आज उनको क्लास-२ नहीं दिया जा रहा है । घोड़ा डाक्टर को ऑप दे सकते हैं, कोई गधा डाक्टर ही तो उनको भी दे सकते हैं, मैं तो कहूंगा कि कुछ निहित स्वार्थों ने उनको क्लास-२ दिलवाया है और बी० डी० ओ०, जो गांव को आगे बढ़ाता है, उसे नहीं दिया जा रहा है । मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि बी०डी०ओ० को क्लास-२ का दर्जा दिया जाय । जिला परिषद के बारे में कहूंगा । जिला परिषद् के कर्मचारी उसी कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं जिस पर हमारा सी० डी० ए० का कर्मचारी काम करता है तो उनको हम सरकारी कर्मचारी क्यों न मानें ? मैं मन्त्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि जिला परिषद् के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी माना जाए ।

जहां तक देव बहादुर जी ने कहा कि हम डेमोक्रेटिक इंसटीट्यूशंस को खत्म कर रहे हैं । यह पहली सरकार है जिसमें 18 साल के लोगों को वोट देने का अधिकार देने की बात की गई थी और उसको कर दिखाया है । यद्यपि इसकी वजह से चुनावों में देरी अवश्य हो रही है जो नहीं होनी चाहिए थी । मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जिला परिषदों आदि के चुनाव शीघ्र करायें । खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जो सड़कें बनी हैं । यह सही है कि बरसात के पहले यदि उनको पक्का नहीं किया गया, और पुल-पुलिया नहीं बना दी गई तो वह बेकार हो जायेंगी । मैं निवेदन करूंगा कि इन सड़कों को पक्का करने और पुल-पुलिया बनाने के लिए हमको अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी । पेयजल के बारे में एक बड़ा ही गलत आदेश गया हुआ है । इस साल एक गांव बाढ़ पीड़ित में आता है तो दूसरे साल कोई दूसरा गांव आता है । इसलिए मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे सर्वेक्षण करा लें और जो गांव फ्लड अफेक्टेड हों, उनके लिए उचित व्यवस्था करें । इसके साथ ही मैं मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

मैं मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। साथ-साथ में चाहूंगा कि आपका ग्राम सभा का कार्यालय कहीं नहीं है, हर ग्राम सभा में आप कार्यालय स्थापित करें। मैं आपके विभाग में हरिजनों की क्या हालत है उसके बारे में बताना चाहता हूं।

पंचायत राज मुख्यालय में क्लास फर्स्ट आफीसर तीन हैं, हरिजन एक भी नहीं है। क्लास टू में दो हैं एक भी हरिजन नहीं है। "क्लास थिरी में हैं और हरिजन 89 है अर्थात् 8.8 प्रतिशत उनका प्रतिनिधित्व है। क्लास फोर में 58 में से तीन हरिजन हैं अर्थात् 5.2 प्रतिशत।

पंचायत राज जिला प्रशासन में क्लास टू में 56 अधिकारी हैं जिनमें से 9 हरिजन हैं केवल 16 प्रतिशत आपके विभाग में हैं। क्लास थिरी में 9908 में 820 अर्थात् 8.2 प्रतिशत हरिजन हैं। यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष इसमें ज्यादा थे और इस वर्ष घट गये हैं। चतुर्थ श्रेणी में 189 हैं जिनमें 59 हरिजन हैं यानि 27.7 प्रतिशत।

प्रादेशिक विकास दल में फर्स्ट क्लास आफिसरों में हरिजन एक भी नहीं है। सेकेन्ड क्लास के 57 आफिसर हैं जिनमें 10 हरिजन हैं 17.5 प्रतिशत। क्लास थिरी में 927 हैं जिनमें 53 हरिजन हैं 5.4 प्रतिशत। क्लास फोर्थ में 380 हैं जिनमें से 13 हरिजन हैं अर्थात् 3 प्रतिशत।

आप अगर निबंधक सहकारी समितियों को देखें तो 34 क्लास फर्स्ट आफिसर में 17.5 प्रतिशत हरिजन हैं। क्लास सेकेन्ड में 176 में 15 हरिजन हैं यानी 8.5 प्रतिशत। क्लास थर्ड में 2772 में से 256 हरिजन हैं अर्थात् 9 प्रतिशत और क्लास फोर्थ में 189 कर्मचारियों में चपरासियों की संख्या शून्य प्रतिशत आपके विभाग में है।

उपभोक्ता सहकारी संघ में सेकेन्ड क्लास आफिसर एक है जिसमें हरिजन कोई नहीं है। थर्ड क्लास में 3 हैं हरिजन एक भी नहीं है। फोर्थ क्लास में 43 हैं 4 हरिजन हैं 9 प्रतिशत।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन में क्लास टू में दो हैं हरिजनों का प्रतिशत शून्य है। क्लास थिरी में 78 हैं हरिजन दो हैं 2.5 प्रतिशत। क्लास फोर में 357 हैं हरिजन 59 हैं 16.5 प्रतिशत इनका रिप्रेजेन्टेशन है।

क्षेत्र विकास में 25 क्लास फर्स्ट अधिकारी हैं जिनमें 11 हरिजन हैं। इसमें परसेन्टेज पूरा होता है। क्लास सेकेन्ड में 79 हैं हरिजन 11 हैं 27 परसेन्टेज 1 क्लास थर्ड में 1506 हैं जिनमें 133 हरिजन हैं 8.5 प्रतिशत।

इस तरह से श्रीमन्, आपके विभाग में जो आंकड़े इस किताब में दिये हैं जिसे मैंने पढ़ा है उन्हें देखकर मुझे बड़ी निराशा होती है कि गांवों के लोगों को आप किस तरह काम दे सकते हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से यह कहूंगा कि वह अपने विभाग में हरिजनों की संख्या बढ़ायें, अनुसूचित जाति की संख्या बढ़ावें और बैकवर्ड क्लास की संख्या बढ़ावें, जिसका आपके विभाग में हरिजनों का पूरा रिप्रिजेन्टेशन हो सके।

[श्री गनशी लाल चौधरी--]

इन शब्दों के साथ में माननीय मन्त्री जी के बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री मन्नू लाल द्विवेदी (जिला रायबरेली)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं ।

मान्यवर, यह जनता सरकार जबसे आई है पता नहीं क्या इसने सोचा है । जो गांव की रीढ़ है, गांव की पंचायत जिसकी स्थापना 49 में हुई थी पूज्य बापू के आदेशानसार उसका प्रतिनिधित्व इन्होंने पसन्द नहीं किया और जो ब्लाक प्रमुख की स्थापना की गयी थी जिससे ग्राम पंचायतों का काम सुचारु रूप से चलता था वह इन्होंने समाप्त कर दी । इन्होंने ढिंढोरा पीटने का काम बड़े जोर से किया है । कांग्रेस सरकार ने अनाज देकर, गेहूं देकर सड़क बनवाने का काम शुरू किया था, इन्होंने भी शुरू किया । आपको एक गांव भी ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर पक्की सड़कें बनी हों । ढिंढोरा इतने जोर से पीट रहे हैं कि इन्होंने बड़ा भारी काम किया हो । मान्यवर, गेहूं इस पर नहीं पहुंचता, पैसा पड़ा रहता है, गेहूं नहीं मिल पाता है । पंचायत टैक्स भी कागज पर वसूल होता है । मैं सुझाव दूंगा कि सरकार मालगुजारी का 10 परसेन्ट जिसमें 5 परसेन्ट टैक्स के रूप में बढ़ा ल पंचायतों को देना शुरू कर दें तो यह अच्छा कदम होगा ।

अन्त्योदय स्कीम चलाई गयी । रायबरेली में तो कुछ ठीक तरह से चल रही है ? पंचायत उद्योग में जो समान बनता है उसे लेने के लिये बाध्य किया जाता है । वहां अन्त्योदय वाले इसका साढ़े 1200 रुपये का देते थे जब कि बाहर से साढ़े 700 का मिल जाता था । इस मामले को उठाया गया तो वह अब 800 रु० का देने लगे हैं । अन्तयोदय का पैसा कोई बाहर से नहीं आया, जन स्वास्थ्य का पसा है । उसे रोक कर अन्त्योदय की योजना चला दी गयी है जब कि जनस्वास्थ्य के कार्य भी वहां के लिये जरूरी थे । नाबदान का गंदा पानी निकालने के लिये इस पैसे से नाली बना देते थे उसे अब रोक दिया गया है । गांव की तरक्की को रोक रखा गया है । इसी तरह से न्याय पंचायतों का क्या हाल है । वकीलों ने होशियारी से 323 के मुकदमें जो वहां दायर होने चाहिये न्याय पंचायतों म इस ढंग से लिखवा दिये, गरीब आदमी को परेशान करने के लिये कि वह जिले में दायर होते ह जिसमें वकील जरूर हो जाता है । इस ओर ध्यान दिया जाय ताकि न्याय पंचायतों में जो मुकदमें जाने हों वे वहां जायं और गांव वाले उनसे लाभान्वित हों ।

सन् 50 में जब मैं गांव पंचायत का प्रबन्धक था तो एक पंचायत अधिकारी आया सन् 52 में जिसका नाम था चन्द्रभान गुप्त । मैं जब एम० एल० ए० हो गया तो वह अब भी पंचायत अधिकारी के पद पर आसीन हैं । उसकी भी तरक्की होनी चाहिये । इसके अलावा मैं समझता था कि बी० डी० ओ० कभी कभी प्लानिंग आफिसर हो जायगा, ए० पी० सी० के पद पर पहुंच जायगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ । इसे आप करें अगर हम नहीं कर पाये तो इसी तरह से ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का काम बहुत कमजोर तथा गड़बड़ है । इसे ठीक करने की व्यवस्था की जाय ।

जिला परिषदों को भी आपने समाप्त कर दिया और वहां नामिनेशंस कर दिये बिना किसी एम० एल० ए० से पूछे हुए । इसमें पार्टीबाजी नहीं होनी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चाहिए थी, विधायकों से राय लेनी चाहिये थी। इसके अलावा जो सलाहकार समितियां हैं वे एक तरफा हैं। इसी तरह से बी0 डी0 ओ0 को क्लास टू देने के बारे में चर्चा हम लोगों के सामने आयी थी, कांग्रेस अपने शासन काल में उसे जल्दी करने वाली थी लेकिन नहीं कर सकी।

आज जो पशुपालन डाक्टर हैं जिसको कभी बी0 डी0 ओज0 से कम तनख्वाह मिलती थी उनको क्लास टू मिल गया है लेकिन बी0 डी0 ओज0 को नहीं मिला है। इस पर माननीय मन्त्री सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

ग्राम सेवक को कानूनगो के बराबर तनख्वाह देते थे और अब कम मिलती है। माल विभाग में जो कानूनगो होते हैं उनको ग्राम सेवक के बराबर तनख्वाह मिलती थी। पंचायत सेवक जो हैं उनकी तनख्वाह 50 रुपये होती थी और अब ठीक हो गयी है और यह कांग्रेस के समय में हो गयी थी। मैं समझता हूं कि अगर आप इनको जिले के बाहर भेज दें तो य अच्छा काम कर सकते हैं। इनको ब्लाकों में नहीं रखना चाहिए। पहले एक इस तरह से काम हुये थे कि कुछ गांवों को लेकर काम कराया गया जैसे एक साल में यह तय किया गया कि 2/4 गांवों को डेवलप किया जाय। यह गांधी शताब्दी के समय में हुआ था। मैं चाहता हूं कि उसी तरह से एक साल में 10 गांवों को लिया जाय कि उन गांवों में स्कूल तथा कन्या पाठशालायें आदि की स्थापना की जाय। इस तरह से हरएक गांव हो जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बलदेव (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। विरोध में कहा गया है कि मैं ऐसा प्रस्ताव इसलिये किये हूं कि हम विरोध करेंगे और सुझाव देंगे। लेकिन मान्यवर, जैसा मैंने सुना एक भी माकूल सुझाव इस तरह का नहीं आया जिससे हम लोग प्रभावित हुये हों कि हमारे विरोधी साथी ने सुझाव दिया है। मैं माननीय मन्त्री जी को सुझाव देता हूं कि जैसा आपने अन्त्योदय कार्यक्रम चलाया है उसमें माननीय विधायकों को भी ग्राम सभाओं के कार्यकलापों को आमंत्रित करने की बात कही है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह कतई व्यवहारिक नहीं है। कोई भी विधायक किसी भी पंचायत में शरीक हो पाये, यह संभव नहीं है। एक विधायक के क्षेत्र में अनेक पंचायतें होती हैं और अनेकों की कार्यविधि यदि एक ही दिन रखी जाय तो विधायक किसी भी तरह से वहां उपस्थित नहीं हो सकता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये ब्लाक स्तर पर उनको बुलाने में विधायकों को सन्निहित करने के आदेश दें और इस अन्त्योदय कार्यक्रम के अनुसार अनुदान पाने वाले व्यक्तियों को आमंत्रित करने की व्यवस्था करें। मेरा एक सुझाव यह भी है कि पंचायतों के चुनाव शुरू-शुरू में जिस हौसले से शुरू हुये उनमें अब मुर्दागनी आ गई है। हमारे विरोधी साथियों ने पंचायत राज अधिकारियों की तरक्की की बात कही। मुझे जैसा अनुभव है, हमारे अधिकारियों ने इनकी तरक्की की कौन कहे पंचायतों को तनज्जुली के स्थान पर नहीं रहने दिया है। यह स्थिति हो गयी है कि पंचायत लगभग समाप्त-प्रायः हो गयी है। इसलिये मंत्री महोदय को मैं सुझाव देना चाहता हूं कि वे पंचायतों के कार्य क्षेत्र

[श्री बलदेव--]

में बढ़ोत्तरी करें । हालांकि विकेन्द्रीकरण की नीति के खिलाफ मन्त्री महोदय महसूस करेंगे लेकिन मेरा सुझाव है कि पंचायत क्षेत्र आप 10 से 15 हजार की आबादी पर एक करें । न्याय पंचायत भी उसमें है ।

जहां तक मुझे अनुभव है जमींदारी उन्मूलन के पहले गांव के लोगों से बेगारी ली जाती थी मुझे ऐसा महसूस होता है कि यह सरकार भी पंचायत के के लोगों से बेगार लेती है जिसकी वजह से उसमें मुर्दानी आ गयी है । पंचायत चुनाव में जो धन जमा कराया जाता है वह पैसा कतई वापस नहीं होता चाहे कैंडिडेट हार जाय या जीत जाय । हम विधायकों या संसद सदस्यों को चुने जाने के बाद जमानत का पैसा वापस हो जाता है । मैं महसूस करता हूं कि यह पैसा भी उनको वापस होना चाहिये । जहां तक वैधानिकता का प्रश्न है उसके लिए अगर नियम बनाने की आवश्यकता हो तो वह बने ।

जहां तक कर लगाने की बात है पंचायतों द्वारा कर केवल कागज में लगाये जाते हैं । उसकी वसूली नहीं हो पाती है । सब कार्यवाही कागजी होती है । इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी को सुझाव दूंगा कि पंचायत कर जिला परिषद् के परामर्श से लगाये जायं और उसकी वसूली भी पूर्णतः जिला परिषद् द्वारा हो जो खर्चा वसूली में हो उसको निकाल कर बाकी जो भी इनकम हो उसे जिला परिषद् क्षेत्र समिति और गांव पंचायत में बांटा जाय लेकिन वसूली की जिम्मेदारी जिला परिषद् की हो ।

एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं कि पंचायतों को अधिक से अधिक धन दिया जाना चाहिये (लाल बत्ती होने पर) इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री जी के बजट का समर्थन करता हूं ।

(श्री अशोक बाजपेई का नाम पुकारने पर)

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)--

मान्यवर, परसों से खड़ा हो रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

परसों कौन बोले थे वह गौरी शंकर कोई और थे ?

श्री अशोक बाजपेयी--

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । मैं माननीय ग्राम्य विकास मन्त्री द्वारा रखे गये बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं । मान्यवर, आज जब हम ग्राम्य विकास की चर्चा करते हैं, आज जब हम इस देश को उठाने की बात करते हैं तो हमें गांवों के जीवन को खुशहाल बनाना होगा । पंचायती राज का मूल अर्थ ऐसे राज्य की व्यवस्था है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का सामंजस्य हो जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की साझेदारी हो उसे पंचायतीराज कहते हैं । गांधी जी ने इस देश में पंचायती राज की जो कल्पना की थी उसमें उनकी मंशा यह थी कि जड़ों तक जनतंत्र पहुंचे । अगर हम 30 वर्षों की इस बात की विवेचना करें तो क्या पंचायती राज का वह सपना साकार हो सका है ? क्या पंचायती इकाइयां सक्षम हो सकी हैं, क्या सच्चे अर्थों में सत्ता का विकेन्द्रीकरण पूरा हो सका है ? नहीं हो सका है ।

आज 70 फीसदी लोग गांवों में रहते हैं। इस देश के विकास के लिए गांवों का विकास जरूरी है। 30 वर्ष का कांग्रेसी शासन गांवों को लगातार विनाश की ओर ले गया। शहरों के सुन्दरीकरण और गांवों का विनाश हुआ। गांवों में ब्लाक खोल दिये गये लेकिन उनकी योजना शून्य रही, उनके माध्यम से कोई कार्य नहीं हुए। जनता का शासन, गांवों का हिमायती शासन जब सत्ता में आया तो गांवों में विकास कार्यक्रम प्रारम्भ हुए। माननीय मन्त्री और केन्द्र शासन के सहयोग से इंटीग्रेटेड रूरल प्रोग्राम चलाया गया। 1977 में इस प्रोग्राम का प्रारम्भ हुआ। इससे पहले योजनाविदों की रिपोर्ट के आधार पर, उनके सुझावों के आधार पर यह योजना तैयार की गई कि गांवों का विकास कैसे हो और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेन्ट प्लान के आधार पर कौन-कौन सी योजनायें चलाई जायं, इस दिशा में क्या कार्य आरम्भ किया जाय। इसके अन्तर्गत अंत्योदय, एस० एफ० डी०, सी० डी० ए० और कई हाई इल्डिंग वैरायटी के प्रोग्राम चलाये गये। इनसे देश के गांवों में एक नया जीवन आया है।

2 अक्तूबर, 77 को राजस्थान सरकार ने अंत्योदय की योजना का आरम्भ किया। इसके पीछे भावना यह थी कि समाज के वह लोग जो निराश हो चुके हैं, जो जीवन से थक चुके हैं जो नाउम्मीद हो गये हैं कि समाज में जीवित रहने का और बराबरी का अधिकार उनको भी मिल सकता है, उनको उठाने के लिए अंत्योदय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। राजस्थान सरकार के बाद उत्तर प्रदेश की क्रांतिकारी सरकार ने भी इस कार्यक्रम को आरंभ किया और आज उत्तर प्रदेश के तमाम गांवों में अंत्योदय का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इसमें प्रत्येक गांव से 5 गरीबों को जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जो सबसे पिछड़े हैं उनको उठाने के लिए शासन ने यह योजना तैयार की। कितना सुन्दर योजना का स्वरूप था, लोगों की स्पष्ट धारणा थी कि जो निराश हो चुके हैं उनके लिए कुछ कार्य किया जाये। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि योजना की जितनी पवित्र भावना थी वह उतनी आज साकार रूप में नहीं पहुंच पायी, जिन उपेक्षित लोगों को हम उठाना चाहते थे उनको सही माने में हम नहीं उठा सके हैं इसमें मुझे सन्देह नहीं है।

राजस्थान में सही प्रकार से यह योजना प्रारम्भ की गयी है। यहां पर भैंसे, बैलगाड़ियां, खड़ खड़े आदि ले दिये गये हैं, लेकिन बाद में कोई अधिकारी देखने नहीं गया कि क्या उन्होंने सहायता रूप से प्राप्त कर लिया है और उनका काम ठीक से चल रहा है। तो इस योजना का फालो अप किया जाय। उसके बाद की कठिनाइयों पर भी ध्यान दिया जाय। यदि उनका बैल या भैंस बीमार हो जाए, तो उसके उपचार पर भी ध्यान दिया जाए और यदि वह मर गया हो तो उसे दुबारा जानवर खरीदने के लिए धन दिया जाए। इसी प्रकार से यदि उसका खड़खड़ा या बैलगाड़ा टूट गया है तो उसकी मरम्मत के लिए भी उसे धन उपलब्ध कराया जाए, धन निर्धारित किया जाए। तो इस योजना के साथ पूरी सतर्कता बरती जाए।

जिला अधिकारी, जिला विकास अधिकारी और खण्ड विकास अधिकारी आदि सभी सम्बन्धित लोगों को निर्देश दिया जाय कि जिन लोगों को इस योजना के अन्तर्गत सहायता मिली है, उनका उनके द्वारा लगातार फालो-अप किया जाय और यदि उनके रास्ते में कोई कठिनाई है आर्थिक या अन्य प्रकार का तो उसे भी दूर करने का प्रयास किया जाय।

[श्री अशोक बाजपेयी--]

आपकी एस० ए० एफ० डी० की एक स्कीम है, जिसके माध्यम से छोटे और मध्य खेतिहरों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास किया गया है इन्टीग्रेटेड रूरल डेवलपमेन्ट स्कीम थी। इसमें केन्द्रीय सरकार की घोषणा थी कि हम 10 वर्षों में इसके द्वारा बेरोजगारी दूर करेंगे। इसमें जो योजनाएं चलाई गयी है, उसमें यह प्रयास किया गया है कि गांव के लोगों को गांव में ही काम दिया जाय। इस दिशा में यह एक क्रान्तिकारी कदम है। इसके साथ-साथ में गावों के विकास के लिए कुछ और सुझाव देना चाहूंगा।

कुछ दिन पहले मैंने अपने अन्य साथियों के साथ विदेशों का भ्रमण किया था। वहां मैंने देखा है कि वहां की अर्थ नीति बेस करती है मछली व्यापार पर। न्यूट्री-फूड यानी धनी भोजन हमारे देशवासियों को प्राप्त नहीं होता है। इसकी प्राप्ति के हेतु यदि मछली उत्पादन बढ़ाया जाए, तो इस दिशा में हमारे ग्राम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हर गांव में आज करीबन 10-10 सूखे तालाब या पोखर पड़े हुए हैं। उनको पानी दिया जाय तो इसका उत्पादन अपने प्रदेश में बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे लोगों के भोजन का स्तर सुधरेगा और ग्रामीणों की आर्थिक दशा ठीक होगी।

अतः मैं अपने ग्राम विकास मन्त्री से निवेदन करूंगा कि मत्स्य पालन को अधिक जनोपयोगी और अच्छा बनाया जाय। ग्रामीण तालाबों और पोखरों में मछली की खेती का कार्य प्रारम्भ किया जाए। इसके साथ साथ में आपका ध्यान विकास कार्य के मेरुदण्ड की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। विकास खण्डों के माध्यम से जो ग्राम्य विकास का कार्य हो रहा है, उसके खण्ड विकास अधिकारियों का जीवन स्तर ऊपर उठाने का प्रबन्ध किया जाए, जिससे आशा की जा सकती है कि ब्लाक के अन्दर चलने वाले स्कीमों में वह सुन्दर समन्वय करेगा। आज उनका स्तर वेटेरनरी डाक्टरों से गिरा हुआ है, उसे कम से कम उसकी समानता में लाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री अशोक बाजपेयी--

जिलों में एडिशनल डेवलपमेन्ट आफिसर (विकास) होते हैं, जो कि पी० सी० एस० सर्विस से आये होते हैं। उनका विकास कार्यों का कोई ज्ञान नहीं है न कोई उसका प्रशिक्षण प्राप्त है। अतः इसमें विकास के लोगों को ही प्रमोट किया जाय, जिन्होंने बीसों वर्षों से विकास का कार्य किया है और उसे समीप से देखा है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठें, समय समाप्त हो गया।

श्री अशोक बाजपेयी--

एक मेरा सुझाव यह है, जिसके लिए प्रापर प्रशिक्षण की आवश्यकता है। रूरल डेवलपमेन्ट के प्रशिक्षण का काम शुरू किया जाय। इस दृष्टि से मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग की सराहना कर उसको धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने ग्राम शिक्षण विभाग को चलाया है। आज जो योजनायें चालू

की जा रही हैं, उनका मूल्यांकन भी होना चाहिए। इसलिए शोध संस्थान की स्थापना होनी चाहिए ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठ जाएं। आपका समय हो गया है, आप बोले जा रहे हैं।

श्री अशोक बाजपेयी—

इस कार्य को सबल बनाया जाय और इस कार्य को करने वाली समस्त एजेन्सियो और अधिकारियों पर ध्यान देकर उनके स्तर और मनोबल को ऊंचा उठाया जाय। इन शब्दों के साथ में मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

लघु सिंचाई मन्त्री (श्री ख्याली राम शास्त्री)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो लघु सिंचाई का 5 करोड़ 98 लाख 24 हजार का बजट प्रस्तुत है मैं आप के द्वारा लघु सिंचाई के ऊपर प्रकाश डालना चाहूंगा। लघु सिंचाई ऐसा विभाग है जिस पर बजट पर कम से कम बोझ पड़ता है और उससे अधिक से अधिक निर्माण कार्य किया जाता है। उदाहरण के लिए पिछले वर्ष में 1978–79 में 1 अरब 22 करोड़ रुपये का निर्माण कार्य किया गया जब कि इस पर खर्चा केवल डढ़ प्रतिशत हुआ बजट पर भार पड़ा। इस प्रकार से कम से कम बजट पर भार डाला अधिक से अधिक काम कोई विभाग करता है तो लघु सिंचाई है। इसी प्रकार जो मौजूदा वर्ष है इसमें 51 करोड़ का लक्ष्य निर्माण का रखा है सिंचाई का उस पर केवल 2·6 प्रतिशत बजट के ऊपर भार पड़ेगा। यह लघु सिंचाई ऐसा विभाग है जिसके द्वारा कृषक निजी साधनों द्वारा उचित ढंग से उत्पादन को बढ़ाता है, बिना सरकार के ऊपर निर्भर रहे हुए। इस प्रकार से भारत वर्ष में यह अनूठा प्रयोग है लघु सिंचाई का जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार भी दिया जाता है और भारतवर्ष की जो आर्थिक रीढ़ है उससे सबसे ज्यादा योगदान उस आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने में लघु सिंचाई का है। यदि सिंचाई न हो तो फिर कृषि के उत्पादन के दूसरे साधन बेकार हो जाते हैं। इस प्रान्त की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने में सबसे ज्यादा सहयोग करने वाले लघु सिंचाई विभाग है। 1 अरब 22 करोड़ का निर्माण किया। उसमें निवेदन कर दूं इस विभाग ने उसमें 43 करोड़ 87 लाख का ऋण सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा दिलाया था और 5 करोड़ व्यवसायिक बैंकों द्वारा और 55 लाख अधिक अन्न उपजाओं ऋण योजना के अन्तर्गत दिया गया। कृषकों ने अपने योगदान द्वारा 72 करोड़ 58 लाख रुपया लगाया है। इस प्रकार 122 करोड़ का निर्माण कार्य किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने इसको सब से अधिक महत्व दिया है। इस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने 99 लाख हैक्टर जमीन में लघु सिंचाई के साधनों द्वारा लक्ष्य रखा है। उसमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा 32·30 लाख हैक्टर जमीन रखा है। 1978–79 में भारत सरकार ने 14.50 हैक्टर का लक्ष्य रखा था। उसमें केवल उत्तर प्रदेश में 5·70 लाख की जो क्षमता है सिंचाई की उसमें सफलता हुई है यानी 5·7 लाख का लक्ष्य रखा था उसके

[श्री खयाली राम शास्त्री--]

अगेंस्ट 6·95 लाख का लक्ष्य पूरा किया है। यानी 40 के बजाय 48 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ने पूरा किया गया वर्ष में। चालू वर्ष में भारत सरकार ने पूरे देश में 16·50 लाख हेक्टर जमीन का लक्ष्य रखा। उसमें हमने अपने 6·75 लाख हेक्टर का लक्ष्य रखा है। पिछले साल 40 के बजाय 48 प्रतिशत पूरा किया है। इस वर्ष उसको बढ़ाकर 50 से भी अधिक पूरा करेंगे। इस प्रकार से लगा लें, भारतवर्ष का 90 प्रतिशत का जो सबसे अधिक हिस्सा है वह उत्तर प्रदेश कर रहा है विश्व में भी कहा जाय तो इस लघु सिंचाई के जरिये जितना उत्तर प्रदेश ने किया है विश्व में किसी प्रदेश ने उतना नहीं किया होगा। इसी प्रकार योजना काल के पूर्व से लेकर 31 मार्च, 1979 तक निजी नलकूपों पम्पिंग सेटों के निर्माण हेतु 11 लाख 85 हजार 6 सौ 58 बोरिंग की गयी, जिनमें 799694 निजी एजेन्सियों द्वारा और 785965 बोरिंग विभाग के द्वारा की गयी गत वर्ष कुल 96,091 बोरिंग की गयी जिनमें 68723 निजी एजेन्सियों द्वारा और 27368 विभाग द्वारा कराया गया। प्राइवेट एजेन्सियों द्वारा जो बोरिंग की गयी उनसे बहुत से आदमियों को रोजगार मिला। हमारा जो विभाग है उसका केवल यह काम है कि ऋण पत्र किसानों से लेता है और भूमि विकास बैंक या व्यवसायिक बैंक से कर्जा दिलवाता है और बोरिंग अपने स्टाफ द्वारा करवाता है पिछले वर्ष जो बोरिंग की गयी है उसके 1/3 से अधिक बोरिंग विभाग द्वारा की गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, 5 एकड़ तक के लघु कृषक और सीमान्त कृषक जो हैं उनकी निःशुल्क बोरिंग करवाते हैं लेकिन जो बड़ी बोरिंग होती है उसके लिए हम कुछ रुपया उनसे लेते हैं जैसे कर्मचारियों की यात्रा भत्ता आदि इस प्रकार हम 10 से 15 प्रतिशत खर्चे में बोरिंग कर देते हैं। मान्यवर, जहां तक उनके विद्युतीकरण का सवाल है, वह भी लघु सिंचाई विभाग करता है, पिछले वर्ष 40 हजार ट्यूब वेलों को बिजली दिलाने का लक्ष्य था लेकिन 24 हजार ही दिला सके इनके लिए जो संयन्त्र होने चाहिए वह विद्युत् परिषद् में उपलब्ध नहीं थे जिनके कारण लक्ष्य पूरा नहीं कर सके 50 हजार नलकूपों का लक्ष्य इस बार रखा गया है और हम आशा करते हैं कि हम पूरा कर लेंगे मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर दूं कि लघु सिंचाई को प्राथमिकता दी गयी है माननीय सदस्यों को सुनकर हर्ष होगा कि विश्व बैंक लघु सिंचाई के लिए ऋण नहीं देता था जब कि भारत के अन्य प्रदेशों को दिया जाता था विश्व बैंक ने इस प्रदेश को भी लघु सिंचाई के लिए ऋण देना स्वीकार कर लिया और इसके द्वारा संयन्त्र वगैरा खरीदे जायेंगे। जब विश्व बैंक द्वारा संयन्त्र और तार मिल जायेंगे तो हमारा मान्यवर, इसके अलावा एक निवेदन और कर देना चाहता हूं कि जो लोग बोरिंग लगाते हैं उन को प्राविधिक लाभ भी दिया जाता है हम उनको अनुदान भी दिलाते हैं यह विभाग ही ऐसा है, जो लेता कुछ नहीं है देता ही है।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी 2, 4 मिनट और भी लेंगे।

श्री नन्द राम (जिला मुजफ्फरनगर) --

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से माननीय लघु सिंचाई मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन गरीब हरिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों को जमीनें मिली हैं, इन लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत उनको ट्यूबवेल लगाने के लिए कोई सहायता मिलेगी ?

श्री ख्याली राम शास्त्री--

जो सीमान्त कृषक हैं उनको 33 1/3 प्रतिशत अनुदान दिया जायगा और जो लघु कृषक हैं उनको 25 प्रतिशत। इतना ही नहीं बल्कि हमारा वह भी प्रयास है कि जो इससे बढ़ कर कृषक हैं, उनको भी कुछ अनुदान दिया जाना चाहिए। हमने केन्द्रीय सरकार को लिखा है और पता चला है कि 10 एकड़ तक के जो किसान हैं, उनको भी ट्यूबवेल लगाने के लिये 20 प्रतिशत अनुदान दिया जायगा।

जहां तक पम्प सेट्स के लिए जो कृषकों को दिया जाता था वह डीलर्स के नाम से चेक दिया जाता था। पता यह चला कि जो पम्प सेट्स कृषक उन डीलर्स से खरीदता था तो वह ज्यादा भाव से उसे मिलता था। उस सम्बन्ध में हमारे विभाग ने केन्द्रीय सरकार से कहा है। असल में रिजर्व बैंक आफ इंडिया भूमि विकास बैंक को पैसा देता है और उसके द्वारा वह किसान को दिया जाता है। इसके पहले तरीका था कि ऋण सीधे किसान को चेक द्वारा दिया जाता था लेकिन देखने में आया कि कृषक उस पैसे को ब्याह में खर्च कर देता था और उसका परिणाम यह होता था कि खेती की उपज के बढ़ने में उसे प्रयोग में नहीं लाता था। किन्तु सब कृषक नहीं करता है। हमनें फिर केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि और हमें आशा है कि ऋण जो है वह सीधे किसान को दिया जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप जल्दी करें। ज्यादा समय न लें, माननीय सदस्यगण बोलना चाहते हैं। आप करीब-करीब 13-14 मिनट ले चुके हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

माननीय मन्त्री जी को बोला हुआ मान लिया जाय ?

(व्यवधान)

श्री ख्याली राम शास्त्री--

पर्वतीय क्षेत्र में बंधी और गुलों की बहुत कमी है। हमने वहां के लिए एक नयी योजना बनायी है। पर्वतीय क्षेत्र में चूंकि दुर्गम स्थान होते हैं, और वहां पर सिंचाई के कोई साधन नहीं है, इस लिए हम यह प्रयास कर रहें हैं कि वहां पर भी सिंचाई के साधन हो सकें। (व्यवधान)

श्री देव कुमार--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय देव बहादुर सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय लघु सिंचाई मन्त्री जी ने जो कहा उसके सम्बन्ध में, मैं कोई कटौती का प्रस्ताव पेश नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

कटौती का प्रस्ताव तो सभी अनुदानों के बारे में है ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

यहां पर मन्त्री ने ही मन्त्री को काट दिया है ।

*श्री देव कुमार (जिला बाँदा)--

माननीय मन्त्री जी की कोई अपनी नीति नहीं है, शायद वे दूसरे विभाग के बारे में बोल रहे थे । यह ग्राम विकास और पंचायती राज इस देश और प्रदेश के महत्वपूर्ण विभाग ह । पिछले 32 सालों में पिछली कांग्रेस की सरकार भी गांधी जी के नाम पर वोट मांगती रही और यह सरकार भी, पर काम उनके स्वप्नों के खिलाफ ही करती रही । जनता पार्टी ने शासन में आने के बाद गांधी जी की समाधि पर कसम खायी थी, और उसके बाद से देश और प्रदेश की जनता को यह आशायें बधी थीं कि अब गांधी जी के स्वप्नों को पूरा करने के लिये यह सरकार कोई व्यापक कार्य करेगी । लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह सरकार तो पहली सरकार से भी गयी गुजरी निकली । यह अपनी ही बनायी हुई समितियों की रिपोर्ट पर विचार नहीं करती । अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, मगर उसकी सिफारिशें भी आज सरकार ने कूड़े के ढेर में फेंक दी हैं । इस प्रदेश के मन्त्री जी को तो उनको पढ़ने की फुरसत ही नहीं है ।

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने इस सदन में तथा इस सदन के बाहर भी कई बार यह घोषणायें कीं कि हम ग्राम पंचायतों तथा ग्राम सभाओं के चुनाव करायेंगे, लेकिन आज तो उसकी चर्चा ही बन्द हो गयी है । विकेन्द्रीयकरण की बात बड़े जोर शोर से यह जनता सरकार करती थी, लोक तन्त्र का भी बड़ा ढिंढोरा वह सरकार पीटती थी, पर लोकतन्त्र की बुनियादी इकाइयों को आज इस सरकार ने भंग कर दिया है । जैसा कि माननीय देव बहादुर सिंह जी ने कहा, यह सरकार सब जगह अपना ही कब्जा करने की नीयत रखती है । एक भी सांदे दूसरे के लिए नहीं छोड़ना चाहती । अगर आपकी नीयत साफ है तो आप आज ही कोई ऐसी घोषणा करें कि फलां तारीख को ग्राम पंचायतों तथा ग्राम सभाओं आदि के चुनाव कराये जायेंगे ।

माननीय पंचायत राज मन्त्री जी के भाषण को सुनने के बाद तथा माननीय लघु सिंचाई मन्त्री जी के भाषण को सुनने के बाद ऐसा लगता था कि गांवों में अब गांधी जी का रामराज्य होने जा रहा है । लेकिन आज हकीकत कुछ दूसरी है । आपने कहा कि हमने इतने नलकूप बनवा दिये, हरिजनों के लिये यह काम कर दिये, उनके लिये आवास की व्यवस्था करा दी, इतनी सड़कें बनवा दी आदि-आदि, पर अगर इन सभी चीजों का सत्यापन किया जाये तो आपको मालूम हो जायेगा कि कितना काम इसमें फर्जी हुआ है और कितना सही वास्तव में हुआ है ।

मान्यवर, लघु सिंचाई के नाम पर हमारी करवी तहसील में हरिजन और आदिवासियों के नाम पर कई हजार की तादाद में पम्पिंग सेट्स भूमि विकास बैंक के जरिये खरीदे गये, लेकिन उन बेचारों को मालूम ही नहीं । इसमें ही लगभग एक करोड़ रुपये का घपला हुआ है । उसमें मैंने एक असेम्बली क्वेश्चन किया था । मुकदमा कायम हुआ है और वह पुलिस पकड़-पकड़ कर इकट्ठा कर रही है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

40-50 लोगों को पकड़ा भी है । इसी तरह से और भी जिलों में हुआ है । इसी तरह से मान्यवर, अन्त्योदय योजना के अन्दर जो मुख्य जानकारी लोगों ने दी ।

(ग्राम्य विकास मंत्री के बैठे-बैठे कुछ कहने पर ।)

एक सदस्य--

मन्त्री महोदय खड़े होकर कहें, बैठे-बैठे क्या कह रहे हैं ?

श्री देव कुमार--

इसी तरह से अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत स्थिति यह है कि जिस परिवार को आप चुनते हैं, वहीं से लोग, चुनाव से ही रिश्वत तय कर लेते हैं । अधिकांश केसों में मालूम हुआ है कि 1 हजार रुपये उसके चयन में ले लेते हैं और उसके बाद 500 रु० डाक्टर भैंस खरीदने में खा जाता है । इसके बाद उसे यह पता नहीं है कि ढाई हजार रुपये उसे मिलेगा । जब रिकवरी का समय आयेगा तो माल विभाग उसके ऊपर रिकवरी के लिए पहुंचेगा । योजना बहुत अच्छी है, लेकिन इस योजना की गरीबी दूर करने के रूप में, अगर सही माने में लागू करें, तो वास्तव में इस गरीब जनता का कुछ भला हो सकता है ।

इसी तरह से ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं । इनके जिम्मे जो भी कार्य आप दे रहे हैं, ये तो उनसे भी ज्यादा आगे हैं । जो भी भवन निर्माण ये कर रहे हैं, उससे स्कूल की इमारतें बनाये हैं, उसमें कितने का मसाला लगा रहे हैं, किस तरह की वह बिल्डिंग बना रहे हैं, उसकी कृपा करके आप छानबीन करा लें और अगर सैम्पुल सर्वे आप करा लें, 100-200 स्कूलों का, तब आप सोचेंगे कि इस डिपार्टमेन्ट में समाप्त कर दिया जाय । जहां तक मुझे जानकारी है 25 हजार में पी० डब्लू० डी० के लोग प्राइमरी स्कूलों को बनाते हैं । आपका शिक्षा विभाग 35-40 हजार रुपया ले रहा है इसी तरह से आपने गरीबों और हरिजनों को रहने के लिए मकान बनाये । अगर आप सर्वे करायें कि कितने लोग उसमें रहने के लिये गये, तब आपको असलियत का पता चल जायगा और उसे आप महसूस करेंगे कि कितना रुपया इसमें बेस्ट हो रहा है । आपको इस सम्बन्ध में विचार करना होगा ।

खाद्यान्न योजना यह बहुत अच्छी योजना है । इस योजना के अन्तर्गत भी तमाम इस प्रदेश में जिन मजदूरों ने काम किया है, मेरे जनपद में मानिकपुर क्षेत्र में कुछ शिकायत मिली है कि उन मजदूरों को न मजदूरी मिली है और न खाद्यान्न ही मिल रहा है । यही स्थिति और भी जिलों में हो सकती है । इस योजना को अगर योजनाबद्ध होकर कुछ करना चाहें तो बहुत अच्छी योजना है और तमाम गांवों का भला हो सकता है । लेकिन जिस गति से काम होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है ।

(श्री श्याम सुन्दर गुप्त के नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष--

दो मिनट में समाप्त करें ।

श्री देव कुमार--

बोरिंग के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। जो बोरिंग हुई है, वह सफल नहीं होती है और असफल होने के बाद 8 हजार रुपये जो देते ह, उस काश्तकार को, वह वसूल लिया जाता है। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि जिन्होंने 8 हजार रुपया ब्लाक से लिया पूरा नहीं सफल हुआ और रुपया पूरा का पूरा चढा हुआ है और 16 हजार ब्याज हो गया। आप कृपा करके जैसे सहकारिता विभाग में डेड लोन्स है, इसे भी वैसे ही करने की कृपा करें। वरना जमीन बिक जायेगी। मुझे उम्मीद है कि आप इन सुझावों पर विचार करने का कष्ट करेंगे।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)--

मान्यवर, यह हमारें देश का दुर्भाग्य है कि पिछले 30 वर्षों से हमारे देश की राष्ट्रीय नीति, विकास योजनायें, ग्राम्य विकास की बातों से अधिक प्रभावित हो रही है। बड़े-बड़े विशेषज्ञ बैठे, भारी धनराशि खर्च हुई, बहुत सी बातें की गई, लेकिन इसके बाद भी हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी बढ़ती गई। हमारे देश की सरकार बदली, उत्तर प्रदेश में भी जनता पार्टी की सरकार आयी, म समझता हूं कि अगर व्यक्ति ईमानदारी से विचार करे तो ग्राम्य विकास के लिए जो कुछ जनता पार्टी की सरकार ने किया, वह 30 वर्षों में नहीं हुआ, लेकिन हम उससे संतोष नहीं कर सकते, जितना भी हुआ है कम है...।

श्री श्यामधर मिश्र--

जो लोग बैठे हैं, उनकी पीठ थप-थपाइये।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

गरीबी, अज्ञान, सामाजिक भावना का अभाव आदि मूलभूत समस्यायें हैं, जिनके कारण देश दुर्गति को प्राप्त होता रहा। आर्थिक विकास करना है तो विकसित कृषि के साधन उपलब्ध करायें, पशुओं की नसल सुधारने के लिए प्रयत्न करें। कुटीर उद्योग, यातायात और ऋण की सुविधा उपलब्ध करायें। जो किसान द्वारा उत्पादित वस्तुयें ह, उनके लिए मार्केट की व्यवस्था हो। इस सम्बन्ध मे कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। पशुओं के सम्बन्ध में हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया, अच्छी नसल के सांड मंगवाये गये। ग्रामीण विकास के अन्तर्गत यह बात नहीं आती, इसलिए मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि पशु पालन मन्त्री से मिलकर यह योजना बनायें कि यह कैसे हो सकता है कि पशु बैंक स्थापित किए जायं, जिसमें अच्छी नसल की गायें, भैंसे उपलब्ध करायी जायं। अन्त्योदय के अन्तर्गत जब ऋण देते हैं तो गाये और भैंसें अच्छी नसल की उपलब्ध करा सकें ताकि अन्त्योदय की जो भावना है, जो गरीब हैं, वे उन्नति कर सकें। गांव का विकास तभी होगा जब योजना बनाने से लेकर कार्यान्वयन तक गांवों वालों का सक्रिय सहयोग लिया जाये। यदि संपर्क मार्ग बनाना है तो गांव के आदमियों की जिम्मेदारी है कि उसमें उनका सक्रिय सहयोग हो। गांव में नालियां बनती हैं तो उसमें गांव के सभी लोग मिलकर सहयोग दें, केवल अकेले प्रधान पर न छोड़ें। मान्यवर, हमारी सरकार ने पेयजल योजना की पूर्ति के लिए गांव-गांव में नलों का जाल बिछा दिया है। बुन्देलखंड में जहां जल संस्थानें है, वहां नल लगाने का बड़े व्यापक पैमाने पर कार्य हुआ है। लेकिन इससे एक समस्या भी पैदा हो गयी है कि पानी नलों का कहां बहे। इसलिये निवेदन है कि इस समस्या के निराकरण के लिए आपका विभाग कुछ

कर सकता है कि गांवों में नालियां बनवाये, जिसके लिये वहां धन उपलब्ध आप करायें, जिससे पानी बहने से पानी सड़ता है, वह नहीं सड़ेगा और बीमारी की जो वहां समस्या है, वह दूर होगी ।

मान्यवर, अन्त में, समय चूंकि कम है, यह कहना चाहता हूं कि सम्पर्क मार्ग मन्त्री जी ने जो बनवाये हैं, खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत, वहां कच्चे मार्ग बने हैं, जिनको पक्का करने के लिए मेरा सुझाव है कि एक ग्रामीण लोक निर्माण विभाग की स्थापना की जाय या पी० डब्लू० डी० के सहयोग से कच्चे मार्गों को पक्का कराने का काम किया जाय । मान्यवर, खाद्यान्न योजना में एक शिकायत है कि इस योजना में जो अन्न केन्द्र सरकार से मांगी है, वह बहुत कम है । राजस्थान ने 5 लाख मेट्रिक टन गल्ला मांगा है जबकि हमारे प्रदेश ने एक लाख मेट्रिक टन मांगा है । इसलिए निवेदन है कि अगले वर्ष अधिक गल्ला मांगा जाय । मान्यवर, जालौन जनपद में अन्त्योदय योजना में काम नहीं हुआ है । इसलिए मन्त्री जी इसको देखें और दोषी अधिकारियों को दन्ड दें ।

श्री राधे श्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

मान्यवर, मन्त्री जी ने जो अनुदान मांगा है, उसमें मैं समझता हूं कि मन्त्री जी ने अनुदान मांगने में तो कोई कमी रखी नहीं है, न सदन मना करेगा, परन्तु जो यह गांव पंचायतों का विभाग है, उसमें कुछ क्रान्तिकारी ढंग से परिवर्तन होना जरूरी है । मान्यवर, हमने चौखम्भा राज्य की बात सुनी है, लेकिन आपने पंचखंभा राज बना दिया, कांग्रेस सरकार बनाकर गयी थी, लोक सभा, विधान सभा, जिला परिषद, क्षेत्रीय समितियां, गांव पंचायतें । तो मैं समझता हूं कि ग्रामीण पंचायतें, क्षेत्रीय समितियां और जिला परिषदों की आज भी बहुत बड़ी दुर्दशा है । मान्यवर, जिला परिषद् के पास कोई फंड नहीं हैं । क्षेत्रीय समितियों की तो उससे बुरी हालत है । गांव पंचायतों को तो मैं समझता हूं कि चुनाव के अवसर पर तो प्रधान को मान लिया होगा, लेकिन जैसे-जैसे चुनाव बीतते जाते हैं, उनको कोई रिकगनाइज नहीं करता है और न ग्राम पंचायतों को ही क्योंकि उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है । जो जमीनें थीं, वह उन्हें पट्टे पर दे दी । इसलिए वह क्या करें और न आपके पास कोई फंड उनके लिए है । इसलिए मैं समझता हूं कि जब तक ग्राम पंचायतों, क्षेत्रीय इकाइयों और जिला परिषदों को आप सक्षम नहीं बसायेंगे तब तक कुछ काम नहीं होने वाला है । मान्यवर, हर समाजवादी और डा० लोहिया ने कहा है कि कलेक्टर शब्द बड़ा खराब शब्द है, कलेक्टर कभी कलेक्शन के लिए अंग्रेजों ने रखा था, इसलिए इसको तो अब समाप्त करें और जिला परिषद का जो अध्यक्ष है, वह जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होगा ।

मैं समझता हूं कि कलेक्टर को उसका सचिव बना दें, तो लगेगा कि वास्तव में जनतन्त्र है । कलेक्टर सचिव बनेगा और चुना हुआ प्रतिनिधि चेयरमन बनेगी तो चुने हुए प्रतिनिधि की बड़ी गरिमा होगी और शासन का काम ठीक से चलेगा । इसी तरह से राजस्व की वसूली भी 4 हिस्सों में कर देनी चाहिए, क्षेत्र समितियों द्वारा जिला परिषदें, गांव पंचायत और उसके अलावा ऊपर का शासन द्वारा । जब तक ग्राम पंचायत द्वारा वसूली नहीं होगी तब तक सही ढंग से वसूली नहीं हो सकती । राजस्व की वसूली 35 करोड़ हो और उसमें से 27 करोड़ वसूली में खर्च हो जाय तो उससे क्या लाभ है । गांव पंचायतों के माध्यम से

[श्री राधेश्याम शर्मा]

ही अमीन रखे जायं जो वसूली करें। आई० ए० एस०, पी० सी० एस० आफीसर सचिव बन जायेंगे तो मैं समझता हूं कि बुनियादी तौर पर डा० लोहिया का स्वप्न भी साकार हो जाएगा।

समाजवादी नेता जमुना प्रसाद बोस जी से मुझे उम्मीद है कि वे इसके लिए कदम उठायेंगे। कांग्रेस सरकार ने वोट लेने के लिए एक पूंजीवादी ढांचा खड़ा कर दिया था, उसको तोड़कर जन साधारण राज्य स्थापित करें तो अच्छा होगा। अभी पिछले दिनों आपने कहा था कि 18 साल के नागरिकों को वोट देने का अधिकार होगा। पहले 21 साल था हमने 18 साल कर दिया। कहा गया था कि जिला परिषदों के चुनाव प्रत्यक्ष होंगे, हमको बड़ी खुशी हुई कि पैसे के बल पर लोग किसी को अपने पक्ष में नहीं कर सकेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि चुनाव प्रत्यक्ष कराइये चाहे देर लगे, तो जनता आपका सम्मान करेगी। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री प्रभू दयाल यादव एडवोकेट (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मैं ग्राम्य विकास मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर ग्राम्य विकास मन्त्री जी ने जो अन्त्योदय का कार्यक्रम चलाया है, इसके तहत गांव के जो गरीब लोग हैं, हर गांव के 5-5 लोग चुने जा रहे हैं और उनको उद्योग के लिए पैसा अथवा किसी प्रकार का खड़खड़ा अथवा गाड़ी आदि चलाने के लिए लेकर दी जा रही है। इससे बहुत से गरीब लोग, जिनके पास कोई साधन नहीं था, वह लोग कामों में लग रहे हैं। हमने बहुत से गरीब हरिजनों को देखा है, उनको चमड़े के उद्योग के लिए पैसा दिया गया है और वे अपना काम चला रहे हैं। इस तरह से अन्त्योदय कार्यक्रम द्वारा हमारे मन्त्री जी ने गरीब ग्रामीणों को जो काम करने का मौका दिया है, उसके लिए मैं उनकी सराहना करता हूं। सिंचाई के लिए भी भूमि विकास बैंक से निजी नलकूप लगाने के लिए सहायता मिलती है, उसके माध्यम से जो नलकूप लगाये गये हैं, उससे सिंचाई व्यवस्था में बहुत लाभ हुआ है। निजी नलकूपों के माध्यम से एक तिहाई जमीन सींची जा रही है। उन क्षेत्रों में, जहां सरकार कोई साधन नहीं बना पा रही थी, वहां सिंचाई हो रही है, जिसके फलस्वरूप हमारे यहां गल्ले की उपज बहुत हो गई है। लेकिन भूमि विकास बैंक से जो पैसा मिला है, उसमें काश्तकारों को पैसा लेने में दिक्कत होती है, उस सिलसिले में मैं मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

जब हमारे ग्रामसेवक लोग फार्म भरते हैं, उसी समय से काश्तकार के साथ सौदेबाजी करते हैं और उनको परेशान करते हैं, कुछ पैसा भी लेते हैं। बैंक में फार्म जाता है और वहां से जो पैसा मिलता है, वह काश्तकार को सीधे नहीं मिलता है। चैक के माध्यम से पैसा मिलता है, जिस पर दुकानदार लोग अपना पैसा काट लेते हैं। इससे उन काश्तकारों को बड़ी दिक्कत होती है। पैसे की बरबादी होती है। इस तरफ माननीय मन्त्री जी ध्यान दें।

पेयजल योजना के सम्बन्ध में बहुत से गांवों में कुएं खोदे गये हैं और हैन्ड पम्प लगाये गये हैं। बहुत से गांवों में पानी की सुविधा नहीं थी, गरीबों की, हरिजनों की बस्ती में कुओं की कमी होने के कारण वहां पर पानी की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिक्कत थी। उनको पानी में सहूलियत दे दी गयी है और अब करीब-करीब बहुत स्थानों पर यह सुविधा उपलब्ध है। म मन्त्री जी को इसके लिए बधाई देता हूं। इसके साथ ही में मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि खास तौर से जो गरीब हरिजन हैं, जिनके गांव में कुएं नहीं हैं वे विकास खंड का बार-बार दौरा करते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाती है। होता यह है कि बहुत से गांवों म कुएं खोदे गए हैं, हमने उनको देखा है, वह ऐसे स्थान पर खोदे गए हैं, जहां पर हरिजन आबादी नहीं ह, हरिजन आबादी से बहुत दूर कुयें ह।

दूसरी तरफ यह भी देखते हैं कि जो कुयें खोदे जा रहे हैं बहुत सी जगहों पर धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। मेरे क्षेत्र के स्वर्णखेड़ा ब्लाक में कुआं नीचे धस गया है और वह मिनार की शक्ल में खड़ा है। दो वर्ष इसे हो गए हैं, लेकिन बी० डी० ओ० साहब से कई बार कहन पर भी उस स्थान की हालत आज भी वैसे ही है। इस प्रकार जो हमारे बी० डी० ओ० लोग हैं वे अनुचित कार्य कर रहे हैं। कुओं का काम बीच में ही छोड़ दिया जाता है और धन का दुरुपयोग किया जाता है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तरफ ध्यान देने की कृपा करें।

खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जो सड़कें बनायी जा रही हैं उससे गांवों को बड़ा लाभ हुआ है। गांवों में सड़कें हो गयी हैं। इस सम्बन्ध में एक निवेदन मंत्री जी से करूंगा कि ब्लाक के बी0 डी0 ओ0 इस म सुचारु रूप से कार्य नहीं करते हैं। पैसे का दुरुपयोग करते हैं। उन्हें इस पर हिदायत दी जाय। वह कार्य समय पर पूरा करायें।

इन शब्दों के साथ में मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं।

श्री रामदेव यादव (जिला रायबरेली)--

मान्यवर, हमारे प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता गांवों में बसती है और ग्राम्य विकास के अन्तर्गत मेरे समझ से सारे विभाग समा जाते हैं चाहे कृषि हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य, सिंचाई हो, उद्योग हो या हरिजन समाज कल्याण हो अथवा पशुपालन विभाग हो जितने भी अनेक विभाग हैं सब इस विभाग के अन्दर समा जाते हैं।

मान्यवर, सन् 1977 में जनता पार्टी जब शासन में आई और इसे दूसरी क्रान्ति के नाम से घोषित किया और इस सरकार ने बड़ा कदम उठाया कि चलो गांवों की ओर। मान्यवर, जैसे ही गांव की ओर चले ग्राम समितियों और जिला परिषदों को भंग करके उन्हें दफना दिया। ग्राम समितियों और जिला परिषदों में अध्यक्ष जन प्रतिनिधि हुआ करते थे और सरकारी अधिकारियों के साथ बैठ कर हर गांव की योजना बनाया करते थे और उनको इस बात की जानकारी रहती थी कि किस गांव में कुआं, स्कूल तथा सड़क बननी ह। उस योजना को चलाने में जन प्रतिनिधि सहयोग दिया करते थे। इस सरकार ने आते ही उनको खत्म कर दिया। हमारे साथियों ने कहा कि क्रान्तिकारी कदम मंत्री जी ने उठाया है। हमारे मंत्री जी का नाम भी देश के महान क्रांतिकारी सुभाष चन्द्र बोस से मिलता जुलता है। लेकिन मैं तो उनके कार्यक्रमों से यही कहूंगा कि उन्होंने जो बोस जी का नाम जोड़ा है यदि बोस के बीच में "ग" लगा दिया जाय तो मंत्री जी का काम यही होगा।

[श्री रामदेव यादव—]

जहां तक गांव के विकास की योजनाओं का सम्बन्ध है इनको कांग्रेस सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले ही शुरू कर दिया था और उसके अन्तर्गत काफी काम किया भी गया था जैसे हरिजनों को जमीन देना, मकान बनाने के लिये जमीन देना, गांव में जहां पर कुआं नहीं है वहां हरिजनों के लिये कुआं बनाना, पशुपालन के लिये धन देना, सिंचाई के साधनों को जुटाना ये सब काम हमने शुरू कर दिये थे। शिक्षा के लिये भी बहुत काम किया था। गांव के लोगों को प्रशिक्षण दे कर पशुपालन तथा उद्योग का काम उनको सिखाया गया। इस तरह जो कार्यक्रम पहले से चले आ रहे थे उनको यह सरकार पूरा कर दे तो बहुत बड़ा काम हो सकेगा। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नाथू राम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, प्रस्तुत अनुदान का मैं समर्थन करता हूं तथा अपने क्षेत्र की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जनपद इलाहाबाद की तहसील मंझनपुर मेरा क्षेत्र है जहां से बुन्देलखंड की सीमा शुरू होती है। बुन्देलखंड के विकास के लिये जो भी धन तथा सुविधायें देने का विचार सरकार का हो वही मेरे क्षेत्र को भी मिलना चाहिये। पंचायतों के जिला अधिकारी शहरों में बैठे रहते हैं, ग्राम स्तर तक उनको जाने में कठिनाई होती है। उनके न जाने से ग्राम सभापतियों में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। मेरी मांग है कि चुनाव कराने के पहले सभी ग्राम सभाओं की सम्पत्ति की जांच और आमदनी के स्रोतों की जांच होनी चाहिये।

मान्यवर, खाद्यान्न के माध्यम से जो सड़कें बनायी जांय, उनको रौलर के द्वारा दबा दिया जाय। ताकि मिट्टी बहने से रोका जाय और तब उसे पक्का किया जाय। मेरे क्षेत्र में एक विकास खंड कनैली है जिसकी इमारत कौशाम्बी में बनी है जिसमें दोनों स्थानों का 15/20 किलोमीटर का अन्तर है। इसलिये मेरी मांग है कि कनैली—कनैली का नाम बदलकर कौशाम्बी विकास खंड रख दिया जाय। मान्यवर, विकास खंड अधिकारी मंझनपुर के विरुद्ध फरवरी और मार्च में उस विकास खंड के सभी ग्राम सेवकों ने शिकायतें की थी कि उन्होंने हरिजनों के कूप निर्माण में प्रत्येक कुयें से 500 रुपये मांगे थे और इस पर ग्राम सेवकों ने शिकायत की थी कि इन्होंने विभिन्न प्रकार की अनुचित कार्यवाहियां की हैं। इस पर इस विकास खंड के सभी ग्राम सेवक अनिश्चित काल के लिये भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं।

माननीय मंत्री महोदय ध्यान दें। मेरी तहसील मंझनपुर को एस० एफ० डी० की जो स्कीम चल रही हैं, उसे अछूता छोड़ दिया गया है। इस ओर में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ग्रामोत्थान की सभी एजेन्सियां तहसील और ब्लाक स्तर पर जहां उनको रहना चाहिए, वहीं रखीं जाय और ग्रामोत्थान के कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो गांवों के अन्दर जो भ्रष्टाचार और वहां पर गरीबों को सताने की जो प्रथा है उसका अन्त नहीं हो सकता है इसलिये आवश्यक है कि ग्रामोत्थान की सारी समितियां गांव स्तर पर की जांय। खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत मजदूरी बढ़ाने की व्यवस्था की जाय। जिला परिषद् के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी माना जाय। खंड विकास अधिकारियों को द्वितीय श्रेणी के अधिकार दिये जांय। सभी

गांवों तक पहुंचने के लिये ग्राम सेवकों की जो मांग है, उसे पूरा किया जाय। इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री महोदय द्वारा जो अनुदान पेश किया गया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट––

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन म बोलने के लिये समय दिया है। मान्यवर, श्री बनारसी दास जी के मंत्रि मंडल में जितने भयंकर और घनघोर चेहरे इकट्ठे हुये हैं उनमें एक मात्र चेहरा बोस जी का है जिनके लिये कहा जा सकता है कि कोई ईमानदार व्यक्ति गवर्नमेंट में बैठा है। श्रीमन्, नजर न लगे, इसलिये मैं चाहता हूं कि बोस जी काला टीका भी लगा लिया करें। मान्यवर, गौरी शंकर अगर किसी मंत्री की तारीफ करता है तो इसे गम्भीरता से लिया जाना चाहिए कि वह स्वच्छ और वास्तविक है। इसलिये कि मैंने बोस जी की वर्किंग और कार्यशीलता देखी है साथ ही जनता पार्टी के मैनिफेस्टों में जो एक भावना दी गई थी कि हम सादगी से रहेंगे, उसकी वे एक जीती जागती मिसाल हैं। इसीलिये हम समझते है कि जो विभाग उनके पास दिया गया है–– पंचायती राज विभाग। उसके बारे में उनसे निश्चित रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि उसमें वे आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। मैं चाहता हूं कि वे इसके अन्दर सुधार की कोशिश करेंगे। यह सच है कि जनता पार्टी के दो साल के शासन में जो उपलब्धियां हैं उसका श्रेय या प्लस प्वाइंट अगर किसी विभाग को जाता है, तो वह आपके विभाग को जाता है। खाद्य योजना के अन्तर्गत जो गांव–गांव में सड़कें गई हैं, गली गली को जोड़ने के लिए जनता पार्टी की तस्वीर को उभारने के लिए कोई कार्यक्रम चलाया है तो वह आपकी ग्राम्य विकास योजना के द्वारा हुआ है। जिसे पहले कम्यूनिटी डेवलपमेंट कहा जाता था और अब उसे ग्राम्य विकास का नाम दिया है। हमारे गांव में एक कहावत है 'ताल की मिट्टी ताल जाय'। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो ग्राम्य विकास योजना में सड़कें बनाई हैं उनमें जो मिट्टी डाली है वह कहीं ऐसा न हो कि जहां से वह उठाई गई थी वहीं न चली जाय इसके लिए आप उन सड़कों को जिनको आपने खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बनाया है इनकी सीलिंग कराइए तथा इनको पक्की कराइए।

मुझे गर्व है कि मैं जिस ब्लौक से आता हूं उस मांटी में हिन्दुस्तान की प्लानिंग का जन्म हुआ। जिसे आज अजीतमल प्रोजक्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू जी के जमाने मे जब अलवर्टमायर भारत आये थे प्लांनिग के लिए तो प्रधान मंत्री ने उन्हें उस समय के मुख्य मंत्री पंडित गोविन्द बल्लभ पंत के पास भेजा था और उन्हें छूट दी थी कि जिस जगह आप चाहें इसके लिए चुनें। तो मुझे गर्व है कि अलबर्ट साहब ने हमारे महेवा ब्लौक को चुना आज जिसमें अजीतमल ब्लाक, भाग्यनगर ब्लाक और महोबा ब्लौक आते हैं जिसे कि अजीतमल प्रोजेक्ट के के नाम से पुकारा जाता है। यहां पर प्लांनिग ने सामुदायिक विकास योजना ने जन्म लिया। तब मैं एक छोटा सा विद्यार्थी था उस वक्त मैंने देखा कि गावों के विकास में गांव सेवकों की योजनाओं के लिए जो रुचि थी, उत्साह था गांव–गांव में जाकर काम करते थे, अब जब मैं विधायक हो गया हूं तो तब देखता हूं कि वह भावना अब कहां गई ग्राम सेवक में जिस भावना से वह पहले काम करते थे।

[श्री गौरी शंकर एडवोकेट]--

बी0 डी0 ओ0, ए० डी० ओ०और ग्राम सेवक में वह भावना आज नहीं दिखाई देती। इसका कारण यह ह कि वह सरकार की तरफ से अपने को उपेक्षित अनुभव करते ह, उनकी समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप समाप्त करें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

कृपा करके मुझे दो मिनट और दे दीजिये। उनमें इस स्प्रिट को बढ़ाने की आप कोशिश करें आज पंचायत राज अधिकारी या ग्राम्य विकास के जो अधिकारी हैं वह यह अनुभव कर रहे हैं कि उनकी उपेक्षा हो रही है....।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठिये।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट--

मैं समाप्त कर रहा हूं कहीं ऐसा न हो--

फुटपाथ, कारखानें, मिलें, भट्टियां,
गिरते हुए दरख्त, सुलगते हुए मकां,
बुझते हुए यकीन, भड़कते हुए गुमां,
इन सब से उठ रहा है बगावत का फिर धुआं,
शोलों के पैकरों से लिपटने की देर है,
आतश फिशां पहाड़ के फटने की देर है।

श्री उपाध्यक्ष--

जब आपको बोलने दिया जाता है तो आप समाप्त करते-करते तीन मिनट ले लेते हैं। आप कृपया बैठ जांय। (भाषण जारी रखने पर) यह गलत है।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट--

[× × × ]

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठिये, यह जो आप बोल रहे हैं यह नहीं लिखा जायेगा। यह आपका व्यवहार गलत है।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट--

इन शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं।

---

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)––

माध्यवर, जो माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं । माननीय मंत्री जी की सराहना हमारे माननीय सदस्यों ने की है इसम कोई दो राय नहीं है । माननीय मंत्री जी ने जनता पार्टी के आदर्शों को सही माने में कायम रखा है । अन्य विभाग के मंत्रियों ने जनता पार्टी की छवि को धूमिल करने में कोई कोर कसर नहीं की है । गांधी जी की भावना को बोसजी न पूरा किया है । एक गांव से दूसरे गांव में जब हम चुनाव के समय जाते थे तो उस समय जनता की शिकायत रहती थी कि आने जाने के लिए सड़कें नहीं देते हो तो वोट कैसे मांगते हो । आज उस स्वप्न को माननीय मंत्री जी ने कुछ हद तक पूरा किया है ।

जो पिछली सरकार के समय में हैंडपम्प द्वारा पेय जल की व्यवस्था गांवों में की जाती थी । वह केवल हरिजन बस्तियों में की जाती थी । एक गांव सभा में कम से कम 15 सौ और दो हजार लोग रहते है या पांच सौ परिवार बसते हैं । तो इस बात का आप अनुभव करें कि पानी एसी चीज है जिसको सब को बराबर उपलब्ध कराया जाना चाहिये । बाकी लोगों की कितनी उपेक्षा होती रही । केवल हरिजनों की बस्तियों म कुएं खुदवाने पर जोर दिया है मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में 10–11 करोड़ जनता में सवर्ण जाति भी एक जाति है, उनके परिवारों के लिए भी यदि वह जल की व्यवस्था नहीं करेंगे तो शासन को कोई अधिकार नहीं है कि वह सवर्णों से वोट मांगे । उनके साथ की गयी यह उपेक्षा बहुत निन्दनीय है । उस पर ध्यान दिया जाए । इसी तरह अन्त्योदय की स्कीम है । आपने कहा जिसका अन्त हो, उसके उदय का प्रयास किया जाए । ग्रामीण अंचलों में जो लोकल बाडीज हैं, उसकी एक इकाई टाउन एरिया है, उसमें भी गरीब लोग और गरीब काश्तकार बसते हैं, उनकी खेती देहातों में है । तो मंत्री जी टाउन एरिया के लोगों के लिए भी, जिनका अन्त हुआ है, उसको उदय करन की राजाज्ञा जारी करें, उनके परिवार के सदस्यों के लिए भी साइकिल, सिलाई मशीन, गाय, भैंस आदि खरीदने के लिए ऋण आदि की सुविधा दें ।

राजाज्ञा है कि आई0 आर0 डी0 पी0 एस0 योजना के अन्तर्गत एक बैल खरीदने के लिए 25 सौ से कम रुपया न दिया जाए, किन्तु किसी बैंक ने भी अभी तक एक पैसा भी पशुओं को खरीदने के लिए या डनलप कार्ट के लिए नहीं दिया है । वह कहते हैं कि हम 12 सौ से अधिक नहीं देंगे । तो 12 सौ रुपया में तो गदहा भी नहीं मिलेगा, बल की कौन कहे । राजाज्ञा में जो निर्धारित है, उसका पालन होना चाहिए । राजाज्ञा जारी करने में ही नहीं महत्व है, उसका पालन कराना उनका महान कर्त्तव्य है । इसके अलावा में अनुरोध करूंगा कि हर जगह गांवों में जो सड़कें बनाई जाती हैं, अब तक 2–3 किलोमीटर सड़कें बनाई जा रही हैं । कहा जा रही है कि इनकी चौड़ाई 20 फुट हो, उससे कम न हो । किसी गांव में 10 फुट से ज्यादा सड़क हो, अगर आप 20 फुट बनाते हैं तो उसके समीप की सड़क को 20 फुट ऊंचा कर दें । नहीं तो गांव के पानी के निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होगी कोई रास्ता नहीं होगा और वहां के कच्चे मकान और झोपड़े ध्वस्त हो जाएंगे । गांव की 10 फुट की सड़क को भी ऊंची कराया जाए । इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं ।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, ग्राम्य विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलन के लिए खड़ा हुआ हूं। बजट प्रस्तुत करते समय मंत्री जी ने अन्त्योदय योजना के तहत सूबे में आमूल चूल परिवर्तन करने की बात कही ह। यह सही है कि इस प्रदेश में जो लोग गरीब हैं और गांवों में निवास करते हैं, उनकी तरक्की के सारे दरवाजे बन्द हो गये थे। अतः उनको एक दिशा देने के लिए मंत्री जी ने यह कार्यक्रम चलाया ह और ऋण देकर उनके जीवन स्तर को उठाने का प्रयास किया है। आपकी मंशा इसमें अच्छी है, इसे आपने गांधी जयन्ती के शुभ दिन से शुरू किया है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपन यह बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके इस सुन्दर कार्यक्रम को असफल बनाने के लिए शासन की मशीनरी हर मोड़ पर इसे फेल करने पर लगी हुई है। सूबे भर में शिकायत लोगों को है सरकारी आफिसर, जिलाधिकारी और बड़े-बड़े आफिसर आपकी इस योजना को फेल करने में लगे हुए हैं। मैं अपने जनपद की बात कहना चाहता हूं। आपने बाराबंकी में हमारे अनुरोध पर उस योजना को प्रोत्साहित करने के लिए और उसमें जो बाधाएं थीं उनको समाप्त करने के लिए बाराबंकी में कठोर कदम उठाया, यह सही है। लेकिन उस प्रोत्साहन के बावजूद भी वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिला विकास अधिकारी जानबूझ कर इस योजना को खटाई में डाले हुए हैं। जिला अधिकारी के यहां जिला परिषद् से गांव सभाओं से प्रस्ताव पास हो कर आये हैं, उन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया है। इसको देखें और उनके खिलाफ कार्यवाही करें।

पैया जल योजना की बात कही गयी है। हरिजन बस्ती में कूप निर्माण की बात कही गयी है। सही है। मैं विरोधी दल में यहां हूं मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूं कि ग्राम्य विकास मंत्री ने ग्रामीण उन्नति के लिए, जन सम्पर्क मार्ग, पेय जल योजना, जितने निर्माण कार्य करवाये, उनके लिए वह बधाई के पात्र ह। मैं आज उन लोगों की बातों का परदा काश करना चाहता हूं कि जो लोग आज इस वर्तमान परिस्थिति में मुझे मालूम है बोस जी चाहते हैं कि ग्रामसेवक की भी पदोन्नति हो, बी० डी० ओ० क्लाक 2 की पोस्ट हो। लेकिन इन सारी बातों के बाद, आपके विभाग में जो ग्राम अभियन्त्रण विभाग के अधिकारी ह, जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, आई० ए० एस०, पी० सी० एस० विराजमान हैं, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। इसलिए कठोर कार्यवाही करने का आप निर्देश दें। इन शब्दों के साथ माननीय ग्राम्य विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हर परिस्थिति में उनका साथ दूंगा।

*श्री गंगा सहाय यादव (जिला मैनपुरी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। चूंकि समय कम है अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर आप का ध्यान आकर्षित करूंगा। एक डेवलपमेंट ब्लाक मदनपुर है। उसको हटा ले गये थे। इस साल उसी जगह पर आ गया है। उसका आप निरीक्षण कर चुके ह, उसके लिए पिछले साल 28 हजार रुपया दिया था, जो करीब-करीब समाप्त हो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है। जिला अधिकारी द्वारा 1 लाख 65 हजार की स्वीकृति के लिए आपके पास आया हुआ है। ऐसी व्यवस्था करें कि दो साल के अन्दर ब्लाक की बिल्डिंग की मरम्मत हो जाय, जिससे अधिकारी लोगों को वहां पर रहने की सुविधा हो सके। अभी केवल कार्यालय वहां पर है। अधिकारी लोग वहां नहीं रह सकते हैं। उनके पुराने मकानों में मरम्मत नहीं हो सकी है। क्षतिग्रस्त भी हैं। लिहाजा आपसे निवेदन है कि कम से कम इस साल आधी बिल्डिंग पूरी हो जाय। आधी अगले साल पूरी हो जाय। मैंने अधिकतर देखा है कि ब्लाक्स की बिल्डिंग बनवा देते हैं लेकिन उनके रख रखाव के लिए कोई स्कीम नहीं होती है। ब्लाक्स की इमारतें जैसे तैसे पूरी हुई हैं लेकिन वहाइट वाशिंग है, न मरम्मत है। लिहाजा जो मकान बनाये जायं उनकी मरम्मत की व्यवस्था की जाय। मेरे यहां बीहड़ का क्षेत्र है। उसमें दो चार नाले ऐसे हैं, जिनसे बरसात में आवागमन रुक जाता है। जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, तीन-चार घंटे तक जब तक बरसात समाप्त न हो जाय रुके रहते हैं। बलारपुर, गूढ़, गरसान और मुबारकपुर के नालों पर पुल बनने चाहिए। मेरे क्षेत्र में चार-पांच सड़कों के लिए जरूरी है। हरिया कल्याणपुर मार्ग बनना है। एक नसीरपुर पूंछा पुरावर मार्ग है। उस पर कच्ची सड़क बन गयी है। उसको पक्की करना है। बीहड़ का किनारा है, जंगल का किनारा है अगर पक्की न की जायगी तो वह बह जायगी। इसके अतिरिक्त अराव, वझेरा और उतरावा मार्ग, अराव, साजीपुर और बनवारा मार्ग तथा गढ़सान रामनगर मार्गों को बनवाया जाये तभी उस क्षेत्र का पिछड़ापन दूर होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। जो बी० डी० ओ० होते हैं उनकी सर्विस क्लास 2 की बनायी जाये क्योंकि उनके प्रमोशन का रास्ता नहीं है। इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

(श्री मौजी लाल कुरील का नाम पुकारे जाने पर)।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

अब मेरा नाम कब आवेगा? मेरे जिले के मंत्री जी को बजट भी पेश नहीं करने दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

18-19 मिनट आपके मंत्री जी ने ले लिए हैं।

श्री मुकीमुर्रहमान--

मैं केवल दो सुझाव देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठिए, ऐसे नहीं।

*श्री मौजी लाल कुरील (जिला कानपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो इस बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारी सरकार ने यह नारा दिया था कि गांव की ओर चलो। हमारी सरकार ने गांव के विकास और उनकी तरक्की से लिए कुछ काम किए हैं और काम अच्छे हो रहे हैं लेकिन उन कामों में अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती जाती है। अन्त्योदय योजना तो बड़ी सुन्दर योजना है, लेकिन इसको लागू करने में जिन अधिकारियों ने ढिलाई बरती है और इसको ठीक प्रकार से लागू नहीं किया है तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। जिन हरिजनों को इस योजना के अन्तर्गत लिया जाना चाहिए था उनको नहीं लिया गया है और जिनको नहीं लिया जाना चाहिए उनको इस योजना में सम्मिलित किया गया है। कुएं जो बनवाये गये हैं वह ऐसी जगह पर बनवाये गये हैं जहां पर केवल एक हरिजन का घर है। वह पर्टी पालिटिक्स के आधार पर बनाये गये हैं। जो योजना बनायी जाती थी उसकी कार्यवाही के लिए पहले ब्लाक स्तर पर एक समिति होती थी जिसको बी० डी० सी० कहते थे, उसको भंग कर दिया गया है और उसके स्थान पर किसी समिति का गठन नहीं किया गया है। इसलिए योजना को लागू करने में भ्रष्टाचार हो रहा है और योजना सफल नहीं हो पाती है। किसी परामर्श दात्री समिति का गठन नहीं हुआ है। इसलिए जो भी कार्य शुरू किया जाता है उसमें भ्रष्टाचार होता है।

सिंचाई के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि अल्प सिंचाई के अन्तर्गत बोरिंग को कोई सुविधा नहीं दी गयी है। यहां पर पानी का स्ट्रेटा बहुत दूर है जिसके कारण कोई प्राइवेट बोरिंग सफल नहीं हो पाती है। जिला परिषद् में जो अभियन्ता हैं उन्होंने संपर्क मार्गों के बनाने में बहुत ही गलत काम किए हैं। जो कटाली मार्ग में पक्की के स्थान पर कच्ची ईंटें का प्रयोग किया गया और जो खडंजा लगाया गया उसमें पक्की ईंटें के स्थान पर कच्ची ईंटें लगायी गयी। इसी सदन में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आ चुका है कि कानपुर में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत पतारा में खाद्यान्न के स्थान पर नकद पैसा दिया गया और लिखा पढ़ी की गयी परन्तु उसकी जांच नहीं हुई। भवरथ, घाटमार ब्लाकों में भी खाद्यान्न के स्थान पर पैसा दिया गया और उसकी भी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है मान्यवर, पतारा विकास खंड अधिकारी का दो बार स्थानान्तरण हुआ एक पहले और फिर सितम्बर में लेकिन वह नहीं गया है। इसी वजह से वहां पर बड़ा भ्रष्टाचार है। वह इस प्रकार के अनियमित कार्य करता है। जिसकी वजह से उसका स्थानान्तरण आज तक नहीं हुआ है। वह जिले में 10 वर्ष से और मंडल में भी 12 वर्ष से है लेकिन उसका स्थानान्तरण नहीं किया गया है। इस प्रकार से पतारा ब्लाक भ्रष्टाचार में डूब जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें।

*श्री मुकीमुर्रहमान--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज आपने मुझे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस बजट पर बोलने का अवसर दिया। आज मैं यह सोच रहा हूं बोस जी ने तो इस बजट को पेश किया और माननीय शास्त्री जी ने इसका समर्थन किया। वर्ष 1947 के बाद आज पहली बार है कि 2 मंत्रियों में एक मंत्री बैठे हुए हैं और दूसरे पेश कर रहे हैं। यह वाक्या आज प्रथम बार सदन में हुआ है।

मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि कुछ ब्लाकों के अन्दर बी० डी० ओ० टैम्पोरेरी हैं। अगर डी० एम० साहब की सहानुभूति होती है तो वहां पर काम होते हैं। मेरी प्रार्थना है कि इस ओर ध्यान दिया जाय। पार साल भी नोट किया था और इस साल भी कि किसानों की ओर बढ़ते कदम जा रहे हैं। अगर ये लम्बे कदम बढ़ गये तो हमारी जिन्दगी ही खतरे में पड़ जायेगी। अभी पूरे माननीय सदन के सदस्यों ने कहा कि बोस जी बड़े ईमानदार हैं, साधारण रूप से रहते हैं, लेकिन अकेले बोस साहब तो उद्धार नहीं कर सकते हैं। सारी पार्टी ही अगर उद्धार करेगी तभी होगा। इसलिए पार्टी की एक मीटिंग बुलाकर इस बात को तय करना होगा। अभी भी वही परम्परा बनी हुयी है। कमिश्नर जायेंगे, उनका स्वागत होगा। काम कोई होगा नहीं वहां की गरीब जनता पर नाहक में बोझ पड़ेगा। मेरी प्रार्थना है कि मंत्री जी हमारे जिले मुरादाबाद से सब आंकड़े इकट्ठे करें और उन्हें पेश करें। 3-3 हजार रुपया उनके स्वागत में खर्च हो जाता है। इसके अलावा कहा गया कि हमारे जिले की तहसीलों में 60 कुंए बनेंगे पीने के पानी के लिए और 15-15 हर तहसील को मिलेंगे। उस समय यह नहीं देखा जाता है कि किस तहसील में कितने कुंए मौजूद हैं। जिस तहसील में 500 कुंए हैं, उनमें 15 कुंए और जिसमें कोई नहीं उसमें भी 15 कुंए। हमारी तहसील ठाकुर द्वारा के बारे में मैंने पारसाल भी कहा था। मेरी प्रार्थना है कि हमारी तहसील में कम से कम पीने के पानी के लिए कुओं की व्यवस्था तो कर दें। हमारी तहसील में जितनी आबादी है अधिकतर या तो अंसारियों की है या हरिजनों की। अगर आप इन्टीरियर के गांवों का सर्वे करायें तो पायेंगे कि वहां पर लोग उस पट्टी में गड्ढे खोदकर रेत को हटाकर, उल्टे होकर पानी पीते हैं।

इसके अलावा मेरा निवेदन है कि जो डाक्टर वहां पर भेजे जाते हैं, वे क्लास 2 के अधिकारी होते हैं, वे कहते हैं कि बी० डी० ओ० तो क्लास 3 का भी अधिकारी नहीं है। पशुपालन विभाग का अधिकारी क्लास 2 का मैकैनिक और सिविल इन्जीनियर क्लास 2 का लेकिन बी० डी० ओ० क्लास 2 का भी अधिकारी नहीं है। पता नहीं किस आई० ए० एस० आफिसर ने क्या आदेश कर दिए। तो मेरी प्रार्थना है कि बी० डी० ओ० को कम से कम क्लास 2 का अधिकारी होना चाहिए नहीं तो उनको वहां से हटा देना चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि इस पर सरकार विचार करे और अपनी पालिसी को चेन्ज करें। मैंने माननीय मंत्री जी को 2 पत्र भी लिखे लेकिन एक का भी प्रमाण आप तक नहीं पहुंचा। श्रीमन् आपने 50-60 पुलियां स्वीकृत कर दी और 500-500 में एक पुलिया बनती है, होता यह है कि कागज पर सब पुलियां बन जाती हैं, पर ऐसी बनती हैं कि जैसे ही कोई बैलगाड़ी उस पर से गुजरी वह पुलिया बैठ गयी। ऐसी पुलिया बनाने से क्या फायदा और फिर उसकी मरम्मत की कोई व्यवस्था नहीं की जाती।

[श्री मुकीमुर्रहमान--]

एक सुझाव और देना चाहता हूं कि यह ए० डी० ओ० और बी० डी० ओ० को देहात और जंगलों में रहना पड़ता है इनको कुछ सुख सुविधायों की ओर भी मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप कृपया बैठें, मैंने निर्मोही जी को बुला लिया है।

श्री भगवतीचरण निर्मोही (जिला गढ़वाल)--

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट अनुदानों का मैं समर्थन करता हूं। कोई जमाना था जब हम कहा करते थे "कभी वह दिन भी आयेगा जब अपना राज्य देखेंगे, कि अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा"।

जिस राम राज्य की हमने कल्पना की थी वह मान्यवर, नहीं आ पाया स्वराज्य आने के बाद यह आशा बंधी थी कि इस दिशा में कोई क्रान्तिकारी कदम उठाया जायेगा। आज हम देखते हैं कि वही पुराना ढांचा आज भी चलता चला आ रहा है और यही चलता रहा तो यह ढांचा चरमरा जायेगा। हमारे रामराज्य की नींव यह ग्राम पंचायतें ही हैं, पर इनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता।

मान्यवर, मैदानी इलाकों की तो बात मैं नहीं जानता पर पहाड़ों पर स्थिति यह है कि कोई भी प्रधान बनना नहीं चाहता। प्रधान बनाने के लिए लोगों को पकड़ना पड़ता है। वह इस शर्त पर तैयार होते हैं कि उनकी तरफ से टिकट का पैसा कोई और खर्च कर दे। इसका कारण यह है कि हमारे यहां प्रधान जी के पास कई काम सौंपे जाते हैं पर अधिकार कोई नहीं दिये हैं। प्रधान आज क्षेत्र विकास समिति में भाग लेने नहीं जा पाता क्योंकि जाने में उसको एक डेढ़ दिन का समय लग जाता है, अपने काम का भी उसका नुकसान होता है, उसको रहने में दोनों समय होटल में ही खाना पड़ता है, पैदल ही चल कर जाना पड़ता है, उसको कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। इसीलिए कोई प्रधान हमारे यहां बनना पसन्द नहीं करता।

ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ० या जो भी अधिकारी जाते हैं वह प्रधान के पास ही जाते हैं। जनता भी अपने काम के लिए प्रधान के ही पास जाती है। वह अपना काम नहीं कर पाता। जब वह खेत पर जाता है तो मोहर अपने साथ ले जाता है। वहीं खेत पर ही वह सारा काम करता है वहीं मोहर लगाता है। ग्राम पंचायतो की स्थिति अगर सुदृढ़ करनी है तो इनको कुछ साधन दीजिये, इनकी स्थिति सुधारिये। आज जो एजीटेशन करता है, हड़ताल करता है रैली निकालता है, सरकार उसकी बात मजबूरन मान लेती है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर सकते उनकी बात सरकार नहीं मानती। मेरा सुझाव है कि इन प्रधानों के लिए अवश्य कुछ होना चाहिए कि और नहीं न कोई व्यवस्था हो, जब वह बी० डी० सी० की मीटिंग में जाता है, अपने घर से, वहां पर उसको कुछ भत्ता मिलना चाहिए, ताकि उसमें एक उत्साह रहे, ताकि वह काम कर सके। हम अगर गांवों में स्वच्छता का ख्याल रखें, तो जितने डाक्टरों की मांग है, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी' लेकिन आज गांवों की दशा देखिये, वहां जितनी गंदगी है, उतनी गंदगी कहीं भी नहीं है। म्युनिसिपैलिटी और टाउन एरिया को जो स्वच्छता संबंधी अधिकार हैं, वह ग्राम पंचायतों को मिलना चाहिए। जब तक यह

अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक काम नहीं चल सकता है। बरसात में जब कीचड़ हो जाता है तो तमाम पैरों में आ जाता है, उससे तमाम बीमारी का डर रहता है कहीं नालियां नहीं, खड़ंजे नहीं तो ग्राम पंचायतों को अगर आप सुदृढ़ नहीं करेंगे, जैसे विकेन्द्रीयकरण की बात कही गयी है, उसे ठोस होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त।

श्री भगवती चरण निर्मोही--

आपने इतना ही टाइम दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और बजट प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री नन्दराम--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि यह जो बजट है, इसमें पूज्य महात्मा गांधी, डाक्टर लोहिया और डाक्टर अम्बेदकर का जो प्रोग्राम है, हमारे जमुना प्रसाद बोस मंत्री जी जो हैं, वाकई में वह बोस हैं, उनके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाते हैं। हमारे मंत्री जी की यह जो ग्राम्य विकास योजना है, यह गरीबों का उत्थान करेगी। सताते जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं और जो गरीबों की मदद करते हैं, उसे भगवान कहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री श्यामधर मिश्र--

मुझे अगर पार्टी का समय देंगे तब मैं बोलूंगा वरना नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

4-5 मिनट बोल लें।

एक सदस्य--

मान्यवर, इस ओर तो निगाह कर लें।

श्री उपाध्यक्ष--

निगाह सब तरफ जाती है।

एक सदस्य--

निगाह कहां जाती है, मान्यवर।

*श्री श्यामधर मिश्र--

माननीय मंत्री जी का यह प्रश्न नहीं है कि इनकी कोई निन्दा की जाय या बुराई दी जाय, प्रश्न केवल नैतिक है। एक समय था, जब यह विभाग सामुदायिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्यामधर मिश्र—]

विकास कहा जाता था, अब नाम बदल कर ग्राम्य विकास हो गया, तो नाम बदलने से काम तो नहीं बदल जायगा। लेकिन आज ही नहीं, 10 वर्षों से इस प्रदेश में और पूरे भारत वर्ष में जब जवाहर लाल जी जिन्दा थे, उन्हीं की यह कल्पना था जब सामुदायिक योजना का नाम हुआ उनकी कल्पना से पैदा हुआ और फला-फूला और चली और योजना क्या थी कि योजना यह नहीं थी कि ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ०, विकास मंडल हो जायगा। योजना यह थी कि यह ग्राम पंचायतें होंगी, गांवों का सुधार होगा, ये माध्यम होंगे योजना की इकाई के। क्या आज इस प्रदेश में या अन्य प्रदेश में क्या यह इकाई रह गयी ह ? तमाम कामों की इकाइयां रह गयी हैं। क्या खाद्य विभाग, क्या भूमि संरक्षण विभाग, क्या अन्य विभाग, इसको अपना माध्यम मानते हैं। मैं तो कह सकता हूं कि इन 7-8 वर्षों की कदापि-कदापि नहीं मानते हैं। अब श्रीमन्, खाका बचा है, ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ०, बी० एल० डब्लू० बच गये हैं। जिला परिषद् में साहब लोग बच गये हैं काम लेने के लिए, तनख्वाह लेने के लिए नहीं। मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास यह पुस्तिका है।

यह पुस्तिका, हरी सी है, जो पंचायती राज समिति की रिपोर्ट है, जो पढ़ ले उसे रोना आ जाये उत्तर प्रदेश पर इन 10 वर्षों में जो ह्रास हुआ वही इन 2 वर्षों में हो रहा ह। आप बधाई के पात्र नहीं हैं। क्या काम किया है आपने इस संबंध में आई० ए० एस०, पी० सी० एस०, ए० डी० ओ० को खोज-खोज कर प्रशासन विभाग अगर सजा देना चाहता है तो विकास विभाग में भेज देता है। मैं चाहता हूं कि जब इनकी ट्रेनिंग हो तभी छांट लें और कम से कम 5 वर्ष, 10 वर्ष इसमें रहने दिया जाये या आप डिपुटेशन पर ले लीजिये।

मंत्रि परिषद् में प्रस्ताव लायें कि अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट को मानते हैं या नहीं। मानते हैं तो पूरा मानिये वरना न मानिये। उत्तर प्रदेश का यही रवैया है कि एक चीज मानेंगे, एक चीज नहीं। न रीछ रहा न बानर। बोस जी समाजवादी हैं, यह तो विकेन्द्रीकरण न करें। यह इतना केन्द्रीकरण हो गया है कि बी० एल० डब्लू० के ट्रान्सफर यहां होते हैं। ए० डी० एम० चाहता है मेरे तक, डी० एम० चाहता है मेरे तक, सचिव, बी० डी० ओ० चाहता है मेरे तक कर दो। यह कहानी है। केवल 4-5 प्रदेश इस देश में हैं जिनकी चर्चा है और जिनको 2-3 करोड़ रुपया हर साल भू राजस्व से मिलता है। अगर वही रुपया मंत्री जी को मिल जाये तो कम से कम 100-50 करोड़, क्षमा करें, लाख अनुदान के रूप में चला जाता है जिसमें राजस्व का व्यय सबसे अधिक है। इसमें काम की तुलना में तनख्वाह ज्यादा है।

बी० डी० ओ० से सेक्रेट्री तक रिपोर्ट लें और साल भर में काम जोड़ ले और, विभागों को देख ल, तो बहुत कम ह। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि कोई निन्दा की बात नहीं, नीतिगत प्रश्न है। मंत्रि मण्डल विकेन्द्रीकरण को चाहता है या नहीं ? विधान में अधिकार हो, जिला परिषद् भंग न की जाये, ब्लाक भंग न हों यह अधिकार इनको प्राप्त है कि नहीं। यह मौलिक चीज है जिस पर हमको और माननीय सदन को विचार करना होगा। अभी तक यह बात नहीं आयी है। इसलिये मैं श्री बोस जी को न बधाई देता हूं और न निन्दा करता हूं क्योंकि यह तो दया के पात्र हैं, चूंकि इनको पैसा नहीं दिया जाता है और भाषण होता है कि पंचायतीराज चौखंभा राज है। इसलिये जितना इन इकाइयों को

मजबूत करना चाहिये वह नहीं किया गया। यदि कहीं मजबूत किया हों तो मंत्री जी बतायें। कहां विकेन्द्रीकरण किया है। इसलिये हमको और सदन को धोखा न दें और जो आज है उसको कहें। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जौहरी लाल त्रिवेदी (जिला कानपुर)--

मान्यवर, मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका समर्थन करते हुये मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने जो ग्राम विकास की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया है, जैसे पेयजल योजना के अन्तर्गत बताया हैं तो 30 वर्ष के शासन में कांग्रेस ने जो पेयजल की समस्यायें थीं वह हल नहीं हो पायीं जिनको आपने दो साल में हल किया हैं।

मान्यवर, जहां तक हरिजन बस्तियों में कुओं के निर्माण की बात हैं तो उसमें मैं कहना चाहता हूं कि खंड विकास अधिकारी के माध्यम से पंचायत सेवक और ग्रामसेवक कुओं का निर्माण करवाते हैं। इनमें ऐसी कमियां हैं जिनको लेकर गांव में कहते हैं कि दो-दो जगह कुयें तो बनवा देते हैं जिसमें सारा काम हरिजनों से करवाते हैं और फर्जी बिल बनाकर सारा पैसा नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकारी लोग खा जाते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी इसमें कोई टेक्निकल अधिकारी नियुक्त करें जो इस बात को देखें कि सही निर्माण कार्य हो रहा है कि नहीं। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र में करौली के संबंध में कहना चाहता हूं कि जब मैं वहां ब्लाक प्रमुख था तो उस समय एक कुंआ बनवाया था लेकिन उसमें आज तक प्लास्टर नहीं हुआ हैं। ग्रामीण सेवा अभियंत्रण विभाग के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि गांवों में जो खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़क बनायी जाती हैं उसका निरीक्षण किया जाय, इस संबंध में मैंने आपसे भी कई बार कहा है, क्योंकि बिल जे० ई० पास करते हैं तब कहीं खंड विकास अधिकारी द्वारा पैसा मजदूरों को बांटा जाता है। मान्यवर, इसमें इतना भ्रष्टाचार है कि जिसका निराकरण होना कठिन है। इसलिये मंत्री जी इस ओर ध्यान दें।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र के अन्तर्गत कालपी रोड से लेकर हमीरपुर रोड तक 17 किलोमीटर संपर्क मार्ग ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा निर्माण किया जा रहा है, जिसका श्री गणेश 1976 में हुआ था, जिसके लिये 30 लाख रुपया राम गंगा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत दिया गया था। मंत्री जी से इसकी शिकायत भी किया कि इसकी जांच आप करवायें कि 17 किलोमीटर में 30 लाख रुपया कैसे पूरा खर्च हो गया।

आप उस सड़क पर होकर निकल रहे थे, मैंने रात 12 बजे आपको अवगत कराया था, उसमें सिर्फ मिट्टी का काम होने के बाद सोलिंग हुई, कहीं-कहीं सोलिंग का कार्य भी नहीं हुआ हैं। मैंने निवेदन किया था कि आप इसकी जांच करायें और जो अधिकारी दोषी हों उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। मैं फिर आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस काम को पूरा कराने की व्यवस्था करें।

मंत्री महोदय को जैसा अन्य साथियों ने बताया, राजा विदेह की तरह कोई ज्ञान तो रहता नहीं, समभाव से देखते हैं। मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ कहना

[श्री जौहरी लाल त्रिवेदी--]

चाहूंगा । 22 अप्रैल, 1979 को आपका एक प्रोग्राम मेरे क्षेत्र का लगा । 6 अप्रैल को मैंने आपको अवगत कराया, एक रसीद आपको दिखाई कि उसमें लिखा हुआ है कि माननीय ग्राम्य विकास मंत्री इस पुल का शिलान्यास करने आ रहे हैं, और इसके लिए चन्दा एकत्रित किया जा रहा है । इसके संयोजक मेरे ही क्षेत्र के ग्राम कोड़री के प्रधान थे रजेन्द्र किशोर द्विवेदी, माननीय मंत्री जी ने तुरन्त यह आदेश किया कि यह गलत हो रहा है, इसकी जांच करई जाए और मैं इस कार्यक्रम में भाग नहीं लूंगा । 21 तारीख को मुझे एजेंडा मिलता है और 22 तारीख को मैं आपसे मिलता हूं । सर्किट हाउस, कानपुर में केन्द्रीय राज्य मंत्री जनेश्वर जी भी उपस्थित थे, उस व्यक्ति ने आपको अपने क्लब में निमंत्रित किया, उस क्लब में जाकर मंत्री महोदय ने उसका भोजन किया । उस क्लब में क्या होता है मैं आपसे इन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा । वहां पर रंडियों का नाच होता है । मेरे लिए यह कहा जाता है, मैं सन् 1960 से लेकर 2-3 बार प्रधान और प्रमुख रहा, कहा जाता है कि ऐसे जन प्रतिनिधि को आपको चुनना नहीं चाहिए जो कभी कांग्रेस (आई) के आन्दोलन में चले जाते हैं और हमारा विरोध करते हैं...। (शोर) इसके साथ ही मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)--

मैं कटौती प्रस्तावक महोदय के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा । मैं उनके भाषण को बड़े गौर से सुन रहा था । ऐसा लगा कि जैसे वह बहुत ही परेशान हों और परेशान इस वजह से कि जनता पार्टी की सरकार ने ग्राम्य विकास के अन्तर्गत कुछ काम किये हैं । ऐसे काम किये हैं जिसको देखकर वे स्वयं भी चकाचौंध हैं । मान्यवर, इनकी सरकार थी और लगभग 30 साल तक रही, न तो कोई सड़क बनवा सके और न कोई अन्तयोदय जैसा या उसके मुकाबले का कोई काम कर सके । अब इनको परेशानी है कि गांव के लोगों में जनता पार्टी की जड़ जमती जा रही है तो यह रहे हैं कि इसमें कटौती कर दो, उसमें कटौती कर दो, अन्त्योदय और सड़कों में पैसा दे रहे हैं । आपको किसने रोका था ? अभी हमारे श्यामधर जी कह रहे थे कि जवाहर लाल नेहरू जी की कल्पना भी ग्राम विकास की थी, विकेन्द्रीकरण की थी । मैं नहीं कह सकता और मैं इसे सही नहीं मानता उस समय वे श्यामधर जी, इस दल में थे जवाहर लाल जी के दल में इसीलिए श्यामधर जी उनको धन्यवाद दे सकते हैं, दुहाई दे सकते हैं, मैं तो उनसे कहना चाहूंगा कि इस देश के अंदर डाक्टर लोहिया ही एक ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने विकेन्द्रीयकरण की कल्पना की थी । मान्यवर, डाक्टर लोहिया की लिखी सारी किताबें उठा कर देख लीजिए आज नहीं जब से जवाहर लाल जी गद्दीनशीन हुये थे तब से यह डाक्टर लोहिया विकेन्द्रीकरण की मांग करते चले आ रहे हैं । दुर्भाग्य यह है कि जनता पार्टी की सरकार आई और हम लोग उसी पुराने मकान के अंदर बने हुये हैं लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे ग्राम्य विकास मंत्री उस गुरु के शिष्य हैं डाक्टर लोहिया के जिन के सामने विकेन्द्रीकरण की तस्वीर नाचा करती है ।

मान्यवर, हर समय विकेन्द्रीकरण का ध्यान रहता है । मैं यकीन दिलाना चाहूंगा कि अगर हमने इस मकान की नई बुनियाद रखी तो निश्चित रूप से विकेन्द्रीकरण होगा । हमारी योजना है कि गांव पंचायत, जिला पंचायत जो विकास की प्राथमिक इकाई है इसे कुछ अधिकार दिये जायं और इसके लिए धन की व्यवस्था तथा शासन करने का अधिकार हो, संचालन करने का अधिकार हो । वह

निश्चित रूप से हमारी योजना है। मैं कांग्रेस के लोगों को बता देना चाहूंगा कि जनता पार्टी में भी ऐसे विधायक हैं, ऐसे लोग हैं, जो उनसे कहीं ज्यादा विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त को मानते हैं। मान्यवर उनकी तरह जयजयकार लगाने वाले नहीं हैं कि इंदिरा मान भारत और भारत माने इंदिरा। ऐसे जनता पार्टी में विधायक नहीं मिलेंगे इस तरह का नारा लगाने वाले। विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं। मान्यवर विकेन्द्रीकरण हमारी रग-रग में बसा हुआ है। विकेन्द्रीकरण की तरफ हम बढ़ेंगे यह हमारी निश्चित धारणा है।

मान्यवर मैं दो शब्द और कहना चाहूंगा। यह जो अन्त्योदय कार्यक्रम चलता है इसमें यह सही है कि कहीं-कहीं गांवों में इसका दुरुपयोग हुआ है...

श्री देवबहादुर सिंह--

अब रास्ते पर आये...

श्री मोती लाल देहलवी--

इसलिए मैं मंत्री जी को राय देना चाहूंगा कि विधायकों की उसमें राय तथा सहमत होना बहुत जरूरी है ताकि धन का दुरुपयोग न हो और उसके लिए हर क्षेत्र के विधायक की भी जिम्मेदारी हो।

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो ब्लाकों द्वारा कच्ची सड़कें खाद्य योजना के अन्तर्गत बनी हैं यह सही है कि अगर इन पर खड़न्जा न बिछाया गया तो बरसात आने वाली है बरसात का कोई अन्दाजा नहीं लगा सकता कि कितनी बरसात हो जाय। तो सारी मिट्टी बह जायगी और धन और श्रम जो इस कार्य में लगा हुआ है उसकी बरबादी हो जायेगी। इसलिए धन और श्रम की रक्षा के लिए जरूरी है कि कम से कम बरसात तक जितनी सड़कें बनायी गयी हैं, जहां मिट्टी पड़ी है, इन में खड़न्जा बिछाया जाय और अगले साल उन पर कम से कम रोड़ी कुटवा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें। श्री देव बहादुर सिंह,....

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर कोरम नहीं है। कोरम पूरा करा लें तो मैं बोलूं।

(कोरम के लिए घंटी बजाई गई तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैं बड़ा आभारी हूं माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया। अभी देहलवी साहब ने कटाक्ष किया लेकिन साथ ही इस विभाग की आलोचना भी की। कैसे वह तथ्यों को छिपा सकते थे? अन्त्योदय में उस गरीब का अन्त करने की व्यवस्था यह सरकार कर रही है, कैसे कोई इससे इंकार कर सकता है? (व्यवधान) सब एक स्वर से कह रहे थे माननीय मंत्री जी दया के पात्र हैं। पंचायत राज को

[श्री देव बहादुर सिंह--]

जितनी संस्थायें हैं सब सिसक रही हैं और मृत्यु शैया पर हैं । माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि ये संस्थायें बहुत शक्तिशाली तथा साधन सम्पन्न हैं लेकिन यह तथ्यों के विपरीत हैं । ग्राम पंचायतों में कुल दो ढाई करोड़ रुपये कर की वसूली होती हैं जिनसे उनका काम नहीं चल पाता । इसलिये अशोक मेहता समिति की जो सिफारिशें हैं उनके आधार पर उनको साधन सपन्न तथा शक्ति सम्पन्न किया जाय ताकि वह सुदृढ़ हो सकें।

यह सही है कि जवाहर लाल जी की कल्पना ही थी कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाय और यह विकेन्द्रीकरण तब माना जायगा जब जिला परिषद् का अध्यक्ष जिलाधिकारी का करेक्टर रोल लिखेगा और बी० डी० ओ० प्रमुख के अन्तगत कार्य करेंगे । ऐसा न होने पर यह लावारिस विभाग रहेगा और तब तक इस ग्राम विकास विभाग का कोई महत्व नहीं होगा । जितने कर्मचारी हैं उनका मुख्यालय बनाया जाय । जो उनके साथ व्यवहार तथा प्रोन्नति के अवसर होने चाहिये वह सरकार उनको नहीं दे रही है । खंड विकास अधिकारी को क्लास टू देने में क्या आपत्ति है जब कि पशुपालन डाक्टर को क्लास टू आपने दे दिया है । सहायक विकास अधिकारी को प्रोमोशन का स्कोप मिलना चाहिये । ग्राम सेवक आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन आप नहीं मिलते । जब तक यह सब नही होगा तब तक ग्राम विकास की योजना आगे नही बढ़ सकती ।

अन्त्योदय की एक स्वर से आलोचना की गयी । आर्थिक सहायता दी जाय लेकिन किसी के नाम पर अनुदान की धनराशि को बाट लिया जाय यह आपत्तिजनक बात है । इसकी जांच की जाय । एक हजार की भैंस दो हजार में खरीद ली जाय और डाक्टर को 400 रुपये दे कर शेष रुपया खा लिया जाय इससे आपकी छवि धूमिल होगी और इसमें अगर सुधार नहीं किया जायगा तो निश्चित रूप से छवि और बिगड़ेगी ।

श्रीमन्, ग्रामीण अंचलों में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जो सड़कें बनी हैं उनके जरिये तमाम गल्ला बाजारों मे बेच दिया गया है । इसके अलावा जो सड़कें बनी हैं उनको पक्का नहीं किया गया । इसी तरह से अगर वे रहेंगी तो एक समय आयेगा जब वे चलन योग्य नहीं रह जायेंगी । इसलिए इन सड़कों को आप जल्दी से जल्दी पक्की करायें । शास्त्री जी जो लघु सिंचाई मंत्री हैं वे भी बहस में हस्तक्षेप करके कुछ बोल गये लेकिन हमने किसी ने नहीं सुना और न आपने ही उन्हें समझा कि वे क्या बोले । लेकिन शायद उन्होंने तारीफ की है कि भूमि विकास बंक से हम यह व्यवस्था करते हैं कि लोगों को पम्पसेट खरीदने के लिए वहां से ऋण मिले । इस सम्बन्ध में विचार हो चुका है । पम्पसेट खरीदने के लिए किसान अपनी जमीन भूमि विकास बैंक के नाम बंधक रखता है और तब उसको चेक दिया जाता है । इसलिये लघु सिंचाई योजना में यह देखने की बात है कि उसको कैश दिया जाय ।

दूसरी बात यह है कि क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों को जब से आपने पदार्पण किया, भंग कर दिया । मुख्य मंत्री जी ने जैसा बताया कि अशोक मेहता कमेटी ने जो संस्तुतियां की थीं उनसे वे सहमत नहीं हैं । तो यदि आप उनसे सहमत नहीं हैं तो क्यों नही आप चुनाव करा लेते हैं । लोगों को यह विश्वास है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो । परामर्शदात्री समितियों के लिए आपने जो आदेश किए हैं उसमें लिखा है कि उसकी जो संस्तुतियां होंगी उनको जिला मजिस्ट्रेट जिला परिषद् के अध्यक्ष के रूप में मान सकता है, बाध्य नहीं है । वह

माने या न माने, कोई जरूरी नहीं है । तो फिर यह कमेटी क्यों बनाई हैं । इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकती है । माननीय सदस्य ने अभी कहा कि जो भी समितियां बनी हैं उसमें विरोध पक्ष के किसी माननीय सदस्य का नाम नहीं रखा गया है । इससे एक पक्षीय काम होगा । जो माननीय मंत्री पहले थे उन्होंने उन समितियों में आर० एस० एस० और जनसंघ के लोगों को रख दिया । यह ठीक नहीं है । हम लोग विरोध पक्ष के हैं और हम भी चाहते हैं कि जो नाम हम संस्तुत करें उनको भी परामर्शदात्री समिति में रखा जाय । हमने भी संस्तुत किया था उनमें से किसी को नहीं रखा गया है । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर नहीं गया है । यह बात गलत है । यह सरकार की नीति नहीं होनी चाहिये ।

मान्यवर, छोटे–छोटे ट्रांसफर आदि के लिए दबाव पड़ता है और पार्टी के लोग दबाव डालते हैं । इसलिए यह बात भी नहीं होनी चाहिए । साथ ही जो अधिकारी और कर्मचारी इस बिभाग में जाते हैं वे इस विभाग के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं और इस विभाग को अपना विभाग नहीं समझते हैं । जैसा माननीय श्यामधर जी ने कहा आई० ए० एस० और पी० सी० एस० कैडर के लोग ग्रामीण सेवाओं म रुचि नहीं लेते हैं यह बात भी गलत है, उनको रुचि लेनी चाहिए । वे सिर्फ फर्ज अदायगी के रूप में अपना काम करते हैं । एक बात और कहना चाहता हूं कि गाजियाबाद में भी जिला परिषद् बने जिससे आगे यदि चुनाव आये तो वहां के काम भी हो सकें ।

श्री उपाध्यक्ष––

अभी आप कितना समय और लेंगे ?

श्री देव बहादुर सिंह––

बस एक मिनट में समाप्त करता हूं, मान्यवर ।

श्री देव बहादुर सिंह––

हमारे जिले नैनीताल में गदरपुर विकास खंड है सुना जा रहा है कि उसके मुख्य लय को कहीं अन्यत्र ले जाया जा रहा है यह सूचना हमको मिली है । जहां पर कि 80 फीसदी प्रधान चाहते हैं कि न जाय । मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा, किसी ने ऐसे ही उड़ा दिया । अगर इस तरह की रियूमर है तो उसका परिमार्जन करना चाहिए । इन शब्दों के साथ में माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह हमारे कटौती के प्रस्ताव को पास करें ।

श्री जमुना प्रसाद––

मान्यवर, इस बहस में बहुत से माननीय सदस्यों ने भाग लिया, उनके कुछ सुझाव भी थे, कुछ आलोचनायें भी थी और समर्थन भी था ।

माननीय देव बहादुर जी ने अपने कटौती प्रस्ताव रखते हुए अशोक मेहता कमेटी की ओर ध्यान दिलाया । मैं बताना चाहता हूं कि अभी मंत्रिपरिषद की एक सब–कमेटी की बैठक हुई थी उसने अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर विचार

[श्री जमुना प्रसाद—]

किया और जो विकेन्द्रीकरण की नीति अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट में है उसको माना है । फिर वह मन्त्रिपरिषद के सामने आयेगी और सब कमेटी की रिपोर्ट को मानेगी ।

एक चीज माननीय सदस्य ने कही कि ग्राम सेवकों के प्रतिनिधि मंडल से मैं नहीं मिलता हूं । तो ग्राम सेवकों के प्रतिनिधि मंडलों से जितना मैं मिला हूं उतना कोई नहीं मिला है । लेकिन प्रतिनिधि मंडल ने अपना काम अगर यही बना लिया हो कि ग्राम्य विकास मंत्री से 365 दिन मिलते रहो और उनके कार्यालय में डटे रहो तो यह नहीं हो सकता है । वह निरन्तर मिलते रहे और अपना काम न करें यह कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। यह ठीक है उनकी समस्या का समाधान किया जाना चाहिये उसकी कोशिश की गई है । लेकिन उनको जो सूचना दी गई है वह गलत है ।

ग्राम पंचायतों, क्षेत्र समितियों के बारे में कहा गया, जिला परिषदों के बारे में इस पुस्तिका में जो लिखा गया है कि जिला परिषदों का समय समाप्त हो गया था यह गलत छपा है इसके लिए मुझे खेद है । जिला परिषदों को 1979 तक चलना था । लेकिन जो राजनीतिक वजह से भंग करने का चार्ज लगाया गया है वह गलत है । तमाम जिलों से जो रिपोर्ट आई, 56 जिलों से जो अनियमितता की रिपोर्ट आई थी जैसा मैंने पहले भी इस सदन में चर्चा आई थी जिला परिषदों को भंग करने के बारे में हुई थी कहा था । उन रिपोटों के आधार पर भंग किया था ।

अंत्योदय योजना के बारे में माननीय सदस्य ने कहा कि स्थानीय योजनाओं को काट कर दिया गया है । तो मैं बताना चाहता हूं कि स्थानीय योजना सिर्फ इस बात के लिए थी कि हम अपने जिलों में जो विभिन्न योजनायें, जो चीजें नहीं आ पाई थी उसमें प्रावधान किया गया । उसमें 40 फीसदी स्थानीय योजनाओं के लिए और 60 फीसदी अंत्योदय के लिए रखा गया । यह अंत्योदय योजना आवश्यक थी । वह सही माने में ग्रामों में जो सबसे गरीब व्यक्ति है, जिसकी सही माने में सेवा नहीं हो सकी, जो गरीबी की जिन्दगी बिता रहा है उसके लिए यह योजना है । जिसमें वह ऐसा काम कर सके जिसको वह चाहता है । उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि तुम गरीबी को खत्म करने के लिए कौन सा उपाय सोचते हो । जो वह उपाय बताता है उसे वह दिया जाता है । जहां से वह चाहता है उसे खरीद कर वह दिया जाता है । लेकिन ऐसा नहीं है कि वह उसे नकद दिया जाय । यह इसकी प्रक्रिया है ।

पेय जल के बारे में कहा गया कि समझ में नहीं आता कि पेय जल की व्यवस्था कौन करता है । निगम करता है या ग्राम्य विकास विभाग तो मैं बताना चाहता हूं कि आम व्यवस्था पेय जल की जो है वह जल निगम करता है । यह ग्राम्य विकास से सम्बन्धित जो है, वह केवल हरिजनों को पेयजल की सुविधा देने के लिए है । कुछ सदस्यों ने कहा कि इसमें कहीं पर त्रुटियां हैं, मैं यह समझता हूं और कहता हूं कि यदि कहीं पर कोई त्रुटि है और उसके बारे में कोई माननीय सदस्य शिकायत सामने मय उदाहरण रखेंगे, तो उस पर कार्यवाही होगी । बहुत से कार्य हैं जिनके बारे में शिकायत मिलती है । ब्रिटिश पार्लियामेन्ट की एक पद्धति है, जो चीज सदस्य कहते हैं, उसको शासन मानता है । मैं भी उस चीज को मानता हूं कि बिना उसकी बात माने कोई शासन चल नहीं सकता है । एक

इसमें आया है, हमारे सहयोगी मंत्री श्री छोटेलाल रहे हैं, उन्होंने यह कहा कि ग्राम सेवक का कोई कार्यालय नहीं है, उसका कार्यालय उसके साथ उसकी जेब में रहता है। यह सही स्थिति है और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुये ऐसा रहा। लेकिन अब इसका प्राविधान किया जा रहा है कि पंचायत, कृषि, विकास आदि ग्रामीण स्तर के जितने भी कर्मचारी हैं, वह वहां रहें और इसकी ग्राम में व्यवस्था रहे और हम आशा करते हैं कि इस कमी को पूरा करने में हम सफल होंगे।

आवास के बारे में कहा गया है, जो विकास खंड हैं, वहां पर बहुत जगह मुख्यालय विकास खंड नहीं है और कर्मचारियों के रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस बजट में 25 लाख रुपया केवल उनके आवास के लिए रखा गया है। अधिकांश सदस्यों ने बी० डी० ओ० को क्लास टू का दर्जा देने की बात कही है। मैं इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि यह बात अभी समाप्त नहीं हुई है। वह मन्त्रिमन्डल द्वारा स्थगित हुआ है, रेजेक्ट नहीं किया गया है। अभी उस सुझाव पर कोई फाइनल निर्णय नहीं हुआ है। जबतक फायनल निर्णय न हो, कोई चार्ज नहीं लगाना चाहिए। मैं समझता हूं कि अग्रिम मंत्रिपरिषद की बैठक में या दूसरी, तीसरी में वह हो जाएगा।

श्री देव बहादुर सिंह--

क्या इस पार्टी के शासनकाल में हो जाएगा?

श्री जमुना प्रसाद--

मुझे कहने दीजिए। एक सदस्य, श्री द्विवेदी, रायबरेली ने यह कहा कि सारा गेहूं, गेहूं योजना में कांग्रेस ने इकट्ठा किया था, जनता शासन ने उसे खर्च किया। तो यह तो उनकी कमी है कि जो गेहूं का अपार भंडार भरा हुआ था, वह उसका सदुपयोग नहीं कर पाए और जनता पार्टी ने उसका सदुपयोग किया है। इसके लिए वह बधाई के पात्र होना चाहिए। देवबहादुर जी ने कहा कि जिला परिषदों की जो परामर्शदात्री समितियां हैं, उसमें विधायकों की राय नहीं ली गई है। इस सम्बन्ध में मेरा विचार है कि, कुछ अपवादों को छोड़कर करीब-करीब सभी विधायकों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। उन्होंने श्री देवकुमार जी ने कहा कि जनता पार्टी की सरकार गांव पंचायतों, क्षेत्रीय समितियों और जिला परिषदों के अधिकारों का हनन करके उन पर हावी हो जाना चाहती है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि यह जनता पार्टी ही है, जिसने उनको विरोधी दल और कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य होते हुए भी बुन्देलखंड विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी का सदस्य नियुक्त किया। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि जो पम्पिंग सेट का वितरण होता है भूमि विकास बैंक से उसके लिए पैसा दिया जाता है उसमें बड़ी गड़बड़ी है। उन्होंने बांदा जिले के करवी का उदाहरण दिया। मैं समझता हूं कि उनको जानकारी होगी, नहीं तो मैं दे रहा हूं। शासन का ध्यान इस ओर गया, वहां के भूमि विकास बैंक को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। तमाम फर्म जिन्होंने घपला किया था उनका लाइसेन्स कैंसिल कर दिया। उसके बाद जांच में जो दोषी पाये जायेंगे उनको दण्डित किया जायेगा। इससे बड़ा हमारे कदम का कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जो शिकायतें आती हैं, उनको सख्ती से देखते हैं।

श्री देव कुमार--

मैंने निवेदन किया था कि इसी तरह से जो काम आप करवा रहे हैं, आप सत्यापन करवा लीजिए, बहुत घपले सारे प्रदेश में होंगे ।

श्री जमुना प्रसाद--

माननीय देवकुमार यादव, ने यह भी कहा था खाद्यान्न योजना में निर्माण कार्य हुआ है, उसमें मजदूरी नहीं मिली । एक भी केस बतायेंगे, यह बहुत बड़ा उन मजदूरों के साथ अन्याय है, उनको मजदूरी नहीं मिली, यह जघन्य अपराध है, वह बतायेंगे तो इस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी ।

माननीय श्यामसुन्दर गुप्त ने एक पशु बैंक की बात कही । बहुत अच्छी बात है । इस चीज का होना चाहिए जिसके सही मानों में किसानों की सही सेवा कर सकेंगे । हमारे माननीय राधेश्याम शर्मा ने कहा कि कलेक्टर खत्म करके प्रत्यक्ष चुनाव करवा दें । जो अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट है उसमें विकेन्द्रीकरण है । जैसा कि देव बहादुर जी ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट मानें तो पूरी मानें नहीं तो न मानें, ऐसा नहीं है । जो कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत होती है कोई भी शासन इसके लिए बाध्य नहीं है कि कमेटी की सारी रिपोर्ट कामा फुलस्टाप के साथ माने । उसको अधिकार है जिस चीज को उचित समझेगी मानेगी । हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं । हम वास्तव में चाहते हैं कि जिला परिषद एक मिनी असेम्बली के रूप में काम करें । जो सत्ता प्रदेश सरकार के पास है वह सत्ता जिलों में जिला परिषदों के पास हो । तब जो इतनी दौड़ धूप मचती है वह कम होगी । जिले का सही संचालन होगा ।

श्री देव बहादुर सिंह--

बड़ी ऊंचाई हो रही है ।

श्री जमुना प्रसाद--

इस सम्बन्ध में मुझे एक बात याद आई । नेता जी सुभाषचन्द्र बोस से कोहिमा में एक लड़की ने कहा जो आजाद हिन्दी फौज में लक्ष्मी बाई प्लेटून में थी । उसने कहा कि मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं । नेता जी ने कहा कि योर एक्सलैंसी बेटी पूछो । उसने कहा कि अंग्रेजी रेडियो कहता है कि सुभाष यथार्थ-वादी व्यक्ति नहीं है सपनों के आदमी हैं । उन्होंने कहा कि बेटी अंग्रेजी रेडियो ठीक बोलता है । अगर कल्पना न होता, सपना न होता कि देश आजाद होगा, तो आज आजाद हिन्द फौज न बनी होती और तुम्हारी जैसी बेटियां आजाद हिन्द फौज में न होती । बिना कल्पना और सपना के कोई योजना सफल नहीं होती ।

श्री देव कुमार--

हम क्या उम्मीद करें कि अपने बोस के रहते जिलों में असेम्बलियां बन जायेंगी ?

श्री जमुना प्रसाद--

मैंने मिनी असेम्बली कही थी ।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, जैसे सामुदायिक विकास विभाग के स्थान पर ग्राम्य विकास रख

लिया उसी तरह से क्या मंत्री जी जिला परिषद का नाम मिनी असेम्बली तो नहीं रखना चाहते हैं ?

श्री जमुना प्रसाद--

मान्यवर, मैं कह रहा था कि हमारे जो सदस्य माननीय त्रिपाठी जी हैं उन्होंने एक सड़क की बात कही और उनकी बात सही है और आपने मुझे बतलाया भी था। वहां पर जो सड़क है वह 17.5 किलोमीटर की है और उस पर स्वालिंग वगैरह हुई है और केवल 3 किलोमीटर पेंटिंग हुई और बाकी सड़क पेंटिंग होना बाकी है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी जांच दे दी गयी है और उसकी जाँच होगी। अगर वह चाहेंगे तो जिस अधिकारी को अपने साथ ले जाना चाहेंगे वह उनके साथ जायेगा और जांच करेगा। हमारे शिक्षक जी ने कहा कि वहां इनके क्षेत्र में ऐसा विकास खंड है मंझनपुर जहां पर हर गांव में 500 रुपया कुएं के लिए मांगा जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि एक उदाहरण दे दें। जनरल चीज से कुछ नहीं होता है। एक प्रमाण दें तो कार्यवाही होगी। इसके अतिरिक्त हमारे एक साथी ने कहा कि अन्त्योदय की योजना टाउन एरिया में भी लागू की जानी चाहिए। अब यह सुझाव आया है हम उस पर विचार करेंगे। अभी हमारे मित्र जी ने एक सुझाव दिया और वह शासन को मानना चाहिए कि आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के जो अधिकारी हैं वह आते हैं हर विभाग में बहुत थोड़ा समय के लिए रहते हैं। इसलिए जो अधिकारी विभाग में रहना चाहता है उसकी च्वाइस होनी चाहिए। जिस विभाग में उसकी च्वाइस हो उसी में उसको रहना चाहिए तभी सही माने में विकास हो सकता है।

श्रीमती कुदसिया बेगम--

मैंने जो महिलाओं की बाबत कहा था उसको वह अहमियत देते हैं या नहीं या आपने उनको बिलकुल राईट आफ कर दिया है ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपके विभाग में महिला मंगल योजना है क्या ?

श्री जमुना प्रसाद--

मैंने थोड़ी सी जल्दी की कि इसको समाप्त कर दिया। मैं उत्तर दे रहा था।

यह जो ग्राम विकास है इसमें हर जगह महिला मन्डल हैं। महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए उनकी अभी ट्रेनिंग हुई है। जिस प्रकार से 5 हजार पुरुषों की ट्रेनिंग हुई है, उसी प्रकार से उनकी भी ट्रेनिंग हुई है। जितने पुरुषों को उतनी ही संख्या में महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई। यह भी सही है कि जिस देश में महिलाओं को समुचित स्थान नहीं मिलता, तो उस देश के लिए यह नहीं कहा जा सकता है कि वह देश तरक्की की ओर कदम बढ़ा रहा है। डाक्टर लोहिया ने भी जहां पर पिछड़े वर्ग और हरिजनों के आरक्षण की बात कही है वहां पर यह भी कहा था कि महिलाओं की, जो एक कमजोर वर्ग है, आबादी देश में आधी है। और उनको उसी आबादी की प्रतिशत के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिये। तो हम डाक्टर लोहिया के सिद्धान्त को मानते हैं कि विकास क्षेत्र में भी महिलाओं

[श्री यमुना प्रसाद--]

का स्थान होना चाहिए। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी उनके सुझाव हैं, उनको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे ।

श्रीमती कुदसिया बेगम--

जो प्रदेश में इस वक्त सेट अप है महिलाओं की बाबत क्या आप उसमें कोई परिवर्तन लाने का इरादा कर रहे हैं । 30 साल के बाद भी आज गांवों की औरतों की वही हालत है जो 30 साल पहले थी इसलिए जनता सरकार के लिए बहुत जरूरी है कि कोई इन्कलाबी सूरत आप पैदा करें ताकि यहां की औरतें आगे बढ़ें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री देव बहादुर सिंह--

यदि आप कहेंगे तो वापस ले लूंगा ।

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं जैसा कि अभी बेगम साहिबा ने कहा कि क्या वे अपने विभाग में ग्राम सेविकाओं को नियुक्त करेंगे या इस पर कोई विचार करेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद--

हमारे यहां पर तमाम ग्राम सेविकायें हैं और ए0 डी0 ओ0 महिलायें भी हैं ।

श्रीमती कुदसिया बेगम--

मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं इजाजत नहीं देता हूं ।

श्रीमती कुदसिया बेगम--

एक आध जिले में 2 या 1 महिला ए0 डी0 ओज हैं ।

श्री देव कुमार--

मान्यवर, मैंने अपने वक्तव्य में एक समस्या की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया था कि लघु सिंचाई योजना में 10-10 साल पूर्व जिन कृषकों ने ट्यूबवेल के लिए कर्ज ले रखे हैं और वे सफल नहीं हुए हैं, मैंने आग्रह किया था कि उनके कर्जों को भी राइट आफ कर दिया जाये । तो सरकार ने जब और प्रकार के कर्जों को माफ किया है तो इन कर्जों को भी माफ करने पर विचार करेंगी ?

श्री खयाली राम शास्त्री--

जो बोरिंग विभाग द्वारा होती है और यदि वह सफल नहीं हुई, टेक्नीकल ग्राउंड्स पर तो उसे 2 1/2 हजार रुपया दिया जाता है ।

श्री श्याम धर मिश्र--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष– -

अब मैं इजाजत नहीं देता हूं । आप कृपया बैठिए ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58 सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

( प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । )

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 58–ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 33,25,44,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 59 सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

( प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । )

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 59–पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,80,90,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 93 सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

( प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । )

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 93–पंचायती राज विभाग–पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 25,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 98--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

( प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । )

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 98--ग्राम्य विकास विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,39,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

## प्रदेश में गेहूं की खरीद में अनियमितता के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष--

आज नियम 51 में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री मलिखान सिंह (खाद्य तथा रसद मन्त्री)--

मान्यवर, आज सवेरे आपने वक्तव्य देने के लिए कहा था । आज उसे लेलें, कल मैं दिल्ली जा रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

वह 8 तारीख को आप दे दें ।

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 52 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
5 जून, 1979

## नत्थी 'क'

देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 23 का उत्तर पीछे पृष्ठ 457 पर)

अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 404/तैंतालिस/106(1)-78

उत्तर प्रदेश शासन,
प्रशासनिक सुधार विभाग।
लखनऊ: 17 फरवरी, 1978।

दिलीप कुमार भट्टाचार्य
मुख्य सचिव।

सील

प्रिय महोदय,

अर्द्ध शा0 पत्र संख्या 9/6/1977-कार्मिक-1, दिनांक 16 जुलाई, 1977 अर्द्ध0 शा0 पत्र-संख्या 19/18/1977-कार्मिक-1, दिनांक 10 अगस्त, 1977 अर्द्ध0 शा0 पत्र-संख्या 5353/तैंतालिस-106 (1)-77, दिनांक 24 अक्तूबर, 1977

जनप्रतिनिधियों तथा जनसाधारण से प्राप्त संदर्भों के निस्तारण तथा उनके प्रति सद्व्यवहार बनाये रखने की दिशा में पार्श्वांकित शासनादेश (प्रतियां संलग्न) जारी किये गए हैं। उनके बावजूद शासन स्तर पर कतिपय मामलों में इस बात की स्पष्ट जानकारी हुई है कि पार्श्वांकित आदेशों का समुचित अनुपालन नहीं हो रहा है। फलस्वरूप शासन/विभाग/कार्यालय स्तर पर जो संदर्भ जन प्रतिनिधि अथवा जन-साधारण से प्राप्त होते रहे हैं, उनके परिणाम के बारे में अभी भी संसद सदस्य/विधायकगण आदि सचिवालय के अधिकारियों तथा मंत्रीगण का ध्यान आकृष्ट करते रहते हैं। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है, और इसमें तात्कालिक सुधार करते हुए इसकी पुनरावृत्ति को रोका जाना है।

2—उपरोक्त प्रसंग पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन के निम्न निर्णय अनुपालनार्थ अवगत कराये जा रहे हैं :—

(1) जनप्रतिनिधियों, संसद सदस्यों तथा विधायकगणों द्वारा प्राप्त पत्रों को एक रजिस्टर में दर्ज किया जाये। यह रजिस्टर सचिवालय स्थित समस्त विभागों के सभी अनुभागों में रखा जायेगा। इसमें ऐसे सभी पत्र दर्ज किए जायेंगे, तथा उन पर की गई कार्यवाहियों का विवरण भी अंकित किया जायेगा। प्रत्येक दशा में यह अवश्य सुनिश्चित किया जाये कि ऐसे पत्रों की प्राप्ति की तिथि से स्वीकृत-विषयक उत्तर एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित जनप्रतिनिधि को उपलब्ध करा दिया जाये। यदि, पहले उत्तर द्वारा प्राप्त सन्दर्भ की पूरी तरह निस्तारण न होता हो, तो इसे अन्तरिम उत्तर मानते हुए जब उल्लिखित सन्दर्भ पर अंतिम कार्यवाही हो जाये तो उसे अंतिम कार्यवाही की सूचना भी सम्बन्धित जन प्रतिनिधि को, अवश्य दी जाये और उसके बाद ही इस सन्दर्भ को पूरी तरह निस्तारित माना जाये। समस्त सचिवगण कृपया यह सुनिश्चित करें कि जनप्रतिनिधियों के पत्रों की प्राप्ति की केवल स्वीकृति ही नहीं बल्कि उन पर की गई अन्तरिम तथा अंतिम कार्यवाही की सूचना को भी दिया जाना है। यदि किसी संदर्भ के बारे में गोपनीयता अथवा लोकहित के आधार पर कृत कार्यवाही का उत्तर देना संभव न हो, तो इस बारे में विभागीय सचिव स्वयं विचार कर निर्णय लें और अन्तरिम उत्तर में ही यह बात इंगित कर दें कि सम्बन्धित विषय की गोपनीयता तथा लोकहित की पृष्ठ-भूमि में पूरा विवरण दिया जाना संभव न हो सकेगा।

(2) समस्त सचिव कृपया संसद सदस्यों तथा विधायकों से प्राप्त पत्रों के रजिस्टर को प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में देख लिया करें ताकि ऐसे संदर्भों के निस्तारण में कोई चूक न हो पाय। यदि विभाग स्तर पर अथवा कार्यालय स्तर पर किसी संदर्भ के निस्तारण की आवश्यकता होती है, और यह उत्तर दिया जाता है कि सम्बन्धित पत्र विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष के स्तर से निस्तारित होगा, तो विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, को समुचित समय तथा तिथि देने के साथ यह स्पष्ट निदेश किया जाना चाहिये कि अमुक तिथि तक सम्बन्धित जन-प्रतिनिधि को अन्तिम कार्यवाही से अवगत करायें और उसकी सूचना सचिवालय स्तर पर भी दें, ताकि प्रश्नगत संदर्भ को अंतिम रूप से निस्तारित समझा जा सके।

(3) शासन यह अपेक्षा करता है कि समस्त सचिव इस महत्वपूर्ण प्रसंग पर तात्कालिक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अपने अधीनस्थ विभाग/विभागों में तदनुसार कार्यवाही और प्रक्रिया का परिपालन भी कराते रहेंगे, और दौरों तथा निरीक्षणों के समय यह बात अवश्य सुनिश्चित की जायेगी कि उपरोक्त विषय से सम्बन्धित निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जा रहा है।

(4) इस बात के मूल्यांकन हेतु कि जन प्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों का उत्तर उन्हें भेज दिए जाने की वर्तमान स्थिति क्या है कृपया सचिवालय के अपने-अपने विभागों में उनसे प्राप्त पत्रों के सम्बन्ध में सूचना शासन के प्रशासनिक सुधार विभाग को संलग्न प्रपत्र-1 में 22-2-78 तक अवश्य उपलब्ध करा दें। तदुपरान्त उपरोक्त विषय से सम्बन्धित विवरण प्रपत्र-2 के अनुसार त्रैमासिक रूप में 15 अप्रैल, 15 जुलाई, 15 अक्तूबर तथा 15 जनवरी तक उपलब्ध कराये जाते रहें ताकि सचिवों की समिति में भी अद्यावधिक वस्तुस्थिति का मूल्यांकन किया जा सके।

3--शासन की जानकारी में कुछ विशिष्ट ऐसे दृष्टांत भी सामने आये हैं, जिनसे यह जानकारी हुई है कि मुख्य मन्त्री जी तथा अन्य मन्त्रीगण को जो आवेदन-पत्र दिन-प्रतिदिन आम जनता से भेंट के अवसर पर या अन्य अवसरों पर प्राप्त होते हैं, और जिन पर आदेश पारित कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारियों तथा स्तरों को भेज दिये जाते हैं, उनकी प्राप्ति की सूचना सम्बन्धित आवेदकों को नहीं दी जाती। यह स्थिति अत्यन्त असंतोषजनक है, अतः इसके निवारणार्थ कृपया सुनिश्चित करें कि जो भी आवेदन-पत्र मुख्य मन्त्री जी अथवा अन्य मन्त्रीगण द्वारा प्राप्त होकर निर्देशों सहित जिला स्तर अथवा विभाग स्तर के अधिकारियों को भेजे जाते हैं उनके प्राप्ति की सूचना सम्बन्धित आवेदकों को तत्काल भेजी जानी चाहिये और उन पर कार्यवाही करने के बाद अंतिम निर्णय से भी सम्बन्धित आवेदकों को अवश्य ही अवगत कराया जाना चाहिए। प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष तथा विभागाध्यक्ष एवं विभाग के अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे दौरों में इस विशिष्ट मामले की भी देखरेख करते रहें और यह सुनिश्चित करें कि यह कार्यवाही सभी स्तरों पर की जा रही है।

भवदीय,
दिलीप कुमार भट्टाचार्य,
मुख्य सचिव।

समस्त सचिव/विशेष सचिव

संख्या 404(1)/तैंतालिस-106(1)-78, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित :--

(1) समस्त मंडलायुक्त।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

(3) समस्त जिलाधिकारी।

(4) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
एम० वाधवानी,
आयुक्त एवं सचिव।

प्रपत्र 1

जन प्रतिनिधियों/संसद सदस्यों/विधायकगण से 31-1-78 तक प्राप्त उन पत्रों की कुल संख्या जो लम्बित है.....

उपरोक्त पत्रों में से उन पत्रों का ब्योरा जो तीन माह से अधिक पुराने हैं--

| क्रम-संख्या | प्रेषक का नाम तथा पता | पत्र प्राप्ति की तिथि | पत्र का विषय | अन्तरिम उत्तर की तिथि | अंतिम उत्तर न भेजने का कारण | अन्य विवरण यदि कोई हो |
|---|---|---|---|---|---|---|

प्रपत्र 2

जन प्रतिनिधियों/संसद सदस्यों/विधायकगण से प्राप्त पत्रों के सम्बन्ध में 31 मार्च/30 जून/30 सितम्बर/31 दिसम्बर, 197 को समाप्त हुई त्रैमास का विवरण ।

त्रैमास से पूर्व के लम्बित पत्रों की संख्या----------

त्रैमास से प्राप्त पत्रों की संख्या----------

योग----------

त्रैमास म अन्तिम रूप से निस्तारित पत्रों की संख्या----------

अवशेष----------

तीन माह से अधिक पुराने लम्बित पत्रों का ब्योरा--

| क्रम-संख्या | प्रेषक का नाम तथा पता | पत्र प्राप्ति की तिथि | पत्र का विषय | अन्तरिम उत्तर की तिथि | अंतिम उत्तर न भेजने का कारण | अन्य विवरण यदि कोई हो |
|---|---|---|---|---|---|---|

कार्मिक अनुभाग-1 तथा प्रशासनिक सुधार विभाग से प्रसारित श्री कृपा नारायण श्रीवास्तव, तत्कालीन मुख्य सचिव के अर्ध-शासकीय पत्रों की प्रतिलिपियां--

संख्या 9/6-1977-कार्मिक-1, दिनांक 16 जुलाई, 1977

शासन को इस प्रकार की शिकायतें बराबर मिल रही हैं कि जब हमारे विधायकगण या संसद सदस्य जिले में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने आते हैं तो उनके अधीनस्थ कर्मचारी उनसे उस प्रकार का व्यवहार नहीं करते जिस प्रकार के व्यवहार की उनसे अपेक्षा की जाती है । देश की बदली हुई परिस्थिति में यह स्थिति अत्यन्त अवांछनीय है । प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का यह कर्तव्य है कि वह सभी के साथ अपना मृदु व्यवहार बनाये रखे और ईमानदारी और परिश्रम से अपने कर्तव्य का पालन करें । सभी वरिष्ठ अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर कड़ी निगाह रखें कि संसद सदस्यों व विधायकों के साथ उनका व्यवहार अत्यन्त ही नम्र हो और भविष्य में इस सम्बन्ध में कोई शिकायत न आने पावे ।

---

संख्या 19/18-1977-1-कार्मिक-1, दिनांक 10 अगस्त, 1977

कृपया मेरे अर्ध-शासकीय पत्र संख्या 9/6-1977-कार्मिक-1, दिनांक 16 जुलाई, 1977 का अवलोकन करें जिसमें सभी विभागाध्यक्षों एवं जिला स्तर के अधिकारियों से यह अपेक्षा की गई है कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुये सरकारी कर्मचारी का यह कर्तव्य है कि वह विधायकगण एवं संसद सदस्यों के साथ मृदु एवं शिष्टता का व्यवहार करें ।

2--इसी क्रम में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि न केवल अधिकारी स्तर पर बल्कि जन संपर्क के सभी बिन्दुओं के छोटी से छोटी इकाई स्तर पर आम जनता तथा जन प्रतिनिधियों को समुचित सम्मान दिया जाये और संयमपूर्वक तथा शिष्टता से कार्य सम्पादित किया जाये। शासन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपेक्षा करता है कि कठिन परिस्थितियों में भी संयम से कार्य किया जाये जिससे कोई अप्रिय घटना न घटित हो।

3--आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त आदेशों से अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अवगत करा दें तथा इनका अनुपालन सुनिश्चित करा लें।

---

संख्या 5353/तैंतालिस-106 (1)-77, दिनांक 24 अक्तूबर, 1977

शासनादेश संख्या 19 (4)-75-सा0प्र0 अनु0-1, दिनांक 2 जनवरी, 1976 द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों को यह सूचित करते हुए कि शासन को यह शिकायत प्राप्त हुई है कि जनता, निजी संस्थाओं आदि द्वारा शासन के विभिन्न विभागों को भेजे गए पत्रों की प्राप्ति स्वीकार नहीं की जाती, उनका ध्यान शासकीय आदेश संग्रह (Manual of Government Orders) के पैरा 22 की ओर आकृष्ट करते हुए उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनके विभाग में जनता, निजी संस्थाओं आदि के पत्रों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है। जनता की शिकायतों की प्राप्ति स्वीकार करने के सम्बन्ध में निर्देश शासकीय आदेश संग्रह (Manual of Government Orders) के पैरा 944 में भी दिये गए हैं। शासकीय आदेश के संग्रह के पैरा 222 तथा 944 सुसंगत अंश सुलभ संदर्भ हेतु नीचे उद्धृत हैं--

222. All communications conveying requests from the public should receive prompt attention. Every such communication should as a rule be acknowledged and decisions must be communicated without undue delay. In some cases inquiries may have to be made which may necessitate some delay and where this is likely, the communication should be briefly acknowledged with the intimation that it is receiving attention.....

944. (1) (*a*) All letters or petitions received from private persons, firms and societies other than those received through Government should receive a prompt reply or acknowledgement unless they are themselves replies and call for no further action.

(*b*) If a reply disposing of such letters or petitions cannot be sent immediately an interim acknowledgment or reply should be sent, saying that the matter is under consideration.

This rule is important and should be invariably observed.

2--शासन को अब भी जनता के प्रार्थना-पत्रों की प्राप्ति स्वीकार न किए जाने की शिकायतें बराबर प्राप्त होती रही है, जो वास्तव में खेदजनक है। आप से पुनः अनुरोध है कि जनता, निजी संस्थाओं आदि से प्राप्त होने वाले पत्रों की प्राप्ति स्वीकार किये जाने की व्यवस्था की ओर विशेष रूप से ध्यान देकर यह देख लें कि आपके विभाग कार्यालय के सम्बन्ध में उनका अनुपालन कड़ाई से किया जा रहा है और जहां कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है वहां अब से अवश्य अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

3--कृपया इस पत्र की प्राप्ति तथा इस सम्बन्ध में जारी किये गए आदेशों की एक प्रति प्रशासनिक सुधार विभाग को सूचनार्थ भेज दें।

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 25 का उत्तर पीछे पृष्ठ 458 पर)

6 सनी पार्क, बेलीगंज, कलकत्ता स्थित सनी पार्क इस्टेट के क्रय किए गए 6 फ्लेट्स का विवरण

| क्रम सं0 | अपार्टमेन्ट नं0 | ब्लाक नं0 | फ्लोर | प्लिन्थ एरिया | फ्लेट्स में उपलब्ध कमरों का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | बी | प्रथम | 123·55 वर्गमीटर | 2 बेड रूम टायलेट सहित किचेन, लिविंग–डायनिंग हाल तथा एक बालकनी। |
| 2 | 6 | बी | द्वितीय | 123·55 वर्गमीटर | |
| 3 | 12 | सी | प्रथम | 142·15 वर्गमीटर | 3 बेड रूम टायलेट सहित किचेन, लिविंग–डायनिंग हाल तथा एक बालकनी। |
| 4 | 12 | सी | द्वितीय | 142·15 वर्गमीटर | |
| 5 | 13 | सी | प्रथम | 152·80 वर्गमीटर | 3 बेड रूम टायलेट सहित, एक अतिरिक्त बाक्स रूम, किचेन, लिविंग–डायनिंग–हाल तथा दो बालकनी। |
| 6 | 13 | सी | द्वितीय | 152·80 वर्गमीटर | |

बेसमेन्ट में 6 पार्किंग स्पेस भी उक्त फ्लेट्स से सम्बद्ध हैं।

पी0एस0यू0पी0--13 वि0 सभा--3-5-80--835 (पी0 डी0)